




भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Law and Justice



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020-21



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-2021

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice



विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि और न्याय मंत्रालय का संगठन	(v-vi)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	50
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	95
5.	अनुबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	121
6.	अनुबंध – II	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांगों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	122
7.	अनुबंध – III	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	124
8.	अनुबंध – IV	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	128
9.	अनुबंध – V	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	129
10.	अनुबंध – VI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	130
11.	अनुबंध – VII	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	131
12.	अनुबंध – VIII	संविधान दिवस का आयोजन	132
13.	अनुबंध – IX	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	135



प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात् गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय-प्प) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना:

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना।

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। मुकदमों की भारी संख्या, उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय—I

विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

- 1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य—मदों का आबंटन किया गया है:—
1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण—लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।
 2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।
 3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।
 4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण—पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध।
 5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण—पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए वादों में वाद—पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
 6. भारतीय विधि सेवा।
 7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।
 8. विधि आयोग।
 9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
 10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।
 11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।
 12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001य

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र, 2019 को भी प्रशासित किया जा रहा है।

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है— सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध—I में दिया गया है।

मुख्य सचिवालय:

- i. मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण—लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।
- ii. उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा—कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय अपर सचिव रैंक के एक अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ता, तीन सहायक सरकारी अधिवक्ता, एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।
- iii. दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ) में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।
- iv. दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।
- v. विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात् कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है।

vi. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक—एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर—संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार रेलवे बोर्ड में कार्य कर रहे हैं। एक सहायक विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0, एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच व्यूरो में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

भारतीय विधि सेवा का सूजन

समाज के विकास के साथ—साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सूजन किया जो 1 अक्टूबर, 1957 को लागू हुई। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक सदस्य और सूचना आयुक्त दिए हैं।

भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से संबंधित भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सूजन के नए क्षेत्रों को उत्पन्न किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

3. सलाह "क" अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 2973 संदर्भ (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह से प्राप्त संदर्भों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गयी और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों

को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की है।

3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 80 मामलों पर भी कार्रवाई की गयी।
4. अभिहस्तांत्रण से संबंधित 90 संदर्भों पर भी कार्रवाई की गयी। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।
5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 96 नोट/विधायी प्रस्ताव, 1193 एसएलपी/मुकदमा मामले और 77 संदर्भ जांच/सलाह के लिए प्राप्त हुए।
6. उपर्युक्त अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा कुल 20 लोक शिकायतों पर भी कार्रवाई की गयी थी।
7. इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 291 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया है।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 2438 संदर्भ प्राप्त हुए, जिन पर सलाह 'ख' अनुभाग द्वारा तत्प्रतापूर्वक कार्रवाई की गयी।

2. उपर्युक्त अवधि के दौरान, 82 मंत्रिमंडल—नोट/विधायी प्रस्ताव, 523 विशेष वाद याचिकाएं (एसएलपी) समीक्षा/राय दिये जाने के लिए प्राप्त हुईं।
3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 251 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।
4. इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी के कार्यालय और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए संदर्भों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।
5. इसके अतिरिक्त, 16 संसद—प्रश्नों/आश्वासनों पर भी कार्रवाई की गयी।

5. न्यायिक अनुभाग

- 1) विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल कांउसेलों के माध्यम से केंद्र सरकार के मुकदमों का संचालन
 - क). उक्त अवधि के दौरान, 09 विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, जबकि दस विधि अधिकारियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फिर से नियुक्त किया गया है।
 - ख). भारत के 16 नये सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (सहायक एसजीआई) को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की पीठों में नियुक्त किये गये और भारत के 05 सहायक सॉलिसिटर जनरल की अवधियों को बढ़ा दिया गया है।
 - ग). देशभर के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमें संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का पैनल बनाया गया है। इस संबंध में, राज्य—वार विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	बिहार	04
2.	चंडीगढ़	03
3.	दिल्ली	64
4.	गोवा	03
5.	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख	04
6.	झारखण्ड	01
7.	केरल	01
8.	मध्य प्रदेश	114
9.	महाराष्ट्र	01
10.	मणिपुर	18
11.	पंजाब	88
12.	राजस्थान	01
13.	उत्तर प्रदेश	589
14.	पश्चिम बंगाल	238
	कुल	1129

- घ). 09 पैनल काउंसल के त्याग पत्र, मृत्यु के कारण पैनल काउंसल के एक नाम को हटाने की कार्रवाई की गयी।
- ड.). इस मंत्रालय के अनुमोदन हेतु कुछ विशेष मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं के अलग पैनलों से संबंधित 03 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कार्यवाही हुई है।
- च) सामान्य या विशेष निबंधनों और शर्तों पर देश के विभिन्न न्यायालयों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों से विधि अधिकारी, पैनल काउंसेल और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान ऐसे लगभग 101 प्रस्तावों पर कार्यवाही की गयी है।
- 2) विभिन्न विषयों जैसे पैनल काउंसेल की नियुक्ति की अवधि, शुल्क सूची से संबंधित विषयों इत्यादि का स्पष्टीकरण पैनल काउंसेल की नियुक्ति की निबंधनों और शर्तों, उनकी शुल्क सूची इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दे समय—समय पर प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे लगभग 110 स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं।
- 3) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थों और माध्यस्थम पैनल काउंसेलों की नियुक्ति/नामांकन करना, जिसमें एक पक्ष सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/निजी पक्षकार होता है:

अन्य पक्षकारों के साथ विभिन्न प्रकार के करारों पर विवाद से उत्पन्न उनके माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इत्यादि से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे मामलों में कुल 3 (तीन) मध्यस्थ नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल काउंसेल की नियुक्ति से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे आवेदनों के उत्तर में, लगभग 74 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किये गये हैं।

- 4) सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां/करार करना:
- क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विदेशों के साथ पारस्परिक करार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान नये प्रबंध नहीं किये गये थे।
- ख) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने अन्य देशों के साथ सिविल विधि के अधीन विधिक सहयोग पर विभिन्न करार किये हैं। तथापि, उक्त अवधि के दौरान, ऐसे नये समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।
- 5) समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उत्पन्न होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्यवाही करना:-

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन, 1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 850 अनुरोधों पर कार्यवाही की है।

- 6) सूचना का अधिकार/लोक शिकायतों संबंधी कार्य:-

उक्त अवधि के दौरान लगभग 90 सूचना के अधिकार आवेदनों पर कार्यवाही की गयी है जबकि इसी अवधि के दौरान 20 लोक शिकायतों पर कार्यवाही की गयी है।

6. नोटरी सेल

नोटरी अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनी नियमावली, 1956 का प्रशासन नोटरी सेल के दायरे में आता है। नोटरी सेल देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित इन आवेदनों पर कार्यवाही करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किये गये वृत्तिक कदाचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल प्रत्येक 5 वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल इस आशय के आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 22243 नोटरी नियुक्त किये हैं। हालाँकि, मई 2018 से, एक विशेष अभियान के रूप में, नॉर्थ ईस्ट (অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা), বিহার, ঝারখণ্ড, পশ্চিম বঙ্গাল, ওডিশা, রাজস্থান, তমিলনাড়ু ও পুরুচেরী, মধ্য প্রদেশ, ছত্তীসগढ়, আংঘ প্রদেশ, তেলংগানা, দিল্লী, গুজরাত, কর্ণাটক, কেরল, লক্ষ্মীপ, উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চাঁবীগঢ়, মহারাষ্ট্র ও গোবা রাজ্যों/কেঁদ্র শাসিত প্রদেশों में नोटरी पब्लिक के चयन के लिए 12 साक्षात्कार बोर्ड गठित किये गये थे। उपरोक्त राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में साक्षात्कार पूर्ण हो चुके हैं और वर्ष 2018–19 के दौरान नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार बोर्डों द्वारा 8960 उम्मीदवारों की सिफारिश की गयी

है। वर्ष 2018–19 के दौरान नियुक्त नोटरी पब्लिक के संबंध में अब तक 8000 से अधिक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी जारी किये जा चुके हैं। नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त शेष अधिवक्ताओं को अभ्यास के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इसे उचित समय में जारी किया जाएगा। इसके अलावा, विचाराधीन अवधि के दौरान लगभग 1014 नोटरी प्रमाण पत्र नवीनीकृत किये गये हैं।

7. कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

विधि आयोग की रिपोर्ट—प्रकाशन :— कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने, उन्हें संसद के समक्ष रखने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। 20वें विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करता है। जैसे ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या अन्य तरीके से भी उपलब्ध कराता है। इसलिए विधि आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती हैं। दिनांक 31.12.2020 तक भारत के विधि आयोग ने 277 रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी हैं। दिनांक 31.12.2020 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधित विभागीय स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन सेल वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 2005 से रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण (14वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर (दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में और दिनांक 12.12.2019 को राज्य सभा में) रखा गया था।

विधिक शिक्षा: यह प्रकोष्ठ विधि शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी है।

संविधियों का प्रशासन: यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित है:—

अधिवक्ता अधिनियम, 1961:— अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (“अधिनियम”) विधि व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने तथा राज्य स्तर पर बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपनी धारा 29 के तहत केवल ऐसे अधिवक्ताओं को मान्यता देता है, जो भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं। इस अधिनियम की धारा 30 जो प्रवृत्त नहीं थी, दिनांक 15 जून, 2011 (दिनांक 09.06.2011 की अधिसूचना एस.ओ.1349(ई) के तहत) से लागू की गयी थी।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001:—

कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक विरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किये हैं। संसद ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में समुचित सरकार द्वारा ‘अधिवक्ता कल्याण निधि’ के सृजन के लिए अपनी अधिनियमितियाँ नहीं हैं, ‘अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001’ अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। ‘अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प’ के विक्रय के

माध्यम से एकत्रित धनराशि 'अधिवक्ता कल्याण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैकिटस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि' का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त हो। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वारथ्य समस्या, प्रैकिटस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए अनुग्रहराशि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

8. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन आरटीआई सेल, आरटीआई मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरटीआई सेल प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुर्वर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई प्रकोष्ठ आरटीआई आवेदनों/अपीलों से संबंधित त्रैमासिक विवरण सीआईसी को भेजने के लिए उत्तरदायी है। आरटीआई वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्राप्त सभी आरटीआई आवेदन/अपील संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को भेजी जाती है।

- वर्तमान में, विधि कार्य विभाग में उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के 12 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं तथा अपर सचिव, संयुक्त सचिव और समतुल्य स्तर के 5 अपील प्राधिकारी हैं। दिनांक 01.01.2020 से 02.12.2020 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (01.01.2020 से 02.12.2020)	(03.12.2020 से 31.03.2021) से प्रत्याशित
1.	आर.टी.आई. आवेदन	2252	1500
2.	निस्तारित प्रथम अपील	80	लागू नहीं
3.	माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील	16	लागू नहीं

9. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेष अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तकों/जर्नलों/ऑनलाइन विधिक सेवाओं और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

- 01 जनवरी 2020 से 18 दिसंबर, 2020 के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 58 पुस्तकें

- और बेयर एक्ट की 328 प्रतियाँ प्राप्त कीं।
3. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग 16 भारतीय विधि जर्नलों, 2 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।
 4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/निर्णयज विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त/नवीनीकरण किया है:—
 - (क) एआईआर कॉम्प्रिहेन्सिव सॉफ्टवेयर/डाटाबेस
 - (ख) एससीसी ऑनलाइन केसफांइडर
 - (ग) एससीसी ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज
 - (घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

10. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

- (1) विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: —
 - (क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा षष्ठ क्षेत्र और ष्वष्ठ क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किये जाते हैं।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2020 को “हिन्दी दिवस” मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने—अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को भी विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए इस विभाग में 1.9.2020 से 30.9.2020 तक “हिन्दी माह” का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् “हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,” “हिन्दी टंकण प्रतियोगिता”, “हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता,” “अनुवाद

प्रतियोगिता”, “श्रुतलेख प्रतियोगिता” (समूह ‘घ’ कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और “हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता” का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 73 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन:

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किये गये थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिंदुओं के प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

- (1) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किये जा रहे हैं।
- (2) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्ट आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में स्थिति को मानीटर किया जा रहा है।
- (3) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया है और उनका हिंदी अनुवाद करके पुनरीक्षण हेतु उन्हें केंद्रीय अनुवाद ब्युरो भेजा गया है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मॉ का भी हिंदी में अनुवाद किया गया है। सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।
- (4) विभाग के सभी 247 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गये कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।
- (5) विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जा रही है।
- (6) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गये आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए

विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

- (7) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 भागों में की गयी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वयन किये जा रहे हैं। इस बारे में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।
- (8) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा.), सभी अवर सचिव और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य—सचिव हैं। इन बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों को भेजा जाता है।

11. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा

भारत सरकार के रेल और आय—कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। सहायक विधि सलाहकार/अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से प्रभारी अधिकारी मुकदमा कार्य की देखरेख करते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

- (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबद्ध होते हैं:—
भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, सिविल विविध आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक।
- (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:—
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन.सी.एल.टी., एन.सी.एल.ए.टी., अवैध गतिविधि (निवारण अधिकरण), ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।
2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ.न्या.) अनुभाग शेष और श्वीश द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण सहायक (विधि) /अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग शेष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग श्वीश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गयी रिट याचिकाओं और मूल पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा-सालिसिटर (एएसजी), 32 स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल (सीजीएससी), 07 विशेष काउंसेल, 229 वरिष्ठ काउंसेलों और 161 सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा-सालिसिटर/भारत के अपर महा-सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की हर प्रगति पर कड़ी निगरानी रखते हैं।
4. 01/01/2020 से 04/12/2020 की अवधि के दौरान इस इकाई ने एएसजी और काउंसेल के संबंध में लगभग 11000 व्यावसायिक शुल्क बिलों का भुगतान किया है, जिनकी राशि 9.67 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 1.33 करोड़ रुपये के बिल प्रक्रियाधीन हैं।
5. दिनांक 01.01.2020 से 04.12.2020 अवधि के दौरान मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 4709 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किये हैं। मामलों की प्राप्ति का अनुभागवार ब्यौरा और सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुभाग	01/01/2020 से 04/12/2020 तक प्राप्त मामलों की संख्या	05/12/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
ए	4261	1549	5810
बी	448	163	611
कुल	4709	1712	6421

मुकदमा एएफटी दिल्ली

6. 01/01/2020 से 04/12/2020 की अवधि के दौरान, एएफटी दिल्ली में मुकदमा चलाने के लिए 1907 मामलों में मुकदमा एएफटी अनुभाग ने सरकारी काउंसेलों को नियुक्त किया है। मामलों की प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है:—

मुकदमा एएफटी दिल्ली

अनुभाग	01/01/2020 से 04/12/2020 तक प्राप्त मामलों की संख्या	05/12/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
एएफटी	1907	693	2600

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) दिल्ली में मुकदमा कार्य

7. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) दिल्ली प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों/मुकदमों की देखरेख करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

8. दिनांक 01/01/2020 से 04/12/2020 तक तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 847 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किये हैं। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा—कार्य

अनुभाग	01/06/2019 से 19/05/2020 तक प्राप्त मामलों की संख्या	05/12/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	847	308	1156

12. मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

दिल्ली/नयी दिल्ली में रेल और आय-कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल एक अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) की सहायता से इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार एवं प्रभारी द्वारा की जाती है।

2. वरिष्ठ पैनल काउंसेलों और अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिनको भारत संघ अर्थात् भारत सरकार की ओर से मामलों के संचालन हेतु नामित किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालयों में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपर्युक्त काउंसेल नियोजित किये जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 337 मामलों में काउंसेल नियोजित किये। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार (भारत संघ) के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों और सरकारी काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।
3. माननीय न्यायालयों द्वारा मामलों में निर्णय देने पर सरकारी काउंसेल एक निर्धारित प्रपत्र में अपना फीस बिल प्रस्तुत करता है। फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग में सरकारी काउंसेल/वरिष्ठ पैनल काउंसेलों से फीस के 45 बिल प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019–20 में इस अनुभाग ने 1,36,00,000 (1 करोड़ छत्तीस लाख) रुपए का बजट आबंटित किया। इस राशि में से 16,56,420 (सोलह लाख छप्पन हजार चार सौ बीस) रुपए की राशि का सरकारी काउंसेल/वरिष्ठ पैनल काउंसेलों को उनके व्यावसायिक बिलों के लिए भुगतान किया गया है।
4. न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा.सू.के.) द्वारा किये गये प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

5. इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है।

13. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गयी थी। यह अनुभाग केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से विशेष अनुमति याचिकाएं/कुछ मामलों में अपीलें, फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी देखते हैं य जिन्हें कार्यालय प्रमुख की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। उनकी सहायता के लिए 6 सरकारी अधिवक्ता और 3 परामर्शदाता (अभिलेख अधिवक्ता) हैं। 718 सरकारी पैनल काउंसेल हैं। केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नयी दिल्ली से कार्य करता है।

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं :

- महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ।
 - विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों/अनुमोदित पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
 - भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
 - रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।
2. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के अभिलिखित अधिवक्ता की अर्हता की आवश्यकता है। ये भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं।
3. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और संघ राज्य क्षेत्रों से 5015 नये मामले प्राप्त हुए जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता या प्रतिवादी थे।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता

शाखा सचिवालय, कोलकाता के शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/निम्न न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में एक पुस्तकालय है, जिसमें 10500 से अधिक पुस्तकें हैं।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों तरह से सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी स्थित अपने सर्किट बैच और विभिन्न अधिकरणों, जिला फोरमों, राज्य आयोगों और निम्न न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों, सीजीआईटी, माध्यस्थम, एनजीटी, एनसीएलटी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। विभिन्न अधिकरणों जैसे कि एनजीटी, सीईएसटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष पेश होने के लिए भी पैनल काउंसेलों नियुक्त किये जाते हैं। यह शाखा सचिवालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसेल भी नियुक्त करता है।

जनवरी, 2020 से 8 दिसंबर, 2020 के दौरान इस शाखा सचिवालय, कोलकाता में उच्च न्यायालय कलकत्ता से संबंधित और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से प्राप्त संदर्भों की कुल संख्या 1356 है और काउंसेलों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल निपटाये गये मामले 416 हैं और यह अनुमान है कि लगभग 150 संदर्भ प्राप्त होंगे और 100 मामलों का निपटारा 9 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान किया जाएगा। यह भी अनुमान है कि लगभग 583 संदर्भ प्राप्त होंगे और 373 मामले 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान निपटाए जाएंगे। जनवरी, 2020 से 8 दिसंबर, 2020 के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण कोलकाता बैच से संबंधित प्राप्त हुए संदर्भों की कुल संख्या 41 (इकतालीस) है। अनुमान है कि लगभग 8 (आठ) संदर्भ 8 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान प्राप्त होंगे। यह भी अनुमान है कि 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान लगभग 23 संदर्भ प्राप्त होंगे।

3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय-कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों जिनके कार्यालय बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं और पूर्वी क्षेत्र से बाहर के उन स्वायत्त निकाय या जिनके मुख्यालय कोलकाता में हैं अर्थात आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड कोलकाता में हैं, सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों को संबंधित विभागों/मंत्रालयों से संदर्भ प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और विभिन्न न्यायालयों में दायर बहस और मसौदा समझौतों/अनुबंधों की विधीक्षा भी इसी शाखा सचिवालय द्वारा की जा रही है।

जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 के दौरान, विधिक सलाह के लिए कुल 671 संदर्भ प्राप्त हुए और शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा निपटा गया। सभी सलाह निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान की गई थीं और यह अनुमान है कि लगभग 58 संदर्भ 8 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान प्राप्त किए जाएंगे। यह भी अनुमान है कि 260 संदर्भ 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।

4. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलिखित-अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किये गये पैनल काउंसेल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।

5. वर्ष 2020–2021 के दौरान, इस शाखा सचिवालय के दोनों अपर सरकारी अधिवक्ता और एक कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता भारत संघ की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलिखित अधिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और वे न्यायालय में सरकारी प्लीडर के तौर पर भी उपस्थित होते हैं। सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख के लिए एक उप विधि सलाहकार और एक सहायक विधि सलाहकार को भी तैनात किया गया है।
6. जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 के दौरान माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोलकाता पीठ के समक्ष सेवा मामलों में काउंसेलों की नियुक्ति के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा प्राप्त मामलों की कुल संख्या 410 है। यह अनुमान है कि 8 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान लगभग 50 संदर्भ प्राप्त किए जाएंगे। यह भी अनुमान है कि 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान लगभग 120 संदर्भ प्राप्त किए जाएंगे। जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 के दौरान प्रबंधन किये जाने वाले मध्यस्थता के मामलों सहित न्यायालयों में मामलों की संख्या 113 थी। यह अनुमान है कि 8 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान लगभग 10 संदर्भ प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा अनुमान है कि 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान लगभग 40 संदर्भ प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ सम्मेलन किये और मुकदमे के सुचारू संचालन और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए काउंसल्स को लगाया।
7. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं। जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 के दौरान कुल 43 आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।
8. जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 (7.12.2020 तक) के दौरान काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किये गये वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्यवाही की गयी। 07 दिसम्बर, 2020 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,32,17,424/- रुपये (दो करोड़ बत्तीस लाख सत्रह हजार चार सौ चौबीस रुपये मात्र) का भुगतान पैनल काउंसेल को किया गया है। अनुमान है कि 08 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक 12,40,000/- रुपये का भुगतान पैनल काउंसेल को भुगतान किया जा सकेगा। यह भी अनुमान है कि 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पैनल काउंसेल को भुगतान के लिए 74,50,000/- (चौहतर लाख पचास हजार मात्र) रुपये की आवश्यकता होगी।
9. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है। जनवरी, 2020 से 7 दिसम्बर, 2020 के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन अवधि को छोड़कर राजभाषा समन्वय समिति की सभी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित हुईं और कोविड-19 लॉकडाउन अवधि को छोड़कर हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। केन्द्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अधीन नियमित रूप से कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। संदर्भ सामग्री तैयार की गयी है और इसे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुभागों में वितरित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर, 2020 में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और विजेताओं को पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। अपेक्षित रिपोर्टें नियमित आधार पर निर्धारित प्रपत्र में मुख्य सचिवालय को भेजी जाती हैं। शाखा

सचिवालय कोलकाता की टेलीफोन डाइरेक्टरी, विभिन्न मोहरें, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश के प्रपत्रों को पहले ही द्विभाषी बनाया जा चुका है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है।

10. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'पी.एफ.एम.एस.' पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, स्रोत पर काटे गये कर को प्रत्येक माह 24जी इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार कर आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद, टीडीएस का ट्रैमासिक रिटर्न की इलैक्ट्रॉनिक 24क्यू और 26 क्यू में तैयार तथा सीडी के माध्यम से टीआईएन सुविधा केंद्र द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। जीएसटी-टीडीएस के संबंध में नए प्रारूप में कटौती की जाती है और जीएसटी प्राधिकरण को रिटर्न दाखिल किया जाता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी सरकारी निवास प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) के माध्यम से सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वस्तुओं, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए सरकार की ईकृप्रोक्योरमेंट वेबसाइट ीजजचेरु // हमउ.हवअ.पद का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नए मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।
11. शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब शाखा सचिवालय कोलकाता के लगभग सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधा है। 'भारत संचार निगम लिमिटेड' से एक 'लीज्ड लाइन' ईकृऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त की गयी है।
12. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा-परीक्षा लेखा परीक्षा महानिदेशक: केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की गयी थी। लेखा-परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में छ: लेखा आपत्तियां की गयी थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ऑडिट आपत्ति के पैरा को हटाने हेतु ऑडिट को सूचित कर दिया गया है।
13. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्ब्स' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को उक्त पोर्टल में विधिवत अद्यतन किया जाता है।
14. इस शाखा सचिवालय ने मुख्य सचिवालय, नई दिल्ली से सभी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया था और कोविड-19 दिशानिर्देश की पालना करते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकता दिवस, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों आदि पर ध्यान देते हुए जागरूकता अभियान मनाने सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए।

15. शाखा सचिवालय, बंगलूरु

शाखा सचिवालय, बंगलूरु की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरु के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह : शाखा सचिवालय, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। वर्ष 01.01.2020 से 23.11.2020 के दौरान सलाह के लिए 476 संदर्भ प्राप्त हुए और दिनांक 31.03.2020 तक की शेष अवधि में लगभग 190 सलाह के मामले प्राप्त होने की संभावना है। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और कलबुरगी स्थित सर्किट पीठों तथा अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किये जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किये जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किये जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, प्रति-विवरणों और उनके विभिन्न पाठों की जांच और उनकी विधीका करना शामिल है।

विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि कार्य किये जाते हैं।

मुकदमा कार्य: यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व कलबुरगी स्थित सर्किट पीठों में और अमरावती स्थित आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय, बंगलूरु नगर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों और इन राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। दिनांक 01.01.2020 से 23.11.2020 के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 2469 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल हैं और दिनांक 31.03.2021 तक की शेष अवधि में लगभग 1100 मुकदमों के मामले प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किये गये कार्यों में काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा केंद्र सरकार के काउंसेलों के बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल: यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस संबंधी बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। दिनांक 1.1.2020 से 23.11.2020 की अवधि के दौरान कुल 720 फीस के बिल प्राप्त हुए और 31.03.2021 तक की शेष अवधि के दौरान लगभग 285 और फीस बिल प्राप्त होने की संभावना है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरु द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल काउंसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

आईसीएडीआर के क्षेत्रीय केंद्रों के उपक्रमों का प्रबंधन

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नयी दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी ने बंगलूरु एवं हैदराबाद स्थित आईसीएडीआर के क्षेत्रीय केंद्रों का प्रभार लेने के लिए और उक्त उपक्रमों के अधिग्रहण को सुरक्षित रखने

के लिए तथा उनकी सभी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की एक पूरी सूची बनाने के लिए बंगलुरु शाखा सचिवालय के प्रभारी को अधिकृत किया है। जहाँ एक ओर आईसीएडीआर, क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु को पहले ही बंद कर दिया है वहीं हैदराबाद स्थित आईसीएडीआर क्षेत्रीय केंद्र को बंद करने के प्रयास चल रहे हैं।

हिंदी माह का आयोजन:

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बैंगलुरु में हिंदी माह मनाया गया। सभी ने 5 प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया, जो हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, बैंगलुरु के सहायक निदेशक की सहायता से आयोजित की गई जो प्रतियोगिताओं के निर्णायक थे और उन्होंने भाषण दिया।

सतर्कता प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन हर साल सीवीसी द्वारा बहु-प्रचारित दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जो इस देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई में जनता को जागरूक करता है।

शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बैंगलुरु ने 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 का मनाया था। श्री बी. नंद कुमार, सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी ने 27 अक्टूबर, 2020 को सुबह 11 बजे अपने कक्ष में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवायी। सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा शारीरिक दूरी और कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित अन्य सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बैंगलुरु ने कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित शारीरिक दूरियों और अन्य सुरक्षा उपायों के मानदंडों का पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था।

श्री बी. नंद कुमार, सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी ने 29 अक्टूबर, 2020 को अपराह्न 4 बजे अपने कक्ष में शपथ दिलवायी। सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।

संवैधानिक दिवस का आयोजन

26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और सभी अधिकारी और कर्मचारी काविड-19 महामारी के लिए निर्धारित शारीरिक दूरियों और अन्य सुरक्षा उपायों के मानदंडों की पालना करते हुए सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी के कक्ष में एकत्र हुए। श्री. बी. नंद कुमार, सहायक विधि सलाहकार और शाखा सचिवालय, बैंगलुरु के प्रभारी ने 26 नवंबर, 2020 को सुबह 11 बजे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

16. शाखा सचिवालय, चेन्नई

चेन्नई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह: यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है।

सलाह के लिए लगभग 550 संदर्भ प्राप्त हुए और निपटाए गये तथा 01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में लगभग 140 संदर्भ प्राप्त होने की संभावना है।

मुकदमा कार्य: – शाखा सचिवालय, चेन्नई मंत्रालय उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नई को चेन्नई स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मंत्रालय पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एन्ऱकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 3434 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवत्तियां, फीस बिल और खोली गयी फाइलें भी शामिल हैं।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किये जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नई के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मंत्रालय उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के सामने मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के काउंसेलों से लगभग 1712 बिल प्राप्त हुए संवीक्षा करने और जिनमें भारत संघ पक्षकार नहीं हैं से संबंधित काउंसेलों को 105 बिलों को लौटाने के बाद 1712 बिलों पर कार्यवाही की गयी और काउंसेलों को 3.03 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। केन्द्र सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की बैठक

कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, उप कानूनी सलाहकार ने श्री आर. शंकरनारायणन, मंत्रालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का स्वागत करने के साथ-साथ केंद्रीय सरकार के मुकदमों के संचालन की निगरानी करने के लिए ताकि आवश्यक मार्गदर्शन मिलता रहे, 13 सितंबर, 2020 को मंत्रालय उच्च न्यायालय और कैट, चेन्नई खंडपीठ के सभी केंद्र सरकार के काउंसेलों की 'मिलन-सेतु और वेबेक्स ऐप' के माध्यम से वीडियो-कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की।

21 जून, 2020 को छठे 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' का आयोजन

कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, हालांकि कार्यालय परिसर में कोई औपचारिक श्योग सत्र आयोजित नहीं किया गया था, फिर भी स्वाथ्य लाभ के लिए सभी अधिकारियों को 21.06.2020 को अपने परिवार के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' समारोह में अपने स्थान से ही भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

सितम्बर, 2020 में 'हिंदी माह' का आयोजन

मुख्य सचिवालय के राजभाषा एकक के निर्देशों के अनुसरण में सितम्बर, 2020 में हिंदी माह मनाया गया। कोविड –19 महामारी की स्थिति और रोस्टर ड्यूटी के मद्देनजर, हालांकि, कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गयी थी, सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक काम में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस शाखा सचिवालय में दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019 तक 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। इस संदर्भ में, उप विधि सलाहकार/प्रभारी द्वारा 27 अक्टूबर, 2020 को इस शाखा सचिवालय के सभी कर्मचारियों को 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलायी गयी थी।

'स्वच्छ भारत' मिशन

इस शाखा सचिवालय के उप विधि सलाहकार और प्रभारी ने समय–समय पर कार्यालय की स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी और जांच की है। कोविड –19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, कार्यालय परिसर की साफ–सफाई, हाथ की सफाई, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी आदि के लिए आवश्यक प्राथमिकता दी गयी है।

प्रतिधारण शुल्क

शाखा सचिवालय को अपनी आबंटित निधि में से, तमिलनाडु के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल के प्रतिधारण शुल्क के भुगतान का काम भी सौंपा गया है।

ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

इस शाखा सचिवालय में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित प्रबंध हेतु इस कार्यालय ने एनआईसी, चेन्नई और बीएसएनएल, चेन्नई के साथ पहले ही पत्राचार आरंभ किया था। शुल्क बिल सहित सभी बिलों का ई–भुगतान किया गया और संबंधित काउंसेलों को सीधे भेजा गया। इसके अलावा, आवश्यक संशोधनों को संबंधित एनआईसी कर्मियों के मार्गदर्शन में 'लिटकेस' सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है ताकि शुल्क बिलों की प्राप्तियों और उनके निपटान से संबंधित जानकारी/डाटा विधिवत अद्यतन हो।

आर.टी.आई.प्राप्तियाँ

इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी आर.टी.आई आवेदन समय पर निपटाये गये।

17. शाखा सचिवालय, मुंबई

संगठन:

विधि और न्याय मंत्रालय मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित है, अर्थात् मुख्य सचिवालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलूरु स्थित अपने शाखा सचिवालय।

जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वर्तमान में अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। अपर सरकारी अधिवक्ता को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में एक अपर सरकारी अधिवक्ता, एक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, एक सहायक विधि सलाहकार, पांच निजी सचिवों और दो अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में अपर सरकारी अधिवक्ता की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग-अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात् सलाह अनुभाग, पूर्ववर्ती विविध आरंभिक शाखा मुकदमा सहित विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, माध्यस्थम, वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के आरंभिक शाखा व शाखा के मुकदमे शामिल हैं तथा अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग, विविध अपीलीय शाखा अनुभाग दंड विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अन्य अधिकारी करते हैं।

अधिकारियों के मुकदमें संबंधी उनके कर्तव्यों के निर्वहन में एक सहायक (विधि), एक सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस), एक वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड-प, दो न्यायालय लिपिक सहायता करते हैं।

कृत्य और कर्तव्य:-

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/अपर सरकारी अधिवक्ता के मार्ग-निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह शाखा सचिवालय हमेशा माननीय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

विधिक सलाह:

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार चिह्नित करते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 1261 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने 1239 मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में 22 मामले लंबित हैं।

मुकदमा:

इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार(ओं) और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत

सरकार के पैनल पर रखे गये अधिवक्ताओं/नियुक्त काउंसेलों और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गये अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक वित्त वर्ष 2020–21 का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमा अनुभागों में लगभग 958 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसेल नियुक्त किये गये और माननी उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 126 मामले निपटाए गये हैं और आज की तारीख में 832 मामले लंबित हैं।

प्रशासन :

शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख प्रभारी/अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं।

राजभाषा:

इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी अपर सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में श्री ए.ए.अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता की अध्यक्षता में राजभाषा समिति गठित की गयी है। यह समिति प्रभारी को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

18. भारत का विधि आयोग

विधिक सुधारों हेतु कार्य करने के लिए निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ भारत के विधि आयोग का गठन सामान्यतः हर तीन साल में होता है। भारत का 22वां विधि आयोग का गठन दिनांक 21.02.2020 को अधिसूचना द्वारा किया गया था लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की अभी की जानी है। इस आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन की देखरेख के लिए एक छोटा सचिवीय स्टाफ है।

विचारार्थ विषय: 22वें विधि आयोग में निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं—

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन:

- (i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।
- (ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
- (iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।
- (iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गये पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- (v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किये गये निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ. लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गये हों, पर विचार करना।

ज. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

छात्रों को प्रोत्साहन

आयोग स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम अर्थात् ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

संचालित करता है। विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

उद्देश्य और उपलब्धियाँ :-

विविध विधि आयोगों ने अब तक विभिन्न विषयों पर 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

अनुवर्ती कार्रवाई :

विधि आयोग की रिपोर्ट समय—समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में रखी जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को भेज दी जाती है। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से, रिपोर्टों को न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षिक और सार्वजनिक लेखों में उद्धृत किया गया है।

19. माध्यस्थम तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम:

केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ—साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को प्रयोक्ता—अनुकूल, किफायती और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को संशोधित किया है। तथापि, संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को संज्ञान में लाया गया है और इसके अलावा, यह भी देखा गया कि देश में संस्थागत माध्यस्थम तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाए जाने और प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च—स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अन्य बातों के साथ—साथ अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की।

उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया। उक्त अधिनियम को दिनांक 09.08.2019 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। देश में संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देने के लिए संशोधित अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय माध्यस्थम परिषद (एसीआई) नामक एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय की व्यवस्था की गई जो माध्यस्थम संस्थानों का श्रेणीकरण करेगा। भारतीय माध्यस्थम परिषद देश भर में माध्यस्थम संस्थानों के बीच मानकों की एकरूपता बनाए रखने के लिए मानदण्ड स्थापित करेगा। संशोधित अधिनियम, 2019 इसके अलावा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए भारतीय माध्यस्थम परिषद द्वारा वर्गीकृत माध्यस्थम संस्थानों को नामित करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाकर माध्यस्थम मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करेगा। तथापि, भारतीय माध्यस्थम परिषद से संबंधित प्रावधानों को अभी लागू किया जाना है—

एसीआई अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित कार्य और कर्तव्यों का पालन करेगा:

- मध्यस्थों को प्रमाणन प्रदान करने वाले व्यावसायिक संस्थानों को मान्यता देना;
- विधि फर्मों, विधि विश्वविद्यालयों और माध्यस्थम संस्थानों के सहयोग से माध्यस्थम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करना;
- माध्यस्थम संस्थानों को मजबूत करके संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना;

- माध्यस्थम और सुलह तथा उसके प्रमाण पत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- भारत में बने माध्यस्थम पंचाटों के निक्षेपागार की स्थापना और रखरखाव करना;
- माध्यस्थम संस्थानों के कार्मिकों, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के संबंध में सिफारिशें करना; तथा
- सभी माध्यस्थम पंचाटों का एक इलेक्ट्रॉनिक निक्षेपागार बनाए रखना।
- ऐसे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं।

तथापि, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.11.2019 को रिट याचिका (सिविल) सं. 1074/2019, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (मनु/एसीसी/1638/2019) के मामले में माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 2015 की धारा 26 के विलोपन को हटा दिया क्योंकि यह भारतीय संविधान की धारा 14 के तहल उल्लिखित सिद्धांतों के एकदम विपरीत है। धारा 87 को माध्यस्थम और न्यायालयी कार्यवाहियों पर माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की प्रयोज्यता स्पष्ट करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (पूर्वव्यापि प्रभाव के साथ अर्थात् दिनांक 23.10.2015 से प्रभावी) के तहत शामिल किया गया था। 2015 के अधिनियम की धारा 26 को संशोधनों की भावी प्रयोज्यता के लिए प्रदान किया गया था।

चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 87 को हटाने को ध्यान में रखते हुए इस नीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और आठवीं अनुसूची में निर्धारण के अनुसार मध्यस्थों की मान्यता के नियमों, अनुभव और अहताओं के संबंध में उठने वाली चिंताओं को हल करके देश में बेहतरीन मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को केंद्र बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन की आवश्यकता हुई।

माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 4 नवंबर, 2020 को माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश को प्रख्यापित किया था। माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 में निम्नलिखित प्रावधान है:

- (i) माध्यस्थम समझौता, संविदा या माध्यस्थम पंचाट धोखा या भ्रष्टाचार द्वारा प्रेरित होने की स्थिति में पंचाट को लागू करने में बिना शर्त स्थगन की व्यवस्था करता है।
- (ii) विभिन्न पण्धारियों (अंतरराष्ट्रीय सहित) द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान करने के लिए आठवीं अनुसूची का लोप करता है।
- (iii) मध्यस्थों के प्रमाणन के लिए योग्यताएं, अनुभव और मानक निर्धारित करने हेतु एसीआई को समर्थ बनाता है।

ये संशोधन वर्ष 2019 के संशोधनों के संबंध में उठे मुद्दों का समाधान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिनियम की धारा 34 के तहत मामलों के निपटान के लिए लंबित निर्णयों को लागू करने की बिना शर्त स्थगन की मांग के लिए पक्षकारों को एक अवसर मिले जहां माध्यस्थम समझौते, संविदा या माध्यस्थम निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्रेरित हों, ताकि पीड़ित पक्ष के हितों की रक्षा हो सके।

ये संशोधन माध्यस्थम व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय परंपराओं के अनुरूप कारगर बनाएगा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सुगमता प्रदान करेगा, विदेशी मध्यस्थों के लिए माध्यस्थम कानूनों के प्रतिबंधों वाली छवि हटेगी, जिससे संविदा प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत होगी, परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी।

ये संशोधन समयबद्ध तरीके से विवादों को निपटाने के लिए वरीयता वाले लक्षित देश के रूप में भारत को चुनने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा जो अब तक सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एसआईएसी) या होंगकोंग अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एचकेआईएसी) या लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एलसीईए) आदि जैसे संस्थानों की ओर आकर्षित होते हैं।

20. प्रशासनिक विवाद समाधान तंत्र (एएमआरडी)

दो सरकारी विभागों के बीच मुकदमेबाजी का विषय बार-बार न्यायालय के साथ-साथ सरकार के लिए भी चिंता का विषय रहा है। हालाँकि इस तरह के मुकदमों की व्यापकता को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रशासनिक रूप से ऐसे विवादों को हल करने की आवश्यकता समय की मांग है। वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) के आपसी और सीपीएसई (एस) और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच विवादों के समाधान के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईएस विवाद समाधान प्रशासनिक तंत्र बनाया गया है लेकिन दो/अधिक विभागों के बीच विवाद समाधान के लिए ऐसा कोई तंत्र नहीं है।

हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को सरकार के विभाग/उपक्रमों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और इस प्रकार अदालतों के सामने आने वाले ऐसे मुकदमों को रोकने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट फैक्टर्स ने न्यायिक प्रणाली पर बोझ नहीं बनाने के लिए प्रच्छन्न मुकदमेबाजी की नीति के मद्देनजर सरकारी विभागों/मंत्रालयों और सीपीएसई के बीच विवादों के मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार को भी कहा है क्योंकि इस तरह के मामलों में अनावश्यक रूप से पैसा सरकार की एक जेब से दूसरी जेब में जाता है।

विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र को तैयार करने के लिए आवश्यक कारक

न्यायपालिका सरकार के विभागों/उपक्रमों के बीच विवादों के निपटारे के लिए नहीं है। यह सरकार का डोमेन है कि वह अपने अंतर- विभागीय/उपक्रम संबंधी मुकदमों को स्वयं निपटाने के लिए उपाय तैयार करे। न्यायपालिका के समक्ष समाधान की शक्तियों का समर्पण करना वांछनीय नहीं होगा।

- इस तरह के मुकदमों में निर्णय लेने से सरकार को कोई फायदा नहीं होता है, जबकि परिणाम केवल एक जेब से दूसरी जेब में पैसा डालना होता है।
- मुकदमों पर खर्च होने वाला समय और धन सरकार पर अनावश्यक बोझ होता है।
- यह कानून के अधिकारियों/वकीलों के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है जो न्यायालय में स्वयं के खिलाफ लड़कर विभागों/उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के मुद्दों को जनता के सामने उजागर करते हैं।
- इस तरह के मुकदमे न्यायिक प्रणाली पर भी अनावश्यक बोझ हैं।

एएमआरडी का निर्माण

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अंतर-मंत्रालयी/विभागीय विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक तंत्र को विकसित करने और सुझाव देने की आवश्यकता और इस तरह के विवादों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 31.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत विधि कार्य विभाग द्वारा प्रशासनिक विवाद समाधान तंत्र बनाया गया था। यह तंत्र कराधान विवादों को छोड़कर अन्य पर लागू होता है जहां दोनों पक्ष सरकार के होते हैं या एक पक्ष सरकार का विभाग होता है और दूसरा इसके अन्य निकाय होते हैं, (सीपीएसई/बोर्ड/प्राधिकरण आदि)।

प्रयोज्यता

यह केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच आपस में और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/उनके प्रशासनिक पर्यवेक्षण/नियंत्रणाधीन स्वायत्त और वैधानिक निकायों आदि के बीच कराधान से अलग किसी/सभी विवादों पर लागू होता है।

संरचना

प्रथम स्तर (श्रेणी)

विवादों (कराधान के अलावा) को एक समिति को संदर्भित किया जाता है जिसमें प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव जिससे विवादित पक्ष संबंधित होते हैं और सचिव विधि कार्य विभाग शामिल होते हैं। संबंधित असंतुष्ट पार्टी से संदर्भ/नोटिस प्राप्त होने के बाद 3 महीने के भीतर प्रथम स्तर पर समिति (श्रेणी) अपने निर्णय को अंतिम रूप देती है।

दूसरा स्तर (श्रेणी)

यदि विवाद अनसुलझा हुआ है या प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो उक्त को प्रथम स्तर की समिति के निर्णय को प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कैबिनेट सचिव को द्वितीय स्तर (श्रेणी) के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी हो जाता है।

भावी प्रभाग

यह तंत्र सरकारी विभागों को अदालती प्रणाली के बाहर मामलों को हल करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जिससे अदालतों के मुकदमों में कमी आएगी।

सरकारी मुकदमों पर खर्च किए गए समय और धन की बचत वरदान साबित हो सकती है।

इस तरह के तंत्र के माध्यम से सरकारी मुकदमेबाजी के निपटान से न्यायिक समय की बचत को लोक केंद्रित मुकदमेबाजी में उपयोग किया जा सकेगा।

सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अन्य निर्देश

हाल ही में, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि अधीनस्थ कार्यालय को उचित दिशा-निर्देश दिया जाए कि एसएलपी दाखिल करने के लिए फाइल को संदर्भित करने से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए इसी तरह के मामलों/मुद्दों का संदर्भ ग्रहण करें।

21. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

परिचय: भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

अकादमिक कार्यक्रम: वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) की मेरिट और साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2020–21 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.— 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	40
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	282
विधि में पीएच.डी. के सीटों की संख्या (अभी पंजीकरण होना बाकी है)	11
छात्रों की कुल संख्या	333

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें आज की तारीख तक 33 छात्र नामांकित हैं।
- "साइबर विधि"(36वां बैच) और "बौद्धिक संपत्ति अधिकार तथा इंटरनेट युग में सूचना प्रौद्योगिकी (44वें बैच) का तीन माह की अवधि का ई—लर्निंग पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को पूरा हुआ।
- साइबर विधि में ऑनलाइन प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम के 37वें बैच के लिए 70 छात्र और ऑनलाइन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पाठ्यक्रम के 48वें बैच के लिए 42 छात्रों का दाखिला हुआ है।

संस्थान की गतिविधियां

- व्याख्यानों की वेब श्रृंखला—कानून और कोविड-19 वेबिनार श्रृंखला

भारतीय विधि संस्थान और भारतीय विधि संस्थान के भूतपूर्व छात्रों के संगठन ने मई—जून, 2020 के दौरान कोविड-19 और विधि पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। लॉकडाउन की अवधि के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक संस्थानों और शिक्षाविदों को ऑनलाइन बौद्धिक गतिविधियों और शोध प्रयासों में शामिल होने का निर्देश दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बेविनार श्रृंखला के व्याख्यानों के लिए घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर निम्नलिखित साप्ताहिक वेबिनारों का आयोजन किया गया:

- 20 मई, 2020 को "प्रवासी मजदूरों पर विशेष ध्यान के साथ कोविड-19 पर भारतीय शासन प्रणाली"।
- दिनांक 27 मई, 2020 को "विधि, मिडिया और कोविड-19 मुद्दे और चुनौतियां"
- दिनांक 3 जून, 2020 को "पर्यावरण और कोविड-19 के बीच संबंध" विषय पर कोविड-19 के बाद की दुनिया में सतत विकास के भविष्य पर विशेष जोर देने के साथ विश्लेषण की मांग की गई थी।
- दिनांक 10 जून, 2020 को "लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा: एक अदृश्य महामारी"

- o दिनांक 17 जून, 2020 को "स्वास्थ्य के अधिकार की चुनौतियां और कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच"।
- o दिनांक 24 जून, 2020 को "विधि शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव और इसकी प्रतिक्रियाएं"
- o दिनांक 6 जुलाई, 2020 को "परिचित और वैयक्तिक मजदूरों की विकृत अर्थव्यवस्था: लाकडाउन के बाद घरों में घरेलू काम फिर से शुरू होना" विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया गया।
- o भारतीय विधि संस्थान ने लैगिक गतिशीलता और घर तथा कार्यस्थल के बीच विभाजन को महामारी द्वारा दिए गए आकार—लैंगिक प्रवचन को युग्म से आगे समावेशी दृष्टिकोण तक ले जाना के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2020 को प्रश्नोत्तर के बाद "लैंगिक मुख्यधारा : क्या हमने महामारी से सीखा है?" के मुद्दे पर वार्तालाप का आयोजन किया।
- o दिनांक 24 जुलाई, 2020 को "मेघना गुलजार की "राजी" में प्यार की असंभवता" विषय पर एक आनलाइन विचार विमर्श का आयोजन किया गया।
- o वर्तमान तनावपूर्ण समय में चिंता और मानसिक लचिलापन का प्रबंधन करने के तरीकों का पता लगाने के लिए दिनांक 30 जुलाई, 2020 को भारतीय विधि संस्थान ने "मानसिक स्वास्थ्य मामले और मनोवैज्ञानिक मुकाबला रणनीतियां" विषय पर चर्चा करने के लिए इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन भी किया था।
- o भारतीय विधि संस्थान ने अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच के साथ सहयोग से दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को "भारत में विधिक शिक्षा और चुनौतियां" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
- o भारतीय विधि संस्थान ने नोलिजस्टीज के सहयोग से दिनांक 2 अक्टूबर, 2020 को "अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि: मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का संचालन किया।
- o दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: समावेशी उच्च शिक्षा की दिशा में सही कदम" विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार।

प्रकाशन:

जारी किए गए शोध प्रकाशन:

रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय विधि संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए हैं:-

- जर्नल आफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जीली) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के समकालीन विधिक मुद्दों को शामिल करने वाले शोध लेख का त्रैमासिक प्रकाशन।
- आईएलआई न्यूजलेटर— वर्ष के दौरान तथा आगामी गतिविधियों सहित संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।
- इंडेक्स टू लीगल पिरियाडिकल्स—इसका वार्षिक प्रकाशन होता है और इसमें भारतीय विधि संस्थान पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले (सदस्यता, अदला—बदली द्वारा या अतिरिक्त) विधि और संगत क्षेत्रों से संबंधित पत्रिकाएं, अनुक्रमणिकाएं (झिर बुक सहित अन्य वार्षिक पत्रिकाएं) शामिल हैं।
- एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ— 2018
- आईएलआई विधि समीक्षा 2019 (ग्रीष्मकालीन) और (शीतकालीन)

गतिविधियों का पूर्वानुमान

आगामी प्रकाशन

- ❖ जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)
- ❖ आईएलआई न्यूज लेटर (त्रैमासिक प्रकाशन)
- ❖ एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ—2019
- ❖ इंडेक्स टू लीगल पीरियाडिकल्स—2019
- ❖ प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा और आर्य ए. कुमार की पुस्तक ह्यूमन राइट्स ऑफ वल्नरेवल ग्रुप्स: नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेरिट्व

महामारी की स्थिति को देखते हुए संस्थान ने ऑनलाइन बौद्धिक गतिविधियों और आभासी मंच के द्वारा सभी कक्षाओं को आयोजित करने में अकादमी के सदस्यों को व्यस्त रखने का प्रयास किया है। संस्थान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों के क्रम में वेबिनार की श्रृंखलाएं आयोजित करता रहेगा।

22. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (ब्ल) एक स्थायी अंतर-सरकारी बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई, चीन में चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी। 8—9 जून, 2017 के दौरान अस्ताना में स्टेट काउंसिल ऑफ एससीओ के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक में भारत और पाकिस्तान एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए।

शंघाई सहयोग संगठन के चार पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। इसके अलावा, शंघाई सहयोग संगठन में छह संवाद साझेदार अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका हैं। शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक कामकाजी भाषाएँ चीनी और रुसी हैं।

चोपलान—अता, किर्गिस्तान गणराज्य में 22 — 24 अगस्त, 2018 को आयोजित एससीओ के न्याय मंत्रियों की 6 वीं बैठक के दौरान दिए गए अधिदेश के अनुपालन में, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7 वीं बैठक की नई दिल्ली में मेजबानी की थी।। एससीओ के सदस्य देशों के न्यायाधीशों के 7 वें सत्र की तैयारी की पहली विशेषज्ञ बैठक 17 — 18 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

एससीओ सदस्य देशों के न्यायाधीशों की 7 वीं बैठक 16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गई थी, इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 — 14 अक्टूबर, 2020 को दो दिवसीय विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी।

एससीओ सदस्य देशों के विशेषज्ञ कार्य समूह ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा की, साथ ही कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कानूनी सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग पर विचार किया।

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेजबानी श्री रविशंकर प्रसाद, विधि एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 16 अक्टूबर, 2020 को गई।

भारत गणराज्य के विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, कजाकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री श्री एम. बी. बेकेतायेव, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के न्याय मंत्री श्री तांग यिजुन, किर्गिज गणराज्य के न्याय मंत्री श्री एमटी दुजामनकुलोव, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंबरीन अब्बासी, रूसी संघ के न्याय मंत्री श्री केए चुइचेंको, तजिकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री श्री एम.के. अशरियोन, उज्बेकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री श्री आर.के. दावतोव ने न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। न्याय मंत्रियों की बैठक में मुख्य संबोधन और समापन टिप्पणियां श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता, सचिव, विधि कार्य विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की गईं।

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के सातवें सत्र में सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गयाय कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार के प्रतिकार पर कानूनी जानकारी के पारस्परिक आदान-प्रदान की उच्च प्रासंगिकता पर बल दिया और एडीआर तंत्र क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के सातवें सत्र के परिणामों के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. एससीओ सदस्य देशों (दुशांबे, 18 अगस्त 2015) के न्याय मंत्रालयों के बीच सहयोग पर समझौते के कार्यान्वयन संबंधी कार्य को मजबूत करना
2. 2018–2020 के लिए फोरेंसिक गतिविधियों और कानूनी सेवाओं पर विशेषज्ञों के कार्य समूहों के एक्शन प्लान के कार्यान्वयन पर काम जारी रखने के साथ ही 2021–2023 के लिए एक्शन प्लान विकसित करना।
3. वैकल्पिक विवाद समाधान में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए मंत्रालयों (एससीओ सदस्य-देशों के कानून और न्याय) के प्रतिनिधियों के लिए विनिमय कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार करना।
4. राष्ट्रीय कानून के अनुसार आपसी कानूनी सहायता और कानूनी सेवाओं के विकास के मुद्दों पर पक्षकारों की स्थिति पर चर्चा जारी रखना।
5. एससीओ पर्यवेक्षक और संवाद सहयोगी देशों के न्याय मंत्रालयों के साथ सहयोग को सक्रिय रूप से विकसित करना।
6. कानूनी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन मंच विकसित करने के प्रयास जारी रखना।

तीन दिन के विचार-विमर्श में भारत कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह मंत्री स्तरीय बैठक अधिकारी स्तर के विचार-विमर्श से पहले हुई थी। श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता, सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 13 और 14 अक्टूबर, 2020 को विशेषज्ञों के कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की थी। बैठकें वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।

23. आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई

उत्पत्ति: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझता है, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। पूर्व भारतीय आयकर अधिनियम,

1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

पीठों की संख्या: वर्तमान में गठित अधिकरण में 63 पीठें शामिल हैं जिसमें अध्यक्ष का एक (01) पद, जिसकी सहायता दस (10) मंडलीय उपाध्यक्ष और 115 सदस्य (अर्थात् लेखा सदस्य और न्यायिक सदस्य) करते हैं। वर्तमान में देशभर के 30 शहरों में फैले 63 पीठों के लिए सदस्यों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित) के वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या 126 है।

शक्तियां और कृत्य: आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरुद्ध अपीलों के साथ—साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ या 12क के अधीन पंजीकरण मना करने के आदेश का निपटान करता है। अपीलीय अधिकरण काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन मुख्य आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित किसी पुनरीक्षण आदेश का भी निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में अध्यक्ष के निर्णय से, पीठ में दो या उससे अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

प्रक्रिया और नियम:

अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे संस्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीर्ष निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अपीलीय अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन—कर, उपहार—कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण—प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपने पूरे सामर्थ्य से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर—दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें करोड़ों रुपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित

करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में विधि और तथ्यों के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। यह अपीलीय अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्घृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्य और विधि के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

लंबित अपीलें

वित्त वर्ष 2020–21 के प्रारंभ में अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 88016 थी और दिनांक 1 दिसम्बर, 2020 को लंबित अपीलों की संख्या 82276 थी।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :—

वर्ष	(अप्रैल से मार्च)	संस्थागत	निपटान वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2014–2015	45089	30494	103238
2015–2016	39743	51010	91971
2016–2017	48800	48385	92386
2017–2018	50222	49791	92817
2018–2019	51154	51766	92205
2019–2020	45842	50031	88016
2020–2021			
(अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक)	5661	11419	82276

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः

सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह और छोटे मामले शामिल हैं। बार के सदस्यों को आउट आफ टर्न पोस्टिंग के लिए ऐसे समूह के मामलों का आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित अपीलों तथा अपीलों के विरुद्ध निपटान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी प्रकार, धारा 12क के अधीन धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण अस्वीकार करने और धारा 80N के अधीन मान्यता स्वीकार न करने पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई की गई। जब भी अधिकरण से संपर्क किया जाता है वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई अपीलों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई की जाती है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2015 के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किया गया है कि 50 लाख तक की आय से

संबंधित अपील की सुनवाई एकल-सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। तदनुसार इसे लागू किया गया है।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2020	14454
फरवरी, 2020	13898
मार्च, 2020	13741
अप्रैल, 2020	13193
मई, 2020	13633
जून, 2020	13790
जुलाई, 2020	13543
अगस्त, 2020	13378
सितम्बर, 2020	13073
अक्टूबर, 2020	12981
नवम्बर, 2020	12798

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2020	337
फरवरी, 2020	326
मार्च, 2020	307
अप्रैल, 2020	307
मई, 2020	307
जून, 2020	311
जुलाई, 2020	314
अगस्त, 2020	313
सितम्बर, 2020	296
अक्टूबर, 2020	288
नवम्बर, 2020	286

आयकर अपीलीय अधिकरण की 63 स्वीकृत पीठें हैं जिनमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है लेकिन वर्तमान में केवल 79 सदस्य हैं, जिसके कारण कुछ पीठें नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलों का लंबन बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से पीठें नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही थीं और अपीलों की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित की जा रही थीं और वर्चुअल न्यायालय की प्रणाली से सुनवाई ने संतोषजनक परिणाम दिए हैं।

कंप्यूटरीकरण: आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनिक गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्त्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

उपलब्धियाँ :

- (क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना: यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड सर्वर में स्थापित किया गया है।
- (ख) आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइट: आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट 2016 में पुनर्विकसित की गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल, सूचनाप्रद, उत्तरदायी बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद-सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है।
- (ग) मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करना : आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल का एंड्राइड रूपांतर विकसित किया गया है और अपीलार्थियों, उत्तरदाताओं के साथ-साथ कांउसेलों के लाभ के लिए जारी किया गया। यह ऐप अपनी सुगमता और सरल उपयोग होने के कारण बहुत उपयोगी है। इस ऐप का आईओएस रूपांतर भी विकसित किया गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। यह ऐप शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
- (घ) आधारिक संरचना का उन्नयन : आयकर अपीलीय अधिकरण को सदैव लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण, आईटीएटी के सदस्य नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और आदेशों के श्रुतलेख की सहायता के लिए श्रुतलेख सॉफ्टवेयर से युक्त हैं।
- (ङ) बजट और व्यय निगरानी प्रणाली: आईटीएटी ने बजट की उपलब्धता और वास्तविक समय के आधार पर कुशलतापूर्वक और सटीकता से व्यय की स्थिति की जांच और समेकन हेतु इन-हाउस टैलेंट द्वारा विकसित बजटमैन नाम का ऑनलाइन ऐप लागू किया है।

(च) वर्चुअल सुनवाई: लॉकडाउन होने के परिणामस्वरूप देशभर के आईटीएटी पीठों में न्यायालयी कार्रवाइयों में रुकावट आ गई। तथापि, आईटीएटी ने कोविड से हुई इस चुनौती को स्वीकार किया और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा दिए गए समाधानों को अपनाते हुए न्यायिक कार्रवाइयों पुनः शुरू की। सुनवाईयों एनआईसी के विद्यो सॉफ्टवेयर और अन्य सामुदायिक मंचों में विडियो कांफ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल न्यायालयों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह तथ्य आईटीएटी लॉकडाउन से नवंबर, 2020 के दौरान 12000 मामलों से भी ज्यादा निपटान कर सका है, यह दर्शाता है कि यह सबसे पुराना अधिकरण संकट से निपटने और प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति में सबसे आगे खड़ा है।

भविष्य की परियोजनाएँ:

(क) ई-फाइलिंग का पुनर्विकास शुरू करना

आयकर अपीलीय अधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल अपील/प्रत्याक्षेप के ज्ञापन के संशोधित प्रकार के साथ पुनर्विकसित किया गया है और शुरू करने के लिए तैयार है। इस परियोजना के विकास का कार्य एनआईसीएसआई- पैनल विक्रेता को पहले ही सौंपा गया है। आधिकारिक वेबसाइट एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के साथ पहले ही शुरू की गई है।

(ख) डिजिटल डिसप्ले बोर्डर्स आईटीएटी, दिल्ली पीठों ने नए कदम के रूप में बाहरी नोटिस बोर्ड के स्थान पर डिजिटल नोटिस बोर्ड को प्रतिस्थापित किया है। कारण सूचियां, संघटन, शुक्रवार सूचियां आदि डिजिटल नोटिस बोर्ड पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाती हैं यह इस परियोजना को अन्य बड़े शहरों में शीघ्र ही विस्तृत किया जाएगा।

(ग) ई-न्यायालय

आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना और जबलपुर पीठों में ई-न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली पीठों को क्रमशः राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना और जबलपुर पीठ से जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गई। वर्तमान में, तीन और पीठों लखनऊ जोनल, कोचिन और देहरादून पीठ में ई-न्यायालय को विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ई-न्यायालय के द्वारा कार्यरत पीठ/पीठों के संचालन की निम्नलिखित स्थिति है।

क्र.सं.	कार्यरत पीठें
1	मुम्बई मुख्यालय
2	अहमदाबाद जोनल कार्यालय
3	नई दिल्ली जोनल कार्यालय
4	कोलकाता जोनल कार्यालय
5	जबलपुर पीठ
6	राजकोट पीठ
7	गुवाहाटी पीठ
8	रांची पीठ
9	पटना पीठ

पिछले वर्ष के दौरान, ई-न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पीठों का संचालन शुरू किया गया था:

क्रम सं.	पीठों का नाम
1.	पुणे जोनल कार्यालय
2.	नागपुर पीठ
3.	पणजी पीठ (गोवा)

ई-न्यायालय के विकास के संबंध में निम्नलिखित पीठें कार्य के लिए तैयार हैं:

क्रम सं. प्रक्रिया के लिए तैयार पीठ / पीठें

1.	बंगलुरु जोनल कार्यालय
2.	चेन्नई जोनल कार्यालय
3.	हैदराबाद जोनल कार्यालय
4.	चंडीगढ़ जोनल कार्यालय
5.	जयपुर पीठ
6.	इलाहाबाद पीठ
7.	कटक पीठ
8.	विशाखापट्टनम पीठ
9.	इंदौर पीठ
10.	सूरत पीठ
11.	जोधपुर पीठ
12.	इलाहाबाद पीठ
13.	अमृतसर पीठ

ई-न्यायालय के विकास के संबंध में निम्नलिखित पीठें प्रक्रियाधीन हैं:

क्रम सं.	प्रक्रियाधीन पीठ / पीठें
1.	लखनऊ जोनल कार्यालय
2.	कोचीन पीठ
3.	देहरादून पीठ

- (घ) आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में सीसीटीवी लगाना: भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.08.2017 के निर्णय के तहत निदेश दिया था कि ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग सहित सीसीटीवी कैमरा आयकर अपीलीय अधिकरण सहित सभी अधिकरणों में लगाए जाएं। विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने भी दिनांक 29.09.2017 के अपने पत्र के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण को न्यायालय कक्षों और अधिकरण के सभी पीठों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का निदेश दिया है।

शुरुआत में निम्नलिखित 17 स्थलों (आईटीएटी पीठों) को सीसीटीवी रिकार्डिंग के तहत शामिल किया गया है:

क्रम सं.	पीठों के नाम
1.	मुंबई
2.	दिल्ली
3.	अहमदाबाद
4.	आगरा
5.	अमृतसर
6.	बंगलुरु
7.	चंडीगढ़
8.	चेन्नई
9.	हैदराबाद
10.	कोलकाता
11.	लखनऊ
12.	पुणे
13.	कोचीन
14.	इंदौर
15.	जयपुर
16.	सूरत
17.	विशाखापट्टनम

पिछले वर्ष के दौरान, निम्नलिखित आईटीएटी पीठों में सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं:

क्रम सं.	पीठों के नाम
1.	नागपुर पीठ
2.	पटना पीठ
3.	कटक पीठ

(ङ) ई-ऑफिस सूझट: कार्यालय के काम में गति, सटीकता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण में ई-ऑफिस समाधान के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक रूप से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। आईटीएटी में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से कागज की खपत कम होगी और इसलिए यह कार्यालय को पर्यावरण अनुकूल भी बनाएगा।

नई पीठों की स्थापना:

देहरादून—देहरादून सर्किट पीठ के न्यायाधिकार क्षेत्र के संबंध में आईटीएटी के स्थाई आदेश में उपयुक्त संशोधन किए गए थे। आईटीएटी देहरादून के परिसर में एक सर्किट पीठ स्थापित की गई है जिसका उद्घाटन 27 फरवरी, 2020 को उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में माननीय विधि मंत्री द्वारा किया गया था।

वाराणसी— न्यायाधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में आईटीएटी के स्थायी आदेश में उपयुक्त संशोधन किए गए थे। वर्तमान में, प्रधान सीआईटी, वाराणसी के कार्यालय ने आयकर भवन, वाराणसी में आयकर अपीलीय अधिकरण को अस्थायी आधार पर सर्किट पीठ की स्थापना के लिए स्थान प्रदान किया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरु, जयपुर, लखनऊ, कटक, कोलकाता और गुवाहाटी में कार्यालय—सह—आवासीय परिसरों के लिए भूमि खरीदी है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाना है, ई—आक्सन के माध्यम से आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ हेतु कार्यालय परिसर के लिए स्थान खरीदने हेतु आयकर अपीलीय अधिकरण के प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है।

भूखंड/भवन की स्थिति का विवरण:

पुणे: प्रशिक्षण केंद्र, गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और निर्माण तथा प्रारंभिक रेखांकन और नक्शे पर व्यय का अनुमान सीपीडब्ल्यूडी, मुम्बई से प्राप्त हो गया है।

- (i) बंगलूरु : भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 06.03.2019 को परिसर का उद्घाटन किया गया।
- (ii) लखनऊ: कार्यालय—सह—आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और चारदीवारी का निर्माण कर लिया गया है। चातू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आईटीएटी लखनऊ पीठों के लिए लखनऊ कार्यालय—सह—आवासीय परिसर के निर्माण कार्य की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में “पूँजीगत परिव्यय” के प्रमुख मद के अधीन कोष की कमी की वजह से नहीं हो सकी।
- (iii) कटक: आई.टी.ए.टी. ने अपने कार्यालय भवन और स्टाफ के क्वार्टर के लिए ओडिसा सरकार द्वारा कटक में आबंटित लगभग 1.601 एकड़ भूमि का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इसके परिसर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को ओडिसा के माननीय मुख्य मंत्री और माननीय विधि मंत्री की उपस्थिति में अगस्त में वर्चुअली हुआ था।
- (iv) गुवाहाटी : केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) की भूमि को रु. 4.03 करोड़ में फैसी बाजार, गुवाहाटी में लिया गया है और असम राज्य में भूमि खंड की पूरी संरचना की कीमत के संबंध में मामला प्रक्रियाधीन है। संपत्ति पर कब्जा लेने का मामला पोत परिवहन मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाना है।
- (v) कोलकाता: डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ लिमिटेड ने 16 करोड़ रु० की लागत से पश्चिम बंगाल आवास आधारिक संरचना विकास निगम लि. (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय और विधिक हब में 1.25 एकड़ भूमि दिनांक 19.09.2019 के पत्र के माध्यम से पट्टे पर आबंटित की है। आईटीएटी, कोलकाता पीठों, कोलकाता के लिए कार्यालय भवन के निर्माण

के लिए प्रारंभिक योजना, खाका और अनुमानित व्यय प्रस्तुत करने हेतु सीपीडब्लूडी, कोलकाता को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है।

- (vi) अहमदाबाद: आईटीएटी, अहमदाबाद पीठ, अहमदाबाद के लिए कार्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि के आबंटन का प्रस्ताव गुजरात राज्य सरकार को भेज दिया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने दिनांक 09.03.2020 के पत्र के तहत 61,640 रु० प्रति वर्ग मीटर (अर्थात् 71. 25 रु० करोड़ की लागत पर) की 11,559 वर्ग मीटर भूमि की पेशकश की है। मामला राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
- (vii) नई दिल्ली: आईटीएटी को एनबीसीसी इंडिया लि., नौरोजी नगर, नई दिल्ली द्वारा बनाए जा रहे विश्व व्यापार केंद्र में कुल 255.83 करोड़ रु० की लागत पर 63.780 वर्ग मी. का स्थान आबंटित किया गया है। एनबीसीसी को अभी तक 74.55 करोड़ रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है जिसे सितंबर, 2022 तक बनाने/प्रदान करने की आशा है। वर्तमान में, निर्माण कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है।
- (viii) रायपुर: आईटीएटी, रायपुर पीठ, रायपुर के लिए नया रायपुर (अटल नगर), छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित जीपीओए भवन में 8730 वर्ग मी. क्षेत्र कार्यालय स्थान के आबंटन के लिए अनुमोदन के संबंध में दिनांक 04.09.2020 को उप निदेशक, संपदा (क्षेत्रों), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जानकारी दी गई है। सीपीडब्लूडी, रायपुर नये आबंटित कार्यालय स्थान के विभाजन का कार्य कर रहा है और विभाजन कार्य के पूरा होने के बाद कार्यालय का स्थान निकट भविष्य में आईटीएटी को दिए जाने की संभावना है।

सदस्यों के लिए सुविधाएं:

भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंस मामले में 1998 के एसएलपी (एल) सं. 6905 / 1998 और टीपी (सी) सं. 659 और 672–673 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.09.2003 के आदेश के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निदेश दिया है और सदस्यों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटीएटी द्वारा प्रत्येक कदम उठाये गये हैं।

हितकारी निधि :

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारि वृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

यह आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

आईटीएटी की 25 पीठों को मुख्य सूचना आयुक्त, दिल्ली की वेबसाइट में पंजीकृत किया गया है। 12 सार्वजनिक प्राधिकरणों ने वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। सभी 25 सार्वजनिक

प्राधिकरणों ने वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। 10 सार्वजनिक प्राधिकरणों ने वर्ष 2019–20 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियाँ :

दिनांक 11.11.2020 को कटक में, भारत के माननीय प्राधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 11.11.2020 को आईटीएटी, कटक के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे ने दिनांक 24 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में 79वां स्थापना दिवस समारोह और आयकर अपीलीय अधीकरण (आईटीएटी) के अधिल भारतीय सदस्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 24–25 जनवरी, 2020 को आयोजित किया गया था। आयकर अपीलीय अधीकरण ने दिनांक 25 जनवरी, 2020 को अपने सभी पीठों में 79वां स्थापना दिवस मनाया।

केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री राविशंकर प्रसाद ने उत्तराखण्ड राज्य में उत्पन्न होने वाली अपीलों को देखने के लिए दिनांक 27.02.2020 को देहरादून में आईटीएटी के दूसरे सर्किट पीठ का उद्घाटन किया।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों में “स्वच्छता पखवाड़ा” मनाया गया। दिनांक 02.10.2020 को आईटीएटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंद को ‘स्वच्छता शपथ’ दिलाई गई।

दिनांक 08.10.2020 को आईटीएटी की सभी पीठों में कोविड-19 शपथ ली गई।

दिनांक 31.10.2020 को आईटीएटी की सभी पीठों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

दिनांक 26.11.2020 को आईटीएटी की सभी पीठों में संविधान दिवस मनाया गया।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिंदी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्ट की मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिंदी में कार्य करके हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदनें के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी पुस्तकों (अर्थात् कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत) की खरीद पर व्यय के लिए निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पर्खवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया गया है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के विभिन्न पीठों के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख, कहानी, कविता और यात्रावृत्त इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पर्खवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन :

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में छूट के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2020–21 के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े अनुबंध-II में दिए गए हैं।

विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में दिनांक 01.01.2021 तक कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-III में संलग्न है।

24. लिंग आधारित मुद्दे

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात् विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए दिनांक 07 फरवरी, 2019 के आदेश के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव(प्रशासन-1), विधि कार्य विभाग को निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव, विधायी विभाग हैं।

विधि कार्य विभाग और आईटीएटी में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अनुबंध-IV में दिया गया है।

25. सतर्कता संबंधी गति विधियां

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख अपर सचिव रैंक

का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :—

- ❖ कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- ❖ भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना;
- ❖ शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना;
- ❖ उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ❖ केन्द्रीय जांच व्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना;
- ❖ विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- ❖ जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
- ❖ जहां भी आवश्यक हो, दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

(2) कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए दिशा—निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

26. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन

प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, प्रतिभागियों को संबंधित आवास स्थान पर योग प्रदर्शन करने और कई मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गैर संगठित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

27. संविधान दिवस

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को विधि कार्य विभाग स्थित मुख्य सचिवालय, कोलकाता, चेन्नै, मुम्बई, बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालयों, आईटीएटी के कार्यालयों तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के संबंध में निर्धारित शारीरिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला
सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

28. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

I. शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण :-

प्रशासन IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात् केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग में आने वाले कर्मचारियों का नियंत्रक प्राधिकरण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

II. डिजिटल इंडिया :- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

लिम्ब्स की पृष्ठभूमि:

विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) सभी न्यायालयी मामलों की सक्रिय निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। जहां भारत संघ पक्षकारों में से एक पक्षकार है। फरवरी, 2016 में लिम्ब्स को सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठन/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के लिए निर्मित किया गया, तब से यह एप्लीकेशन विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय (नोडल मंत्रालय के रूप में) के निरीक्षण में कार्य कर रहा है। यह एक नवीन और आसान ऑनलाइन उपकरण है जो सभी पण्धारियों अर्थात् सरकारी अधिकारियों, विभाग के उपयोगकर्ताओं, नोडल अधिकारियों, मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों और अधिवक्ताओंके लिए 24x7 उपलब्ध है।

(ख) लिम्ब्स का संस्करण-2 लिम्ब्स का अपग्रेड संस्करण है।

उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभाग के लिए यह एक डेशबोर्ड प्रणाली है जिस पर वे अपने मामलों को तत्काल देख सकते हैं। यह संस्करण प्रणाली की सुरक्षा को बढ़ाने और उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए पीएचपी के समन्वयकर्ता ढांचे का प्रयोग करते हुए ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजी के उपयोग के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। अब तक, लिम्ब्स के संस्करण-2 में 6.27 (संग्रह मामलों सहित) लाख न्यायालयी मामले हैं। इसमें एक सिंगल प्लेटफार्म पर लगभग 14090 पंजीकृत प्रयोगकर्ता, 19,257 अधिवक्ता, 3052 न्यायालय और 5715 माध्यस्थम मामले हैं। एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों को लिम्ब्स के साथ एकीकृत करके डाटा प्रविष्टि प्रक्रिया को स्वचालित और कम करने के प्रयास किए गए हैं जिससे न्यायालय पोर्टल से डाटा आसानी से लिम्ब्स के डाटा बेस में लाया जाएगा।

लिम्ब्स के संस्करण-2 की कुछ मुख्य विशेषताएं :-

- डेसबोर्ड – उपयोगकर्ता उनके मंत्रालय संबंधी प्रगति अर्थात् दर्ज मामलों की कुल संख्या, लंबित मामले, निपटाए गए मामले, अनुपालन के लिए लंबित मामले, महत्वपूर्ण मामले, उपेक्षित मामले, काउंसेल वार शीर्ष 10 मामले, विषय वार लंबित मामले इत्यादि को देख सकते हैं।
- एकीकरण – स्वतः डाटा प्राप्त करने के लिए एपीआई के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जिला और सत्र न्यायालय वेबसाइट के साथ एकीकरण। यह हाथ से दर्ज की जाने वाली प्रविष्टियों को काफी हद तक कम करेगा।
- नए मामलों और मामलों के अद्यतनीकरण की डाटा एन्ट्री– अब उपयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से पिछली सुनवाई, अगली सुनवाई की तारीख को उपडेट कर सकते हैं और माई कोर्ट केस टेब में अनुपालन प्रविष्टि का प्रयोग करते हुए किसी मामले से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही, उपयोगकर्ता अपडेशन टैब में से मामलों की सूची का प्रयोग कर के मामलों के विवरण अर्थात् सीएनआर सं., अधिवक्ता का नाम और मोबाइल

सं., संक्षिप्त वृतांत इत्यादि को जोड़ या बदल सकते हैं।

- मामलों की प्रगति और स्थानांतरण को जोड़ना – उपयोगकर्ता मामलों की दिन–प्रतिदिन की प्रगति को जोड़ सकते हैं तथा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों अथवा समरूप मंत्रालय/विभाग के अन्य उपयोगकर्ता के लिए मामलों का स्थानांतरण कर सकते हैं।
- सीपीएसई विवाद (एमआरसीडी) मामलों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र दृउपयोगकर्ता संदर्भित और असंदर्भित विवाद के मामलों को दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, वे एमआइएस रिपोर्ट टैब के अंतर्गत रिपोर्ट देख सकते हैं।
- महत्वपूर्ण मामले—नोडल अधिकारी के पास सचिव से अनुमोदन लेने के पश्चात मामलों को 'महत्वपूर्ण' के रूप में चिन्हित करने की सुविधा होती है। साथ ही, उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण मामलों के टैब के अंतर्गत उनके मंत्रालयों/विभागों के महत्वपूर्ण मामलों को देख सकते हैं।
- माध्यस्थम मामले—उपयोगकर्ता मामले की प्रविष्टि का प्रयोग करके मामलों को दर्ज कर सकते हैं और माध्यस्थम मामले टैब के अंतर्गत सूची का प्रयोग करके दर्ज मामलों को देख सकते हैं।
- एमआईएस रिपोर्ट—उपयोगकर्ता सांख्यिकीय रिपोर्ट और संक्षिप्त रिपोर्ट अर्थात् मामलों की संथिति वार संक्षेप, मामलों का श्रेणी वार संक्षेप, वित्तीय वार संक्षेप, न्यायालय वार संक्षेप, निर्णित मामला वार संक्षेप, कुल रिपोर्ट, कुल सदस्यों की सूची, संदर्भित विवाद मामले, असंदर्भित मामले, कुल माध्यस्थम मामले, कुल प्रस्तुत बिल, कुल नोडल अधिकारियों की सूची, कुल उपयोगकर्ता सूची इत्यादि को देख सकते हैं।
- नोडल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन—अपने मंत्रालय/विभाग/उप-विभाग—स्वायत्त संगठन/सीपीएसई अत्यादि के सभी उपयोगकर्ता को सक्रिय कर सकते हैं, उपयोगकर्ता को प्रोफाइल को बदल सकते हैं, पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं और उपयोगकर्ता के नाम में बदलाव कर सकते हैं।
- यह सभी मंत्रालयों/विभागों को बिल तैयार करने और अधिवक्ताओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध करता है।
- सिंगल विंडो कलीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसी) उपयोगिता/एडवाइस मॉड्यूल को विकसित किया गया है ताकि एसएलपी/अपील दर्ज करने की समयसीमा में देरी की निगरानी की जा सके। यह उपयोगिता सभी पण्धारियों अर्थात् मंत्रालयों, विधि कार्य विभाग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को एकल मंच पर लाने के लिए विकसित की गई है।

लिम्ब्स के संस्करण – 2 के लाभ

- यह अधिक उपयोगकर्ता सुलभ है और एक खुले मंच पर है।
 - इसका मंच मजबूत और लचीला है।
 - चूंकि यह अधिक मापनीय है, इसलिए भविष्य में नई सुविधाओं/मॉड्यूल को जोड़ा जा सकता है।
- स उपयोगकर्ता—सुलभ डेशबोर्ड उपयोकर्ता को एकल मंच पर संपूर्ण न्यायलयी मामलों के विवरण को आसान देखना सुगम बनाता है।

(ग) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध साझा करने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के

ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभ:—

- (क) अधिकतम उपयोग
- (ख) दोहराव से बचाव
- (ग) अधिकतम समेकन
- (घ) स्वामित्व की जानकारी
- (ङ) बेहतर निर्णय लेना

(घ) ई—ऑफिस

ई—ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

- (क) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
- (ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक—चार्टर की मांगों को पूरा करना।
- (ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।
- (घ) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।
- (ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।
- (च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

III. निर्णय लेने के स्तरों को कम करना— कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

IV. पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया—पेंशन के मामलों का ऑनलाइन निपटान किया जा रहा है।

29. दिनांक 01.01.2020 से 19.01.2021 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण:

क्र.सं	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का प्रयोजन और उसकी अवधि
1.	श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, सचिव	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	दिनांक 24 से 26 फरवरी, 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) में भाग लेने हेतु।
2.	डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	दिनांक 24 से 26 फरवरी, 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) में भाग लेने हेतु।
3.	श्री आर. के. श्रीवास्तव, अपर विधि सलाहकार	न्यूयॉर्क, अमेरिका	दिनांक 4 से 7 फरवरी, 2020 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि (यूएनसीआईटीआरएएल) कार्यकारी समूह— II (विवाद समाधान) के 71वें सत्र में भाग लेने हेतु।

4.	श्री राधवेन्द्र सिंह श्रीनेत, उप विधि सलाहकार	वियना, ऑस्ट्रिया	दिनांक 20 से 24 जनवरी, 2020 निवेशक— राज्य विवाद समाधान सुधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि (यूएनसीआईटीआरएएल) कार्यकारी समूह—III के 38वें सत्र में भाग लेने हेतु।
5.	श्री अर्पित अनंत मिश्र, सहायक विधि सलाहकार	ब्रूसेल्स, बेलजियम	दिनांक 22 से 24 जनवरी, 2020 अपराधिक मामलों में सुपुर्दगी संधि एवं पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौता वार्ता के लिए अंतर—मंत्रालयी बैठक में भाग लेने हेतु।

30. लेखा—परीक्षा निरीक्षण की स्थिति:—

जनवरी 2000 से ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य के लिए अनुदान का उपयोग न होने के संबंध में 2020 की रिपोर्ट सं. 6 का लेखा—परीक्षा पैरा सं. 12.1

क्र. सं	वर्ष	लेखा—परीक्षा द्वारा जांच के बाद लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के पैरा की संख्या/पीए रिपोर्ट	पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिनमें की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लंबित हैं।	मंत्रालय द्वारा एक बार भी न भेजी गई की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की संख्या	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां भेजी गई फिर निरीक्षण के साथ वापस कर दी गई और लेखा— परीक्षा मंत्रालय द्वारा इसके पुनःप्रस्तुतिकरण की प्रतीक्षा कर रहा है	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की संख्या जिनकी लेखा—परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांच की गई लेकिन मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई
12.1	जनवरी 2000 से प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य के लिए अनुदान का उपयोग न होने के संदर्भ में 2020 की रिपोर्ट सं. 6	लागू नहीं	'	लागू नहीं	लागू नहीं	

*विधि कार्य विभाग में जनवरी 2021 में लेखा—परीक्षा पैरा रिकॉर्ड किया गया है और अभी समेकित वित्त प्रभाग द्वारा इसकी प्रतिक्रिया/उत्तर तैयार किया जाना और उसकी जांच की जानी है। अप्रैल, 2019 में लेखा—परीक्षा पैरा के मसौदे पर उत्तर/की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी समेकित वित्त प्रभाग/ वित्तीय सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से जांच करके महानिदेशक, लेखा—परीक्षा को भेजी गई थी।

अध्याय-II

विधायी विभाग

जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबाह का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:-

- (i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;
- (ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;
- (iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनर्रक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;
- (v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;
- (vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;
- (vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;
- (viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;
- (ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;
- (x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;
- (xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के

पदों का निर्वाचन;

- (xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान—मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;
 - (xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;
 - (xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951य निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा—शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;
 - (xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा—शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;
 - (xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;
 - (xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;
 - (xviii) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;
 - (xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;
 - (xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन;
- (2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।
- (क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।
 - (ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीका से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध V पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

- (2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।
- (3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
 - (क) संवैधानिक संशोधन;
 - (ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;
 - (ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;
 - (घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और
 - (ङ) विविध विधियां।
4. 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, विधायी विभाग ने विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संसद के सदनों में पुरास्थापित किए जाने हेतु 98 मंत्रिमंडल टिप्पणियों/नए विधायी प्रस्तावों की जांच की। इस अवधि के दौरान 42 विधेयक संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विधेयकों के शीर्षक
1.	वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020
2.	वित्त विधेयक, 2020
3.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
4.	आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020

5.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
6.	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
7.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकि संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020
8.	खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
9.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020
10.	विनियोग विधेयक, 2020
11.	विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2020
12.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020
13.	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
14.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2020
15.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2020
16.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2020
17.	नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020
18.	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनिमयमन) विधेयक, 2020
19.	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिग विधेयक, 2020
20.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
21.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
22.	महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020
23.	आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020
24.	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020
25.	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, विधेयक, 2020
26.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020
27.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020
28.	मंत्रियों के सबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020
29.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
30.	फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
31.	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020
32.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020
33.	राष्ट्रीय सहबद् और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020
34.	कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण विधेयक, 2020
35.	विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2020

36.	विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2020
37.	जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 (लोकसभा से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुरःस्थापन का नोटिस वापस ले लिया गया)
38.	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
39.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
40.	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020
41.	विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020
42.	जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020

5. 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से चालीस विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है। इस अवधि के दौरान, अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अधिनियम का शीर्षक
1.	संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019
2.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 1)
3.	खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 2)
4.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3)
5.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 4)
6.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2020 (2020 का 5)
7.	विनियोग अधिनियम, 2020 (2020 का 6)
8.	विनियोग (संख्यांक-2) अधिनियम, 2020 (2020 का 7)
9.	जम्मू-कश्मीर विनियोग अधिनियम, 2020 (2020 का 8)
10.	जम्मू-कश्मीर विनियोग अधिनियम, (संख्यांक-2) अधिनियम, 2020 (2020 का 9)
11.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-3) अधिनियम, 2020 (2020 का 10)
12.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-4) अधिनियम, 2020 (2020 का 11)
13.	वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12)
14.	वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13)
15.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14)
16.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15)
17.	आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16)
18.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 17)
19.	मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 18)

20.	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 19)
21.	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का 20)
22.	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का 21)
23.	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22)
24.	जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 (2020 का 23)
25.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 24)
26.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 25)
27.	विनियोग (संख्यांक- 4) अधिनियम, 2020 (2020 का 26)
28.	विनियोग (संख्यांक-3) अधिनियम 2020 (2020 का 27)
29.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 28)
30.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29)
31.	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (2020 का 30)
32.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31)
33.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32)
34.	विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का 33)
35.	महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 34)
36.	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35)
37.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36)
38.	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37)
39.	कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधो का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38)
40.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020(2020 का 39)

6. पूर्वोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल पंद्रह अध्यादेशों को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत को प्रख्यापित किया गया है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक
1.	खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 1)
2.	कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधो का शिथिलीकरण और संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2)
3.	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 3)
4.	मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 4)
5.	महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 5)

6.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 6)
7.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 7)
8.	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 8)
9.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 9)
10.	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का 10)
11.	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का 11)
12.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 12)
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग, अध्यादेश, 2020 (2020 का 13)
14.	माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 14)
15.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन, अध्यादेश, 2020

7. संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुल छ: विनियम जारी किए गए हैं:-

क्र. सं.	जारी किए गए विनियम
1.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2000
2.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2000
3.	दादरा एवं नगर हवेली मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2000
4.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (गोवा, दमन एवं दीव उत्पाद शुल्क कर अधिनियम, 1964 में संशोधन के साथ विस्तार) उत्पाद शुल्क विनियम, 2020
5.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (निरसन) विनियम, 2020
6.	लैकेडाइव, मिनीकॉय एवं अमनदीवी द्वीप समूह भूमि राजस्व एवं काश्तकारी (संशोधन) विनियम, 2020

8. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2070 सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

9. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों तथा निर्वाचन को संचालित करने वाली विधियों के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

- (2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त अर्थात् 01 जनवरी, 1990 तक ही रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।
- (3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनका दर्जा व वेतन एवं अनुलाभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भाँति और उन्हीं आधारों पर संभव है।
- (4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में दल के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- (5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है ताकि यह सरकारी स्वीकृतियां उपलब्ध करा सके।
- (6) 1950 में निर्वाचन संबंधी व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अलावा, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केन्द्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- (iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952
- (iv) परिसीमन अधिनियम, 2002
- (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005
- (vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

2. हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट) भी कहा जाता है, ने सत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन सत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्य की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से सींचा है। निरुसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं उथल-पुथल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में निरपवाद रूप से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बैईमान और आपराधिक तत्वों के आगमन से निर्बाध एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।
3. ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।
4. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का प्रयोजन वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांगों तथा वैसे भी व्यक्तियों को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जो अपनी सेवा- शर्तों की अनिवार्यता के कारण मतदान के दिन मतदान केंद्र स्वयं उपस्थित होने की स्थिति में न हों।

11. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

बैलेट बॉक्स को प्रतिस्थापित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.) निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा परिकल्पित ई.वी.एम. को डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) सौंपा गया। वर्ष 1979 में इसका प्रारंभिक मॉडल तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन 6 अगस्त, 1980 को निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलुरु (बीईएल) को ईवीएम की शुरुआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई, 1982 में केरल के उप चुनावों में हुआ था। हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरुआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बन पाई तथा तीन राज्यों-मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू केरल, पुदुच्चेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में

किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ है।

चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैशिक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे सिस्टम में अधिक पारदर्शिता, तेजी तथा ग्राहयता आई है। इससे ईवीएम के प्रयोग में प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने अनुदेशों की श्रृंखला, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

12. तकनीकी विशेषज्ञ समिति

ईसीआई—ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रो.एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा प्रो. पी.वी. इंदरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाड़ा, तत्कालीन निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम थे। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञों के दल से विमर्श करता रहा है। नवंबर, 2010 में आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है।

ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग के पास 17.8 लाख बैलट यूनिट, 11.8 लाख कंट्रोल यूनिट तथा नवीनतम एम-3 सीरीज की 17.45 लाख मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रैल यूनिट (वीवीपीएटी) उपलब्ध है।

13. मतदान फोटो पहचान—पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ईपीआईसी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान—पत्रों का उपयोग धीरे—धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान—पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान—पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में समिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान—पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान—पत्र जारी करने की सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय—सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचक जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान—पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान—पत्र

जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान—पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान—पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि, उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान—पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले से ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

- (i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान—पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।
 - (ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय—समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती है।
 - (iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान—पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की जाती है।
 - (iv) बिना रुकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।
- (3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देश में मतदाता फोटो पहचान—पत्र के कवरेज के संबंध में 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार नवीनतम आकड़े निम्नानुसार हैः–

मतदाता फोटो पहचान—पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, 2020

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	ईपीआईसी कवरेज का :
1	आन्ध्र प्रदेश	99.98
2	अरुणाचल प्रदेश	100.00
3	অসম	99.53
4	बिहार*	100.00
5	छत्तीसगढ़	99.81
6	गोवा	99.99
7	ગુજરાત	100.00
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख#	93.19
11	झारखण्ड	100.00
12	कर्नाटक	100.00
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00

15	महाराष्ट्र	97.17
16	मणिपुर	98.00
17	मेघालय	100.00
18	मिजोरम	100.00
19	नागालैण्ड	97.96
20	ओडिशा	99.14
21	पंजाब	100.00
22	राजस्थान	99.99
23	सिक्किम	100.00
24	तमिलनाडु	100.00
25	तेलंगाना	99.99
26	त्रिपुरा	100.00
27	उत्तराखण्ड	100.00
28	उत्तर प्रदेश	100.00
29	पश्चिम बंगाल	100.00
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	96.97
31	चण्डीगढ़	100.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
33	दमन एवं दीव	98.36
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	100.00
35	लक्ष्मीप	100.00
36	पुडुचेरी	100.00
	समस्त भारत	99.44

जम्मू—कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2019 के आंकड़े हैं क्योंकि इन संघ राज्य क्षेत्रों में एसएसआर, 2020 एवं 2021 का आयोजन नहीं हुआ है।

* अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में एसएसआर—2021 के संबंध में ड्राफ्ट रोल के अनुसार बिहार राज्य के आंकड़े दर्शाए गए हैं।

14. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑफिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51—नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप—चुनावों में किया। तत्पश्चात्, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक

सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचन आयोग ने नवंबर–दिसंबर 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी यूनिटों का प्रयोग किया। आयोग ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव तथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, ओडिशा, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में विधानसभा एवं संसदीय उपचुनावों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग किया है।

आयोग ने 2019 के आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने हेतु वीवीपीएटी यूनिटों के विनिर्माताओं अर्थात् मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलूरु तथा मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से 17.45 लाख वीवीपीएटी यूनिटों का प्राप्त किया है।

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता स्वयं द्वारा दिए गए मत का सत्यापन कर सकता है। जब मत डाला जाता है तो प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होती है तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देती है। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाती है तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

15. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2020 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 291 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 21 नए मामले प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश संबंधित सरकारी वकील को संप्रेषित किए गए हैं। लम्बित मामलों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष प्रयास किए गए तथा नई गणना के अनुसार 118 अतिरिक्त मामलों का निपटान हो गया है जिससे निपटाए गए कुल मामलों की संख्या 238 हो गई है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 194 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।

16. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2020–21 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र. सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	97
2.	राज्य सभा प्रश्न	67
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	14
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	03
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	01

6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	03
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	—
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	17
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	02
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	06

17. समवर्ती सूची के अंतर्गत विधान

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची— ।।।—समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों के बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :—

- (क) विवाह और विवाह—विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्तकग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;
- (ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);
- (ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;
- (घ) अनुयोज्य दोष;
- (ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;
- (च) साक्ष्य और शपथ;
- (छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;
- (ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

18. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची प्प (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

19. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरहता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

20. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।।। से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872य भारतीय न्यास अधिनियम, 1882य संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882य विभाजन अधिनियम, 1893य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908य परिसीमन अधिनियम, 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान चौबीस नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

21. राज्यों के विधायी प्रस्ताव

संविधान की समर्ती सूची के अंतर्गत स्थित जो विषय विधायी विभाग को सौंपे गए हैं उनके संबंध में प्राप्त ऐसे विधायी प्रस्तावों जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, की इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित एक सौ दो संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

22. संसदीय कार्यों का आयोजन

वर्ष 2020 के दौरान, विधायी III अनुभाग ने तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के संसदीय प्रश्नों तथा अन्य विषयों से भी संबंधित कार्यों का निपटान किया। संसदीय संदर्भों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मद	संख्या
1.	लोक सभा प्रश्न	7
2.	राज्य सभा प्रश्न	4
3.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	4
4.	सार्वजनिक महत्व के मामले	1

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक तथा संकल्प से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार की गई। साथ ही, संसदीय प्रश्नों की हार्डकॉफी के साथ-साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा गया।

23. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरुचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है।

- देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.

एल.डी.आर.) की स्थापना की गई।

3. आईएलडीआर प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन करता है:
- (i) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के विधि अधिकारियों के लिए है;
 - (ii) पंद्रह दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;
 - (iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रुचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम चार से छह सप्ताह के लिए तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्रों अथवा पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों या पांचवें वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम 2013 से चल रही है।
 - (iv) अब तक आईएलडीआर ने विधायी प्रारूपण पर 23 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 31 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों पर कार्य कर रहे कुल 344 अधिकारियों को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 386 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 295 विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं।
4. इस अवधि के दौरान आईएलडीआर द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गएरु
- (i) 14 फरवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2020 तक विधायी प्रारूपण में तेइसवां उक्त पाठ्यक्रम। मूल्यांकन पाठ्यक्रम द्वारा तैतीस प्रशिक्षु अधिकारी लाभान्वित हुए।
 - (ii) विधायी प्रारूपण में 35वें अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रशिक्षु अधिकारीयों को 05 फरवरी 2020 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसका आयोजन संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (पीआरआईडीई) (तत्कालीन बीपीएसटी), लोक सभा सचिवालय द्वारा किया गया था। इससे विभिन्न देशों के 38 प्रतिभागी लाभान्वित हुए थे।
5. आई.ए.ल.डी.आर. के क्रियाकलापों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल (क्युएमएसएम) के दिशा निर्देशों के अनुरूप पाए जाने के संबंध में किए गए मूल्यांकन के आधार पर इसे आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेट से आईएसओ 9001:2015 में अपग्रेड किया गया है।

24 ई-गवर्नेंस हेतु की गई पहले

- (i) कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट):
विधायी विभाग ने कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्त सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप

से सत्यापित किए जाने के पश्चात 'सर्टिफाइड कॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है।

(ii) ई-ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन:

सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ट्रैकिंग करने के लिए ई-ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन विधायी विभाग में आरंभ हो गया है।

(iii) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश:

विभाग द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई-गवर्नेंस नीति का अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश, विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डाटा चोरी, हैकिंग और इस प्रकार के अन्य साइबर हमलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिचालित किए जाते हैं ताकि उन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करके विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभावित साइबर हमले से बचाया जा सके तथा इसे सुरक्षित बनाया जा सके।

25. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त, 2005 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमारा, संयुक्त सचिव श्री पी.सी. मीण, उप सचिव तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसूचना का अधिकार शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता rti@nic-in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio@nic-in है।

- (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय-वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही अंतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की

जाती है तथा विहित समय—सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सात सौ सत्ताईस (727) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। इसी अवधि (1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर एक सौ चार (104) प्रथम अपीलों में से सभी एक सौ चार (104) प्रथम अपीलों का उनके गुण—दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। प्राप्त आवेदनों के रुझान को देखते हुए अनुमान है कि 2020–21 के शेष तीन माह के दौरान लगभग 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई मामलों के निपटान से इस विभाग को दिसंबर 2020 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 1246 रु की प्राप्ति हुई है।

26. शुद्धि अनुभाग

(1) केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख—रखाव

केंद्रीय अधिनियम

शुद्धि अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख—रखाव करता है। यह अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख—रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के अधिकारियों तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2020 के चालू केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है।

इस अनुभाग को वर्ष 2017 से अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों आदि को हमारे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www-legislative-gov-in पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अतः, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www-legislative-gov-in पर "legislative references" शीर्षक के अंतर्गत उन अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों को अपलोड कर दिया है जो वर्ष 2017 से लागू है। विभाग में इंडिया कोड युनिट की स्थापना के बाद केंद्रीय अधिनियम इंडिया कोड युनिट द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। सचिव, विधायी विभाग के निदेशानुसार "इंडिया कोड" शीर्षक के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट (www-legislative-gov-in) पर इंडिया कोड पोर्टल के लिए हाइपरलिंक (<https://indiacode-nic-in>) का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2020 के 14 केंद्रीय अध्योदेशों तथा 6 केंद्रीय विनियमों को भी अपलोड किया है। 'Documents' शीर्षक के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www-legislative-gov-in पर वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार तरीके से भी केंद्रीय अधिनियमों की सूची को अपलोड किया गया है।

वर्ष 2020 में इस अनुभाग ने मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट <http://www-egazette-nic-in> से संसद के उनतालीस अधिनियमों (एक वित्त अधिनियम तथा आठ विनियोजन अधिनियम सहित), पंद्रह केंद्रीय अध्यादेशों तथा छह केंद्रीय विनियमों की गजट कॉपी डाउनलोड की है। इस अनुभाग ने वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित अधिनियमों का एक फोल्डर तैयार किया है तथा प्रमुख अधिनियमों की

मास्टर कॉफी में सोलह संशोधन अधिनियमों के संशोधनों को शामिल किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) विनियोजन अधिनियमों एवं वित्त अधिनियम को छोड़कर वर्ष 2020 में डाउनलोड किए गए मुख्य अधिनियम:

1. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020
2. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020
3. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020
4. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020
5. आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020
6. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार अधिनियम, 2020
7. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सशक्तिकरण) अधिनियम, 2020
8. जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020
9. अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020
10. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020
11. राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020
12. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
13. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
14. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020

(ख) 2020 में डाउनलोड किए गए संशोधित अधिनियम

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020
2. खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020
3. वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020
5. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020
6. मंत्रियों के सबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2020
7. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020
8. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
9. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2020
10. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2020
11. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2020

12. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020
13. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020
14. महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020
15. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलिकरण) अधिनियम, 2020
16. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
- (ग) 2020 में डाउनलोड किए गए संशोधित अध्यादेश
1. खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 2. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 3. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 4. मंत्रियों के सबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 5. महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 6. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 7. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 8. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 9. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 10. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020
 11. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020
 12. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग, अध्यादेश, 2020
 14. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020
 15. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश 2020
- (घ) 2020 में डाउनलोड किए गए संशोधित विनियम
1. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2000
 2. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2000
 3. दादरा एवं नगर हवेली मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2000
 4. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (गोवा, दमन एवं दीव उत्पाद शुल्क कर अधिनियम, 1964 में संशोधन के साथ विस्तार) उत्पाद शुल्क विनियम, 2020

5. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (निरसन) विनियम, 2020
6. लैकेडाइव, मिनीकॉय एवं अमनदीवी द्वीप समूह भूमि राजस्व एवं काश्तकारी (संशोधन) विनियम, 2020

संसद के अधिनियमों के आधार पर मुख्य अधिनियमों की मास्टर कॉपी में संशोधन कर दिए गए हैं। वर्ष 2020 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए उनके संबंधित अधिनियमों, उन्हें लागू करने की तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि अधिनियमों की मास्टर कॉपी में प्रासंगिक स्थानों पर कर दी गई है।

वर्ष 2020 के दौरान, इस अनुभाग को 9 राज्यों अर्थात केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, असम, दिल्ली, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना से कुल 80 राज्य अधिनियम तथा 24 अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सभी अधिनियमों तथा अध्यादेशों की प्रविष्टि संबंधित रजिस्टरों एवं फोल्डरों में कर दी गई है।

27. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधायन (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ-ही-साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि एक वृहत्त रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए उपलब्ध हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय-समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो ताकि उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराया जा सके तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाया जा सके। वस्तुतः, इंटरनेट पर भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजीटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्य के सभी विधायनों के साथ-साथ उनके संबंधित अधीनस्थ विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने तथा साथदृही-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधायनों को नवीनतम तथा अद्यतन फार्मेट में वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूँढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुनरुप्राप्त करना प्रयोक्ता अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा कहीं से भी मोबाइल पर ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से भारत में बने कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी।

इससे प्रभावी सूचना प्रबंध के रूप में भी मदद मिलेगी जिससे प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य में सहायता मिलेगी तथा लोग डीजिटल फॉर्म में इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत पदकपंबवकम.दपब.पद वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ-ही-साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्ध कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई-शासन के रूप में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्य के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुनरुप्राप्त करने के लिए संबद्ध पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूँढ़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र कुछेक बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत संहिता की वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1838 से 2020 के केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया है। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधायनों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई-शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः, उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों द्वारा नागरिकों के उनके अपने कानून पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

28. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग नामतः मुद्रण—। और मुद्रण—॥ विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण के कार्य से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय—वस्तु और उपाबंध, जहां—जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना समिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। मुद्रण अनुभाग विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच करते हैं तत्पश्चात उसे अनुमोदन के उपरांत विधायी—। अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को छ्लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प—सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं, जैसे यथा पुरःस्थापित/पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, छ्लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, छ्डोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, घनुमति प्रति' प्रक्रम, घस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए—4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए—4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

- 2 भारत के संविधान, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच करने के अलावा मुद्रण अनुभागों ने विभाग की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण को अद्यतन करने का भी कार्य किया है।
- 3 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण—। तथा मुद्रण-II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :-
 - (क) 69 विधेयकों, 40 विधेयक राजपत्रों, 15 अध्यादेशों तथा 6 विनियमों की पांडुलिपियों का संपादन किया गया तथा इनके प्रूफों की जांच और समीक्षा की गई;
 - (ख) 40 ए—4 अधिनियम तैयार किए गए हैं;

29. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

1. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग एक संदर्भ अनुभाग है जो भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों आदि का संचालन करता है। इस विभाग को किए गए कार्य आवंटन के दौरान जी.एस.आर.ओ अनुभाग को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं—
 - (i) भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों का संकलन करना;
 - (ii) विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत जारी की जाने वाली वैसी अधिसूचनाओं की पांडुलिपि तैयार करना एवं उन्हें अंतिम रूप देना जिनका प्रकाशन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों

द्वारा भाग—।। के रूप में किया जाता है, जो इस विभाग के प्रकाशन अनुभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले संशोधित संस्करणों के संबंध में भाग—। का सहयोगी प्रकाशन होता है।

2. किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिनमें सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख—रखाव करें।
3. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ अनुभाग) द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग—।।, खण्ड 3, उप खण्ड (प) तथा (पप) के अधीन जारी अधीनस्थ विधायनों से संबंधित गजट अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गई। विभिन्न साधारण और असाधारण के भाग—।।, खण्ड 3, उप खण्ड (प) तथा (पप) से संबंधित शुद्धियों सहित विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टि वर्णक्रमानुसार रजिस्टर में की गई।
4. जी.एस.आर.ओ अनुभाग ने ई—समीक्षा पर केंद्रीय अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों को अपलोड करने संबंधी अन्य विविध कार्य भी किए तथा साथ ही अधीनस्थ विधानों संबंधी तिमाही रिपोर्ट, आर.टी.आई आवेदन/अपील, संसदीय प्रश्नों तथा रिपोर्टों आदि से संबंधित कार्य भी किए।

30. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अन्तिम रूप देने, बजट—पूर्व विचार—विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू शामिल होते हैं और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित होती है, से संबंधित कार्य भी करता है तथा उन्हें वित्त मंत्रालय भेजे जाने से पूर्व उनकी प्रोसेसिंग भी करता है।

- (2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

31. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय—समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, केंद्रीय अधिनियमों की वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार सूची, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. भारत के संविधान (अंग्रेजी पाठ), जिसमें फुट नोट के साथ संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम,

2019 शामिल है, का संकलन, संवीक्षा तथा पुनरीक्षण इस विभाग द्वारा कर लिया गया है तथा यह पॉकेट साइज में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन हेतु तैयार है। इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर फुट नोट सहित भारत के संविधान (अंग्रेजी संस्करण) की अद्यतन प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। कतिपय अधिनियमों, जिसमें अद्यतन संशोधन विधिवत रूप से शामिल हैं, की पांडुलिपि (अंग्रेजी संस्करण) तैयार कर ली गई है तथा राजभाषा खंड को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है जो मुद्रण की विभिन्न प्रक्रिया में है।

32. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(1) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन:—

विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :—

राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 88.22:, 81.91: तथा 67.85: पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप- नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इन रिपोर्ट के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती

हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इस वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की केवल दो बैठकें हुईं, जो 25 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूँढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति:-

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(6) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2020 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः : 4000, : 3000, : 2000 और : 750 की राशि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार निर्धारित किए गए थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल : 79,500 की राशि स्वीकृत की गई थी।

(7) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन

योजनाएं विभाग में लागू की गई हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान मूल रूप से हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आठ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि तथा टंकण करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए एक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

(8) संसदीय राजभाषा समिति:-

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

33. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :—

- (i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;
- (ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;
- (iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;
- (v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद;
- (vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद;
- (vii) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थित राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद;
- (viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं।

- (ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण
- (x) हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ताकि हिन्दी के एकसमान विधिक शैली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;
- (xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;
- (xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;
- (xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;
- (xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा
- (xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान को मणिपुरी भाषा में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन करने (अंग्रेजी-मणिपुरी) और डोगरी भाषा डिग्लॉट रूप में (अंग्रेजी-डोगरी) की मंजूरी दी है।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत

संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड ८ से गग्प तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्ड गग्प और गग्प की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस में भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 30 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2507 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरास्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 80 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 15 अध्यादेशों, 3 मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा 48 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 7583 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए तैयार की गई।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 4237 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है,

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख-रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग,

केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा खण्ड द्वारा डिग्लॉट रूप में प्रकाशित कराए जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपि तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान, दो डिग्लॉट अधिनियमों की पांडुलिपि तैयार की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

- (क) केन्द्रीय अधिनियमों की ई-गजट प्रतियों के प्रकाशन से संबंधित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में उन अधिनियमों के अनुवाद के लिए भेजीय
 - (ख) हिंदी भाषी राज्यों को केन्द्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीय
 - (ग) प्रकाशन संबंधी कार्य किया।
 - (घ) राजभाषा खंड की प्रादेशिक भाषा युनिट को प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में सहायता की तथा इस युनिट को कार्यदल (प्रादेशिक भाषा) की बैठक के आयोजन में भी मद्द की ताकि वे अपनी संबंधित प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में शामिल किए जाने वाले शब्दों का निर्णय और अनुमोदन लें सकें।
- (11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पावधिक सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद या राज्य परिषद की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केन्द्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 30 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 15 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

- (12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(पप) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 1722 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, का क्षेत्रीय भाषा यूनिट भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने का कार्य कर रहा है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषा) द्वारा 19 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 59 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन हिंदी सहित इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में त्रिभाषी (अंग्रेजी—प्रादेशिक भाषा—हिंदी) विधि शब्दावली तैयार करने से संबंधित कार्य सात भाषाओं—बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू में पूरा कर लिया गया है जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी। भारत के संविधान को डोगरी भाषा में डिग्लॉट (अंग्रेजी—डोगरी) रूप में प्रकाशित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भी वितरित की गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014—रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए विस्तारित किया गया। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :—

- (i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना;
- (ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकासय
- (iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;
- (iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशनय
- (v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषयय
- (vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खण्ड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रीमती कुमुद एल.दास, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्लीय प्रोफेसर (डॉ) सुभाष चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, डॉ बी.जी.आर. कैम्पस, पौड़ी गढ़वाल राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी सदस्य—सचिव के रूप में शामिल हैं। विधि के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 2020 को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान संघ तथा राज्यों के राजभाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तीन संगठनों को 2,70,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खण्ड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर [http://lawmin-nic-in@olwing](mailto:lawmin-nic-in@olwing) है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साप्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट पर 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों की सूची उपलब्ध करवा कर तथा 10 महत्वपूर्ण विधायनों के साथ-साथ प्रधान एवं संशोधन विधायनों को पीडीएफ फार्मेट में वेबसाइट पर अपलोड करके इसे और अधिक समृद्ध

बनाया गया है जो विधि के क्षेत्र और से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों के लिए खासा लाभकारी है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुः किया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह षष्ठ अधिकारियों के नामों, ई-मेलों, पतों और संपर्क नम्बरों की अंग्रजी और हिंदी में एक सूची भी राजभाषा खण्ड के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

34. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात्, हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया। इस खंड को ही बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया।

आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य (त्मचवतजंइसम) निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। वर्ष 1987 में "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में विभाजित कर दिया गया। तत्पश्चात्, 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधि साहित्य प्रकाशन में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारीवृन्द की कमी होने के कारण 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय प्रकाशित होते हैं। 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल प्रतिवेद्य और चयनित निर्णय ही प्रकाशित होते हैं।

उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :—

- (क) शैक्षणिक उपयोग के लिए विधि और अन्य क्षेत्रों में निर्देश पुस्तकों के रूप में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;
- (ख) हिन्दी में विधि के उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;
- (ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;
- (घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ड.) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधि साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार किए जाने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित किया जाना।

इसके अतिरिक्त विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्रा/यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। विधि के क्षेत्र में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/गैर हिन्दी भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य करता है।

विधि साहित्य समाचार' नामक एक ट्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। "प्रकाशन सूची" भी ग्राहकों को समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन में विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी समाविष्ट होती है।

वर्ष 2020 के दौरान हुई प्रगति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन: रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान संपादन/अनुवाद के स्तर पर "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" अगस्त, 2020 तक अद्यतन कर दी गई है और "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" अप्रैल, 2020 तक अद्यतन कर दी गई है तथा "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" भी अप्रैल, 2020 तक अद्यतन कर दी गई है। पत्रिकाओं को विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट <http://legislative.gov-in@vidhi&sahitya>. पर अपलोड कर दिया गया है तथा ये सभी पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

पुरस्कार प्रदान किया जाना : विधि साहित्य प्रकाशन उपर्युक्त तीन विधि पत्रिकाओं और विधि पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त हिन्दी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन और पाठ्यपुस्तकों या निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए हिन्दी में लिखित या प्रकाशित पुस्तकों पर 5,00,000/- रु. (पाँच लाख रुपए केवल) ख्यात पुरस्कार 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए केवल), द्वितीय पुरस्कार 30,000/-रुपए (तीस हजार रुपए केवल) और तृतीय पुरस्कार 20,000/-रुपए (बीस हजार रुपए केवल), दिए जाते हैं। यह पुरस्कार लेखकों को प्रतिवर्ष निजी प्रकाशकों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2020 में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम सात पुस्तकों को इन पुरस्कारों के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत 1,40,000/- रुपए (एक लाख चालिस हजार रुपए केवल) की रकम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के पश्चात् पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई।

विधि पुस्तकों का प्रकाशन : विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि पुस्तकों के लेखन और पुनरीक्षण का कार्य करता है और उनको प्रकाशित भी करता है। हिन्दी में लिखी गई 34 मानक पुस्तकों का प्रकाशन अभी तक संदर्भ पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए किया जा चुका है। 'निर्णय लेखन' और 'भारत का संवैधानिक इतिहास (103वें संवैधानिक संशोधन तक)' नामक पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण किया गया है और उनको प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'दंड विधि' (साधारण सिद्धांत), 'दंड विधि' (द्वितीय

संस्करण), 'भारतीय दंड संहिता के विनिर्दिष्ट उपबंध', 'भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व' और 'अपकृत्य विधि के प्रमुख तत्व' नामक पुस्तकें पुनरीक्षण और मुद्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।

डिजिटलीकरण : विधि साहित्य प्रकाशन डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत है। तीनों विधि पत्रिकाएं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का इंटरनेशनल स्टेंडर सिरियल नम्बर (आईएसएसएन) के द्वारा मानकीकरण किया जा चुका है। विधि साहित्य प्रकाशन ने तीनों पत्रिकाओं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका को ई-गर्वनेंस/डिजिटली प्रक्रिया के अंतर्गत <http://legislative-gov-in@vidhi&sahitya>. पर पीडीएफ फार्मेट (वर्ष 2012 से) में अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, वादकारियों, विधि शिक्षकों और सामान्यजन्य के लाभार्थ अपलोड कर दिया है।

संगोष्ठी/प्रदर्शनी/सम्मेलन का आयोजन और विधि प्रकाशनों, भारत का संविधान, केंद्रीय अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करणों, विधि शब्दकोश, निर्वाचन विधि दिग्दर्शिका और भारत संहता इत्यादि का विक्रय : केंद्रीय अधिनियम और विधि प्रकाशन <https://bharatkosh-gov-in@Product/Product/>. पर ऑनलाइन विक्रय के लिए डिजिटल संदाय अर्थात् क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के आधार पर उपलब्ध है और संदाय का लिंक विधायी विभाग की वेबवाइट के प्रथम पृष्ठ पर उपलब्ध है। यह 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत है। न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि छात्र, विधि शिक्षक, विधि साहित्य प्रकाशन के विक्रय काउंटर से विधि पुस्तकें और विधि पत्रिकाएं खरीद रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण संपूर्ण संसार में प्रदर्शनी/संगोष्ठी/सम्मेलन वर्ष 2020 के दौरान स्थगित कर दिए गए थे। विधि साहित्य प्रकाशन हिंदी में विधि के ज्ञान को प्रोन्नत किए जाने और उसका प्रचार प्रसार किए जाने की योजना के अंतर्गत विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, न्यायाधीशों के पुस्तकालयों और विधि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत संहिता का मुफ्त वितरण किया है।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य कुल 14, 59, 977/-रुपए (चौदह लाख उनसठ हजार नौ सौ सतहत्तर रुपए मात्र) की पुस्तकों का विक्रय किया गया है।

संपादकीय बोर्ड/मूल्यांकन समिति : विधि साहित्य प्रकाशन में दो समितियां हैं अर्थात् संपादकीय बोर्ड और मूल्यांकन समिति और इन दोनों समितियों के सदस्यों का नामांकन माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया जाता है। संपादकीय बोर्ड तीनों विधि पत्रिकाओं के स्तरमान/सुधार के प्रति जागरूक रहता है, आगे के विकास सलाह देता है, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और विधि वृत्तकों इत्यादि के लाभार्थ विधि पत्रिकाओं के परिचालन में अभिवृद्धि के बाबत के बारे में सलाह देता है। मूल्यांकन समिति हिंदी में लिखि गई और निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई सर्वोत्तम विधि पुस्तकों का चयन करती है। संपादकीय बोर्ड की बैठक (परोक्ष बैठक) सितंबर, 2020 में संपन्न हुई थी जिसमें अपर सचिव/विभागाध्यक्ष डा. रीटा वशिष्ट भी उपस्थित थीं और मूल्यांकन समिति की इस परोक्ष बैठक का पुनः आयोजन तारीख 25 नवंबर, 2020 को किया गया जिसमें पुनः अपर सचिव/विभागाध्यक्ष डा. रीटा वशिष्ट उपस्थित थीं और इस बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) डा. सतीश चंद्रा द्वारा की गई थी।

35. सरकारी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य

प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (अनुबंध – VI तथा अनुबंध –VII)

36. संविधान दिवस का आयोजन:-

इस विभाग में दिनांक 26.11.2020 को संविधान दिवस मनाया गया जिसमें गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी सुरक्षा एवं एसओपी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उद्देशिका पाठ, नारा लेखन तथा दो फ्लेक्स बैनरों (उद्देशिका वॉल) पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर आदि जैसे कार्यकलाप किए गए। (अनुबंध – VIII)

37. लोक शिकायतः

1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएमएस पोर्टल पर 2661 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2020 से पहले 458 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 2460 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

38. विभागीय लेखा संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अवर सचिव (वित सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

- (2) सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वे:-
- (i) अपने मंत्रालय या विभाग के वितीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।
 - (iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना -लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - (iv) लोक-लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।
 - (v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।
 - (vi) वित मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा –निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय-संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वितीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।
- (viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य-पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत-प्रभावी तरीके से लागू करे।
- (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालय:
- (क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।
 - (ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।
- (3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा: –
- (क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।
 - (ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा-परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा-नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।
 - (ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 20 एनसीडीडीओ सहित 52 डीडीओ हैं। गैर-चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलें को भुगतान की "प्री-चौक" प्रणाली के अन्तर्गत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय-वार विवरण नीचे दिया गया है—

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय सीडीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		एनएसडीडीओ	
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	3	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	12
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है।-

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समकित करना।

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण और सामग्री को मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम-पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।

(ङ.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान-कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा-परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थनीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम-पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा-जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आरहण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा-जोखा अंतिम रूप से वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।

- चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को ट्रैमासिक "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच-पड़ताल करना
 - चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
 - सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख-रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
 - सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
 - बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई-भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
 - निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
 - समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।
- (8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (9) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-
- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
 - वार्षिक विनियोग लेखा।
 - केन्द्रीय लेन-देन का विवरण।
 - "लेखा एक नजर में" तैयार करना।
 - मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
 - राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
 - मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और मुख्य लेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
 - प्राप्ति बजट तैयार करना।
 - पेंशन बजट तैयार करना।
 - पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
 - मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
 - विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यमसे किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।

- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
 - शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
 - पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
 - विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
 - सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उल्लङ्घ कराना।
 - विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
 - नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना।
 - लेखा और ई—भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
 - लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
 - केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
 - वित्त मंत्रालय के मार्ग—निर्देशों के अनुसार, नॉन—टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- (10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप—शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बजट व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ—साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो।
- (11) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।
- (12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा—नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
- (13) आंतरिक लेखा—परीक्षा खंड— आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों—विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
- (i) आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों

जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

- (ii) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट-यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखा-परीक्षा संबंधी कोई भी कार्यकलाप नहीं किया गया है। और अधिक यूनिटें/डीडीओ की लेखा-परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं है। लेखा-परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा पैनल में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से दो परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है।

उपलब्धियां— विधि और न्याय मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 323 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। बाद में कई अनुस्मारक एवं परिपत्र संबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए। आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान 215 पैरा, वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान 193 पैरा, वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान 32 पैरा, वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान 51 पैरा तथा वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 17 पैरा निपटाए गए। तथापि, लंबित लेखापरीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	द्राप किये पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015-16	323	215	108
2016-17	251	193	58
2017-18	60	32	28
2018-19	138	51	87
2019-20	115	17	98
	887	508	379

14. **बैंकिंग व्यवस्था** :— भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गई। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा-नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता

होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

(ii) पीएफएमएस को मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु अधिदेशित किया गया है :

सभी आयोजना स्कीमों के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।

निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।

सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता के संबंध में तथ्यपरक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। इस योजना को लागू किए जाने से कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, व्यवस्था में फ्लोटिंग में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगी।

(iii) अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉड्यूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टेकहोलडरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विघटित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार है:

I. निधि प्रवाह मानीटरिंग

- (क) एजेंसी पंजीकरण
- (ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि कि उपयोगिता
- (ग) पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन माड्यूल
- (घ) कोषगार इंटरफेस
- (ङ) पीएफएमएस–पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस
- (च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रैकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र
- (छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की मानीटरिंग

II. सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

- (क) लाभार्थियों के लिए पीएओ
- (ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी
- (ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार

III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

- (क) सीबीएस
- (ख) इंडिया पोस्ट
- (ग) आरबीआई
- (घ) नाबाड़ और सहकारी बैंक

वर्धित अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV पीएओ कंप्यूटरीकरण— भारत सरकार में किए जाने वाले भुगतान, प्राप्तियों तथा लेखांकन की ऑनलाइन व्यवस्था

- (क) कार्याक्रम प्रभाग माड्यूल
- (ख) डीडीओ माड्यूल
- (ग) पीएओ माड्यूल
- (घ) पेंशन माड्यूल
- (ङ) जीपीएफ और एचआर माड्यूल
- (च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां
- (छ) वार्षिक वित्तीय विवरण
- (ज) नकद प्रवाह प्रबंधन
- (झ) नॉन सिविल मंत्रालयों के साथ इंटरफेस

V नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है।

VI एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्त करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII सीबीडीटी पीएएन मान्यकरण

VIII जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति:

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन द्वारा:

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीति:

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरूआत, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं / संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति

पूरे किए जाने वाले क्रियाकलाप

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- प्रत्येक स्कीम की कार्यान्वयन से संबंधित क्रमबद्धता की पहचान करना।
- पीएफएसएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात् नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन

- राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप
- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण
- सभी एसआईए का पीएफएमएस में पंजीकरण (स्तर 1 और नीचे)
- राज्य योजनाओं की संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का संविन्यास
 - राज्य योजना घटकों का संविन्यास
 - प्रत्येक राज्य योजना की क्रमबद्धता की पहचान और संविन्यास
- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता

2019–20 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई), जो अभी भी सीजीए द्वारा दी गई अनुमति के अनुरूप काम्पैक्ट माड्यूल पर काम कर रहा है, को छोड़कर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय(ईओ) के संबंध में पीएफएमएस के भुगतान एवं लेखा माड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईएस / सीडीडीओ / एनटीआरपी माड्यूल की स्थिति:-

1. सीडीडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉड्यूल का कार्यान्वयन				
मंत्रालय / विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना मार्च, 2021
विधि एवं न्याय मंत्रालय	32	29	3	3

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल

मंत्रालय / विभाग	डीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले डीडीओ की सं.	शेष डीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना मार्च, 2021
विधि एवं न्याय मंत्रालय	52	47	5*	3**

*दो(02) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मामले में फिलहाल ईआईएस की आवश्यकता नहीं है।

**इस मामले को महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के समक्ष रखा गया है।

3. नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) मॉड्यूल

मंत्रालय / विभाग	पीएओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले पीएओ की सं.	शेष पीएओ की सं.
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4	4	शून्य

विनियोग लेखा, 2019–20 की मुख्य विशेषताएं

(रु करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (-)
अनुदान सं. 61 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	138.04	137.96	124.74	-13.21
2014–न्याय प्रशासन	485.77	433.66	429.60	-4.06
2015–निर्वाचन	1429.55	1380.06	1378.47	-1.58
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	108.93	108.83	99.52	-9.30
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.17	13.02	9.72	-3.29
2552–उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	101.23	0.01	0	-0.01
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	692.42	1073.00	1073.00	0
3602–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	50	56.83	56.83	0
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	135	110.01	49.61	-60.39
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि				-25.00
योग	3155.11	3313.38	3221.49	-116.84
विनियोग सं. 63–भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	269.46	296.55	296.55	0

(स्रोत: विनियोग लेखा 2019–20)

अध्याय—III

न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का भाग है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढाँचे में चार संयुक्त सचिव, सात निदेशक/उप सचिव और ग्यारह अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्या 101 है, जिसमें से 44 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 57 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 10 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग का संगठनात्मक ढाँचा अनुबंध—IX पर है।

1.1 भारत सरकार (समय—समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम—1961 के अनुसार) अन्य बातों के साथ—साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- i. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपरिधि की अनुमति के बारे में अधिकार (छुट्टी भत्ते सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते;
- ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटानाय उनके वेतन, अनुपरिधि की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते;
- iii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति;
- iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क;
- v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर;
- vi. संघ शासित क्षेत्रों में न्याय प्रशासन और न्यायालयों का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क;
- vii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी;
- viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन;
- ix. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें;
- x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ शासित क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ शासित क्षेत्र को बाहर रखना।
- xi. गरीबों को विधिक सहायता
- xii. न्याय का प्रशासन
- xiii. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों तक पहुंच।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय :

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की 34 की स्वीकृत संख्या में से 30 न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) पदासीन हैं, जबकि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना है। वर्तमान में, भारत के उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश कार्य कर रही हैं।

2.2 उच्च न्यायालय

01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 66 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और उच्च न्यायालयों के 90 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति दी गई। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 7 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई थीय और उच्च न्यायालयों 05 मुख्य न्यायमूर्ति, 13 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया गया। 03 अतिरिक्त न्यायाधीशों की कार्यावधि को बढ़ाया गया।

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1079 स्वीकृत पदों में से 668 न्यायाधीश पदासीन थे, जिसमें न्यायाधीशों के 411 रिक्त पदों को भरा जाना है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 82 महिला न्यायाधीश कार्य कर रही हैं।

3. कुटुंब न्यायालय

- 3.1 सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य में दस लाख से अधिक आबादी वाले किसी शहर या किसी कस्बे वाले हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें। राज्य सरकारें यदि आवश्यक समझें, तो वे राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।
- 3.2 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं – विशिष्ट रूप से परिवार से संबंधित विवादों के समाधान करने के लिए शीघ्रता से एक तंत्र स्थापित करने के माध्यम से एक विशेष न्यायालय का निर्माण करना, एक सस्ता उपाय प्रदान करना, और कार्यवाहियों के संचालन में एक अनौपचारिक माहौल प्रदान करना है।
- 3.3 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक–बार के अनुदान के रूप में 10.00 लाख रुपए और गैर योजना के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में वर्ष में 5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया है। वर्ष 2012–13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायपलिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करने के संघटक को शामिल किया गया है। 25 राज्यों में 729 कुटुंब न्यायालय कार्यात्मक हैं।

4. त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स)

राज्य सरकारों द्वारा अपनी जरूरतों और संसाधनों के अनुसार उच्च न्यायालयों के परामर्श से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (एफटीएससी) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि से संबंधित मामलों के लिए 1800 त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) की सिफारिश की है और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे डेवोल्यूशन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए बढ़े हुए धन का उपयोग करें। 20 राज्यों में 859 एफटीसी कार्य कर रहे हैं।

5. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालय

अश्वनी कुमार बनाम संघ सरकार (2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 699) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आपराधिक मामलों का शीघ्रता से विचरण और निपटान करने के लिए 10 विशेष न्यायालय (दिल्ली में 02 विशेष न्यायालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 1-1) कार्य कर रहे हैं।

6. आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन

न्याय विभाग को 23.05.2019 को आईएसओ 9001: 2015 मानकों (उन्नत संस्करण) से प्रमाणीकृत किया गया है, जो 16.04.2022 तक वैध है। जुलाई, 2020 में वार्षिक जांच लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

7. विशेष त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स)

7.1 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रावधानों के अनुपालन में सरकार ने बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के शीगर विचारण और निपटान के लिए अगस्त 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। यह योजना जो एक वर्ष के लिए है, दो वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 और 2020-21 में कार्यान्वित होनी है। परियोजना की कुल लागत के 767.25 करोड़ रुपए का अनुमान है, जिसमें केंद्र का अंश 474 करोड़ रुपए है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सू-मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-1/2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 के निदेश को दृष्टिगत रखते हुए पोक्सो अधिनियम के मामलों के विचारण के लिए इस योजना के तहत 1023 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में से विशेषकर ऐसे जिलों में, जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) से संबंधित मामलों का लंबन 100 से अधिक है, 389 विशेष पोक्सो कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है।

7.2 उन 31 पात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में से जहां 65 और इससे अधिक लंबित मामलों की सूचना है, 28 इस योजना में शामिल हो गए हैं। 363 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित पहचान किए गए 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 2019-20 में 140 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर, 2020 तक 89.71 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30.11.2020 तक 335 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 630 एफटीएससी कार्यरत हैं। राज्यों से शेष एफटीएससी/विशेष पोक्सो न्यायालयों को स्थापित करने और उन्हें कार्यरत बनाने और उन्हें चालू करने के लिए बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

8.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित

एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैंपस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसंचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोर्ट प्रबंधन तथा न्याय प्रशासन का अध्ययन करने, कोर्ट प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों तथा अनुसंधान का आयोजन करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य, देश में राष्ट्रीय न्यायपलिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना रहा है।

- 8.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बाडी) के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यकारी समिति की शासी परिषद (गर्वनिंग काउंसिल) और शैक्षिक परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को कुल 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए कुल 32 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

9. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास करने के लिए राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत, देश भर में अब तक 18,735 अदालतों को सॉफ्टवेयर अनुरूपता और अंतर-प्रचालनीयता के साथ कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (दिसंबर, 2020 तक) ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए 156.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

10. वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) कनेक्टिविटी

ई-कोर्ट परियोजना के तहत वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना का उद्देश्य ओएफसी, आरएफ, वीसैट जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। अब तक 2992 साइटों में से 2931 साइटों को (98% साइटों को पूरा करते हुए) 10 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की गति के साथ चालू किया गया है। ये ई-कोर्ट परियोजना का आधार है, जो पूरे देश भर में अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। न्याय विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़े हुए भार को देखते हुए, निर्बाध डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों को दर्ज करने और वैन (WAN) बैंडविड्थ की क्षमता का उन्नयन करने के लिए एक मानकीकृत प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

11. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

केस इन्फोर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) ई-कोर्ट सेवाओं का आधार है। यह सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है।

वर्तमान में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

हर एक मामले को एक विशिष्ट पहचान कोड प्रदान किया गया है जिसे सीएनआर नंबर और क्यूआर कोड कहा जाता है। इससे न्यायिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक नई संचार प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का विकास हुआ है।

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड का उपयोग करते हुए वकील और वादीगण आज लोचदार खोज तकनीक के साथ 17.90 करोड़ मामलों की स्थिति की जानकारी और 13.36 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों को देख सकते हैं। यह पोर्टल, कोर्ट पंजीकरण, वाद-सूची, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय के विवरण से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। अब देश के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान की गई है। यह मामलों के लंबन (केस पेंडेंसी) की पहचान करने, उनका प्रबंधन करने और उनमें कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में मामले के निपटान में देरी का कारण दिखाने के लिए एक सुविधा (फीचर) को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसीबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) प्रदान किया गया है, जिससे वे आसानी से विभागीय आईडी और एक्सेस का उपयोग करते हुए एनजेडीजी डेटा का उपयोग कर सकें। इससे संस्थागत वादियों को अपने मूल्यांकन और निगरानी उद्देश्यों के लिए उनकी एनजेडीजी डेटा तक पहुँच हो सकेगी।

12. आभासी न्यायालय (वर्चुअल कोर्ट्स)

नौ वर्चुअल कोर्ट स्थापित किए गए हैं – दिल्ली में (2 कोर्ट), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र) कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गोहाटी (অসম) और बैंगलुरु (कर्नाटक) में एक-एक। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में आने वाले लोगों की उपस्थिति को कम करना है। न्यायिक अदालत को किसी आभासी न्यायाधीश (जो एक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक एलारिथ्म होता है) द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और पूरे सातों दिन चौबीसों घंटे काम हो सकता है। 08.12.2020 की स्थिति के अनुसार इन अदालतों ने 35,02,896 मामलों को देखा है और 130.72 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। नवंबर, 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने “डिजिटल नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम – न्यायालय परियोजना कार्यान्वयन मार्ग–निर्देश” जारी किए हैं और नेगोशिएट इन्स्ट्रूमेंट्स अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए शीघ्र ही 34 आभासी न्यायालयों के परिचालन की उम्मीद है। इस प्रकार के न्यायालय पेपरलैस होने के अलावा पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जिससे न्यायिक जनशक्ति की बचत होती है और नागरिकों की सुविधा में इजाफा होता है।

13. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा है क्योंकि भौतिक सुनवाई और जमावड़ा प्रकार में सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 31.12.2020 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 39,56,840 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 15,90,918 मामलों की सुनवाई की (कुल 55.47 लाख)। लॉकडाउन अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में लगभग 32,000 सुनवाई हुईं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई अदालती सुनवाई को कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान की। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 5 न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था ताकि वे स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने के बाद उसे अपना सकें। अब तक इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 12 उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। एनआईसी द्वारा नवीनतम सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा के साथ उन्नत क्लाउड-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है। "आत्म निर्भर एप चौलेंज" के भाग के रूप में भारत में निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उनका उपयोग करने के लिए उनकी जांच चल रही है। प्रत्येक तालुक रस्तर की अदालतों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा 14,443 कोर्ट रुमों के लिए अतिरिक्त वीडियो उपकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिनों को स्थापित करने और 1200 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। 3240 कोर्ट परिसरों और उनसे संबंधित 1272 ज़ेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं पहले से ही संचालित की गई हैं।

14 ई-फाइलिंग एवं ई-सेवा केंद्र

ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 1.0) को कानूनी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तैयार किया गया है। इससे वकील किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटों मामलों से संबंधित दस्तावेजों को देख और अपलोड कर सकते हैं, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आना अनावश्यक हो जाता है। इसके अलावा, ई-फाइलिंग आवेदन में दर्ज मामले के विवरण सीआईएस सॉफ्टवेयर में आ जाता है और इसलिए गलतियाँ होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। उन्नत संस्करण 2.0 और 3.0 भी तैयार किए गए हैं जो उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल हैं और इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जैसे एडवोकेट्स पोर्टफोलियो, एडवोकेट क्लर्क एंट्री मॉड्यूल, कलेंडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण। मसौदा ई-फाइलिंग नियमों को तैयार किया गया है और उन्हें उच्च न्यायालयों में परिचालित किया गया है, ताकि वे उन्हें अपना सकें। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन्नत ई-फाइलिंग संस्करण 3.0 भी विकसित किया है जिसे अब पायलट आधार पर शुरू किया गया है और इसका अंतिम सुरक्षा ऑडिट चल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण करने वाले वकीलों और वादियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से वाणिज्यिक न्यायालयों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए वकीलों और वादिगणों को ई-फाइलिंग सेवाएँ प्रदान करके ई-सेवा केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को कवर करते हुए, इसे सभी न्यायालय परिसरों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। ई-सेवा केन्द्रों को उन वकीलों या वादीगणों की सुविधा के उद्देश्य से न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वारों पर स्थापित किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है।

15 ई-भुगतान

मामलों की ई-फाइलिंग के लिए कोर्ट फीस की ई-पेमेंट करने हेतु सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें कोर्ट फीस, जुर्माना और अर्थ दंड शामिल होता है जो सीधे समेकित निधि के लिए देय होते हैं। मामलों की

ई-फाइलिंग के लिए अदालती शुल्क का ई-भुगतान करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जेजजचेरू / चंल.मबवनतजे.हवअ.पद के माध्यम से न्यायालय शुल्क, जुर्माना, दंड और न्यायिक जमाओं का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया गया है। न्यायालय शुल्कों और अन्य नागरिक भुगतानों का इलेक्ट्रोनिक रूप से संग्रहण करने की शुरूआत करने के लिए मौजूदा राज्य शुल्क अधिनियम में उचित संशोधन करने की आवश्यकता होती है। 21 राज्यों ने पहले ही कोर्ट फीस अधिनियम में संशोधन कर दिया है।

16 ई-कोर्ट सेवाएँ

वकीलों/वादीगणों को एसएमएस भेजने और प्राप्त करने (प्रतिदिन 35000 एसएमएस भेजे जाते हैं), ई-मेल (प्रतिदिन 3,50,000 ई-मेल भेजे जाते हैं) बहुभाषी और स्पष्ट ई-कोर्ट सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट्स), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना क्योस्क के माध्यम से मामले की रिथिति, वाद सूचियों, निर्णयों आदि के बारे में तात्कालिक (रियल-टाइम) जानकारी प्रदान करने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के लिए एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय ई-ताल पर जो ई-कोर्ट सेवाओं का पोर्टल है, 7 प्लेटफार्म बनाए गए हैं। पिछले एक वर्ष में 353 करोड़ ट्रांजेक्सन दर्ज किए हैं, जिससे यह पिछले एक वर्ष में एक प्रमुख मिशन प्रोजेक्ट बन गया है। इसके अलावा, वकीलों के लिए मोबाइल एप (आज तक 51.1 लाख एण्ड्रोइड और 6.01 लाख) प्लै डाउनलोड और जजों के लिए श्रनेजै एप (आज तक 14,193 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) सृजित किए गए हैं।

17 नेशनल सर्विस एड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसज (छैज्म्डच)

सम्मनों की तामील करने और उन्हें जारी करने की तकनीक सक्षम प्रक्रिया के लिए नेशनल सर्विस एड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसज (छैज्म्डच) शुरू की गई है। अधिक सक्षमता और प्रक्रियाओं के शीघ्र वितरण के लिए सम्मन की तालीम के लिए बोलीफ को एक जीपीएस सक्षम डिवाइस दिया जाता है। यह सम्मनों के तालीम के समय में प्रक्रिया सर्वर के भौगोलिक निर्देशांकों पर नजर रखने के अलावा सम्मन की तालीम के तत्कालिक (रियल टाइम) स्थिति का अद्यतन ब्यौरा भी प्रदान करता है।

18 कोविड-19 सॉफ्टवेयर पैच :

कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और कोर्ट यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह उपकरण मामलों के स्मार्ट निर्धारण में मदद करेगा जिससे न्यायिक अधिकारियों वाद-सूची में तत्काल प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करने और उन मामलों को स्थगित करने में मदद मिलेगी जो जरूरी नहीं है। हितधारकों की सुविधा के लिए इस पैच की एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी जारी की गई है।

19 जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) :

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए 18 उच्च न्यायालयों में न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) नामक एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड प्रणाली स्थापित की गई है। न्याय घड़ी का उद्देश्य न्याय क्षेत्र के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, विभाग की विभिन्न योजनाओं को विज्ञापित करना और लोगों को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराना है।

20 आईईसी अभियान

ई-समिति के लिए विशेष रूप से एक वेबसाइट शुरू की गई है। यह वेबसाइट सभी हितधारकों के लिए ई-कोर्ट परियोजना से संबंधित जानकारी को प्रसारित करती है। इसमें उच्च न्यायालयों के लिए अपनी

उपलब्धियों और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपलोड कर सकने का प्रावधान किया है। ई-समिति की वेबसाइट को न्याय विभाग की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है।

वर्तमान में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइटें झूपल फ्रेमवर्क का उपयोग करके काम कर रही हैं, जिसे 5 वर्ष से भी अधिक समय पहले बनाया गया था। झूपल अवसंरचना को उस नवीनतम “3^० फ्रेमवर्क के साथ अपग्रेड किया जा रहा है जिसे एनआईसी द्वारा थै तकनीकों का उपयोग करके सृजित किया गया है।

वकीलों में ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इससे परिचित बनाने की दिशा में जून 2020 के दौरान तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली की बार काउंसिलों के लिए ई-फाइलिंग पर वेबिनार्स आयोजित किए गए थे, जिन्हें 19000 से अधिक लोगों ने देखा। ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ई-फाइलिंग तैयार किया गया है, जिसे अधिवक्ताओं और वादियों के उपयोग के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इसे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है। वकीलों के उपयोग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर “ई फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें” के बारे में एक विवरणिका उपलब्ध कराई गई है। इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है। जागरूकता अभियान के भाग के रूप में, ई-कोर्ट्स सेवाओं के नाम से एक यू-ट्यूब चौनल बनाया गया है, जहां हितधारकों तक बड़ी पहुँच बनाने के लिए ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए गए हैं। 7 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-फाइलिंग पर 12 सहायता वीडियो तैयार किए गए हैं और जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत उन्हें अधिवक्ताओं के लिए परिचालित किया गया है। उक्त वीडियो, ई-कमेटी यू-ट्यूब चौनल के माध्यम से ई-फाइलिंग पोर्टल हेल्प डेस्क और सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। ई-फाइलिंग सेवाओं के तहत ई-फाइलिंग और ईसीएमटी टूल पर अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले शुरू किया जा चुका है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो परिणामस्वरूप पहले ही देश-भर में 461 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। ये 461 मास्टर ट्रेनर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं के लिए देश के प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम दे चुके हैं और वे मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी करेंगे।

21. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन

21.1 उद्देश्य : प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुँच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी। इस मिशन में न्यायिक प्रशासन में मामलों के बकाया और उनके लंबन को चरणबद्धरूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्याबल में वृद्धि करना अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

21.2 सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और कार्य योजना तथा इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्षय विधि और न्याय मंत्री, आंध्र प्रदेशय विधि,

न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू और कश्मीर भारत के अटॉर्नी जनरल अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग द्वारा विधि कार्य विभाग द्वारा विधायी विभाग द्वारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के महासचिव द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं। न्याय विभाग के सचिव इस सलाहकार परिषद के संयोजक हैं। पाँच रणनीतिक पहलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मिशन की एक कार्य योजना तैयार की गई थी, जिनकी समय-समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है। सलाहकार परिषद की बैठक छह महीने में एक बार होती है। अब तक सलाहकार परिषद की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं।

21.3 अधीनस्थ न्यायपालिका

संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 21.12.2020 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 24225 है। न्यायिक अधिकारियों के भरे हुए और खाली पदों की संख्या क्रमशः 19345 और 4880 है।

21.4 न्यायालयों में लंबित मामले

देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति (31.12.2020 को) नीचे दी गई है रु

उच्चतम न्यायालय	64426
उच्च न्यायालय	56,18,513
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,63,75,984

वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित कुल दीवानी और आपराधिक मामलों से संबंधित त्रैमासिक आँकड़े, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आँकड़े (डेटा) प्रदान करता है। एनजेडीजी को वर्ल्ड बैंक ऑफ इंज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में सराहना प्राप्त हुई है।

आपराधिक और दीवानी मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। सिविल विचारणों के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष को दिए जाने वाले स्थगनों की संख्या को सीमित करना, ई-मेल के माध्यम से सम्मन की तामील करने की अनुमति देना, उन मामलों में वाद को खारिज करने के लिए उपबंध करना, जहां लागत का भुगतान करने में वादी की विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिए जाते हों, और प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने की समय सीमा को सीमित करने के उपबंध करना शामिल हैं। इसी तरह, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (ब्ट च६.) में कई संशोधन किए गए हैं। इनमें अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 का संशोधन करना, शमनीय अपराधों की सूची को युक्तिसंगत बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 का संशोधन करना, सौदा अभिवाक पर एक नए अध्याय-ग्रप्क को अंतर्वेशित करना, उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए धारा 436को अंतर्वेशित करना, जो अधिकतम कारावास का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं य और आपराधिक मामलों में ऑडियो/वीडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देना शामिल है।

21.5 विश्व बैंक की 'डुइंग बिजनेस रिपोर्ट' के संविदा संकेतक प्रवर्तन के तहत सुधार

विश्व बैंक डुइंग बिजनेस रिपोर्ट, 11 संकेतकों पर उन विनियमों को मापती है जो व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और जो इसमें बाधा बनते हैं। न्याय विभाग, संविदा संकेतक प्रवर्तन (इन्फोर्सिंग कॉट्रैक्ट इंडिकेटर) के लिए नोडल विभाग है। संविदा संकेतक प्रवर्तन में किसी भी देश के प्रदर्शन को किसी वाणिज्यिक विवाद के निपटान के लिए, लिए गए समय, किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने में शामिल लागतय वाणिज्यिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और वाणिज्यिक अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं की गुणवत्ता के प्रति मापा जाता है।

इस विभाग ने सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विधि कार्य विभाग, उच्च न्यायालय, दिल्ली, बंबई, और कलकत्ता तथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के विधि विभागों और उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से सदस्यों के साथ एक कार्यबल (टास्क फोर्स) बनाया है। इस कार्यबल ने अब तक 11 बैठकें की हैं। इन्फोर्सिंग कॉट्रैक्ट के तहत सुधारों को कार्यान्वित करने में सरकार और भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत की रैंक में सुधार आया है, जो वर्ष 2014 के 186 स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में 163वें स्थान पर आ गई है। 23 स्थानों की यह छलांग पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के कारण संभव हो पाई है।

संविदा संकेतक प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कॉट्रैक्ट इंडिकेटर्स) में निम्नलिखित मापदंडों को मापा जाता है रू

- क. व्यावसायिक मामलों के लिए समय का अनुमान : इसमें फाइलिंग और सेवा चरण, विचारण और निर्णय चरण और निर्णय चरण को लागू करने के दौरान लिया गया समय शामिल होता है।
- ख. वाणिज्यिक मामलों के लिए लागत अनुमान : इसमें, अटॉर्नी की फीस, कोर्ट की फीस (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ की फीस और एन्फोर्सिंग फीस शामिल होती है।
- ग. न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता : इसमें कोर्ट संरचना और कार्यवाही, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल होता है।

21.6 इस वर्ष में संविदा संकेतक को लागू करने में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

विभाग ने वाणिज्यिक विवादों को तेजी से हल करने और ऐसंविदाओं को लागू करनेष की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष और संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए निम्नलिखित चरणों को आगे बढ़ाया है और न्यायपालिका के सहयोग से इन चरणों को संस्थागत रूप दिया है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है:

- i. वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2018 में संशोधित) को पुरास्थगित किया, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई में जिला स्तर पर ऐसमर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना हुई। इन वाणिज्यिक अदालतों में हल किए जाने वाले वाणिज्यिक मामलों का निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। इन न्यायालयों के पास विशेष अधिकारिता के साथ-साथ विशेष जनशक्ति भी होती है। दिल्ली में 22 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं य मुंबई में 4 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं य बंगलुरु में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं और 7 और समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का शीघ्र

गठन किया जाना है और कलकत्ता में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं और 2 और समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया जाना है। सरकार द्वारा पुरःस्थापित इस संरचनात्मक सुधार का उद्देश्य वादकारियों और वकीलों के लिए तेजी से वाणिज्यिक विवादों का निपटान करने को सुगम बनाना है और साथ के साथ कोर्ट निवेशकों में विश्वास पैदा करना है।

- ii. वाणिज्यिक मामलों के उचित और निष्पक्ष न्यायनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर सरकार, ई-कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना के तहत न्यायिक पारदर्शिता और अदालती स्वचालन को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक मामलों के व्यावृच्छिक और स्वचालित आवंटन को शुरू किया गया है। समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में दर्ज किए गए सभी नए वाणिज्यिक मामले नवीनतम केस इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीआईएस 3.2) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित और यादृच्छिक रूप से न्यायाधीशों को आवंटित किए जाते हैं। सरकार का यह डिजिटल सुधार जिनका पहले अभाव था, न्यायाधीशों के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने पर केन्द्रित है, जो फेसलेस, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से मामलों का आवंटन करती हो। इससे न केवल बिजनेस करने में सुगमता (डूइंग बिजनेस) में सुधार हुआ है बल्कि यह एक पेपरलेस और पर्यावरण हितैषी कोर्ट प्रक्रिया में भी सहायक हुई है।
- iii. सरकार द्वारा पुरःस्थापित वाणिज्यिक आदेश अधिनियम, 2015 के सीपीसी आदेश XV-के तहत “केस मैनेजमेंट हियरिंग या प्री-ट्रायल कॉन्फ्रेंस सुविधा” को इस सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु और कलकत्ता में सभी वाणिज्यिक मामलों के लिए चालू किया गया है। इसे विचारण से पहले आयोजित किया जाता है और इससे विवादास्पद मुद्दों/साक्ष्यों के प्रश्नों में कमी आती है, विचारण प्रक्रिया में भी तेजी आती है और किसी भी देरी की रणनीति को हतोत्साहित होती है। इसका उद्देश्य मुकदमे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके मामले के निपटान में तेजी लाना है, इस प्रकार मुकदमों के साथ-साथ वकीलों को लाभ पहुंचाना है।
- iv. प्रधानमंत्री के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए, जो पिछले 4 वर्षों में एक जन आंदोलन बन गया है, संविदा प्रवर्तन संकेतक के तहत की गई पहलों में सुपरिष्कृत प्रयास किए गए हैं जैसे कि “ई-फाइलिंग की सुविधा”。 ई-फाइलिंग ने मामलों के दर्ज होने को रियल टाइम और ऑनलाइन बना दिया है जिसका अर्थ है वकील द्वारा मामलों को घर या किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटे (24x7) दर्ज कराया जा सकता है। भारत में अदालतों के समक्ष मामले दायर करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान को अपनाकर ई-फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देना और समय और लागत बचत की सार्वथ्य को सृजित करना है।
- v. “ई-सम्मनस”, ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मन जारी करने और सम्मन भेजने की प्रक्रिया है, जिसके बाद एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है जो ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है जो दिल्ली और मुंबई न्यायालयों में पूरी तरह से चालू है। सरकार के डिजिटल इंडिया के दर्शन के अनुरूप इस अग्रणी पहल से विवादों में पक्षकारों को स्वचालित रूप से सम्मन भेजने से समय और संसाधनों की बचत होगी।
- vi. सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरःस्थापित किया जिससे

वाणिज्यिक मामलों के घस्थित –पूर्व मध्यस्थता और निपटाना (प्री–इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) की परिवर्तनकारी नीतिगत पहल की शुरुआत हुई है, जिसमें किसी जरूरी अन्तरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है और यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनलबद्ध विषय के अनुभवी मध्यस्थतों द्वारा किया जाता है। घस्थित –पूर्व मध्यस्थता और निपटाना (प्री–इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) नियम, 2018 (2020 में संशोधित) को अधिसूचित किया गया है। इसके कारण विवादों का परिहार हुआ है और वाणिज्यिक अदालतों में मुकदमों में कमी आई है। इसके अलावा, इसने अनुबंध प्रवर्तनीयता व्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है।

- vii. डिजिटल इंडिया और ई-कोर्ट्स परियोजना का विजन देश की न्यायिक प्रणाली को आईसीटी से युक्त अदालतों द्वारा सक्षम बनाना है। न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से बढ़ाने के लिए न्यायिक वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाते हुए छलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) पेश किया गया है। यह न्याय वितरण प्रक्रिया और कोर्ट प्रबंधन को बेहतर और कुशल बनाते हैं और ई-कोर्ट्स सेवा वेब पोर्टल, ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप और श्रेनजै डवइपसमाचरण के माध्यम से उपलब्ध हैं। न्यायाधीश और वकील कहीं से भी और कभी भी, ई-कोर्ट सर्विसेज वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों तक पहुँच बना सकते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स का एकीकरण किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में एंफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- viii. जस्टिस एप, न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत के न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया है। यह वर्तमान समय में सूचीबद्ध हुए मामलों, अद्यतित मामलों, संस्थान द्वारा प्राप्त मामलों, पिछले महीने में स्थानांतरण द्वारा प्राप्त मामलों और वर्तमान महीने में लंबित और निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या की एक त्वरित झलक देता है। ई-कोर्ट्स एप का उद्देश्य वकीलों और वादियों को शीघ्र और सटीकता के साथ मामले की जानकारी प्रदान करके न्यायिक उत्पादकता और कार्य की गति को बढ़ाना है।
- ix. सरकार ने माना है कि उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के समाधान की एक प्रभावी और तेज प्रणाली को शीघ्रता से स्थगित करने के लिए विशेष मंचों की आवश्यकता है। 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की गई है।
- x. सरकार ने यह महसूस किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 हमारे देश में तेजी से हो रहे आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं है। अतः सरकार ने विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरास्थापित किया है। इस संशोधित अधिनियम की धारा 20ख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना करना अनिवार्य है। वर्तमान में, 22 उच्च न्यायालयों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। कलकत्ता, कर्नाटक, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में विशिष्ट दिन आवंटित किए हैं ताकि ये न्यायालय ऐसे दिनों में बुनियादी ढांचे की संविदाओं के लिए समर्पित अदालतों के रूप में कार्य कर सकें।

22. न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन योजना

22.1 रथायी वित्त समिति के अनुमोदन के साथ न्याय विभाग द्वारा सितंबर, 2013 में न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन की एक प्लान योजना को तैयार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना है। अब तक इस योजना के तहत 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 33 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्रवाई योग्य बिंदुओं को संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित विचार हेतु भेज दिया गया है।

23. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

23.1 **उद्देश्य और कार्य क्षेत्र :** राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है।

23.2 इस योजना के शुरू होने से लेकर, केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 7975.81 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 2014–15 से लेकर 31.12.2020 तक 4531.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है (57.13:), जिसमें 2019–20 में 982.00 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। 31 दिसंबर, 2020 तक, उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 19,966 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, 2,827 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे। दिसंबर, 2019 तक उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 19,345 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यकारी संख्या के साथ यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाए, तो न्यायिक जनशक्ति की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष/कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। 2014–15 से लेकर 31.12.2020 तक 3,985 कोर्ट हॉल और 2,587 रिहायशी आवास निर्मित/पूरे किए गए, जिनमें से वर्ष 2020–21 में 192 कोर्ट हॉल और 126 रिहायशी आवासों का निर्माण किया गया है। अब कोर्ट रूमों/कोर्ट हॉलों की उपलब्धता को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 24,225 न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बराबर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 31 दिसंबर, 2020 तक, 17,752 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं और 1,858 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं।

23.3 योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 2018–19 से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों में भारित मानदंड (वेटेज क्राइटरिया), शामिल हैं, जो एक वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसे इस योजना के तहत धन के अंतर-राज्यीय वितरण के लिए वर्ष 2018–19 से अपनाया गया है। ये मानदंड, 4 मापदंडों पर आधारित हैं, अर्थात् (i) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले कोर्ट हॉल की संख्या, (ii) राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले आवासीय इकाइयों की संख्या (iii) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में

न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की पदस्थ संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और इससे अधिक पुराने मामलों का लंबन। इस तरह के मानदंडों के आधार पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के अस्थायी आवंटन के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष की शुरु में सूचित किया जाता है, ताकि वे तदनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें।

- 23.4 न्याय विकास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप वर्जन 2.0, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र की तकनीकी सहायता से एक ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए ज्याय विकास नाम का वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसे 11 जून, 2018 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। राज्य सरकारों ने चल रही और पूरी की गई योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और आंकड़ों/सूचना को दर्ज और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए सर्वेयर और माडरेटर नामांकित किए हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव और अवलोकनों के आधार पर न्याय विकास पोर्टल और मोबाइल ऐप को उन्नत किया गया है और वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है और यह 1.04.2020 से कार्य कर रहा है। सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज कर रहे हैं और भू-टैगिंग वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल में दर्ज परियोजनाओं की कुल संख्या 1909 है, जिसमें 1000 पूरी हो चुकी और 824 निर्माणाधीन और 85 प्रस्तावित परियोजाएँ भी शामिल हैं। 1521 परियोजनाओं को जियो-टैग किया गया है।

24. ग्राम न्यायालय

- 24.1 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, 2 अक्टूबर, 2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम में नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर इस अधिनियम की एक प्रति रखी गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) के संदर्भ में, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के किसी समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं, जहां किसी राज्य में सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि, राज्य सरकारों से समय-समय पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

- 24.2 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 राज्यों द्वारा 402 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें से 225 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के लिए आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर-आवर्ती सहायता, वित्तीय सीमा के अधीन है, जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में दिया गया है। केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित करने की लागत के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की एकबार की सहायता के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपए (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्षों की अवधि के लिए

आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपए की राशि शामिल है। 10 दिसंबर, 2020 तक, राज्यों को 72.38 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 2020–21 में 3.78 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। विवरण नीचे दिया गया है रु

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	कर्नाटक	2	2	25.20
4	उड़ीसा	22	16	337.40
5	महाराष्ट्र	39	24	497.62
6	झारखण्ड	6	1	75.60
7	गोआ	2	0	25.20
8	पंजाब	9	2	25.20
9	हरियाणा	3	2	25.20
10	उत्तर प्रदेश	113	14	1323.20
11	केरल	30	30	828.00
12	आंध्र प्रदेश	42	0	378.00
	कुल	402	225	7238.00

25. दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी)

भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 643/2015 में अपने दिनांक 09–05–2017 के आदेश द्वारा भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों, परिलक्षियों और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए दूसरा राष्ट्रीय वेतन आयोग स्थापित किया गया है। तदनुसार, (सेवानिवृत्) श्री न्यायमूर्ति पी. वेंकटरामा रेण्टी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक वेतन आयोग नियुक्त करने का निदेश दिया है।

फरवरी 2020 में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) ने भारत के उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट की एक प्रति न्याय विभाग को भी भेजी। 28.02.2020 को उच्चतम न्यायालय ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक सिफारिश के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, दर्ज करने का निर्देश दिया। 22.06.2020 को भारत संघ की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र फाइल किया गया था। अब यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

26. मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

रबात में 24.07.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय और मोरक्को के किंगडम की न्यायिक शक्ति की सर्वोच्च परिषद के बीच न्यायिक क्षेत्र के सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

27. शिकायतों का निवारण

न्याय विभाग को ब्लॉटर्डे पोर्टल के माध्यम से नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें सीधे ऑनलाइन से प्राप्त होती हैं। वर्ष के दौरान 9377 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस दौरान, 9639 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होने वाले 20 विभागों में से एक विभाग के रूप में आँका गया है। इसके अलावा, डाक विभाग से भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, शिकायत धारकों/नागरिकों की जानकारी/मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट www-doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

28 न्याय तक पहुँच

संवैधानिक अधिदेश

भारत के संविधान की उद्देशिका में भारत के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने को सबसे महत्वपूर्ण परिदेयों में से एक परिदेय के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 14, 21 और 39क में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर न्याय विभाग ने न्याय तक पहुँच के अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक आवश्यकता के आधार पर, स्थानीय और प्रासंगिक तरीके से लोगों की कानूनी सहायता तक पहुँच बढ़ाने और उनकी कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें/परियोजनाएं शुरू की हैं।




29. न्याय तक पहुँच के तहत कार्यक्रम :


- 29.1 टेली-लॉ : दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुँच के वर्ष 2017 में शुरू किए गए कार्यक्रम में वर्ष 2020–21 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। पैनल वकीलों के समर्पित पूल द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग/टेलीफोन सुविधा के माध्यम से समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए तैयार इस कार्यक्रम से 5,26,132 लाभार्थियों को, जिसमें 1,60,317 महिलाएं, 1,16,267 अनुसूचित जाति, 95,254 अनुसूचित जनजाति और 1,58,596 पिछड़ा वर्ग से लाभार्थी शामिल हैं, सलाह दी गई है।
- 29.2 वर्तमान में 115 आकांक्षी जिलों सहित देश के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 285 जिलों को कवर करते हुए 29,860 कॉमन सर्विस सेंटरों में चल रहे इस कार्यक्रम ने महामारी के इस कठिन समय में नागरिकों के लिए अपनी अपार क्षमता, शक्ति और उपयोगिता को साबित किया है। इस अवधि के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों तक सेवाओं के सुगम उपयोग को सक्षम करने के लिए विशेष हस्तक्षेप किए गए।
- 29.3 टेली-लॉ पर ई-ब्रोशर और पैम्पलेट्स तथा टेली-लॉ मोबाइल एप के उपयोग पर ई-टच्यूटोरियल बनाए गए हैं, जिनका 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन्हें टेली-लॉ पब्लिक पोर्टल पर अपलोड किया गया है। रेडियो जिंगल को (22 भाषाओं में अनुदित) 285 जिलों में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया था। घॉइसेस ऑफ द बेनीफिसियरीज शीर्षक से एक ई-बुक लेट जारी की गई थी जिसमें वास्तविक जीवन की कहानियां और टेली-लॉ कार्यक्रम के

तहत प्राप्त लाभों का उल्लेख किया गया है।

- 29.4 समर्पित टेली-लॉ डैशबोर्ड पर लिए जा रहे टेली-लॉ डेटा को अब प्रयास डैशबोर्ड पर भेजा जाता है, जिससे भारत सरकार के चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण पहलों की समीक्षा और उच्च स्तर की निगरानी के लिए सुविधा प्राप्त होती है।



राज्यवार विवरण



जिलावार विवरण

30. न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवाएँ)

(प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) 2017 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम देश भर में प्रो-बोनो की संस्कृति को बढ़ाने के लिए विभाग की पहल है। वित्तीय वर्ष 2020–2021 में निम्नलिखित सहायक उपाय किए गए हैं।

- 30.1 न्याय बंधु एप्स (एंड्रॉइड और आईओएस) अनुप्रयोग को निशुल्क सेवा देने वाले अधिवक्ताओं (प्रो-बोनो एडवोकेट्स) का एक डाटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। 71वें संविधान दिवस की पूर्व सं/या में न्याय बंधु (आईओएस संस्करण) को लॉन्च किया गया और इसे उमंग पर, जो 2.0 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है, होस्ट किया गया। इस कार्यक्रम के तहत तब तक 2292 वकीलों ने पंजीकरण कराया है।

The banner features the text "Nyaya Bandhu App" at the top left, the Indian National Emblem, and the text "DEPARTMENT OF JUSTICE" at the top right. Below this, a large smartphone icon displays the Nyaya Bandhu app's home screen, which includes the app's logo, the Indian National Emblem, and two profile pictures of men.

- उच्च न्यायालयों में प्रो-बोनो पैनल को प्रो-बोनो अधिवक्ताओं का राज्यवार विशिष्ट विकेंद्रीकृत पूल प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों की सहायता से तैयार किया गया है।



- 30.3 प्रो-बोनो क्लब योजना को प्रो-बोनो के बारे में युवाओं में एक समझ और सोच पैदा करने और गवेषणा करने और कानूनी मसौदा तैयार करने में पंजीकृत प्रो-बोनो अधिवक्ताओं की सहायता के लिए तैयार किया गया है।

- 30.4 न्याय विभाग ने उच्च न्यायालयों और राज्य बार काउंसिलों से न्याय बंधु आईसी सामग्रियों को उनके नेटवर्क के भीतर प्रसारित करने के माध्यम से प्रसारित करने में सहयोग का भी अनुरोध किया है। देशभर में उच्च न्यायालयों और बार काउंसिलों में 22 क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 7.2 लाख न्याय बंधु पम्पलेट भेजे गए हैं।



31. पूर्वोत्तर और संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पहल

2012 से, न्याय विभाग की पूर्वोत्तर और संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए न्याय तक पहुँच की परियोजना (एक्सेज टु जस्टिस एनईजेकेट प्रोजेक्ट) समाज के हाशिये पर पड़े और कमजोर वर्गों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने, न्याय वितरण प्रणालियों और विधिक सेवाओं के प्राधिकरण की क्षमता में सुधार करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय पहल शुरू करने में सहायक है। ध्यान दिए जाने को क्षेत्रों में कानूनी सहायता, जागरूकता और विधिक साक्षरता शामिल हैं।



- 31.1 ऐसे 158 कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं जहां पैनल वकील और अर्ध विधिक स्वयंसेवक, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से 33,556 (कमजोर वर्ग से संबंधित) लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।
- 31.2 लोगों को जागरूक करने के लिए गाँव/ब्लॉक स्तर पर कुल 1156 सत्र आयोजित किए गए हैं जिसमें समुदाय के 1,09,596 सदस्यों ने भाग लिया है। इसके साथ ही, पंचायती राज कर्मियों के लिए 13306, ग्राम प्रधानों (गाँव बूरास और गाँव बुरीस) के लिए 884 और 1454 प्रेरकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्यों में 1000 प्रमुखों के लिए 20 विधिक साक्षरता प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए।
- 31.3 समाज कल्याण के 69 कानूनों के बारे में आईसी सामग्री को 23 बोलियों/भाषाओं में विकसित किया गया और उनका अनुवाद किया गया है। सुदूर क्षेत्रों में वंचितों और हाशिये पर पड़े लोगों के बीच 8,30,900 प्रतियां वितरित की गई, जिसके कारण 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कानूनी मदद ली है।

32. नागरिकों के कर्तव्यों पर जागरूकता कार्यक्रम

- 32.1 आम आदमी के जीवन में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए न्याय विभाग तत्वावधान में 26 नवंबर, 2019 से 26 नवंबर, 2020 तक भारत भर में एक वर्ष का जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था। नागरिकों के कर्तव्यों पर जागरूकता कार्यक्रम (सीडीएपी) शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में 48.6 करोड़ नागरिकों, 86 से अधिक मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायपालिका, एनएसएस/एनवार्इके स्वयंसेवकों, भारत-भर में भारतीय नागरिकों और विदेशों में बसे एनआरआई

* अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

ने भागीदारी की। ग्राम पंचायतों के 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच भी यह भागीदारी देखी गई, जहां भारतीय संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रचार-प्रसार के लिए 14,500 विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। 16 राज्यों में 310 जिलों को शामिल करते हुए सीएससी नेटवर्क के तहत 1000 डिजिटल गाँव में किए गए जमीनी स्तर के अभियानों में 4,84,000 से अधिक ग्रामीणों ने भागीदारी की।

32.2 विभिन्न गतिविधियों जैसे ऑन लाइन उद्देशिका को पढ़ना (21.86 लाख), ऑन लाइन शपथ लेना (1.90 लाख), वेबिनार (10,600), विशेष ई-टिकट (14.5 करोड़), सोशल मीडिया (10.95 करोड़) के लिए डिजिटल तंत्रों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए उपयोग किया गया था। न्याय विभाग की वेबसाइट पर प्रोत्साहन देने वाले बहुत से साधनों जैसे ब्रोशर, फ्लायर्स, पोस्टरों, स्टेंडीज, किंवज बैंकों, प्रियंबल वाल्स को उपलब्ध कराया गया है।

33. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

33.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए उपबंध दिए गए हैं और यह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें, जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी यूनीफार्म नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए नीतियाँ और सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

33.2 हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबन्धित विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन करने और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

33.3 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धान्तों, दिशा-निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और लाभकारी योजनाएं बनाता है। मुख्यतया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है रु

- (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना ;

- (ख) विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना य और
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

33.4 निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: –

- (क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;
- (ख) विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना;
- (ग) विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उनकी आपूर्ति करना।
- (घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी
- (ङ) वर्ष के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 7.11 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

33.5. लोक अदालत

33.5.1 विवाद समाधान की वैकल्पिक विधि की सुविधा के लिए नालसा, लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालय में लंबित मामले/विवाद अथवा मुकदमेबाजी से पूर्व के चरण में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्वक किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के निर्णय के खिलाफ कोई अपील, किसी न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती है।

33.5.2 तीन प्रकार की लोक अदालतें हैं, जैसे कि नियमित लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें।

- i. मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद के (प्रि-लिटिगेशन एंड पोस्ट-लिटिगेशन) दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों/समितियों द्वारा राज्य/जिला अधिकारियों की सुविधा/विवेक के अनुसार नियमित लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
- ii. भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक एक ही दिन में (मुकदमेबाजी से पहले के (प्रि-लिटिगेशन) और मुकदमेबाजी के बाद के (पोस्ट लिटिगेशन) दोनों प्रकार के) मामलों के निपटारे के लिए हर तिमाही में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।
- iii. जन सुविधा सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य रूप से मुकदमेबाजी से पहले का तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी लोक अदालतें, स्थायी अधिष्ठापनाएं हैं।

2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

(लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	नियमित लोक अदालत		राष्ट्रीय लोक अदालत निपटाए गए कुल मामलों की संख्या
		देश में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	
1	2016–17	1.19	17.24	96.62
2	2017–18	1.09	19.28	57.31
3	2018–19	1.16	10.46	58.95
4	2019–20	1.02	5.45	52.00
5	2020–21	0.22	4.20	13.44
	कुल	4.68	56.63	278.32

टिप्पणी: निपटाए गए मामलों में वाद से पहले के और वाद के बाद के मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, 2020 के दौरान स्थायी लोक अदालतों की 10748 बैठकें हुई थीं और 17059 मामलों को निपटाया गया था और निपटाए गए मामलों का कुल मूल्य 87.34 करोड़ है।

33.5.4 ई-लोक अदालत

प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अपने उन मामलों के निपटान के लिए लोक अदालतों में आते हैं जो या तो लंबित हैं या वाद से पूर्व (प्रि-लिटिगेशन) चरण में हैं। हालांकि, महामारी के परिदृश्य में जब सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था, तो विवादों का प्रत्यक्ष निपटान करना मुश्किल था। चूंकि अधिकांश ऑफलाइन सेवाएँ बंद रही थीं, इसलिए ऑनलाइन सेवाएँ समय की आवश्यकता बन गईं। इन चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों ने नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया और ई-लोक अदालतों की शुरुआत की।

33.5.5 ई-लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य, महामारी के दौरान इस वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मंच के लिए लोगों की पहुँच में सुधार करना और न केवल लंबित मामलों को अपितु वाद पूर्व चरण के मामलों को सुलझाकर अदालतों बोझ को कम करना था। इनका एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि प्रभावित पक्षों के लिए विवाद समाधान का एक लागत प्रभावी और समय की बचत करने वाले तंत्र को कार्यान्वित किया जाए।

33.5.6 ई-लोक अदालत को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पक्षों के बीच संपर्क और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की सुविधा हो जिससे विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने का अवसर मिल सके। निपटान के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने और पार्टियों के बीच निपटान की सुविधा के लिए लोक अदालत से पहले सत्र आयोजित किए जाते हैं।

33.5.7 मध्य प्रदेश में 27.06.2020 को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था। तब से, देश में 30 ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया है और इन ई-लोक अदालतों के माध्यम से कुल 3,01,410 मामलों का निपटान किया गया है।



33.6 विधिक जागरूकता अभियान

कानूनी अशिक्षा किसी राष्ट्र के संवर्धन और विकास को प्राप्त करने में एक गंभीर चुनौती पैदा करती है जबकि विधिक जागरूकता से व्यक्तियों को विधि के तहत कानून और अपने अधिकारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे समाज में विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की कानूनी अशिक्षा को समाज से मिटाने के उद्देश्य से, विधिक सेवा संस्थान देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करता है और सरकार के विभिन्न कानूनों और लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए 1.46 लाख कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

33.7 विधिक सेवाएँ / सशक्तिकरण शिविर

कानूनी अधिकारिता शिविरों का आयोजन, सूचना की कमी को दूर करने और नागरिकों की उनकी सही हकदारियों तक पहुँच के व्यापक उद्देश्यों के साथ किया गया था। वर्ष के दौरान 1,46,568 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1.94 करोड़ लोगों को कानून के तहत विभिन्न लाभ प्राप्त हुए। उक्त शिविरों में गरीब, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों की पहचान करने और उन्हें कानून और कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध उनके हक से जोड़ने का प्रयास किए गए थे। विधिक सहायता अधिकारियों ने न केवल ऐसे लोगों की पहचान की, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रपत्र भरने और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में भी उनकी मदद भी की।



33.8 प्रशिक्षु (इंटर्नशिप) कार्यक्रम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने विधि के छात्रों के लिए 7 से 29 जनवरी, 2020 और 21 जनवरी से 12 फरवरी, 2020 तक दो बैचों में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया। देश-भर के विभिन्न विधि कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया, जो लगभग 3 सप्ताह की अवधि का था। इस इंटर्नशिप में दो बैचों में कुल 80 छात्रों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ लगभग 10 दिनों के अपने प्रारंभिक कार्य के दौरान इन छात्रों को जेलों/ओब्जर्वेशन होम/झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों/बाल गृहों/न्यायालयों/मध्यस्थता केन्द्रों आदि का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ।

33.9 लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम (एलएडीसीएस)

विधिक सहायता के लिए प्रतिरक्षा काउंसल प्रणाली (लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम) के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आपराधिक मामलों में (पहली बार में सत्र न्यायालयों में) कानूनी सहायता प्रदान की। एलएडीसीएस ने आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरतमंदों को प्रभावी रूप से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत क्षमता बनाने के उद्देश्य से काम किया। प्रत्येक चयनित 17 एसएलएसए में एक जिले में पायलट आधार पर विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउंसल प्रणाली कार्यान्वित की गई है। इसे निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है – आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। वर्ष के दौरान एलएडीसी के माध्यम से जिलों में 17058 सत्र मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की गई है।

33.10 बेहतर वितरण और मानीटरिंग के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के सहयोग से तैयार की गई हैंडबुक ऑफ फॉर्मेट्स : इनस्यूरिंग इफेक्टिव लीगल सर्विसेज जारी की। यह हैंडबुक, लीगल सर्विसेज संस्थानों द्वारा प्रलेखन और रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करते हुए देशभर में कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की नालसा की प्राथमिकता की दिशा में एक कदम है। इस हैंडबुक के दो भाग हैं : पहले भाग, कानूनी सहायता प्रदाता अर्थात् पैनल वकीलों, रिटेनर वकीलों,

रिमांड वकीलों, जेल का दौरा करने वाले वकीलों और पुलिस थानों से जुड़े वकीलों और समुदाय और सिद्धदोष अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के लिए है और दूसरा भाग, फ्रंट ऑफिस, उपस्थिति रजिस्टरों, कलीनिकों और विधिक सेवा संस्थानों और मॉनिटरिंग और मेंटरिंग कमेटी के लिए है। इस हैंडबुक में दिए गए फॉर्मेटों से आंकड़ों का संचयन बढ़ेगा, जिससे नालसा, आंकड़ों से निकलने वाले रुझानों और प्रतिमानों का विश्लेषण करने और सूक्ष्म स्तर पर मुद्दों की पहचान करने में सक्षम हो सकेगा।

34. विभाग की विविध गतिविधियाँ

34.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं :

- (क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करना और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।
- (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(प) के तहत जैसा कि अपेक्षित है, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जजचरू // कवर.हवअ.पद) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।
- (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(प) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।
- (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(प) के संदर्भ में सभी निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यरत अवर सचिवों, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के संबंध में अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।
- (ङ.) वर्ष 2020 के दौरान (01.01.2020 से 31.12.2020 तक) विभाग में 352 आरटीआई आवेदन पत्र और दस्ती रूप से 8 अपीलें और 4387 आरटीआई आवेदन पत्र और 153 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया गया।
- (च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/5/2011 -आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा-1.4.1 के अनुसार यह विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

01.01.2020 से अब तक प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:-

मामले	ऑनलाइन	ऑफलाइन
सूचना का अधिकार (आरटीआई)	4387	352
अपील	153	8

34.2 महिलाओं का सशक्तीकरण:

कार्य दृ स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 24.11.2020 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

34.3 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा—निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान, न्याय विभाग में 01.09.2020 से 02.10.2020 तक श्स्वच्छता पखवाड़ाश और श्स्वच्छता ही सेवाश नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके दौरान कई कार्यकलाप जैसे कि लॉन का सौंदर्यकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/पुरानी वस्तुओं का निपटान, और न्याय विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान, आदि किए गए। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 35.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे। अभी तक 19.03 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

34.4 ई—ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर अग्रसर होने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने ई—ऑफिस पर कार्य करने की पहल की है। ई—ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए ई—ऑफिस पर सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले उन मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जिन्होंने पूर्ण रूप से ई—ऑफिस प्लेटफॉर्म को अपना लिया है।

35. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

विभाग में राजभाषा अनुभाग फरवरी, 2016 में गठित किया गया था। न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन और राजभाषा विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता देता है। इस अनुभाग को विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। राजभाषा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी तिमाही बैठकों के माध्यम से की जाती है। विभाग में हिन्दी के क्रमिक उपयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष 2020–21 में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से एक हिन्दी में टिप्पण और आलेखन से दूसरी हिन्दी में डिक्टेशन से संबंधित है। टिप्पण और आलेखन की योजना के तहत, 14 सितंबर, 2020 को मनाए गए हिन्दी दिवस के अवसर पर 04 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। 20.03.2020 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।


35.1 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितंबर, 2020 को हिन्दी दिवस मनाया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, विभाग में 01 सितंबर, 2020 से 14 सितंबर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान तीन प्रतियोगिताओं नामतः हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता और हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 3 नकद पुरस्कार (प्रथम : 2500 रुपए, द्वितीय : 2000 रुपए, और तृतीय: 1500) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सचिव (न्याय) ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

...

आनुबंध-I

(देखें अध्याय-I पैरा -2)
विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट



अनुबंध – II

अध्याय-I का पैरा 21 देखें,

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 01.01.2021 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू-सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	—	—	—	—	—
उपाध्यक्ष	9	5	—	—	4	—	—
लेखा सदस्य	33	17	4	1	11	—	1 (ओ.एच.)
न्यायिक सदस्य	36	22	7	1	6	—	—
पंजीकार	1	1	—	—	—	—	—
उप पंजीकार	1	1	—	—	—	—	—
सहायक पंजीकार	10	4	2	1	3	—	—
हिंदी अधिकारी	—	—	—	—	—	—	—
कुल	91	51	13	3	24	0	1

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू-सै.			शा.वि.				
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.
वरिष्ठ निजी सचिव	88	47	13	1	27	—	—	—	—	—	—	—	—
निजी सचिव	17	6	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
अधीक्षक	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कार्यालय अधीक्षक	54	35	8	3	8	—	—	—	—	—	1	—	—
हिंदी अनुवादक	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
वरिष्ठ लेखाकार	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	166	95	25	5	41	0	0	0	0	0	1	0	0

नोट: 7 वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों को तदर्थ आधार पर भरा गया है।

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	पि.	भू-सै.				शा.वि.			
							अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	91	42	17	4	28	2	—	—	—	—	—	—	—	1
आशुलिपिक 'घ'	01	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवर श्रेणी लिपिक	106	48	19	9	30	—	—	1	—	—	—	3	—	—
स्टाफ कार चालक	34	10	11	2	11	1	1	4	4	—	—	—	—	—
कुल	232	101	47	15	69	3	1	5	4	0	0	3	1	

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	पि.	भू-सै.				शा.वि.			
							अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	सा.	अ.जा.	अ.ज.	अ.व.	सा.
मल्टी टास्किंग स्टाफ	162	51	62	14	35	—	—	3	5	3	—	1	2	
कुल	162	51	62	14	35	0	0	3	5	3	0	1	2	

अनुबंध -III

(देखें अध्याय-I पैरा -21)

दिनांक 01.01.2021 तक सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सेनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल भूतपूर्व कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	144	39	27.08	7	4.86	15	10.41	—	—	2	1.38
समूह 'ख'	161	22	13.66	9	5.59	27	16.77	3	1.86	5	3.10
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	235	61	25.95	11	4.68	34	14.46	—	—	—	0.42
समूह 'ग' (सफाई वाला)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	540	122	22.59	27	5.00	76	1407	3	0.59	08	1.48

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केंद्रीय अधिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण

इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

* उपर्युक्त विवरण में आयकर अधीकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित पदों की कुल संख्या	आरक्षित पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क'' की निम्नतम पंक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 19+20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ख'	—	—	1	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	—	1	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों की रिक्तियों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क'	—	37	—	—	14	—	—	—	—	—	—
(i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क'											
(ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति											
समूह 'ख'	—	30	—	—	5	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

भाग III—प्रोन्ति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
'ख'	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

अनुबंध – IV

(देखें अध्याय-I पैरा –23)


महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	144	38
समूह ख	161	44
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	235	17
समूह 'ग' (सफाई वाला)	—	—
कुल	540	99

समूह	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	91	9
समूह ख	166	53
समूह ग	232	57
मल्टीग टास्किंग स्टाफ	162	7
कुल	651	126

**विधायी विभाग (मुख्य) का संगठन चार्ट
31.12.2020 के अनुसार**

सचिव
[डॉ. जी नारायण राज]



अनुबंध –VI

(अध्याय– ॥, पैरा–35 देखें)

31 दिसंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु-जाति	%	अनु-जन जाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	दिव्यांग जन	%
क	84	11	13.10	8	9.52	18	21.42	—	—	2	2.38
ख	90	20	22.22	2	2.22	14	15.56	—	—	2	2.22
ग	112	29	25.89	8	7.14	18	16.07	—	—	—	—
कुल	286	60	20.98	18	6.29	50	17.48	—	—	4	1.40

अनुबंध –VII

(अध्याय– II, पैरा–35 देखें)


31 दिसंबर, .2020 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत (%)
समूह क	84	19	22.62
समूह ख	90	28	31.11
समूह ग	112	13	11.61
कुल	286	60	20.98

अनुबंध—VIII

(देखें अध्याय—2, पैरा—36)








अन्वेषण-IX

(देखों अध्याय-३, पैरा-१)

અનુભૂતિ-



आर.के.के. : श्री राजिन्द्र कुमार कश्यप
पी.पी.पी. : श्री प्रवास प्रसून पांडेय

जी.आर.आर. : श्री जी.आर. राधेन्द्र
एन.के.जी. : श्री नीरज कुमार गयागी

Contents

S.No.	Chapter No.	Subject	Page No.
1.		Introduction and composition of the Ministry of Law and Justice	(iii-iv)
2.	Chapter-I	Department of Legal Affairs	1
3.	Chapter-II	Legislative Department	47
4.	Chapter-III	Department of Justice	91
5.	Annexure-I	Organisation Chart of Department of Legal Affairs	114
6.	Annexure-II	Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, Ex-Servicemen, PH	115
7.	Annexure-III	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Department of Legal Affairs	117
8.	Annexure-IV	Representation of female employees in Department of Legal Affairs	121
9.	Annexure- V	Organisation Chart of Legislative Department	122
10.	Annexure-VI	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Legislative Department	123
11.	Annexure-VII	Representation of female employees in Legislative Department	124
12.	Annexure-VIII	Celebration of Constitution Day	125
13.	Annexure-IX	Organisation Chart of Department of Justice	128

INTRODUCTION

Ministry of Law and Justice is the oldest limb of the Government of India dating back to the year 1833 when the Charter Act, 1833 was enacted by the British Parliament. The said Act vested legislative power in a single authority for the first time, namely, the Governor General in Council. By virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act, 1861, the Governor General in Council enacted laws for the country from the year 1834 to year 1920. After the commencement of the Government of India Act, 1919, the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted thereunder. The Government of India Act, 1919 was followed by the Government of India Act, 1935. With the passing of the Indian Independence Act, 1947, India became a Dominion and the Dominion Legislature made laws from the year 1947 to year 1949 under the provisions of section 100 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947. Under the Constitution of India which came into force on the 26thJanuary, 1950, the legislative power is vested in Parliament.

COMPOSITION OF THE MINISTRY

Ministry of Law and Justice comprises of the Legislative Department, Department of Legal Affairs and Department of Justice. In so far as the Department of Justice is concerned, a separate Chapter (Chapter III) has been brought out covering all details.

The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various Ministries of the Central Government while the Legislative Department is concerned with drafting of principal legislation for the Central Government.

MISSION

To transform Government into an efficient and responsible litigant;

To bring reforms in the Indian Legal System to achieve expansion, inclusion and excellence in Legal Education, the Legal Profession and legal services, including the Indian Legal Service.

To develop a system towards creating legal professionals so that they can meet future challenges not only for India but also of the World both in litigation and non-litigation field and to focus on their social responsibility and strong professional ethics. Having constraints such as enormous litigation, consequent burden on the public exchequer or on resources including man power and need to confer wide discretionary powers on government authorities, our mission is aimed to have proper legal framework to channelize administrative power, conflict management, help in enforcing rule of law and achieving the objectives set by various wings of government.

OBJECTIVES

- To facilitate the functioning of Ministries and Departments for good governance by providing legal advice/opinion relating to matters referred to by them as well as examination of legislative proposals.
- To reform the Indian Legal Service to make it efficient, responsive and globally competitive.
- To develop a comprehensive e-governance solution for Central Agency Section IT enabled transformation of the Department of Legal Affairs.
- To reduce litigation and encourage settlement of disputes by Alternative Dispute Resolution (ADR) methods.
- To promote excellence in the Legal Profession and to develop a frame work to usher in a new era in the field of legal education.
- To bring in Legal reforms.
- To effectively administer the acts under the purview of this Department viz., the Advocates Act, 1961, the Notaries Act, 1952, the Legal Services Authorities Act, 1987 and the Advocates Welfare Fund Act, 2001.

CHAPTER-I

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET UP

- 1.1 The Department has been allocated the following items as per the Government of India { Allocation of Business} Rules, 1961: -
 1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.
 2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.
 3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.
 4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.
 5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.
 6. Indian Legal Service.
 7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.
 8. Law Commission.
 9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.
 10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.
 11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)
 12. Income-tax Appellate Tribunal.

The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

- (a) The Advocates Act, 1961
- (b) The Notaries Act, 1952

- (c) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

In addition, the Commercial Courts Act, 2015 and the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 is also being administered by the Department.

- 1.2 The Department is also administratively in-charge of the Income Tax Appellate Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and for improvement in legal profession, this Department sanctions grant-in-aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute and Bar Council of India.

2. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two areas- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at [Annexure-I](#).

MAIN SECRETARIAT

- i. The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.
- ii. The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an officer of the rank of Additional Secretary who is assisted by two Additional Government Advocate, one Deputy Government Advocate, two Assistant Government Advocate, one Under Secretary, one Section Officer and other staff.
- iii. The litigation work in the High Court of Delhi and CAT (Principal Bench) on behalf of all the Ministries/ Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.
- iv. The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.
- v. The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961 and the Advocates Welfare Fund Act, 2015. It also deals with the legal profession.

- vi. There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Presently, a Deputy Legal Adviser is functioning in Railway Board. One Assistant Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of different levels such as Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development, SFIO, NTRO and CBI.

CREATION OF ILS

With the development of the society the legal profession underwent a metamorphosis and several attempts have been made for proper dispensation of justice and to cater the legal needs of the society. One such attempt made in 1956 to cater the needs of the Government qualitatively is creation of Central Legal Service (the forerunner of the present Indian Legal Service). The Government of India in the Ministry of Law and Justice established Indian Legal Service under the Indian Legal Service Rules, 1957, which came into force on the 1st October 1957. Since inception the officers of the Indian Legal Service have been rendering dedicated service to the nation by giving legal advice in important matters to various Ministries/Departments of the Government of India and drafting bills and ordinances which are introduced in Parliament. This service has given Governors to States, Secretary General to both the Houses of Parliament, Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Judges to High Courts and Judicial Members to various Tribunals like CAT, ITAT, DRT etc. and Information Commissioner.

ROLE OF ILS

The officers of the Indian Legal Service (ILS) manning the Department of Legal Affairs and Legislative Department being the principal legal organ of the Government of India have risen to the challenges and performed at optimum levels. The digital revolution has changed the dynamics of information sharing and the economy has created new areas of wealth creation. This necessitates the ILS officers to update the legal skill and acumen to cater to emerging legal needs. They being the Principal Legal Advisers to the Government have responded effectively and speedily to the demands made upon them by the various organs of the Government and play a pivotal role in both advisory as well as in drafting work.

3. ADVICE 'A' SECTION

Advice 'A' Section has received 2973 references from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/Advices on various issues (including references for advice received from the office of Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended and the opinion tendered by the officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/ Departments, for needful action. In addition, the officers of this Department also participated in various National/ International Meetings and Conferences.

2. Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Hon'ble Minister and Officers of this Department.

3. 80 matters relating to RTI Application pertaining to the Advice A & B Sections were also dealt with.
4. 90 references relating to conveyancing including a number of international agreements were also dealt with.
5. During the aforesaid period, 96 Cabinet Notes/Legislative Proposals, around 1193 SLPs/Litigation matters and 77 references relating to State Bills and Ordinances were received for Examination/Advice.
6. During the aforesaid period a total of 20 Public Grievances were dealt with by the Section.
7. In addition to this, the officers of this Department have participated in 291 National/International Meetings and Conferences.

4. ADVICE 'B' SECTION

Advice 'B' Section has received a total of 2438 references during the period from 01.01.2020 to 31.12.2020 from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/ advice on various Legal issues which were duly attended to by Advice B Section

2. During the aforesaid period total 82 Cabinet Notes/Legislative Proposals, around 523 SLPs/Litigation matters were received for examination/advice.
3. In addition to this, the officers of this Department have participated in 251 National/International Meetings and Conferences.
4. This section has also dealt with references and official communications received by the Hon'ble Minister(s) office and officers of this department.
5. Further, 16 Parliament Question/Assurances were also dealt with.

5. JUDICIAL SECTION

- 1). **Conduct of Central Govt. litigation before various courts of law through Law Officers/ Panel Counsel:**
 - a). During the said period, 09 Law Officers have been appointed while ten Law Officers have been re-appointed for the Supreme Court of India.
 - b). 16 new Assistant Solicitors General of India (Asst. SGIs) have been engaged for various High Courts and Benches of High Courts and terms of 05 Assistant Solicitors General of India have been extended
 - c). A number of Advocates have been empanelled for conducting Central Govt. litigation before various Courts/Tribunals across the country. State-wise details, in this regard, are as under:

Sl. No.	State/UT	Total Number of Advocates empanelled in various categories
1	Bihar	04
2	Chandigarh	03
3	Delhi	64
4	Goa	03
5	J&K and Ladakh	04
6	Jharkhand	01
7	Kerala	01
8	Madhya Pradesh	114
9	Maharashtra	01
10	Manipur	18
11	Punjab	88
12	Rajasthan	01
13	Uttar Pradesh	589
14	West Bengal	238
	TOTAL	1129

- d). Resignations of 09 panel counsel, deletion of name of 01 panel counsel due to his death, have been processed.
- g). 03 Proposals were received and processed regarding separate panels of advocates for the specific representation of some particular Ministries / Departments / Boards for the approval of this Ministry.
- h). Requests / proposals are received from a number of Ministries / Departments of the Government of India for the engagement of Law Officers, panel counsel and of private Advocates to represent them in various courts in the country on normal or special terms & conditions. During the said period, about **101** such proposals have been processed.
- 2). **Clarification on various issues viz. terms of engagement of panel counsel, issues related to fee schedule etc.**
- Various issues are received from time to time regarding the terms & conditions of engagement of panel counsel, their fee schedule etc. During the said period, about 110 such clarifications have been issued.
- 3). **Appointment/nomination of Arbitrators and Arbitration panel counsel in domestic as well International commercial disputes, involving Government/PSE on the one hand and PSE/ private party on the other:**

Requests / proposals are received from various Ministries/Departments/PSE etc. regarding appointment of Arbitrators in their Arbitration cases arising out of dispute on various kinds of agreements with other parties. During the said period, total 3 (three) Arbitrators have been appointed in such matters. Besides this, requests are also received regarding engagement of Arbitration Panel Counsel to represent various Ministries / Departments in Arbitration cases. During the said period, in response to such requests, Arbitration panel counsel have been engaged in about 74 Arbitration cases.

4). Entering into Treaties and Agreements with foreign countries in matters of civil law:

- a). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, is the nodal Ministry for reciprocal arrangement with foreign countries. However, during the said period no such new arrangement was made.
- b). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs undergoes various agreements on legal co-operation under civil law with other countries. However, during the said period no such new agreement was signed.

5). Examination and processing of requests arising out of bilateral treaties in respect of service of summons etc. (Mutual Legal Assistance Treaties/reciprocal arrangements) and multilateral treaties (the Hague convention of 1965/1971):

M/o Law & Justice, Department of Legal Affairs is the Central Authority under Hague Convention, 1965 for service abroad of judicial & extra judicial documents in civil and commercial matters. Under this obligation, about 850 requests have been processed.

6). RTI/Public Grievance related work:

During the period about 90 RTI applications have been processed while during the same period about 20 Public Grievances have been processed.

6. NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Rules, 1956 framed thereunder comes under the purview of the Notary cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government every five years. For sufficient reasons, it also grants extension of the area of practice to the notary public, on receipt of an application for the purpose”.

So far, approximately, 22243 notaries have been appointed by the Central Government in various parts of the country. However, since May 2018, as a special drive, 12 Interview Boards were constituted for the selection of Notary Public in the States/UTs of North East (Assam, Meghalaya and Tripura), Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Tamilnadu& Puducherry, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi, Gujarat, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana,

Chandigarh, Maharashtra & Goa. Interviews in respect of aforementioned States/UTs have since been completed and 8960 candidates have been recommended by the Interview Boards for appointment as Notary Public during the year 2018-19. Till date more than 8000 Certificates of Practice have also been issued in respect of Notary Public appointed during the year 2018-19. The issuing of Certificates of Practice to the remaining Advocates appointed as Notary Public is under process and it will be issued in due course after completing procedural requirements. Besides, about 1014 Notary Certificates have been renewed during the period under consideration.”

7. IMPLEMENTATION CELL

LAW COMMISSION REPORTS – Publication: The Implementation Cell is responsible for processing of reports of the Law Commission, laying them before the Parliament and forward reports to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation as well as pursue them for expeditious action. As per the terms of reference of the 20th Law Commission of India, the Commission submits its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on Tables of both Houses of Parliament. The Commission also makes its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. Therefore, the reports of the Law Commission are not published. Till 31.12.2020 the Law Commission of India has submitted 277 out of which 277 reports have been laid before both the Houses of the Parliament. All the reports received till 31.12.2020 had also been forwarded to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation or further action at their end. The Implementation Cell, in pursuance of the recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, since 2005 has been continuously laying Annual statement showing the status of pending Law Commission Reports before both the Houses of the Parliament. The last of such Statement (14th Statement) was laid on the Table of both the Houses of Parliament (in Lok Sabha on 11.12.2019 and Rajya Sabha on 12.12.2019).

LEGAL EDUCATION: The Cell is responsible for further improvement in legal education.

ADMINISTRATION OF STATUTES: The Cell is also concerned with the administration of the following Acts :-

THE ADVOCATES ACT, 1961: The Advocates Act, 1961 (“Act”) which was enacted to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils at State level and an All India Bar. The Act recognizes only one class of persons who are entitled to practise the profession of law in India, namely, advocates, vide its section 29. Section 30 of the Act, which was not in force, has been brought into force w.e.f. 15th June, 2011 (vide Notification No. S.O. 1349(E) dated 09.06.2011).

THE ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 2001: Social security in the form of financial assistance to junior lawyers and welfare schemes for indigent or disabled advocates has always been a matter of concern for the legal fraternity. Certain States enacted their own legislation on the subject. The Parliament enacted “Advocates Welfare Fund Act, 2001” applicable to the Union Territories and the States which do not have their own enactments on the subject, for creation of “Advocates Welfare Fund” by the appropriate Government. This Act makes it compulsory for every advocate to affix stamps of the requisite

value on every Vakalatnama filed in any court, tribunal or other authority. Sums collected by the way of sale of “Advocates’ Welfare Funds Stamps” constitute an important source of the Advocates’ Welfare Fund. Any practicing Advocate may become member of the Advocates’ Welfare Fund on payment of an application fee and annual subscription. The Fund shall vest in and be held and applied by the Trustee Committee established by the appropriate Government. The Fund shall, inter alia, be used for making ex-gratia grant to a member of the fund in case of a serious health problem, payment of a fixed amount on cessation of practice and in case of death of a member, to his nominee or legal heir, medical and educational facilities for the members and their dependants, purchase of books and for common facilities for advocates.

8. RTI CELL

Under the provisions of the Right to Information Act, 2005 the RTI Cell acts as a nodal agency for RTI matters. The RTI Cell receives and thereafter forwards the RTI application to the concerned Central Public Information Officers/Public Authorities. It also coordinates follow-up action on Appeals/orders received from the Central Information Commission. The RTI Cell is also responsible for submission of quarterly return on RTI applications/Appeals to the CIC. The RTI Applications/Appeals received online on RTI Web Portal are also being forwarded online to the concerned CPIO/Public Authority and Appellate Authority.

2. Department of Legal Affairs has presently 12 CPIOs at the level of Under Secretary/Joint Secretary and 5 Appellate Authorities at level of Additional Secretary, Joint Secretary and equivalent Officers. The details of the RTI Applications/Appeals received from 01.01.2020 to 02.12.2020 are as follows:-

S.No.	RTI Matters	Total (01.01.2020 to 02.12.2020)	Anticipated from (03.12.2020 to 31.03.2021)
1.	RTI Requests	2252	1500
2.	First Appeals Disposed off	80	N/A
3.	Second Appeals before Hon'ble CIC	16	N/A

9. LIBRARY & RESEARCH SECTION

The Library and Research Section is a specialized research oriented unit which looks after the requirements of Legal Books/Journals/Online Legal Services and other research materials of the Ministry of Law and Justice. This section provides reference and legal research services to the Hon'ble MLJ, Law Officers and ILS Officers of Department of Legal Affairs and Legislative Department.

2. During 01st January 2020 to 18th December 2020, Library and Research Section acquired 58 numbers of books and 328 copies of Bare Acts.
3. The Library and Research Section subscribes to 16 Indian law Journals, 2 Foreign Law Journals.
4. The Library and Research Section has subscribed/renewed to the following Online Services/CD ROM for retrieval of Case Laws, Judgments and Articles etc. for the use of Officers of this Ministry.
 - a) AIR Comprehensive Software/Database

- b) SCC online case finder.
- c) SCC Online (IP) Services.
- d) Manupatra Online (IP) Services.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK IN THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

- (1) The Department of Legal Affairs has taken following steps to implement various instructions issued by the Department of Official Language on the progressive use of Hindi for official purposes of the Union as contained in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :-

A. Notification under the Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :

This Department was notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 on 21-3-1980. All officers and employees proficient in Hindi to submit drafts etc. of all communications addressed to State Governments/Union Territories and to private individuals and also to Central Government offices located in Regions “A” and “B” and of communications in reply to letters etc., received in Hindi or signed in Hindi, including appeals, representations etc., from the employees only in Hindi.

B. Organisation of Hindi Day/Hindi Month

With a view to accelerating the use of the Official Language and to increase the awareness of the employees as regards the Official Language policy and the various incentive schemes for using Hindi in official work, Hindi Day was celebrated in the Department on 14-9-2020. Hon’ble Minister for Law & Justice, Law Secretary and Rajbhasha Adhikari in their messages appealed to the officers and employees of the Department to adopt Hindi in their day-to-day official work. Hindi Day message received from Hon’ble Home Minister was also circulated in the Department and its sub-ordinate offices. In order to make the various programmes organised in this connection effective, ‘Hindi Month’ was organised in the Department from 1.9.2020 to 30.9.2020. This was done with the twin objectives of (a) giving wider publicity to the various schemes and (b) generating maximum output in terms of work done in Hindi. This year, during the ‘Hindi Month’, 6 competitions viz, ‘Hindi Essay Competition’, ‘Hindi Typing Competition’, ‘Translation Competition’, ‘Hindi Noting and Drafting Competition’, ‘Hindi dictation Competition’ for group ‘D’ employees and LDC & court clerks, and ‘Official work in Hindi’ Competition were organised in the Department. 73 officers/employees participated in these competitions. ‘Hindi Day’ was also celebrated in the Branch secretariats and other offices under administrative control of the Department. Various competitions were organised on this occasion and there is provision to give cash prizes to successful participants.

C. Implementation of orders relating to the Official Language.

A review of the check points for implementation of orders relating to the Official Language was made and orders for creation of adequate number of check points (eight) in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976 were issued on 16-11-1994. The effectiveness of check points is regularly monitored through the quarterly progress reports received from sections/offices.

- (1) In Sections / Units where the staff are proficient in Hindi, the use of Hindi in their day to day work is being encouraged. Work relating to grant of various types of leave is being done in Hindi. Almost all cases relating to House Building Advances, GPF Advances and Withdrawals etc. are also being processed in Hindi and orders are also being issued in Hindi.
- (2) All general orders, notifications, resolutions and administrative reports etc. are invariably issued in bilingual form. All letters received in Hindi are invariably replied to in Hindi only. Strict vigilance is maintained to ensure that there is no violation of the relevant rules in this regard. The position in this regard is regularly monitored in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.
- (3) Hindi specimen of standard drafts of letters sent frequently by various sections and all forms used in the Department has been translated into Hindi and it has sent to Central Translation Bureau for vetting so that employees can use them without any difficulty. Entries in service books are also being made in Hindi. All rubber stamps, name plates, sign boards etc., are invariably prepared in bilingual form.
- (4) All the 247 computers in the Department are bilingual. Facility to work in Hindi is available on the computers provided to the officers and sections of the Department.
- (5) Hindi/ Hindi Stenography/ Hindi Typing Training is being imparted to the employees of the Department and its sub-ordinate offices under the Hindi Teaching Scheme. Employees are awarded personal pay/ Advance increments/ Cash Awards etc. on passing the examination after successful completion of the training as per the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.
- (6) In pursuance of the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and assurances given to the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, in order to review compliance of the statutory provisions relating to Official Language and discuss problems faced in this regard, an Inspection Team has been constituted in the Department of Legal Affairs under the chairmanship of Rajbhasha Adhikari for inspection of Sections, Branch Secretariats and Benches of ITAT and other offices under the administrative control of the Department.
- (7) Presidential orders issued by the Department of Official Language on the recommendations contained in 9 parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language are being implemented in the Department and its sub-ordinate offices. The position in this regard is regularly reviewed in the meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.
- (8) The meetings of Official Language Implementation Committee of the Department are held regularly. Rajbhasha Adhikari of the Department is the chairman of this committee and Deputy Secretary (Admn.), all USs and all Section Incharges and Branch Officers are members of this committee whereas Deputy Director (O.L.)/Assistant Director (O.L.) is the member secretary. In these meetings, Compliance Status of Quarterly progressive report and implementation of orders related to Official Language are reviewed. Minutes of the meetings are circulated to all concerned for follow-up action.

11. LITIGATION IN DELHI HIGH COURT

The Litigation (HC) Section handles the Litigation work in Delhi High Court on behalf of all the Ministries/ Departments of Govt. of India except for Railways and Income Tax Departments. Officer-in-Charge assisted by ALA/Superintendent (L) and other staff looks after the Litigation work as follows: -

- (a) The cases dealt with and contested in Delhi High Court are generally related to: -
Civil and Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India, Civil Misc. Applications, Division Bench Appeals, Company Applications, Execution Applications and Criminal Misc.
 - (b) And the cases dealt with and contested in Courts other than Delhi High Court are generally related to: -
National Consumer Dispute Redressal Commission, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, NCLT, NCLAT, Un-lawful activities (Prevention Tribunal), Debt Recovery Tribunal, Debt Recovery Appellant Tribunal, Immigration Appellate Committee, Appellate Tribunal for Electricity, Central Information Commission, District Consumer Forum, NGT etc.
2. The Litigation work is dealt with by two Sections- Litigation (HC) Section ‘A’ and ‘B’ being supervised by Assistant (Legal)/Superintendent (L). Section ‘A’ deals with the advance notices pertaining to the Writ Petitions, Letters Patent Appeals (LPA), and Miscellaneous Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India including matters of general natures. Section ‘B’ deals with the Original Revisions etc. and the Writ Petitions filed on behalf of the Union of India in the Hon’ble Delhi High Court. This Section also deals with in matters related to other Courts/Tribunals as mentioned in para 1(b) above.
 3. To conduct Central Govt. litigation, there is one Additional Solicitor General of India (ASG), 32 numbers of Central Govt. Standing Counsel (CGSC), panel of 07 Special Counsel, 229 Senior Counsel and 161 Govt. Pleaders (GP). In matters of public importance and also involving complicated questions of Law, one of the Law Officers namely- Attorney General of India/ Solicitor General of India/ Additional Solicitor General of India is engaged. Close liaison is being maintained with the concerned Departments and Counsels to safeguard the Govt. interests in Delhi High Court. The Deputy Legal Adviser and other Officers keep a close watch over the progress of the cases at each stage.
 4. During the period from 01/01/2020 to 04/12/2020 this Unit has paid the payment of around 11000 professional fee bills amounting to Rs.9.67 Crore, in respect of ASG & Counsel. Further, bills to the tune of Rs.1.33 Crore are under process.
 5. During the period from 01/01/2020 to 04/12/2020 Litigation (HC) Section has engaged Law Officers and Govt. Counsel in 4709 cases to conduct the litigation in Delhi High Court. Section wise details of receipt of cases and engagement of Govt. Counsel are as follow: -

LITIGATION HIGH COURT SECTIONS

SECTION	Cases received from 01/01/2020 to 04/12/2020	Estimated cases for the period from 05/12/2020 to 31/03/2021	Total
A	4261	1549	5810
B	448	163	611
Total	4709	1712	6421

LITIGATION AFT DELHI

6. During the period from 01/01/2020 to 04/12/2020, the Litigation AFT Section has engaged Govt. Counsel in 1907 cases to conduct the litigation in AFT Delhi. Details of receipt of cases are as follow:-

LITIGATION AFT DELHI

SECTION	Cases received from 01/01/2020 to 04/12/2020	Estimated cases for the period from 05/12/2020 to 31/03/2021	Total
AFT	1907	693	2600

LITIGATION IN CAT (Principal Branch) DELHI

7. The Litigation CAT (PB) Delhi Cell looks after the Cases/Litigation work related to the Ministries and Department of UOI. And nominate the Counsel from the approved panel to defend the interest of Ministries/Departments of UOI in CAT (PB), Delhi.
8. During the period from 01/01/2020 to 04/12/2020, Litigation CAT (PB) Cell has engaged Govt. Counsel in 847 cases to conduct the litigation in CAT (PB). Details of receipt of cases are as follow:-

LITIGATION IN CAT (PB) DELHI

SECTION	Cases received from 01/06/2019 to 19/05/2020	Estimated cases for the period from 05/12/2020 to 31/03/2021	Total
CAT (PB) Cell	847	308	1156

12. LITIGATION (LOWER COURT) SECTION, TIS HAZARI

The Litigation work in the various District Courts as well as Consumer Forums/Tribunals in Delhi / New Delhi on behalf of all Ministries / Departments of Government of India except Railways and Income-tax Department is handled by Litigation (Lower Court) Section. The Litigation work, in the above said Courts / Tribunals are look after by an Assistant Legal Adviser & In charge assisted by Superintendent (Legal)/ Assistant(Legal).

2. There is a panel of Senior Panel Counsels and Additional Central Government Counsels are nominated for contesting the cases on behalf of Union of India, i.e. Government of India. On receipt of request from the Administrative Ministry / Department, action is taken to engage a suitable counsel to appear on their behalf in the Courts. During the period under report this Section engaged Counsels in 337

cases. Close liaison is maintained with various Department as well as Govt. Counsels at all times to safeguard the interest of the Government (Union of India) in the District Courts / Consumer Forums / Tribunals.

3. When cases are decided by the Hon'ble Courts, the Govt. Counsels has submit their fee bill in a prescribed format. The fee bills are scrutinized very carefully, having regard to the terms and conditions of their appointment before certifying and making payment at the prescribed rates. The period under report this section received 45 fee bills from Government Counsel/Senior Panel Counsels. Finance Year 2019-20, this section has allocated budget of Rs. 1,36,00,000/- (One crore and thirty six lakhs). Out of this amount Rs. 16,56,420/- (Sixteen lakh fifty six thousand four hundred twenty) has been paid to the Government Counsel/Senior Panel Counsel for their Professional Bills.
4. In order to keep pace with the development of Information Technology in the Judiciary especially at the level of District Courts / Sub-ordinate Courts and also to ensure effective functioning of Lower Court (Litigation) Section, a proposal for computerization of this Section was submitted to the Competent Authority along with the System-study Report conducted by the National Informatics Center (NIC) server of District and Session Court with the Litigation(LC) Section.
5. The Assistant Legal Adviser who is also the Branch Officer of this Section has been designated as Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005.

13. CENTRAL AGENCY SECTION

Central Agency Section (CAS) was set-up in the year 1950. This office is responsible for conducting litigation before Hon'ble Supreme Court of India on behalf of all Ministries / Departments of the Central Government and also on behalf of National Capital Territory of Delhi, Union Territories, the office of the Comptroller & Auditor General of India and all field offices under CAG. Special Leave Petitions and Appeals in certain matters on behalf of Union of India are filed after obtaining opinion of Law Officers on the feasibility of filing Special Leave Petitions/Appeals in the Supreme Court through Central Agency Section. An officer of the level of Additional Secretary is functioning as In-charge of this Office and has been delegated the power of Head of Department. He is assisted by 6 Government Advocates and 3 Consultants (Advocates-on-Record). There are 718 Government Panel Counsels. The Central Agency Section functions from the Supreme Court Compound, New Delhi.

The functions of the Central Agency Section are as under:

- References of the Ministries/ Departments of Government of India received through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to obtain the opinion of Ld. Attorney General, Ld. Solicitor General and Ld. Additional Solicitor Generals.
 - Engagement of Law Officers / approved Panel Counsels for various cases.
 - Conduct and supervision of litigation on behalf of Union of India/ NCT of Delhi, C & AG and Union Territories in the Supreme Court of India.
 - Supervision of Records, payment of fee bills of Law Officers, Panel Counsels, Computer Typists and Photocopy Machine Operators.
2. Government Advocates in the Central Agency Section require the qualification of Advocate-on-Record of the Supreme Court. They appear before the Supreme Court in matters pertaining to the Union of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories as per the Supreme Court Rules.

3. As per computerized record of Central Agency Section during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020, it has received 5015 new cases from various Ministries/Departments of Government of India, NCT of Delhi, CAG and Union Territories in which the Union of India or Union Territories are either petitioner or respondent.

14. BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA

The Branch Secretariat, Kolkata has eight wings viz. Advice, Administration, Cash & Accounts, Hindi, Counsel Fee Bill, Litigation, CAT/Lower Court and R & I Section. In addition, this Branch Secretariat has a Library containing around 10500 books under the supervision of Assistant Legal Adviser.

2. The Litigation Wing of the Branch Secretariat, Kolkata looks after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original and Appellate Side. This Branch Secretariat is looking after litigation for the Union of India in the High Court at Calcutta including its Circuit Benches at Port Blair and Jalpaiguri and also various Tribunals, District Forums, State Commissions and Lower Courts covering 12 States and one Union Territory. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Andaman & Nicobar Islands, CGIT, Arbitration, NGT, NCLT. Panel Counsel are also engaged to appear before the various Tribunals like NGT, CESTAT, State Consumer Forums and DRAT, DRT, Consumer Forum, Lower Courts etc. This Branch Secretariat also engage Counsel in Arbitration matters before the Ld. Arbitrators on receipt of specific requests from Ministries/ Departments concerned.

During January, 2020 to 8th December, 2020 the total number of references received at this Branch Secretariat, Kolkata relating to High Court at Calcutta from and on behalf of different Ministries/ Departments is 1356 and total number of cases disposed as per the information received from the Counsels/Departments are 416 and it is estimated that approx. 150 references will be received and 100 number of cases will be disposed of during 9th December, 2020 to 31st December, 2020. Also it is estimated that approx. 583 references will be received and 373 number of cases will be disposed of during 1st January, 2021 to 31st March, 2021. The total 41 (forty one) number of references received during January, 2020 to 8th December, 2020 regarding National Company Law Tribunal, Kolkata Bench and it is estimated that approx. 8 (eight) references will be received during 8th December, 2020 to 31st December, 2020. Also it is estimated that approx. 23 references will be received during 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

3. The Advice Wing of this Branch Secretariat renders legal advice pertaining to all the Ministries/ Departments of Government of India including the Income Tax Department, Enforcement Directorate, Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs and all other Ministries/ Departments having their offices at Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands and any other Autonomous bodies situated outside the Eastern Zone or being their headquarter i.e, Ordnance Factory Board is in Kolkata, on receipt of references from concerned Departments/ Ministries. Pleadings filed in various Courts as well as before Central Administrative Tribunals and draft Agreements/contracts are being vetted by this Branch Secretariat also.

During January, 2020 to 7th December, 2020 a total number of 671 references were received for legal advice and dealt with by the Branch Secretariat, Kolkata. All the advices were rendered within the prescribed period and it is estimated that approx. 58 references will be received during 8th December, 2020 to 31st December, 2020. Also it is estimated that 260 references will be received during 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

4. In litigation wing, Government advocates who are regular employees act as Advocate-on-Records as well as Government Pleader within the meaning of Order-XXVII Rule 8B(a) of the Code of Civil Procedure, 1908 and get the matter heard/argued through a panel Counsel engaged for this purpose.
5. During 2020-2021, both the Additional Government Advocate and one Junior Central Government Advocate of this Branch Secretariat act as Advocate-on-Records for and on behalf of the Union of India in the Calcutta High Court and also appear before the Court as Government Pleader. One Deputy Legal Adviser and one Assistant Legal Adviser are also posted to look after Advice and Litigation work.
6. During January, 2020 to 7th December, 2020 a total number of 410 cases received in the Branch Secretariat, Kolkata for engagement of Counsels on service matters before Hon'ble CAT, Kolkata Bench and it is estimated that approx. 50 references will be received during 8th December, 2020 to 31st December, 2020. Also it is estimated that approx. 120 references will be received during 1st January, 2021 to 31st March, 2021.

The number of cases in Courts below including arbitration cases handled during January, 2020 to 7th December, 2020 was 113 it is estimated that approx. 10 references will be received during 8th December, 2020 to 31st December, 2020. Also it is estimated that approx. 40 references will be received during 1st January, 2021 to 31st March, 2021. Also, Officers of this Branch Secretariat had conferences with Departmental Officers and engaged Counsels for smooth conduct of the Litigation and early disposal of matters.

7. Branch Secretariat, Kolkata has Appellate Authority (Additional Government Advocate), CPIO to deal with the RTI matters. During January, 2020 to 7th December, 2020 total 43 RTI references and First Appeals were received and duly disposed of within stipulated time.
8. During January, 2020 to December, 2020 (upto 7.12.2020) claims of the professional fee bills submitted by the panel counsel have been speedily processed within stipulated period for payment towards Professional Fees to the Counsel. An amount of Rs.2,32,17,424/- (Rupees two crore thirty two lakh seventeen thousand four hundred twenty four only) have been utilised to make payments to panel Counsels for the cases relating to High Court at Calcutta upto 7th December, 2020 and it is estimated that an amount of '12,40,000/- could be paid to panel counsels from 8th December, 2020 to 31st December, 2020. Also, it is estimated that during 1st January, 2021 to 31st March, 2021 an amount '74,50,000/- (Rupees seventy four lakh fifty thousand only will be required to make payment to panel counsel.
9. The Hindi Section of this Branch Secretariat is striving for effective use of Hindi as official language. During January, 2020 to 7th December, 2020 all quarterly meetings of Rajbhasha Coordination Committee has been organised regularly except in the COVID-19 lockdown period and Hindi workshops were also organised regularly except in the COVID-19 lockdown period. Employees

are regularly deputed for training in Hindi under training of Central Teaching Scheme. Reference matter has been prepared and distributed among Sections for doing work of regular nature in Hindi. ‘HINDI PAKHWADA’ was also celebrated in this Branch Secretariat with great enthusiasm during September 2020 while maintaining all formalities of COVID-19 guidelines. During ‘HINDI PAKHWADA’ three competitions were organised and the winners were granted prizes along with certificates. Required reports are forwarded on regular basis in the prescribed proforma to Main Secretariat. The telephone directory, various stamps, the Statement regarding Earned Leave, Half Pay Leave and Commuted Leave of the Branch Secretariat, Kolkata have already been made ‘bilingual’. All documents under Section 3(3) of Official Language Act are issued bilingual.

10. Various accounts and budget related work in the Branch Secretariat, Kolkata are being done online using various software provided by NIC and also using the portal based payment system ‘PFMS’ developed by NIC. All payments to employees, Government Counsels and other service providers are being made online through PFMS portal. Further, the tax deducted at source is being intimated to the Income Tax Department online in electronic format 24G every month. Subsequently quarterly return of TDS are also been prepared in electronic format 24Q and 26Q and submitted to the Income Tax Department through TIN facility centre through CDs. New format in respect of GST-TDS is deducted and a return is filed to the GST Authority. Periodical reports are directly submitted to Pay & Accounts Office online. In addition, information regarding licence fee payment for Government quarters is also required to be sent online to the Directorate of Estates using Government Accommodation Management System (GAMS). For procurement of Goods, Stationeries and other Services, Government e-procurement website <https://gem.gov.in> is being used extensively. New pension cases are being processed through ‘Bhavishya’ online portal.
11. The Branch Secretariat, Kolkata have a Local Area Network connected with each Section/ Officer’s room. Almost all the Computers in the Branch Secretariat, Kolkata now have internet connection. A leased line from ‘Bharat Sanchar Nigam Limited’ is being acquired for implementation of e-Office.
12. The last audit of the Branch Secretariat, Kolkata was conducted by an Audit Party from the Office of the Director General of Audit: Central, Kolkata with effect from 01.04.2016 to 31.03.2018. Six audit objections were made during the course of periodical inspection of accounts by the Audit Party. Action has already been taken and intimated to the Audit to drop the paras of audit objection.
13. The software ‘LIMBS’, developed by NIC, is also functional in the Branch Secretariat, Kolkata. The matters pertaining to Ministry of Law duly updated by Litigation section in the said portal.
14. This Branch Secretariat had meticulously followed all the directions from the Main Secretariat, New Delhi and also observed various programmes including Vigilance Awareness Week, Rashtriya Ekta Diwas, observation of Awareness Campaign with focus on Fundamental Duties enshrined in the Indian Constitution etc. maintaining all the formalities of COVID-19 guidelines.

15. BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU

The Branch Secretariat has jurisdiction over the States of Karnataka and Andhra Pradesh in handling litigation and advice of various Central Government Departments/Ministries. Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat, Bengaluru.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all the Central Government Departments and offices located in the States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. 476 references were received during period from 01.01.2020 to 23.11.2020 for advice and about 190 advice cases are expected for the remaining period upto 31.03.2020. The advice work includes scrutiny and vetting of pleadings i.e., statement of objections, counter affidavits to be filed before the High Courts i.e., High court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Kalaburagi and the High Court for the State of Telangana at Hyderabad and High Court of Andhra Pradesh at Amaravathi, respectively, reply statement filed before Central Administrative Tribunals at Bengaluru and Hyderabad, written statement, counter affidavits, counter statements, versions filed before District Courts, Subordinate Courts and various other Tribunals.

Examining the feasibility of filing SLP, Appeals, review etc. interpretation of laws guiding Departments on legal sustainability of their action and holding discussions with the administrative Departments, whenever necessary.

LITIGATION: The Branch Secretariat supervises the entire litigation of the Central Government Departments and offices in the High court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad & Kalaburagi and High Court for the State of Telangana at Hyderabad and High Court of Andhra Pradesh at Amaravathi, Subordinate Courts located at Bengaluru city and most of the districts of Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh, and CAT in these States. This Branch Secretariat also looks after the work of Government litigation in the District Consumer Dispute Redressal Fora, the State Consumer Redressal Commissions of the States, Central Govt. Industrial Tribunal and Debt Recovery Tribunal. 2469 litigation matters, which include nomination of counsel, counsel fee bills and general correspondence relating to litigation, were received during the period from 01.01.2020 to 23.11.2020 and about 1100 litigation matters are expected for the remaining period upto 31.03.2021. The function of the Branch Secretariat in this regard includes engagement/ nomination of the Counsel and distribution of cases among the Central Government Counsel.

COUNSEL'S FEE BILLS: This Branch Secretariat itself processes counsel fee bills and pays the fees directly from its centralized funds to the Assistant Solicitor General of India and Central Government Counsel in the High Court of Karnataka, Bengaluru. 720 fee bills were received during the from 01.01.2020 to 23.11.2020 and about 285 fee bills are expected for the remaining period upto 31.03.2021. So far as the Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga are concerned, the counsel fee bill is borne by the Department concerned on whose behalf the Counsel conducts the cases and not by the Branch Secretariat, Bengaluru. The Departments concerned pay the fee for Central Government panel Counsel in CAT, District and subordinate Courts. Hence this Branch Secretariat is not certifying counsel fee bills. However, this Ministry clarify as and when requests are received.

MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS OF ICDAR REGIONAL CENTRES

The Competent Authority in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi has authorized the In-Charge of Branch Secretariat, Bengaluru to take charge of the ICDAR Regional Centers located at Bengaluru and Hyderabad and to secure the possession of the said undertakings and to make a complete inventory of all their properties and assets pertaining to the undertakings. While, the ICADR, Regional Centre, Bengaluru has already been closed, efforts are on for closing of the ICADR Regional Centre at Hyderabad.

OBSERVANCE OF HINDI MONTH:

The Hindi Month was celebrated in Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Bengaluru by conducting various competitions for the officers and staff. All participated actively with enthusiasm in 5 competitions which were held by taking the assistance of the Assistant Director of the Hindi Teaching Scheme, Ministry of Home Affairs, Bengaluru who adjudicated the competitions and delivered speech.

OBSERVANCE OF VIGILANCE AWARENESS WEEK

Observance of the Vigilance Awareness Week every year is a part of the multi-pronged approach by CVC to sensitise the public on Prevention of and the fight against Corruption in this Country.

Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Bengaluru had observed the Vigilance Awareness Week, 2020 from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020. The INTEGRITY PLEDGE was administered by Shri. B. Nanda Kumar, Assistant Legal Adviser & In-Charge in his chamber at 11 AM on 27th October, 2020. All the officials/Officers attended the event and took the oath of the Integrity Pledge, by observing the norms of social distancing and other safety measures stipulated for the COVID-19 pandemic.

OBSERVANCE OF NATIONAL UNITY DAY

Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Bengaluru had observed the National Unity Day by observing the norms of social distancing and other safety measures stipulated for the COVID-19 pandemic.

The PLEDGE was administered by Shri. B. Nanda Kumar, Assistant Legal Adviser & In-Charge in his chamber at 4.00 P.M. on 29th October, 2020. All the officials/Officers attended the event and took the oath of the National Unity Pledge.

OBSERVANCE OF CONSTITUTIONAL DAY

The 26th of November, 2020 is being to be celebrated as the Constitutional Day and all the officers & staff gathered in the chamber of the Assistant Legal Adviser & In-Charge by observing the norms of social distancing and other safety measures stipulated for the COVID-19 pandemic. Shri. B. Nanda Kumar, Assistant Legal Adviser & In-Charge of Branch Secretariat, Bengaluru read the Preamble of the Constitution of India at 11.00 A.M. on 26th November, 2020.

16. BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all Central Government Offices located in the States of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry.

Around 550 references have been received for advice and disposed of and an estimated 140 references are likely to be received for the period 1st January 2021 to 31st March 2021.

LITIGATION: The Branch Secretariat, Chennai looks after the entire litigation work of Central Government (except cases relating to Railways, Income-Tax, Central Excise and Customs, etc.) in the High Court of Madras, Madurai Bench of Madras High Court and High Court of Kerala. It also looks after the Central

Government litigation work in the City Civil Courts, Presidency Courts of Small Causes, Subordinate Courts, Tribunals, Consumer Fora, etc. in Tamil Nadu and Kerala. Besides, the Branch Secretariat, Chennai has also been entrusted with the work of Central Government litigation before the Madras Bench of Central Administrative Tribunal at Chennai and Ernakulam Bench of Central Administrative Tribunal in Kerala. During the given period about 3434 litigation matters received and disposed of accordingly which include receipts, fee bills and files opened regarding High Court/CAT/LC etc.

The Branch Secretariat keeps the Ministries and Departments of the Central Government informed about the important developments of their cases as well as the results of the litigation with suitable advice for further action, if required. Pleadings, affidavits etc., to be filed in the Courts/ Tribunals / Consumer Fora / Arbitration matters in Tamil Nadu and Kerala are scrutinized and vetted at the draft stage. Functions of Branch Secretariat, Chennai also include engagement / nominations of the Counsel and collection of materials from the Central Government Departments involved in the cases for being passed on to the Counsel after necessary scrutiny of the documents from the legal angle.

COUNSEL FEE BILLS: The Branch Secretariat itself makes payment of professional fees directly from its funds to the Additional Solicitor General of India, Assistant Solicitor General, Senior Panel Counsel and the Central Government Standing Counsel in respect of cases before the Madras High Court and Madurai Bench of Madras High Court. During the given period around 1712 bills were received from the High Court Counsel; after initial scrutiny and returning 105 bills to the respective counsel where UOI is not a party, 1712 bills were processed and an amount of Rs. 3.03 crores were paid to the Counsel.

Fee Bills preferred by the Central Government Counsel for appearance before the Central Administrative Tribunal and Subordinate Courts are scrutinized / certified and sent to the Departments concerned for payment.

MEETING OF CENTRAL GOVT. COUNSELS

In view of the prevailing covid-19 pandemic situation, the Deputy Legal Adviser conducted video-conference meeting of all Central Govt. Counsel, High Court of Madras and CAT, Chennai Bench via ‘Milan-Setu and Webex app’ on 13th September, 2020 to welcome Shri R. Sankaranarayanan, Additional Solicitor General of Madras High Court as well as to monitor the conduct of Central Govt. litigation thereby rendering necessary guidance. Celebration of 6th ‘International Day of Yoga’ on 21st June, 2020

In view of the prevailing covid-19 pandemic situation, though no formal ‘Yoga Session’ was organized in the office premises, all officers/officials were encouraged to participate in the ‘International Day of Yoga’ celebration alongwith their family on 21.06.2020 from their respective place of stay to avail multiple health benefits.

Observance of ‘Hindi Month’ in September 2020

In accordance with directives of Department of Official Language, Main Secretariat, Hindi Month was observed in September 2020. In view of the prevailing covid-19 pandemic situation and roster duty, though no competition was conducted, all officers/officials were encouraged to adapt usage of Hindi in day-to-day official work.

Observance of ‘VIGILANCE AWARENESS WEEK’

As per CVC guidelines, ‘VIGILANCE AWARENESS WEEK’ with the theme ‘Satark Bharat, Samriddh Bharat’ was observed in this Branch Secretariat from 27th October to 2nd November, 2020. In this regard, ‘Integrity pledge’ was administered to all officials of this Branch Secretariat by the Deputy Legal Adviser/ In-charge on 27th October, 2020.

‘Swachcha Bharath’ Mission

The Deputy Legal Adviser & Incharge of this Branch Secretariat has been periodically monitoring and inspecting cleanliness activities of the office. In view of the prevailing covid-19 pandemic situation, necessary priority has been accorded towards cleanliness of office premises, hand sanitization, wearing masks, social distancing etc.

Retainer Fees

Out of its allotted funds, the Branch Secretariat has been entrusted with the job of making payment of Retainer Fee to Standing Government Counsel of district & subordinate courts in Tamil Nadu.

Implementation of e-office

This office had already initiated correspondence with NIC, Chennai and BSNL, Chennai for provision of necessary pre-requisites towards implementation of

e-office in this Branch Secretariat. E-payment of all bills including fee bills are being made and directly credited to concerned Counsel. Further, necessary modifications have been incorporated in the ‘Litcase’ software under the guidance of concerned NIC personnel, so that information/data related to Fee Bill receipts and their disposal are duly updated.

RTI receipts

During the period, all RTI applications received were disposed well in time.

17. BRACH SECRETARIAT, MUMBAI

ORGANIZATION:

The Ministry of Law & Justice has been basically divided into two sets, i.e. the Main Secretariat and its Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangalore.

As far as the work handled by Mumbai Branch Secretariat is concerned, it includes tendering of legal advice, handling of litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to other subordinate courts which falls under the entire Western Region consisting of Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Goa States and the administration of the Branch Secretariat.

The Additional Govt. Advocate, at present, is the overall In-charge of the Branch Secretariat. One Additional Govt. Advocate, One Sr. PPS, One Assistant Legal Adviser, Five PSs & Two Superintendent (Legal) are assisting the Additional Govt. Advocate in handling the advice, litigation and administrative matters of the Branch Secretariat. The Section Officers assist the Additional Govt. Advocate in the Administration and Accounts matters.

In addition to the above, the work of the Branch Secretariat is bifurcated into separate sections for its smooth functioning, i.e. Advice Section, Misc. Original Side Litigation Section consisting of erstwhile Misc. Original Side Litigation, Arbitration, Suits, Land Acquisition References, Company matters and cases pertaining to DGFT/FERA/FEMA in Original Side as well as Appellate Side and Appellate Side Litigation Section consisting of Misc. Appellate Side Section and Criminal Side Matters. Each Section is headed by a senior Officer of this Branch Secretariat who is assisted by officials.

There are one Assistant(Legal), one Assistant Section Officers (CSS), one Senior Court Clerk Grade-II and two Court Clerks, who assist the Officers in discharging their duties pertains to litigation.

FUNCTIONS & DUTIES:

The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai renders advice to various Ministries/Departments of Government of India on receipt of the respective references by it on different kinds of legal matters and attends to the litigation work of the Central Government in Bombay High Court, C.A.T., National Company Law Tribunal other Tribunals and before all the Subordinate Courts of entire Western Region. The entire work is performed by its Officers under the guidance of the Additional Government Advocate/In-charge of this Branch Secretariat. This Branch Secretariat is always guided by the Hon'ble Law Secretary.

LEGALADVICE:

The references received from various Ministries/Departments of Central Government seeking legal advice are examined at the first instance by the Superintendent (Legal) and thereafter put up to the Additional Government Advocate/In-charge who in turn mark the cases as per extant work allocation Order. If required, the advice matters are also referred to the Ld. Additional Solicitor General of India for his expert opinion.

As far as the current year is concerned, this Branch Secretariat has received about 1261 cases being reference seeking advice and this Branch Secretariat has disposed 1239 cases and 22 cases is pending on date.

LITIGATION:

The litigation of this Branch Secretariat is headed by the Additional Government Advocate/Incharge, Additional Government Advocate, Assistant Legal Adviser(s) and Superintendent (Legal) in discharging the duties and in handling the litigation matters filed in Bombay High Court either filed by the Government of India or against it. So also, the litigation pertaining to Sub-ordinate Courts is handled by the Branch Secretariat. Wherever necessary the litigation is handled through the Advocates/Counsel appointed/empanelled on the Panel of Government of India for Bombay High Court on its Ordinary Original Civil Jurisdiction, Appellate Jurisdiction & Criminal Jurisdiction and through other Counsel empanelled on different Panels appearing before the different Courts of law.

During financial year 2020-21 is concerned, this Branch Secretariat has received about 958 cases in different litigation sections. The Counsel were engaged for protecting the interest of Government of India involved in the matter through different Central Government Ministries/Departments and on or about 126 litigation cases have been disposed of before the Hon'ble High Court and 832 cases is pending on date.

ADMINISTRATION:

The Additional Government Advocate/In-charge is the head of the Administration of the Branch Secretariat, Mumbai. He is normally assisted by DDO, Section Officer and Assistant Section Officers in handling the day-to-day administrative matters of the Branch Secretariat.

OFFICIAL LANGUAGE:

The Additional Govt. Advocate & In-charge of this Branch Secretariat also works in the capacity of “VibhagiyaRajbhashaAdhikar” and other officers nominated by him work for promotion and maximum usage of Official Language in the Branch Secretariat. A “Rajbhasha Samiti” is constituted in this Branch Secretariat with Sh. A. A. Ansari, Additional Govt. Advocate as Chairman. The Committee is submitting the periodical Reports to the In-charge.

18. LAW COMMISSION OF INDIA

The Law Commission of India is constituted normally every three years with definite terms of reference to work for Law Reforms. The 22nd Law Commission has been constituted vide notification dated 21.02.2020 but the Chairman and Members are yet to be appointed. The Commission consists of Law Officers of Indian Legal Service. A small group of secretarial staff looks after the administration.

Terms of Reference: The Terms of Reference of the Twenty-second Law Commission consisted the following:

A. Review/Repeal of obsolete laws:

- i. Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.
- ii. Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.
- iii. Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.
- iv. Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.
- v. Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.
- vi. Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

- i. Examine the Laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.
- ii. Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

- C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:
 - i. Elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.
 - ii. Simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.
 - iii. Improvement of standards of all concerned with the administration of justice.
- D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble to the Constitution.
- E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.
- F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.
- G. Recommend to the Government measures for making the statute book up-to-date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.
- H. Consider and to convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.

Encouragement to students:

The Commission conducts voluntary internship programmes, viz., Summer Internship Programme and Winter Internship Programme. The internship programme is conducted by the Law Commission with a view to train and inculcate orientation in legal research and law reform amongst law students to have better understanding of Law in its making and establishment of the Rule of Law.

Objectives & Achievements:

Various Law Commission has submitted 277 Reports so far on different subjects.

Follow-Up:

The Reports of the Law Commission are laid in Parliament from time to time by the Department of Legal

Affairs, Ministry of Law and Justice and forwarded to the concerned administrative Departments/Ministries for implementation. They are acted upon by concerned Departments/ Ministries depending on the Government's decision. Invariably, the Reports are cited in Courts, Parliamentary Standing Committees, in academic and public discourses.

19. STEPS TAKEN FOR STRENGTHENING THE ARBITRATION MECHANISM

The Central Government had amended the Arbitration and Conciliation Act, 1996, by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, inter-alia, in order to make arbitration process user friendly, cost effective and expeditious. However, some practical difficulties in applicability of the amendment Act were brought to notice and a need was also felt to strengthen institutional Arbitration mechanism in the country. In this regard, a High Level Committee (HLC) under the Chairmanship of Justice B. N. Srikrishna, former Judge, Supreme Court of India, was constituted by the Central Government to promote and strengthen institutionalization of arbitration mechanisms in India and submit a Report on suggested Reforms. The Committee submitted its Report on 30th July, 2017 and inter-alia recommended some amendments in the Act.

Taking in to consideration the recommendations of the HLC, the Arbitration and Conciliation Act, 1996 was amended by Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019. The said Act was notified in the Gazette of India on 09.08.2019. In order to promote institutional arbitration in the country the amendment Act of 2019 seeks to establish a national level body called Arbitration Council of India (ACI) which will grade arbitral institution. ACI will lay down norms to bring uniformity of standards among the arbitral institutions in the country. The amendment Act of 2019 further minimizes the court intervention in arbitration matters by empowering the Supreme Court and High Courts to designate ACI graded arbitral institutions for the purpose of appointment of arbitrators under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. However, provisions related to ACI are yet to be enforced.

ACI will inter-alia perform the following functions and duties:

- o recognise professional institutes providing accreditation of arbitrators;
- o hold training, workshops and courses in the area of arbitration in collaboration of law firms, law universities and arbitral institutes;
- o promote institutional arbitration by strengthening arbitral institutions;
- o conduct examination and training on various subjects relating to arbitration and conciliation and award certificates thereof;
- o establish and maintain depository of arbitral awards made in India;
- o make recommendations regarding personnel, training and infrastructure of arbitral institutions; and
- o maintain an electronic depository of all arbitral awards.
- o such other functions as may be decided by the Central Government.

However, after the enactment of Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019, the Hon'ble Supreme Court had, vide judgment dated 27.11.2019 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 1074 of 2019, Hindustan Construction Company Limited & Anr vs. UOI & Ors. (MANU/SC/1638/2019), struck down deletion of Section 26 of the 2015 Amendment Act, together with the insertion of section 87 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as being manifestly arbitrary to the principles laid down under Article 14 of the Constitution of India. Section 87 was inserted vide the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 [with retrospective effect i.e. w.e.f. 23.10.2015] to clarify the applicability of Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 on arbitral and Court proceedings. Section 26 of the Act of 2015 provided for the prospective applicability of the amendments.

As there was need to clarify the policy in view of the quashing of section 87 by the Supreme Court and also to develop India as a hub of international commercial arbitration by attracting best arbitrators to the country by addressing the concerns raised with regard to qualifications, experience and norms for accreditation of arbitrators as laid down in the Eighth Schedule, the Arbitration and Conciliation Act, 1996 was required to be amended.

The Hon'ble President of India promulgated the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 on 4th November, 2020. The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2020, provides for the following:

- (i) Provides for unconditional stay of enforcement of arbitral awards where the underlying arbitration agreement, contracts or arbitral award are induced by fraud or corruption.
- (ii) Omits Eighth Schedule to address the concerns raised by various stakeholders (including international).
- (iii) Empowers ACI to lay down qualifications, experience and norms for accreditation of arbitrators.

The amendments address the issues raised in regard to amendments of 2019 and ensures that in cases where the arbitration agreements, contract or arbitral award are induced by fraud or corruption, the parties get an opportunity to seek unconditional stay of the enforcement of award pending disposal of the challenge under section 34 of the Act, thereby securing the interest of the suffering party.

The amendments further streamline arbitration regime in tune with international trends, facilitate domestic and international investors and remove the impression of arbitration law being restrictive towards foreign arbitrators, thereby strengthening enforcement of contract regime which in turn will contribute to the economy.

The amendments will also help in attracting investors, both domestic and international investors, to choose India as the preferred destination for getting their disputes resolved in a time bound manner, who hitherto look towards institutions like Singapore International Arbitration Centre (SIAC) or Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) or London court of International Arbitration (LCIA) etc.

20. ADMINISTRATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM (AMRD)

The subject of litigation between two Government Departments has repeatedly been a concern of the court as well as the Govt. Although, prevalence of such litigation cannot be wholly done away with but

the need to resolve such disputes administratively is the demand of hour. At present, the Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) framed by Department of Public Enterprises is in place to resolve the commercial disputes between Central Public Sector Enterprises (CPSES), inter se and CPSE(s) and Government Department(s) / Organization but there is no such mechanism in place for resolution of disputes involving two/ many departments.

Recently, the Hon'ble Supreme Court had also directed the UoI to frame a comprehensive policy for resolution of disputes between the Department/undertakings of the Government and thus to stop such litigations coming up before the courts. The Supreme Court Factors has also called upon the Union of India to examine the issue of disputes between Govt. Departments/Ministries and the CPSEs in light of the professed litigation policy of not to burden the judicial system unnecessarily as the money goes from one pocket of Govt. to another.

Factors which necessitated for framing Administrative Mechanism Resolution of disputes

- The judiciary is not meant for settlement of disputes between the Departments/Undertakings of the Government. It is the domain of the Government to work out the formula to settle its inter-Departmental/Undertaking litigation within itself. It would not be desirable to surrender the resolution power to the judiciary.
- Judgements in such litigations does not benefit the Government, whereas the result will only lead to putting money from one pocket to other.
- The time and money spent on the litigations is unnecessary burden on the Government.
- It also causes embarrassment to law officers/lawyers representing the Departments/Undertakings by fighting against themselves in the Court, exposing Government issues to the public.
- Such litigations are unnecessary burden on the judicial system as well.

Making of AMRD

In furtherance of this objectives and the need to evolve and suggest the alternative mechanism for the resolution of Inter-Ministerial/Departmental disputes and also to provide for an institutionalized mechanism for resolution of such disputes, the Administrative Mechanism for Resolution of Disputes (AMRD) was framed by the Department of Legal Affairs vide O.M. dated 31.03.2020. This mechanism applies to disputes other than taxation disputes, where both parties are Govt. Department or where one party is Govt. Department and other is its instrumentalities, (CPSEs / Boards / Authorities, etc.,).

Applicability

It applies to any/all dispute(s), other than those related to taxation, between Central Government Ministries / Departments inter se and between Central Government Ministries / Departments and other Ministries / Departments / Organisation(s) / Subordinate / Attached Offices / Autonomous and Statutory Bodies, etc., under their administrative supervision / control.

Structure

First level (tier)

The Disputes, (other than taxation), is referred to a Committee comprising of Secretaries of the Administrative Ministries / Departments to which the disputing Parties belong and Secretary, D/o Legal Affairs. The Committee at the First level (tier) finalise its decision within 3 months after having received the reference/ notice from the concerned aggrieved party.

Second level (tier)

In case the dispute remains unresolved or any party is aggrieved with the decision of the Committee at First tier, the same is referred to the Second level (tier), to the Cabinet Secretary, within 15 days from the date of receipt of decision of the Committee at the First level, whose decision becomes final and binding on all concerned.

Future impacts

- The mechanism will provide an opportunity to Govt. departments to resolve the cases outside the court system, which in effect will reduce litigations in courts.
- The time and money spent on the Government litigations may be a boon in disguise.
- The saving of judicial time through settlement of Govt. litigation through such mechanism may be utilised in public centric litigation.

Other instruction to reduce Govt. Litigation

Recently, instruction has been issued to Ministries/Departments of the Governments of India, that appropriate direction may be given to subordinate office where similar cases/issues are settled by the Hon'ble Supreme Court before referring the file for filing SLPs.

21. INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

Introduction: ILI is a Premier Legal Research Institute founded on 27th December, 1956. The objective of the Institute is to promote advanced studies and research in law and to contribute substantially in reforming the administration of Justice, so as to meet the socio economic aspirations of the people through law and its instrumentalities. The Institute got the status of Deemed University in the year 2004. The Institute got its first ever accreditation with 'A' grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) during March, 2017 with a CGPA of 3.35 on a 4.00 point scale. The Institute conducting Masters in Law and Doctoral courses as well as few PG Diploma Courses in various areas of law, i.e., Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws.

Academic Programmes: After the declaration of Deemed University in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission in LLM programme is strictly on merit in Common Admission Test (CAT) conducting every year and Interview. Presently the following programmes are conducted by the Institute:

Programme(s)	Students Enrolled in academic session 2020-21
LL.M.- 1 Year (Full Time)	40
P G Diploma Courses(Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	282
No. of seats in Ph.D in Law *(Yet to be enrolled)	*11
Total No. of Students	333

- The Institute has a Ph.D. programme. There are 33 scholars enrolled as on date.
- E Learning courses of three months duration on “**Cyber Law**” (36th batch) and “**Intellectual Property Rights and IT in the Internet Age**” (48th batch) was completed on September 22, 2020.
- 70 students were enrolled for the 37th batch of online certificate course in Cyber Law and 42 students were enrolled for the 48th batch of online certificate course in IPR.

Activities of the Institute:

- **WEB SERIES OF LECTURES - Law and COVID 19 Webinar Series**

The Indian Law Institute and Association of ILI Alumni organised the Webinar Series on Covid 19 and Law during May-June, 2020. During the lockdown, the Ministry of Human Resource and Development, Government of India and UGC directed the educational institutes and academicians to engage in online intellectual activities and research endeavor. UGC also suggested taking up topics like domestic violence for Webinar series of lectures. Accordingly, the following weekly webinars were conducted on the contemporary topics:

- o “**India’s governance over Covid-19 with Special Focus on Migrant Workers**” on May 20, 2020.
- o “**Law, Media and Covid-19 Issues and Challenges**” on May 27, 2020.
- o “**Interlink between environment and COVID-19**” was sought to be analysed with special emphasis on the future of sustainable development in a post COVID-19 world on June 03, 2020.
- o “**Domestic Violence during Lockdown: An Invisible Pandemic**” on June 10, 2020.
- o “Challenges to the Right to Health and Access to Healthcare in Light of the
- o “**Covid-19 Pandemic**” on June 17, 2020.
- o “**Impact of Covid-19 on Legal Education Sector and its responses thereon**” on June 24, 2020.

- A talk was organized on July 6, 2020 on “**Perverse Economies of Intimate and Personal Labour: Resuming Domestic Work in Households after the Lockdown**”.
- ILI organized a talk on the issue of “**Gender Mainstreaming: Have We Learnt the Lesson from the Pandemic?**” followed by Q&A on July 28, 2020 with regard to gender dynamics and lessons that the pandemic offers about shaping the home and work space divide – to move the discourse on gender from binaries to a more holistic approach.
- An online discussion on “**The Impossibility of Love in Meghna Gulzar’s “Raazi”** was organised on **July 24, 2020**.
- ILI also organized an interactive session to discuss **Mental Health Matters and Psychological Coping Strategies on July 30, 2020** with a view to explore ways to manage anxiety and mental resilience in current stressful times.
- The Indian Law Institute in collaboration with All India Lawyer’s Forum (AILF) organised a webinar on “Legal Education and Challenges in India” on **September 26, 2020**.
- The Indian Law Institute, in collaboration with Knowledgeez, conducted a **National Webinar on “International Humanitarian Law: Issues and Challenges” on 2nd October 2020**.
- **National Webinar on National Education Policy, 2020 : Right Steps Towards Inclusive Higher Education** was held on **October 18, 2020**.

Publications:

Research Publications Released

The following research publications have been released by the ILI during the period of report:

- Journal of the Indian Law Institute (JILI) – Published quarterly containing research articles on contemporary legal issues of National/International Importance.
- ILI Newsletter – Published quarterly referring various activities undertaken by the Institute during the year and forthcoming activities.
- Index to Legal Periodicals – Published yearly and contains indexes, periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received (either by subscription or exchange or complementary) by the ILI Library.
- Annual Survey of Indian Law –2018
- ILI Law Review 2019 (Summer) & (Winter)

Forecast of Activities

Forthcoming Publications

- ❖ Journal of Indian Law Institute(Quarterly publication)
- ❖ ILI Newsletter (Quarterly publication)
- ❖ Annual Survey of Indian Law – 2019.

- ❖ Index to Legal Periodicals – 2019.
- ❖ * Book titled Human Rights of Vulnerable Groups: National and International Perspectives by Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha and Arya A. Kumar

In view of pandemic situation, the Institute endeavour to engage academicians in online intellectual activities and conduct of all classes through virtual platform. The Institute will continue to organize series of Webinars in line with the directions of the Ministry of Human Resource and Development, Government of India and the University Grants Commission.

22. SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION (SCO)

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a permanent Inter-Governmental Multilateral Organisation, established on 15th Jun, 2001 in Shanghai, China by the Leaders of China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, Tajikistan & Uzbekistan. India and Pakistan joined SCO as full-fledged member in the historic meeting of the Heads of State Council of the SCO during 8-9 June, 2017 at Astana.

There are four Observers States of SCO viz. Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia. In addition, the SCO has six dialogue partners namely, Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka. The official working languages of the Shanghai Cooperation organization are Chinese and Russian.

In pursuance of the mandate given during the 6th meeting of the Ministers of Justice of SCO held at Cholpan-Ata, Kyrgyzstan Republic held on 22nd – 24th August, 2018, India had hosted the 7th meeting of the Ministers of Justice of SCO Member States in New Delhi. The first expert meeting of the preparation of 7th Session of the Ministers of Justice of SCO Member States was held during 17th – 18th September, 2019 in New Delhi.

The 7th Meeting of Ministers of Justice of SCO Member States was held on 16th October, 2020, preceded by two days Experts Group Meeting on 13th – 14th October, 2020 through Video Conferencing.

The Experts Working Group of SCO Member States discussed the importance of promoting alternative dispute resolution mechanism as also cooperation in all spheres including legal, given the spread of the coronavirus pandemic.

The Seventh Meeting of Ministers of Justice of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Member States was hosted by Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law & Justice, Communication and Electronics & Information Technology on 16th October, 2020.

Minister of Law and Justice of the Republic of India Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan Mr. M.B. Beketayev, Minister of Justice of the People's Republic of China Mr. Tang Yijun, Minister of Justice of the Kyrgyz Republic Mr. M. T. Dzhamankulov, Authorized representative of the Ministry of Law and Justice of the Islamic Republic of Pakistan Ms. Ambreen Abbasi, Minister of Justice of the Russian Federation Mr. K. A. Chuichenko, Minister of Justice of the Republic of Tajikistan Mr. M.K. Ashriyon, Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan Mr. R.K. Davletov, participated in the Justice Ministers' Meeting. The Keynote address and Closing Remarks in the Justice Ministers' meeting were delivered by Shri Anoop Kumar Mendiratta, Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice.

The Seventh Session of the Ministers of Justice of the SCO Member States deliberated on areas of cooperation; emphasized the high relevance of mutual exchange of legal information on counteraction to the spread of the coronavirus pandemic and acknowledged the need for cooperation in ADR mechanism area, among others. A Joint Statement following the Results of the Seventh Session of the Ministers of Justice of the SCO Member States was also adopted.

The salient features of the Joint Statement are as under:

1. To strengthen the work on implementation of the Agreement on Cooperation between the Ministries of Justice of the SCO Member States (Dushanbe, 18 August 2015).
2. To continue the work on implementation of the Action Plans of the working groups of experts on forensic activities and legal services for 2018-2020, as well as to develop Action Plans for 2021-2023.
3. Consider organizing exchange programs for representatives of the ministries (law and justice of the SCO member-states) to study the best practices in alternative dispute resolution.
4. To continue discussing the parties' positions on the issues of mutual legal assistance and development of legal services in accordance with national legislation.
5. Actively develop cooperation with the ministries of justice of the SCO observer and dialogue partner states.
6. Continue efforts to develop an online platform for the exchange of legal information, taking into account national laws.

The Ministers of (Law and) Justice and senior officials / experts from the Ministries of Law & Justice of India, Kazakhstan, China, Kyrgyz Republic, Pakistan, Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan participated in the three days deliberations. This Ministerial meeting was preceded by officer level deliberations. Shri Anoop Kumar Mendiratta, Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice also hosted the Second meeting of the Experts Working Group on 13th and 14th October, 2020. The meetings were conducted through Video Conferencing mode.

23. INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL, MUMBAI.

Origin: Section 252 of the Income-tax Act, 1961 provides that the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal consisting of as many Judicial Members and Accountant Members as it thinks fit, to exercise the powers and discharge the functions conferred on the Appellate Tribunal by the said Act. The Income-tax Appellate Tribunal was established on 25thJanuary, 1941, in pursuance of a similar provision contained in the erstwhile Indian Income-tax Act, 1922.

Bench Strength: The Tribunal as constituted presently, consists of 63 Benches comprising of sanctioned strength of one (01) President, who is assisted by ten (10) Zonal Vice-Presidents and 115 Members (i.e. Accountant Members and Judicial Members). The present sanctioned strength of Members is 126 (including President and Vice Presidents) for 63 Benches as spread over 30 cities throughout the country.

Powers and Functions: The Income-tax Appellate Tribunal, constituted under the Income-tax Act, deals with second appeals in all matters of direct taxes, including appeals against the revisionary orders of

Administrative Commissioners as well as orders denying registration under Section 12A or under Section 80G of the Income-tax Act 1961, etc. The Appellate Tribunal also deals with second appeals in all matters of the Black Money (Undisclosed foreign income and assets) and imposition of Tax Act, 2015 including any revisionary order passed by the Principal Commissioner/Commissioner under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.

The powers and functions of the Appellate Tribunal are exercised and discharged by the Benches constituted by the President of the Tribunal from amongst the Members thereof. Generally, a Bench consists of one Judicial Member and one Accountant Member. However, in appropriate cases, at the discretion of the President, a Bench may consist of more than two Members. The President or any other Member of Tribunal authorised in this behalf by the Central Government may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the Bench of which he is a Member and which pertains to an assessee whose total income as computed by the Assessing Officer in that case does not exceed fifty (50) lakhs rupees and the President may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more Members, one of whom shall necessarily be a Judicial Member and one Accountant Member, subject to the provisions of the Income-tax Act, 1961.

Procedure and Rules: The Appellate Tribunal has the power to regulate its own procedure and the procedure of its Benches in all matters arising out of the exercise of its powers or in the discharge of its functions, including the places at which the Benches shall hold their sittings.

The Appellate Tribunal has, accordingly, framed its own rules called the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963. The said Rules are best suited for the expeditious disposal of all matters pending before the Appellate Tribunal. The Appellate Tribunal functions not only as the final fact finding authority in the matters concerning Income-tax but also in all matters of taxation such as Wealth-tax, Gift-tax, etc. The Appellate Tribunal is manned by efficient personnel discharging their functions to the best of their ability and holding the scales of justice evenly between the tax payer and the Revenue without fear or favour.

The matters which the Appellate Tribunal disposes are of vital importance involving revenue to the tune of several crores. The Tribunal is entrusted with the responsible task of deciding intricate questions of law and fact. The presence of both the Judicial and Accountant Members ensures that Questions of Law and facts, which arise for consideration are properly enquired into and that the accountancy point, as also the legal angle, are weighed properly. The Appellate Tribunal allows the representatives of both the parties to appear before it and invariably hears them before passing any order. The Members hear the parties, peruse the evidence on record, make their own notes, refer to the authorities cited at the Bar, confer among themselves and then pass final orders. The procedure is, by itself, a succour that Questions of fact and law are properly and judicially decided and inference drawn by the Tribunals are beyond reproach.

Pendency of Appeals: At the beginning of Financial year 2020-21 i.e. 1st April, 2020, the Pendency of the appeals was 88016 and as on 1st December, 2020 the number of appeals pending in the Income-tax Appellate Tribunal stands at 82276.

It will be seen from the following table that the commitment to reduce pendency is showing encouraging results:

Year (April to March)	Institution	Disposal	Pendency at the end of year
2014-2015	45089	30494	103238
2015-2016	39743	51010	91971
2016-2017	48800	48385	92386
2017-2018	50222	49791	92817
2018-2019	51154	51766	92205
2019-2020	45842	50031	88016
2020-2021 (April, 2020 to November, 2020)	5661	11419	82276

Efforts for Reduction of Pendency:- Necessary instructions have already been issued to all the Benches to scrutinize and identify cases which are covered by decisions of I.T.A.T., High Courts, and the Supreme Court and post them on priority basis. This includes group and small matters. The members of the Bar have also been requested to bring to the notice of I.T.A.T., all such covered cases for out of turn posting. Besides, appeals dealing with Search & Seizure matters and appeals against Order passed under Section 263 by the administrative Commissioners are also given priority in their disposal. Similarly, appeals against the denial of registration to charitable institutions under Section 12A and denial of recognition under Section 80 G are also given priority. Appeals of Senior Citizens are also taken up for priority hearing, wherever the Tribunal is so approached. Further, vide Finance Act 2015 an amendment in Income Tax Act 1961 was made that the appeal involving assessed income upto Rs. 50 lakhs can be heard by Single Member Bench and accordingly the same has been implemented.

The pendency figure of Single Member Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2020	14454
February,2020	13898
March,2020	13741
April,2020	13193
May,2020	13633
June,2020	13790
July,2020	13543
August,2020	13378
September,2020	13073
October,2020	12981
November,2020	12798

The pendency figure of Wealth Tax Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2020	337
February,2020	326
March,2020	307
April,2020	307
May,2020	307
June,2020	311
July,2020	314
August,2020	313
September,2020	296
October,2020	288
November,2020	286

There are 63 sanctioned Benches of the I.T.A.T. wherein the required strength of the Members is 126 but presently there are only 79 Members, because of which some of the Benches are not regularly functioning which has resulted in increase of pendency thereof. Due to Covid-19 pandemic, Benches were not functioning regularly and hearing of appeals was held by video conferencing and the system of virtual court hearing has yielded satisfactory results.

Computerisation: The process of computerization started in the Income Tax Appellate Tribunal in early 2000 and in recent years, this process has gained great momentum with several innovative projects being implemented in day-to-day activities of the Tribunal. Over the years, various projects have been undertaken and implemented by the Tribunal to live upto its motto “**NishpakshSulabhSatvarNyay**”.

Achievements:

- (a) **ITAT Online Project:** This pilot project is the first initiative to automate the process of judicial administration in the Tribunal starting from receipt and registration of appeals and applications till disposal and uploading of Tribunal orders. This project has been commissioned and implemented in all Benches of the Tribunal in a phased manner. ITAT Online is a web-based application which can be accessed from anywhere and anytime. As of now, all Benches of ITAT have been connected to the ITAT Online database and activities like registration, data updation, Tribunal order uploading, etc., are being carried out through the web application. Web-cum-Database Server of this project has been setup in National Informatics Centre Cloud Server.
- (b) **ITAT Official Website:** As an extension of the ITAT Online Project, Official Website of Income Tax Appellate Tribunal has been redeveloped in 2016 and commissioned to deliver judicial and general information to the general public. The Official website has been redesigned to make it more users friendly, informative, responsive, updated and compliant with the Government of India,

Guidelines for Websites. Dynamic information like Cause Lists, Constitution, Case Status, Order Search, Pronouncement Search, etc. have been provided to cater to the judicial information needs of the litigants before the Tribunal. This apart, static information like Holiday Lists, Tenders and Auctions, Notice Board, Right to Information, etc has been made accessible to the litigants in particular and public in general. This website is widely used and appreciated.

- (c) **Launching of Mobile Application:** Android version of ITAT Judicial Information Portal has been developed and released for the benefit of appellants, respondents as well as their counsels. The app has been very useful owing to its simplicity and ease of use. iOS version of the app has also been developed and is undergoing testing. This app will be rolled out shortly.
- (d) **Infrastructure Up-gradation:** ITAT has always been conscious that better computerization needs better infrastructure. Accordingly, Members of ITAT have been equipped with latest IT hardware and Dictation Software to assist in dictation of orders.
- (e) **Budget and Expenditure Monitoring System:** ITAT has implemented an online application namely BudgetMan, developed by in-house talent, for monitoring and consolidating the budget availability and expenditure position efficiently and accurately in real-time basis.
- (f) **Virtual Hearings:** Consequent to imposition of lockdown, court proceedings in ITAT benches across the country have come to a halt. ITAT has, however, quickly

taken up the challenge posed by Covid and restarted judicial proceedings by adopting solutions offered by information and communication technology. Hearings have been conducted successfully in Virtual Courtrooms using video conferencing technology in NIC's Vidyo software and other community platforms. The fact that ITAT could dispose of more than 12000 cases during lockdown upto November, 2020 shows how this oldest tribunal stands foremost in crisis handling and technology harvesting.

Future Projects:

- (a) **Redevelopment of launching of E-Filing:** E-Filing Portal of Income Tax Appellate Tribunal has been redeveloped in accordance with the revised forms of Memorandum of appeal/cross objection, and is ready for launch. The development of this project has been entrusted to a NCSI-Empanelled vendor. The official website has already been launched alongwith the Android based Mobile application.
- (b) **Digital Display Boards:** As an innovative step, physical notice boards have been replaced by digital notice boards at ITAT, Delhi Benches. Cause Lists, Constitutions, Friday lists, etc. are being digitally displayed in the digital notice boards; this project will be expanded to other major cities soon.
- (c) **E-Court:** E-courts were setup at ITAT Rajkot, Guwahati, Ranchi, Patna and Jabalpur Benches. Bench proceeding were conducted at ITAT Rajkot, Guwahati, Ranchi, Patna and Jabalpur Bench connecting to ITAT Ahmedabad, Kolkata and Delhi Benches respectively. Presently, three more Benches are in the process of developing E-Court at Lucknow Zonal, Cochin and Dehradun Bench.

Following is the status of Bench/es functioning through E-Court:

Sr. No.	Functioning Bench(es)
1	Mumbai Head Office
2	Ahmedabad Zonal Office
3	New Delhi Zonal Office
4	Kolkata Zonal Office
5	Jabalpur Bench
6	Rajkot Bench
7	Guwahati Bench
8	Ranchi Bench
9	Patna Bench

During the last year, the following Benches started functioning through E-Court:

Sr. No.	Name of Benches
1	Pune Zonal Office
2	Nagpur Bench
3	Panaji Bench (GOA)

Development of E-Court in respect of following Benches are ready for functioning process:

Sr. No.	Ready for Process Bench(es)
1	Bangalore Zonal Office
2	Chennai Zonal Office
3	Hyderabad Zonal Office
4	Chandigarh Zonal Office
5	Jaipur Bench
6	Allahabad Bench
7	Cuttack Bench
8	Visakhapatnam Bench
9	Indore Bench
10	Surat Bench
11	Jodhpur Bench
12	Allahabad Bench
13	Amritsar Bench

Development of E-Court in respect of following Benches are under process:

Sr. No.	Under Process Bench(es)
1	Lucknow Zonal Office
2	Cochin Bench
3	Dehradun Bench

- (d) **CCTV Installation in ITAT Benches:** Hon'ble Supreme Court of India, vide judgement dated 14.08.2017 directed that CCTV Cameras with audio and video recording be installed in all Tribunals including the Income Tax Appellate Tribunal. The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, vide their letter dated 29.09.2017 also directed the ITAT to install the CCTV Cameras in Court Rooms and other important locations of all Benches of the Tribunal.

The following 17 locations (ITAT Benches) have been initially covered under CCTV recording:

Sr. No.	Name of Benches
1	Mumbai
2	Delhi
3	Ahmedabad
4	Agra
5	Amritsar
6	Bangalore
7	Chandigarh
8	Chennai
9	Hyderabad
10	Kolkata
11	Lucknow
12	Pune
13	Cochin
14	Indore
15	Jaipur
16	Surat
17	Vishakhapatnam

During the last year, CCTV was setup at ITAT, Benches as under:

Sr. No.	Name of Benches
1	Nagpur Bench
2	Patna Bench
3	Cuttack Bench

- (e) **E-Office Suite:** To bring in speed, accuracy, accountability and transparency in office work, it has been decided in principle to implement E-Office Solution in the Income Tax Appellate Tribunal.

Implementation of E-Office in ITAT will also lead to less consumption of paper and therefore making office environment eco-friendly.

Establishment of New Benches:

Dehradun - Suitable amendment was made in the Standing order of ITAT regarding jurisdiction of the Circuit Bench, Dehradun. The premises of ITAT at Dehradun establishing a Circuit Bench was inaugurated by the Hon'ble Law Minister in the august presence of the Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand on 27th February, 2020.

Varanasi - Suitable amendment was made in the Standing order of ITAT regarding change of jurisdiction. Presently, the office of Principal CIT, Varanasi has provided space at Aayakar Bhawan, Varanasi on temporary basis to ITAT for establishing a circuit Bench at Varanasi.

Own Building of I.T.A.T.:

Income Tax Appellate Tribunal (I.T.A.T.) had purchased land at Pune, Bengaluru, Jaipur, Lucknow, Cuttack, Kolkata & Guwahati for office-cum-residential accommodation. Further, the Ministry of Law & Justice has approved the proposal of I.T.A.T. for purchase of space for office premises for I.T.A.T. Delhi Benches through E-Auction at World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi, which is being developed by NBCC India Ltd.

Details of Status of Land / Building:

Pune: A proposal for construction of Training Centre, Guest House and Staff Quarters has been approved and estimate of expenditure on Construction and preliminary drawings and layout has been received from CPWD, Mumbai.

- (i) **Bengaluru:** Construction work of building has been completed and the complex has been inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India on 06.03.2019.
- (ii) **Lucknow:** Construction of office-cum-Residential complex has commenced and boundary wall have been constructed. During the current F.Y.2020-21 no authorization towards Construction of office-cum-Residential complex for ITAT, Lucknow Benches Lucknow could be made due to lack of funds under the major head "Capital Outlay" in this Financial Year.
- (iii) **Cuttack:** I.T.A.T., has completed the Construction of the Office Building and Staff quarters on a land admeasuring 1.601 acre at Cuttack which was allotted by Govt. of Odisha. The premises were inaugurated virtually by the Hon'ble Prime Minister in the august presence of the Hon'ble Chief Minister of Odisha and the Hon'ble Law Minister on 11th November, 2020.
- (iv) **Guwahati:** Taken over land of Central Inland Water Transport Corporation Ltd. (CIWTC) @ Rs.4.03 crore at Fancy Bazar, Guwahati and the matter regarding valuation of the super-structure of land parcel in the State of Assam is under process. The matter of delivery of possession of the property is being pursued with the Ministry of Shipping.
- (v) **Kolkata:** The WBHIDCO Ltd. has allotted 1.25 Acres of leasehold land letter dated 19.09.2019 at Financial & Legal Hub developed by West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Ltd. (WBHIDCO)] at a cost of Rs. 16 crore. A proposal has been sent to the CPWD, Kolkata for submission of preliminary Plan, Layout and estimated expenditure for construction of office building for ITAT, Kolkata Benches, Kolkata.
- (vi) **Ahmedabad:** A proposal for allotment of land for construction of office building for ITAT, Ahmedabad Benches, Ahmedabad have been sent to the State Govt of Gujarat. The State

Govt of Gujarat vide letter dated 09.03.2020 has offered 11,559 Sq. metres of land #@ Rs.61,640/- per sq. metre. (i.e., at a cost of Rs. 71.25 crore). The matter is being pursued with the State Government.

- (vii) **New Delhi:** ITAT has been allotted space of 63,780 sq.ft in World Trade Centre being built by NBCC India Ltd. at Nauroji Nagar, New Delhi at a total cost of Rs. 255.83 crore. An amount of Rs. 74.55 crore have so far been paid to NBCC, which is expected to build / provide the space by September, 2022. As of now, the construction is in full swing.
- (viii) **Raipur:** The Deputy Director of Estate (Regions), Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi on dated 04.09.2020 conveyed the approval for allotment of office space admeasuring **8730 sq.ft** area in the newly constructed GPOA Building at Naya Raipur (Atal Nagar), Chhattisgarh to ITAT, Raipur Bench, Raipur. The partition work of the newly allotted office space is being carried out by the CPWD, Raipur and the office space after the completion of partition work is expected to be handed over to the ITAT in the near future.

Facilities for Members:

The Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 19.9.2003 in SLP (L) Mos.6905/1998 & TP(C) Nos. 659 and 672-673 of 1998 in the case of Union of India and others Vs. All Gujarat Federation of tax consultants had directed the Government to provide the various facilities to the Members of Income Tax Appellate Tribunal and every effort has been made by the ITAT to provide the said facilities to the Members.

Benevolent Fund:

A Benevolent Fund, the corpus of which has been built out of voluntary contributions by the officers and staff, also exists in the Income-tax Appellate Tribunal. The President, Income-tax Appellate Tribunal, is the patron. Officers and staff contribute voluntarily to this fund and disbursements are made to officials in need of medical or other emergent situations on the recommendation of Committee formed under the Rules.

Right to Information Act, 2005:

It is being implemented by the Income Tax Appellate Tribunal.

25 Benches of ITAT have registered on the website of CIC, Delhi. 12 Public Authorities have submitted Annual Report for the year 2018-19. All 25 Public Authorities have submitted Annual Report for the year 2019-20. 10 Public Authorities have submitted Audit Report for the year 2019-20.

Other Important Events and Activigties:

Hon'ble Prime Minister of India, Shri. Narendra Modi virtually inaugurated state of the art - office cum residential complex of ITAT, Cuttack on 11.11.2020.

Hon'ble Chief Justice of India, Mr. Justice S. A. Bobde inaugurated the 79th Foundation Day Celebrations and All India Members Conference of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) on 24th January, 2020 in New Delhi. The conference was held during 24-25 January, 2020. Income Tax Appellate Tribunal celebrated its 79th Foundation Day on 25th January, 2020 at all its Benches.

The Union Law Minister, Shri. Ravi Shankar Prasad inaugurated the second Circuit Bench of ITAT at Dehradun on 27.02.2020 to cater to the appeals arising from the State of Uttarakhand.

“Swachhta Pakhwada” was organized at all the Benches of Income Tax Appellate Tribunal as per the guidelines of Ministry of Drinking Water and Sanitization, Government of India. “Swachhta Pledge” was administered to all officers and staff of ITAT on 02.10.2020.

Covid-19 Pledge was taken in all Benches of the ITAT on 08.10.2020.

Rashtriya Ekta Diwas was observed in all Benches of the ITAT on 31.10.2020.

Constitution Day was celebrated in all Benches of the ITAT on 26.11.2020.

Implementation of Official Language Policy:

Official Language Implementation Committees have been constituted at all the Benches of Income-tax Appellate Tribunal, with a view of keeping a watch and providing guidance for proper implementation of the official language policy prescribed by Department of official language, Government of India.

Progress in achieving the targets set for Hindi correspondence and its implementation is monitored by the concerned Benches and their quarterly reports regarding progressive use of Hindi is regularly scrutinized by Head Quarters at Mumbai. Training in Hindi/Hindi Typing/Hindi Stenography is offered by nominating sufficient number of officials under Hindi Teaching Scheme., Department of official language, Government of India.

Hindi workshops are also held in all the Benches for proper implementation of the Official Language policy and to encourage use of Hindi and to remove the hesitation of officers / employees to work in Hindi.

Every endeavor is being made for the progressive use of Hindi by doing the work in Hindi as much as in accordance with the provisions of the Official Language Act, 1963.

This year sufficient funds were provided to purchase Hindi Books at all the Benches. All offices of Income Tax Appellate Tribunal were instructed to make expenditure towards purchase of Hindi Books (i.e. 50% of total library grant) as per the Official Language policy and in accordance with the targets fixed by the Department of Official Language, Government of India.

With a view to create awareness in regard to the use of Official Language Hindi in official work as well as to accelerate the pace of its progressive use, Hindi Day & Hindi Fortnight have been organized at all benches.

An Annual Journal ‘Srijan’ is published at Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai. It contains photos of the Hindi Pakhwada Programmes, Hindi Workshops, besides articles, stories, poems and travelogues, etc. written by Members, Officers and employees of various Benches of ITAT.

IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONS REGARDING REPRESENTATIVE IN SERVICES OF HANDICAPPED, SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES, AND EX-SERVICEMEN ETC.

The Government of India’s instructions regarding the concessions in appointments to the Handicapped, Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Ex-Serviceman etc, were duly implemented during the year 2020-2021 and the statistics relating to representation of these categories in services of the Income-tax Appellate Tribunal is at [Annexure II](#).

Statements showing the total number of government servants, number of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and physically handicapped amongst them in the Department of Legal Affairs and Legislative Department as on 01.01.2021 is enclosed at [Annexures - III](#).

24. GENDER ISSUES

The Complaints Committee under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been set up by the Department vide Order dated 7th February, 2019, to look into the complaints on sexual harassment from employees of both the departments i.e. Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Complaints Committee shall be deemed to be the inquiring

authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of CCS (CCA) Rules, 1965. The report of the Complaints Committee should be treated as enquiry report. It will examine the complaints made against sexual harassment by women employee(s) and, if necessary, conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to the Joint Secretary (Admin.I), D/o Legal Affairs for further necessary action. The Committee is presently headed by Dr. Reeta Vasishta, Additional Secretary, Legislative Department.

The representation of female employees in the Department of Legal Affairs and ITAT is given at **Annexure - IV**

25. VIGILANCE ACTIVITIES

The Vigilance Unit in the Ministry of Law and Justice caters to Department of Legal Affairs (including Income Tax Appellate Tribunal) and Legislative Department. The Vigilance Unit is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Additional Secretary who is appointed with the concurrence of Central Vigilance Commission. Vigilance Unit is presently headed by Shri R.S.Verma, Additional Secretary. The overall responsibility of vigilance activities of both of these Departments rests with the Chief Vigilance Officer. The Chief Vigilance Officer is the nodal point in the vigilance unit set up for these Departments and is entrusted with the following:

- Identification of sensitive areas prone to malpractices/temptation and taking preventive measures to ensure integrity/efficiency in government functioning;
- Taking suitable action to achieve the targets fixed by the Department of Personnel & Training on anticorruption measures;
- Scrutiny of complaints and initiation of appropriate investigation measures;
- Inspection and follow-up action on the same;
- Furnishing comments of the Department to the Central Vigilance Commission on the investigation reports of the Central Bureau of Investigation;
- Taking appropriate action in respect of departmental proceedings on the advice of Central Vigilance Commission or otherwise;
- Obtaining first and second stage advice of the Central Vigilance Commission, wherever necessary; and
- Obtaining the advice of Union Public Service Commission in regard to the nature and quantum of penalty to be imposed, wherever necessary.

(2) Preventive vigilance continues to receive priority attention with emphasis on identification of areas sensitive or prone to malpractices and temptation. The guidelines/instructions issued from time to time by the Department of Personnel & Training and Central Vigilance Commission in this regard are followed. Vigilance Awareness Week is observed every year.

26. CELEBRATION OF INTERNATIONAL YOGA DAY 2020

In view of the prevailing covid-19 pandemic situation, International Yoga Day was celebrated in non-congregated way by encouraged the employees to perform Yoga at respective home of participants and avail the multiple mental and physical health benefits.

27. CONSTITUTION DAY

26th Nov, 2020 was celebrated as ‘Constitution Day’ in the Department of Legal Affairs at the Main Secretariat, Branch Secretariats at Kolkata, Chennai, Mumbai, Bengaluru, Office of the ITAT and by the Bar Council of India. The Celebration consisted of reading out of ‘Preamble’ to the Constitution of India by observing the norms of social distancing and other safety measures stipulated for the COVID-19 pandemic.



THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

28. INITIATIVES TAKEN UNDER ‘MINIMUM GOVERNMENT AND MAXIMUM GOVERNANCE’

I. Simplification of official procedure:-

Admn.IV Section is cadre controlling authority for the employees belonging to the three services of Central Secretariat Service viz. CSS, CSSS and CSCS. The Procedure prescribed by DOP&T is being followed in dealing with administrative matters.

II. Digital India - Following initiatives have been taken under the Digital India Program.

a. LIMBS (Legal Information and Management Briefing System)

Background of LIMBS:

The Legal Information Management and Briefing System (LIMBS) is a web based application for monitoring of all court cases where Union of India is one of the parties. LIMBS came into existence for all Ministries/ Departments/autonomous Organisations/CPSUs in Feb, 2016, since then the application is working under the supervision of department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice (as Nodal Ministry). It is an innovative and easy to access online tool which is available 24x7 to all the stakeholders' viz., government officials, department users, Nodal officers, higher officials of Ministries and advocates.

b. LIMBS Ver.2 is an upgraded version of LIMBS.

It is a dashboard based system for the user Ministries/Departments on which they can see their cases at a glance. This version is backed with the use of Open Source technologies using Coordinator framework of PHP to enhance the security of the system and improve the efficiency of the system. Till date, LIMBS Ver.2 has captured 6.27 lakh court cases (including archive cases). There are approximately 14090 registered users, 19257 advocates, 3052 courts and 5715 arbitration cases on a single platform. Efforts have been made to automate and minimize the data entry process by integrating LIMBS with various Courts through APIs by which data from Courts portal will be easily fetched in LIMBS database.

Some of the Salient Features of LIMBS Ver. 2:

- **Dashboard**, users can view their ministry's progress viz., total no. of cases entered, pending cases, disposed of cases, cases pending for compliance, important cases, contempt cases, counsel wise top 10 cases, subject wise pending cases etc.
- **Integration** with Hon'ble Supreme Court, High Courts, Tribunals, District & Session Court websites through API to fetch data automatically. This will reduce manual entry feed to a great extent.
- **Data Entry of new case and Case Updation**- Now, users through different fields can update last hearing dates, next hearing dates and can upload relevant documents relating to a case using Compliance Entry under My Court Cases tab. Also, users can edit or add basic detail of cases viz., CNR no, advocate name & mobile no, brief history etc. using Case list from Updation tab.

- **Add Progress and Transfer of Cases-** Users can add day-to-day progress of the cases and can transfer cases to other users of same ministry/department or nodal officers of other ministries.
- **Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) Cases-** Users can enter cases of disputes referred and disputes not referred. Also, they can view report under MIS Report tab.
- **Important Cases-** Nodal Officer has the facility to mark cases as ‘important’ after taking approval from the Secretary. Also, users can view important cases of their ministry/department under Important Cases tab.
- **Arbitration Cases-** Users can enter cases using Case Entry and can view entered cases using List under Arbitration tab.
- **MIS Reports-** Users can view statistical reports or summary reports viz., Case Status wise Summary, Case Category wise Summary, Financial Implication wise Summary, Court wise Summary, Decided Cases Summary, Total Report, Total Member list, Dispute Referred Cases, Disputes Not Referred Cases, Total Arbitration Cases, Total Raised bills, Total Nodal Officers list, Total User list, etc.
- **Nodal Officer and Local Admins** can activate all new users of his Ministry/Departments/ Sub- departments/Autonomous Organizations/CPSEs, etc, can change user profile, reset password and edit username.
- It provides single window to all the Ministries/Departments for **billing and payment of advocate fee.**
- **The Single Window Clearance (SWC) utility /Advice Module** has been developed to monitor delay in timelines of filing of SLPs/Appeal. This utility has been developed to bring all the stakeholders viz., Ministries, Department of Legal Affairs & Central Agency Section on single platform.

Advantages of LIMBS Ver.2:

- It is more user-friendly and is on an open platform.
- It has robust and flexible platform.
- Since it is more scalable, thus new features/modules can be added in future.
- User-friendly dashboard puts users to ease in viewing complete court case details at single place.

c. NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy)

The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.

Benefits of NDSAP:-

- a) Maximising use
- b) Avoiding duplication
- c) Maximised integration
- d) Ownership information
- e) Better decision-making

d. E-Office

The main objectives of e-office are:-

- a) To improve efficiency, consistency and effectiveness of government responses
- b) To reduce turnaround time and to meet the demands of the citizens charter
- c) To provide for effective resource management to improve the quality of administration
- d) To reduce processing delays
- e) To establish transparency and accountability
- f) The system will automate movement of files within government offices.

III. Reduction of Decision making level - In some cases like sanction of leave etc. power has been delegated.

IV. On-line processing of Pension cases - Pension cases are dealt online.

29. DETAILS OF FOREIGN VISITS UNDERTAKEN BY THE HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE, OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS AND LAW OFFICERS W.E.F. 01-01-2020 TO 19.01.2021:

S. No.	Name & Designation	Country Name	Purpose of visit and duration.
1.	Sh. Anoop Kumar Mendiratta, Secretary	London, UK	To participate in UK-India Joint Consultative Committee (JCC) meeting from 24 th to 26 th February, 2020.
2.	Dr. Rajiv Mani, Joint Secretary & Legal Adviser	London, UK	To participate in UK-India Joint Consultative Committee (JCC) meeting from 24 th to 26 th February, 2020.
3.	Sh. R. K. Srivastava, Additional Legal Adviser	New York, USA	To participate in the 71 Session of United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group-II (Dispute Settlement) from 4 th to 7 th February, 2020.

4.	Sh. Raghvendra Singh Shrinet, Deputy Legal Adviser	Vienna, Austria	To participate in the (38 th) Session of UNCITRAL Working Group III on Investor State Dispute Settlement Reform from 20 th to 24 th January, 2020.
5.	Sh. Arpit Anant Mishra, Assistant Legal Adviser	Brussels, Belgium	To participate in the Inter-Ministerial meeting for negotiation on the Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal matters from 22 nd to 24 th January, 2020.

30. Status of Audit Observations :-

Audit Para No. 12.1 of Report No. 6 of 2020 reg. Grant for construction of Auditorium not used since January 2000.

Sl. No.	Year	No. of Paras/ PA reports on which ATNs have been submitted to PAC after vetting by Audit	Details of the Paras/PA reports on which ATNs are pending.		
			No. of ATNs not sent by the Ministry even for the first time	No. of ATNs sent but returned with observations and Audit is awaiting their resubmission by the Ministry	No. of ATNs which have been finally vetted by audit but have not been submitted by the Ministry to PAC
12.1	Report No. 6 of 2020 reg. Grant for construction of Auditorium not used since January 2000.	N.A.	*	N.A.	N.A.

*The Audit Para has been recorded in the Department of legal Affairs in January 2021 and the response / reply is yet to be prepared and vetted by IFD. The reply / ATN on draft Audit Para, duly vetted by IFD / FA was sent to DG, Audit in April, 2019.

CHAPTER - II

LEGISLATIVE DEPARTMENT

(VIDHAI VIBHAG)

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. It ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

1. FUNCTIONS

- 1.1 The Legislative Department, being a service-oriented Department of the Government of India, is concerned with the following matters, namely :-
- (i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting angle;
 - (ii) Drafting and scrutiny of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills, translation of all the Bills into Hindi and forwarding both English and Hindi versions of the Bills to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat for introduction in Parliament; drafting of official amendments to the Bills; scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Ministries/Departments to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;
 - (iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint/Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of, and assistance in, preparation of reports and revised Bills for the Committees;
 - (iv) Drafting of Ordinances to be promulgated by the President;
 - (v) Drafting of legislation to be enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;
 - (vi) Drafting of Regulations to be made by the President;
 - (vii) Drafting of Constitution Orders, i.e. Orders required to be issued under the Constitution;
 - (viii) Scrutiny and vetting of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their translation into Hindi;
 - (ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which requires assent of the President under article 254 of the Constitution;
 - (x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;
 - (xi) Elections to Parliament, the Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;
 - (xii) Apportionment of expenditure on elections between the Union and the States/Union Territories having Legislatures;
 - (xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

- (xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;
- (xv) Matters relating to Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;
- (xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies;
- (xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;
- (xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union/State Governments, etc;
- (xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.
- (xx) Publication of Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws in the form of law Journals (Patrikas).

2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it, namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of law.

- (a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi, all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc., as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged in the publication of legal literature and propagation of Hindi and other Languages in the field of law.
- (b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgements of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in various States for giving wide publicity to legal literatures available in Hindi and to promote their sales.

2. ORGANISATIONAL SET UP

The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary and Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel and other supporting staff. The works relating to legislative drafting in the case of

principal legislation and to scrutinising and vetting of subordinate legislation have been distributed among various Legislative Groups. Each Legislative Group is headed by a Joint Secretary and Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsels at different levels. The Secretary of the Legislative Department acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department is at [Annexure-V](#).

3. LEGISLATION

Legislation is one of the major instruments of articulating the policy of the Government. In this context, the Legislative Department plays an important role to secure the policy objectives, which the Government may wish to achieve through legislation.

- (2) Legislative Department not only performs functions as a servicing Department for drafting the legislation initiated by the administrative Ministries and Departments but also initiates legislative proposals in respect of the matters with which it is administratively concerned.
- (3) Legislative Department drafts the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government every year. This exercise is undertaken in the Legislative Department on the budget proposals being brought before it by the Ministry of Finance. For the purposes of convenience, the various subjects on which Bills are drafted in the Legislative Department at the behest of administrative Ministries/ Departments may be broadly categorised as under:-
 - (a) Constitutional amendments;
 - (b) Economic and corporate laws;
 - (c) Civil Procedure and other social welfare legislation;
 - (d) Repeal of obsolete laws; and
 - (e) Miscellaneous laws.
4. During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020, the Legislative Department has examined 98 Notes for the Cabinet/new legislative proposals in consultation with different administrative Ministries/Departments relating to the drafting Bills/Ordinances for introduction in the Houses of the Parliament. 42 Legislative Bill were forwarded to Parliament for introduction during this period. The list of Bills forwarded to Parliament during this period are as follow:-

Sl. No.	Title of the Bill
1.	The Aircraft (Amendment) Bill, 2020
2.	The Finance Bill, 2020
3.	The Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill, 2020
4.	The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020
5.	The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020

6.	The Medical Termination of Pregnancy Bill, 2020
7.	The Indian Institute of Information Technology Law (Amendment) Bill, 2020
8.	The Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020
9.	The Major Port Authorities Bill, 2020
10.	The Appropriation Bill, 2020
11.	The Appropriation (No.2) Bill, 2020
12.	The Companies (Amendment) Bill, 2020
13.	The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2020
14.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2020
15.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.3) Bill, 2020
16.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.4) Bill, 2020
17.	The Pesticide Management Bill, 2020
18.	The Assisted Reproductive (Regulation) Bill, 2020
19.	The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020
20.	The National Forensic Science University Bill, 2020
21.	The Rashtriya Raksha University Bill, 2020
22.	The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020
23.	The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020
24.	The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020
25.	The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020
26.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020
27.	The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020
28.	The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020
29.	The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020
30.	The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020
31.	The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020
32.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020
33.	The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020
34.	The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020
35.	The Appropriation (No.3) Bill, 2020

36.	The Appropriation (No.4) Bill, 2020
37.	The Jammu and Kashmir Official Language Bill, 2020 (Notice for introduction Withdrawn by Administrative Ministry from the Lok Sabha)
38.	The Industrial Relations Code, 2020
39.	The Code on Social Security, 2020
40.	The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
41.	The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020
42.	The Jammu and Kashmir Official Language Bill, 2020.

5. Out of the Bills which were pending before Parliament and those introduced during the period from 01.01.2020 to 31.12.2020, forty Bills have been enacted into Acts including one Constitutional Amendment Act. The list of the Acts enacted during this period are as follow:-

Sl. No.	Title of the Act
1.	The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019
2.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020 (1 of 2020)
3.	The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020)
4.	The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020)
5.	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2020 (4 of 2020)
6.	The Central Sanskrit Universities Act, 2020 (5 of 2020)
7.	The Appropriation Act, 2020 (6 of 2020)
8.	The Appropriation Act (No.2) Act, 2020 (7 of 2020)
9.	The Jammu and Kashmir Appropriation Act, 2020 (8 of 2020)
10.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Act, 2020 (9 of 2020)
11.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.3) Act, 2020 (10 of 2020)
12.	The Jammu and Kashmir Appropriation (No.4) Act, 2020 (11 of 2020)
13.	The Finance Act, 2020 (12 of 2020)
14.	The Aircraft (Amendment) Act, 2020 (13 of 2020)
15.	The National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020)
16.	The National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020)
17.	The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020)
18.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020 (17 of 2020)
19.	The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2020 (18 of 2020)

20.	The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2020 (19 of 2020)
21.	The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 (20 of 2020)
22.	The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020(21 of 2020)
23.	The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 (22 of 2020)
24.	The Jammu and Kashmir Official Language Act, 2020 (23 of 2020)
25.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2020 (24 of 2020)
26.	The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2020 (25 of 2020)
27.	The Appropriation (No.4) Act, 2020 (26 of 2020)
28.	The Appropriation (No.3) Act, 2020 (27 of 2020)
29.	The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Act, 2020 (28 of 2020)
30.	The Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020)
31.	The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020)
32.	The Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020)
33.	The National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020)
34.	The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 (33 of 2020)
35.	The Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020 (34 of 2020)
36.	The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020)
37.	The Code on Social Security, 2020 (36 of 2020)
38.	The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020)
39.	The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020)
40.	The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 (39 of 2020)

- 6.** A total of fifteen Ordinances have been promulgated by the President under article 123 of the Constitution during the said period which are as follows, namely: -

Sl. No.	Title of the Ordinance
1.	The Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (1 of 2020)
2.	The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020)
3.	The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (3 of 2020)

4.	The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2020 (4 of 2020)
5.	The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (5 of 2020)
6.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (6 of 2020)
7.	The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (7 of 2020)
8.	The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (8 of 2020)
9.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (9 of 2020)
10.	The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (10 of 2020)
11.	The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (11 of 2020)
12.	The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2020 (12 of 2020)
13.	The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020 (13 of 2020)
14.	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (14 of 2020).
15.	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020

- 7.** A total of six Regulations have been issued under article 240 of the Constitution which are as follows, namely:-

Sl. No.	Title of the Regulation
1.	The Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Goods and Service tax (Amendment) Regulation, 2020
2.	The Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Central Goods and Service tax (Amendment) Regulation, 2020
3.	The Dadra and Nagar Haveli Value added Tax (Amendment) Regulation, 2020
4.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Extension with modification of the Goa, Daman and Diu Excise Duty Act, 1964) Excise Regulation, 2020
5.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Repeal) Regulation, 2020
6.	The Laccadive, Minicoy and Amandvi Island Land Revenue and Tenancy (Amendment) Regulation, 2020

8. SUBORDINATE LEGISLATION

During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020, a total of 2070 statutory rules, regulations, orders and notifications have been scrutinised and vetted by this Department.

9. FUNCTIONS OF THE ELECTION COMMISSION

Since the time of independence, free and fair elections are being held as per the principles enshrined in the Constitution and the laws governing elections in India. The Constitution has vested in the Election Commission the superintendence, direction and control of the entire process of conducting elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and Vice President of India.

- (2) Election Commission is a permanent constitutional body. Initially, the Election Commission had only a Chief Election Commissioner. At present, it consists of Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. For the first time, two additional Election Commissioners were appointed on 16th October, 1989 but they had a short tenure till 1st January, 1990. Later, on 1st October, 1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member Election Commission has been in operation.
- (3) The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President of India. As per the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991), they have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive salary and perks as are available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
- (4) Political parties are registered with the Election Commission in terms of section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission ensures inner party democracy in their functioning by insisting upon them to hold organisational elections at periodic intervals. Political parties registered with the Commission are granted recognition at the State and National levels on the basis of their poll performance at general elections according to criteria specified by it.
- (5) The Election Commission has its independent Secretariat for the work relating to the smooth conduct of elections to Parliament and State Legislatures. Legislative Department is entrusted with the functions as the nodal Department for providing Governmental sanctions.
- (6) In the year 1950, in the matters of election expenses, it was decided by the Central Government in consultation with the State Governments that the expenditure incurred in relation to the preparation of electoral roll to the Assembly constituencies would be shared on 50:50 basis between the Central Government and the State Governments. Further, the expenditure on account of conduct of elections to the House of the People and the State Legislative Assembly would be borne by the Central Government and the concerned State Government and if the election to the House of the People and the State Legislative Assembly are held simultaneously, then, the expenditure would be shared on 50:50 basis between Central and concerned State Government. The initial expenditure will be borne by the respective State Governments and on submission of the audited report, the Central Government's share will be reimbursed.

10. ELECTION LAWS AND ELECTORAL REFORMS

Legislative Department is administratively concerned with the following Acts in connection with the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and the Vice-President,

reform of these laws/rules made thereunder and matters pertaining/incidental thereto:

- (i) The Representation of the People Act, 1950;
 - (ii) The Representation of the People Act, 1951;
 - (iii) The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952;
 - (iv) The Delimitation Act, 2002;
 - (v) The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005; and
 - (vi) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010.
2. The electoral system of the country, which is also called the first-past-the-post system of elections, has completed about seventy years. We have covered the journey of these seventy years after India became Republic with glory and exemplary successes in all the fields. This has been the result of the relentless toil and continuous struggle of the millions who have shaped the present and future of this great country with their sweat and blood. Undoubtedly, this journey has not been an easy sail and we have witnessed much turbulence and turmoil during this period. During this period, the political scenario and the electoral process of the country have undergone continuous epoch-making changes. With each election, the complexities of the electoral process and the election management have been increasing. Every single ballot has proved extremely valuable. In such a scenario, allegations and counter-allegations are invariably made. Some inroads by corrupt and criminal elements has posed a challenging task for the conduct of free and fair elections.
3. The aforesaid scenario, which has been continuously changing, has necessitated reforms of electoral laws on several occasions. In the light of the experience gained during elections, recommendations of the Election Commission, the proposals from different sources including political parties, eminent men in public life and the deliberations in the Legislatures and various public bodies, the successive Governments have taken a number of measures, from time to time, to bring about electoral reforms; though need to effect a comprehensive package of electoral reforms cannot be gainsaid.
4. The Conduct of Elections Rules, 1961 were amended vide notification dated 22nd Oct, 2019. The object of the amendment is to provide for postal ballot facility for aged people and persons with disability (PWDs) and also for those who are not in a position to be present in their polling station on the day of poll owing to exigencies of their service conditions.

11. ELECTRONIC VOTING MACHINES

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. First conceived in 1977 in the Election Commission, the Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad was assigned the task to design and develop it. In 1979, a proto-type was developed, which was demonstrated by the Election Commission before the representatives of political parties on 6th August, 1980. The Bharat Electronic Ltd. (BEL), Bangalore, another public sector undertaking, was co-opted along with ECIL to manufacture EVMs once a broad consensus was reached on its introduction.

First time use of EVMs occurred in a bye-election in Kerala in May, 1982. However, the absence of a

specific law prescribing its use led to the Supreme Court striking down that election. Subsequently, in 1989, the Parliament amended the Representation of the People Act, 1951 to create a provision for the use of EVMs in the elections. A general consensus on its introduction could be reached only in 1998 and these were used in 25 legislative assembly constituencies spread across three States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi. Its use was further expanded in 1999 to 45 parliamentary constituencies and later, in February 2000, to 45 assembly constituencies of the Haryana assembly elections. In the State assembly elections, held in May 2001, in the States of Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and West Bengal, the EVMs were used in all the assembly constituencies. Since then, for every State assembly elections, the Commission used the EVMs. In 2004, in the general elections to the Lok Sabha, the EVMs (more than one million) were used in all 543 parliamentary constituencies in the country. EVMs have been used in all elections since 2004.

The design and application of EVMs in the elections are considered a significant achievement in global democracy. It has brought more transparency, swiftness, and acceptability in the system. It has also helped in creating a vast pool of election officials well versed in its use. In its evolution, the Commission has issued series of instructions, frequently asked questions, and technical guidelines. A number of judicial pronouncements has also helped in making the EVMs an integral component of our electoral system.

12. TECHNICAL EXPERT COMMITTEE

ECI-EVMs were endorsed by a technical experts sub-committee appointed by the Government of India at the initiative of the Goswami Committee on Electoral Reforms in 1990. This Committee was headed by Prof. S. Sampath, then Chairman RAC, Defense Research and Development Organization, with Prof. P.V. Indiresan, then with IIT, Delhi and Dr. C. Rao Kasarbada, the then Director, Electronics Research and Development Center, Trivandrum as members. The Commission has been consulting a group of technical experts on all EVM related technical issues. In November, 2010, the Commission has expanded its Technical Expert Committee by including two more experts.

All the matters, related to upgradation and disposal of EVMs, are consulted with the Technical Expert Committee (TEC) and thereafter a decision in the matter is taken. At present, the Commission has a stock of 17.8 lakh Ballot Units, 11.8 lakh Control Units and 17.45 lakhs of Voter Verifiable Paper Audit Trail Units (VVPATs) of latest M-3 series.

13. STATUS FOR THE PROGRESS OF ELECTORS' PHOTO IDENTITY CARD (EPIC)

The use of electors' photo identity cards by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1st January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attains the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process (excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of

eighteen. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors, has been monitoring its progress on regular basis.

It has been the endeavor of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll:----

- (i) Special photography campaigns are organized to make EPIC of all voters;
- (ii) Photographs of electors in the cases where these are not available in the electoral database are collected/taken by conducting a special drive from time to time;
- (iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;
- (iv) 25th January has been declared as the National Voters' Day so as to ensure hassle free enrolment and issue of EPIC to all newly registered electors.

Latest data w.r.t. 01-01-2021 as the qualifying date in respect of coverage of EPIC in States/UTs, available in the Commission is given below:-

STATEMENT SHOWING THE STATUS OF EPIC, 2020

S. No.	Name of the State/Union Territories	EPIC Coveragae %
1	Andhra Pradesh	99.98
2	Arunachal Pradesh	100.00
3	Assam	99.53
4	Bihar *	100.00
5	Chhattisgarh	99.81
6	Goa	99.99
7	Gujarat	100.00
8	Haryana	100.00
9	Himachal Pradesh	100.00
10	Jammu & Kashmir and Ladakh #	93.19
11	Jharkhand	99.99
12	Karnataka	100.00
13	Kerala	100.00
14	Madhya Pradesh	100.00
15	Maharashtra	97.17

16	Manipur	98.00
17	Meghalaya	100.00
18	Mizoram	100.00
19	Nagaland	97.96
20	Odisha	99.14
21	Punjab	100.00
22	Rajasthan	99.99
23	Sikkim	100.00
24	Tamil Nadu	100.00
25	Telangana	99.99
26	Tripura	100.00
27	Uttarakhand	100.00
28	Uttar Pradesh	100.00
29	West Bengal	100.00
30	Andaman & Nicobar Islands	96.97
31	Chandigarh	100.00
32	Dadra and Nagar Haveli	100.00
33	Daman and Diu	98.36
34	National Capital Territory of Delhi	100.00
35	Lakshadweep	100.00
36	Puducherry	100.00
	ALL India	99.44

Data of year 2019 for the UTs of J&K and Ladakh as SSR, 2020 & 2021 have to be conducted in these UTs.

*Data for State of Bihar is as per draft roll in respect of SSR-2021 w.r.t. 01-01-2021 as the qualifying date.

14. VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)

The Government of India notified the amended Conduct of Elections Rules, 1961 on 14th August, 2013, enabling the Commission to use Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT) with EVMs. The Commission used VVPAT with EVMs first time in bye-election from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency of Nagaland. Thereafter, VVPAT units were used in selected constituencies in every election to Legislative Assembly and 8 Parliamentary Constituencies in General Election to the House of the People-2014. The Election Commission has used VVPAT units in all constituencies in the assembly elections held in Gujarat and Himachal Pradesh in November- December 2017. The Commission used EVMs and VVPATs in the recently concluded General Election to Bihar Legislative Assembly 2020 as well as bye-elections to Assembly and Parliamentary Constituencies in the States of Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh.

The Commission has procured 17.45 Lakh VVPAT units on the manufacturers namely; M/s. Bharat Electronics Limited, Bangalore and M/s. Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad which were deployed in all constituencies in General Election to Lok Sabha, 2019.

Voter Verifiable Paper Audit Trail is an independent system attached with the Electronic Voting Machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in sealed drop box of the VVPAT.

15. COURT CASES INVOLVING ELECTION LAWS

Legislative Department, being administratively in-charge of various election laws has also to handle various court cases involving validity of election laws. In the beginning of the year 2020, there were 291 cases pending in the Supreme Court and different High Courts on election related matter. During the said year, 21 fresh cases were received, in which para-wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been conveyed to the concerned Government Counsels. A special exercise to reexamine the status of the pending cases was carried out and now as per the fresh count, 118 additional cases have been disposed of making total disposed cases as 238. Now there are about 194 cases relating to Election Laws pending before the Supreme Court and various High Courts. All cases are being effectively monitored.

16. CONDUCT OF PARLIAMENTARY WORK

During the year 2020-21, the Legislative Department, which has been allocated the job of coordination/conduct of Parliamentary business of the Ministry of Law and Justice, handled the following work:-

S.No.	Item of Business	Figures for the Ministry of Law and Justice
1.	Lok Sabha Questions	97
2.	Rajya Sabha Questions.	67
3.	Private Members' Bill in Lok Sabha.	14
4.	Private Members' Bills in Rajya Sabha	03
5.	Private Members' Resolutions	01
6.	Calling Attention Notices in Lok Sabha.	-
7.	Calling Attention Notices in Rajya Sabha.	03
8.	Short Duration Discussion in Lok Sabha.	-
9.	Matter raised during Zero Hour	17
10.	Matter raised under Rule 377 in Lok Sabha.	02
11.	Special Mention in Rajya Sabha.	06

17. LEGISLATION IN CONCURRENT LIST

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the following subjects which fall

under List III of the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution have been allocated to this Department as regards legislation namely: –

- (a) marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, intestate and succession, joint family and partition;
- (b) transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions, registration of deeds and documents);
- (c) contracts, but not including those relating to agricultural land;
- (d) actionable wrongs;
- (e) trusts and trustees, administrators-General and Official Trustees;
- (f) evidence and oaths;
- (g) civil procedure including limitation and arbitration;
- (h) charitable and religious endowments and religious institutions.

18. REPORTS OF THE LAW COMMISSION OF INDIA

Reports of the Law Commission of India on personal laws and on certain subjects mentioned in List III of the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, with which this Department is administratively concerned are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments of Central Government, State Governments/ Union territories.

19. JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT

The Joint Parliamentary Committee on Office of Profit, which is constituted during the tenure of each Lok Sabha (since the Second Lok Sabha), undertakes the work of continuous scrutiny in respect of nature, character and composition of Offices of Profit, statutory and non-statutory bodies under the Government of India or any State Government with a view to recommend to the Government of India for amending the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

20. PETITIONS AND OTHER COURT CASES RELATING TO PERSONAL LAWS AND OTHER SUBJECTS

The Legislative Department, being in-charge of personal laws and matters relating to List III of the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc., including office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and various High Courts. During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020, twenty four fresh cases have been received. Parawise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been prepared and conveyed to the Government Counsel.

21. STATE LEGISLATIVE PROPOSALS

Legislative proposals relating to the subjects allocated to this Department sponsored by the State Governments, which, by virtue of the provisions of clause (2) of article 254 of the Constitution, require

assent of the President, are scrutinised in the Department. During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020, one hundred two such references relating to State Bills/Ordinances have been scrutinised.

22. CONDUCT OF PARLIAMENTARY WORK

During the year 2020, Legislative III Section has handled Parliament Questions, both starred and unstarred and other references in respect of the subjects allocated to the Section. The numbers of Parliamentary reference are as under:-

S1. No.	Item of business	Figures
1.	Lok Sabha Questions	7
2.	Rajya Sabha Questions	4
3.	Private Member Bills	4
4.	Matter of Public Importance	1

Besides the above, briefs relating to Private Members' Bill and Resolutions were also prepared in the Department. Further, replies to the Parliament Questions were also transmitted electronically in addition to forwarding their hard copies.

23. INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND REASEARCH (ILDR)

Legislative drafting is a specialised job which involves drafting skills and expertise. Apart from in-depth knowledge of laws and their regular updation, continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills of legislative drafting. The Officers of the Central Government, State Governments and Union territory Administrations dealing with legislative proposals and the students of law need training and orientation to develop the aptitude and the skills in legislative drafting.

2. In January, 1989, with a view to increase the availability of trained officers to deal with legislative proposals as also trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice.
3. The ILDR conducts one Basic Course and one Appreciation Course in Legislative Drafting every year which are as follows:-
 - (i) The Basic Course is of three months' duration and meant for the middle level officers of the State Governments/Union territories.
 - (ii) The Appreciation Course is of fifteen days' duration for middle level officers of Central Government Ministries/Departments/Attached/Subordinate Offices and Central Public Sector Undertakings.
 - (iii) Voluntary Internship Scheme for students of law. This Scheme is intended to motivate students in creating interest in legislative drafting skills and secure knowledge about the nature and working of the Legislative Department. The Voluntary Internship Scheme has been devised for Law students who are studying in Third Year of Three Year LLB Course or Fourth or

Fifth year of Five year LLB course, from four to six weeks. The said scheme has been started from the year 2013.

- (iv) So far, the ILDR has conducted 23 Appreciation Courses and 31 Basic Courses on Legislative Drafting. A total of 344 officers of State Governments handling legislative proposals have been trained through Basic Course and 386 officers from Central Government Ministries / Departments associated with legislative proposals have been benefitted through Appreciation Course. Further, 295 students from various Universities and Colleges have been benefitted by the Voluntary Internship Scheme.
4. The following activity has been performed by ILDR during the period namely:-
- (i) Twenty-third Appreciation Course in Legislative Drafting from 14th February, 2020 to 28th February, 2020. Thirty three trainee officers were benefitted by the Appreciation Course.
- (ii) Imparted training to the trainee officers of thirty-fifth International Program in Legislative Drafting organised by the Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) (erstwhile BPST) Lok Sabha Secretariat on 5th February, 2020. Thirty-eight participants from various countries were benefitted.
5. On the basis of evaluation of activities of ILDR complying with the guidelines of Quality Management System Manual (QMSM), ILDR has secured the upgradation of ISO certification from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015.

24. E-GOVERNANCE INITIATIVES

(i) Content Management Framework (CMF based official website):

The Legislative Department has launched its Content Management Framework (CMF) based official website. The said CMF based website of the Department has been issued with 'Certified Quality Website' (CQW) Certificate after due verification by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. The said Open Source Content Management Framework developed by National Informatics Centre (NIC) is Guidelines for Indian Government Websites (GIGW) compliant.

(ii) Implementation of e-Office Lite:

Implementation of e-Office(Lite) for tracking purposes, as part of good governance and being an important Mission Mode Projects of the Government, has been made operational in the Legislative Department.

(iii) Cyber Security Instructions to thwart any possible cyber attack in the Legislative Department:

Compliance of E-Governance Policy under Information Technology in coordination with National Informatics Centre to counter cyber threats are done periodically. The Cyber Security Instructions as provided by the Government from time to time to sensitise the officers

and staff of the Legislative Department on the continuing threat of data pilferage, hacking and similar cyber attacks by non-State entities have also been circulated for strict adherence in order to thwart any possible cyber attack and secure the Department's website.

25. RIGHT TO INFORMATION (RTI) APPLICATIONS

Consequent upon the enactment of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Legislative Department constituted a Right to Information Cell with effect from the 12th August, 2005 with one Appellate Officer, one Central Public Information Officer and one Central Assistant Public Information Officer. At present Shri Udaya Kumara, Joint Secretary and Legislative Counsel, Shri P. C. Meena, Deputy Secretary and Ms. Vidyawati, Under Secretary are functioning as the Appellate Authority, Central Public Information Officer and the Central Assistant Public Information Officer respectively. This Department has launched a separate webpage under the caption "Right to Information" on the Department's official website and maximum information pertaining to this Department have been disseminated therein in consonance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 so as to ensure the object of proactive disclosure of information envisaged under the said Act. Further, contact e-mail addresses have been created in coordination with the NIC Cell for the Appellate Authority and Central Public Information Officer of this Department, so as to make this Department's official website more user friendly for the public to utilize the provisions of the said Act. The contact e-mail address of the Appellate Authority is aa-rti-legis@nic.in and that of the Central Public Information Officer is cpio-rti-legis@nic.in.

Keeping in view, the various provisions of Right to Information (RTI) Act, 2005, the applications received from the applicants are thoroughly examined and the available information collected from the concerned administrative units of the Legislative Department is provided to the applicants. Also, the applications which contain the subject matter pertaining to other Ministries/Departments of the central Government are promptly transferred to the concerned Ministries/Departments in consonance with the relevant provision of the said Act. Further, in case of First appeals, the same are independently examined by the Appellate Authority and disposed of within the prescribed time limit. During the year (1st January, 2020 to 31st December, 2020) seven hundred twenty-seven (727) applications seeking information under the said Act were received, which were promptly attended to by giving due reply to the applicants as per the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the rules made thereunder. One hundred four (104) first appeals were preferred before the Appellate Authority out of which one hundred four (104) cases were duly disposed off on merits (during the period of (1st January, 2020 to 31st December, 2020). As per the trends of inflow of applications, it is expected that some 300 more applications are expected during the remaining three months of 2020-2021. On account of handling of RTI cases this Department has earned Rs.1246/- towards application fee and copying charges till December, 2020.

26. CORRECTION SECTION

MAINTENANCE OF CENTRAL AND STATE CODES

Central Acts

The Correction Section is responsible for maintenance and updation of the Central legislations, the Constitution of India and Orders issued thereunder, Manual of Election Laws, Central Ordinances, Regulations, President's Acts and compilation of State Acts for the use of officers in the Ministry of Law and Justice. This Section

maintains master copies of the India Code, which contains unrepealed Central Acts as a reference for the Minister-in-charge, officers in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) and the Law Officers of the Government of India. These are valuable reference books and are also used for publishing the revised editions of Acts by the Central Government. The work of updating of Central Acts is an ongoing process and the enforced Central Acts of year 2020 have been updated in the master copy of the India Code.

This Section was entrusted with the work of uploading of unrepealed Central Acts, Regulations, Ordinances etc., from the year 2017 onwards on the official website of our Department at www.legislative.gov.in. Therefore, this section uploaded unrepealed Central Acts which are in force from year 2017 on the said official website of the Department, www.legislative.gov.in, which are available under the heading “Legislative References”. After creation of India Code Unit in the Department, uploading of Central Acts is now being done by the said India Code Unit. As per the directions of the Secretary, Legislative Department, a hyperlink (<https://indiocode.nic.in>) for India Code Portal is created in the official website (www.legislative.gov.in) under heading “India Code”. In addition to this, the Section also uploaded 14 Central Ordinances and 6 Central Regulations of the year 2020 on the official website of the Department. A List of Central Acts arranged, both alphabetically and chronologically, has also been uploaded on the official website of Legislative Department at www.legislative.gov.in under the heading ‘Documents’.

In year 2020, the Section has downloaded Gazette copies of thirty-nine Acts of Parliament (including one Finance Act and eight Appropriation Acts), fifteen Central Ordinances and Six Central Regulations from the official website of the Directorate of Printing, Department of Publication at <http://www.egazette.nic.in>. The section has prepared a folder of Acts passed by the Parliament in year 2020 and incorporated amendments of sixteen amending Acts in the master copies of the principal Acts. The details of Acts, Ordinances and Regulations downloaded are as follows namely:-

(A). Principal Acts downloaded in the year 2020 (excluding Appropriation Acts and Finance Act):

1. The Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020.
2. The Central Sanskrit University Act, 2020.
3. The National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.
4. The National Commission for Homoeopathy Act, 2020.
5. The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020.
6. The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020.
7. The Farmer’s Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020.
8. The Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020.
9. The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020.
10. The Rashtriya Raksha University Act, 2020.
11. The National Forensic Sciences University Act, 2020.
12. The Industrial Relations Code, 2020.

- 
- 13. The Code on Social Security, 2020.
 - 14. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

(B). Amendment Acts downloaded in year 2020:

- 1. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020.
- 2. The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020.
- 3. The Finance Act, 2020.
- 4. The Aircraft (Amendment) Act, 2020.
- 5. The Insolvency and Bankruptcy Code (Second amendment) Act, 2020.
- 6. The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2020.
- 7. The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2020.
- 8. The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020.
- 9. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2020.
- 10. The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2020.
- 11. The Indian institutes of Information Technology Laws (Amendment) Act, 2020.
- 12. The Companies (Amendment) Act, 2020.
- 13. The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020.
- 14. The Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020.
- 15. The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020.
- 16. The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020.

(C). Ordinances downloaded in year 2020:

- 1. The Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020.
- 2. The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Ordinance, 2020.
- 3. The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020
- 4. The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2020.
- 5. The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020.
- 6. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020.
- 7. The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020.
- 8. The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020.
- 9. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020.
- 10. The Farmer's Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020.
- 11. The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020.

12. The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2020.
13. The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020.
14. The Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020.
15. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020.

(D). Regulations downloaded in year 2020:

1. The Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Goods and Services Tax (Amendment) Regulation, 2020.
2. The Union territory of Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu Central Goods and Services Tax (Amendment) Regulation, 2020.
3. The Dadra and Nagar Haveli Value Added Tax (Amendment) Regulation, 2020.
4. The Union territory of Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu (Extension with Modifications of the Goa, Daman and Diu Excise Duty Act, 1964) Excise Regulation, 2020.
5. The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Repeal) Regulation, 2020.
6. The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy (Amendment) Regulation, 2020.

Based on the Acts of Parliament, the amendments have been carried out in the master copies of the principal Acts. During the year 2020, the Acts which have been brought into force by the respective administrative Ministries, date of enforcement and their notification numbers have been entered at the relevant places of master copies of the Acts.

During the year 2020, the Section has received a total of 80 State Acts and 24 Ordinances from 9 States, namely, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Delhi, Mizoram, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana. All Acts and Ordinances have been kept in the relevant registers and folders.

27. INDIA CODE UPDATION UNIT

Each year number of legislations (both Principal Acts and Amending Acts) are passed by the legislature and it is difficult for judiciary, lawyers as well as citizens to refer relevant and up to date Acts when required. This can be solved by building up an exhaustive repository of all the Acts and Amendments in one place which is open to all. A need has been felt for the development of building up Central repository of all the Acts and their subordinate legislations (made from time to time) at one place which are easily accessible to all stakeholders with a view to make such laws available in up-to-date form when required by public, lawyers, judges, etc., and to avoid private publishers from exploiting the general public with enormous prices by claiming published updated laws as their copyrighted work. In fact, this is the most vital reason why should make India Code available over internet. Keeping all these aspects in view, India Code Information System (ICIS), a one stop digital repository of all the Central and State Legislations including their respective subordinate legislations has been developed with the help of NIC under the guidance of Ministry of Law

and Justice (Legislative Department). It is an important step in ensuing legal empowerment of all citizens as well as the object of **ONE**

NATION –ONE PLATFORM.

SALIENT FEATURES

The main object of this system is to provide a one stop repository of all the Acts and Legislations in India in the latest and updated format as and when required by the general public, lawyers, judges and all other interested parties. With the help of this system, not only the procedures of locating the relevant precedents and amendments will be highly simplified but retrieving any Central or State Act of one's interest in an up-to-date form will be made User-Friendly and accessible at push of few buttons. A mobile application has also been developed through which such information could be accessible on mobile from anywhere. This system will promote public knowledge on all laws made in India. It will also help as effective information management to support the work of the administrative authorities and provision of ready access to it by the public in digital form.

This repository shall consist of all the Central Acts and State Acts. It is a central database repository which shall contain all laws made in India. As and when any new Acts, amendments to existing Acts are passed and subordinate legislations are made, respective authority has been provided with the facility to upload on central repository.

Under ICIS, indiacode.nic.in website has been developed which consist of all Central as well as State Acts along with their Subordinate Legislations. All Central Acts and State Acts will provide details relating to Sections, Schedules, Short titles, Enactment Dates and also very significant Foot-Notes in every Act. **Search facility has been made available on the following fields namely:-**

1. Act Year
2. Act Number
3. Enactment Date
4. Short Title
5. Ministry
6. Department

A Free Text Search is also available.

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

With the help of this system, any member of the public can have access to the existing enactments and also the procedures of locating the relevant precedents and amendments being simplified for retrieving any Central Act and State Act including any subordinate legislation made thereunder. The up to date legislative documents will be made extremely User-Friendly and accessible at push of few buttons.

As an on ongoing process of updating and uploading of Central Acts on the India Code website, Central Acts from the years 1838 to 2020 have been updated and uploaded. As far as updating and uploading of subordinate legislations are concerned, all the administrative Ministries and Departments in the Government

of India have been requested to make available the updated versions and many Ministries/Departments have completed uploading of their subordinate legislations.

The ICIS is a major E-Government initiative containing all existing Central and State Acts of country having largest democracy at one place, therefore, available Acts are referred nationally as well as internationally by law makers, Judiciary, Academicians, Law Students, etc., Thus, web portal is accessed globally. The ICIS prevents the monopoly of private publishers who may claim copy rights of their publication for the citizen for their own laws.

28. PRINTING SECTION

The Printing Sections of the Legislative Department, namely, the Printing I and Printing II, undertake the processing of legislation for printing at various stages. These two Sections handle the work relating to the editing of manuscripts of the Bills (including preparation of contents and annexures, wherever required), Ordinances, Regulations, Adaptation Orders, Orders issued under the Constitution of India, Delimitation Orders and other statutory instruments before sending them to Press. The Printing Sections are checking the proofs of the Bills, etc., at multiple stages and after approval, the same are sent to Legislative I Section of the Department, which forwards them to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat for printing of 'To be introduced in Lok Sabha/Rajya Sabha stage copies. The Bills, which are required to be introduced at a short notice are also got printed by the Printing Sections on behalf of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats. Subsequently, the printed copies of the Bills are examined at various stages, namely, 'To be/As introduced' stage, 'As passed by the Lok Sabha/Rajya Sabha' stage, 'As passed by both the Houses' stage, 'Assent copy' stage, 'Signature copy' stage and at last, after assent of the President, the Act is prepared and processed for publication in the Official Gazette. Immediately thereafter, the Act is prepared and edited again for publishing the same as A-4 stage copy for public sale. Proofs of the A-4 size copies of the Acts are again scrutinized and got approved before returning to the Government Press for final printing and the printed copies of the Acts are checked for errata and released for sale.

2. Besides the editing and proof-checking of various other publications like the Constitution of India, India Code, Acts of Parliament, the Printing Sections have also undertaken the updating of the modified editions of the Central Acts as per the requirements of this Department.
3. During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020 the Printing I and Printing II Sections have performed the following tasks, namely:
 - (a) edited manuscripts and checked the proofs, scrutinized copies of 69 Bills, 40 Bill Gazettes, 15 Ordinances and 6 Regulations;
 - (b) 40 A-4 Acts have been prepared;

29. GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (GSRO) SECTION

1. G.S.R.O Section is a reference Section which maintains rules, orders, etc., made under the Acts included in the India Code. As per the work allocation of this Department, the works assigned to G.S.R.O Section are –
 - (i) to compile General Statutory Rules and Orders made under Acts included in the India Code;

- (ii) to prepare and finalise the manuscripts of notifications issued under respective Central Acts and to be brought out by respective administrative Ministries/Departments as Part-II, a companion publication to Part-I in respect of modified editions brought out by the publication Section of this Department.
- 2. The subordinate legislations, namely, general statutory rules and orders, notifications, etc., under an enactment is prepared and issued by the Ministry or Department which is administratively concerned with the Act, after vetting by the Legislative Department. Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, a scheme for maintaining subordinate legislation up-to date and making the same available expeditiously to the public have been formulated. The administrative Ministries are required under the said scheme, to maintain folders, containing up-to date copies of rules, orders and notifications issued by them.
- 3. The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section has during the year 2020 sorted out the Gazette notifications relating to subordinate legislation issued by various Ministries/Departments under Part-II, Section 3, Sub- sections (i) and (ii), both pertaining to Ordinary and Extraordinary. Entries of various notifications have been made in the alphabetical registers along with corrections relating to Part-II, Section 3, Sub-sections (i) and (ii) of various Ordinary and Extraordinary.
- 4. The GSRO Section also performed other miscellaneous work as per directions relating to uploading of Central Acts and subordinate legislations in the e-Samiksha, quarterly report on subordinate legislation, RTI applications / appeals, parliament questions and reports, etc.,

30. INTEGRATED FINANCE AND BUDGET AND ACCOUNTS SECTION (IFD)

The Integrated Finance and Budget and Accounts Section is responsible for the work relating to preparation of Budget Estimates and Revised Estimates for all the three Departments of the Ministry of Law and Justice, namely, the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice. Further, the work relating to finalisation of Budget, Pre-Budget Discussion and seeking supplementary/ additional funds are also looked after by this Section. The preparation of the detailed Demands for Grants of the whole Ministry and compiling/printing of Election Commission of India and Supreme Court of India Demands for Grants is also done by Budget and Accounts Section. Apart from this, the Section is also dealing with the proposals which involve financial implications for concurrence of Financial Advisor and wherever specific opinion is required to be taken from the Ministry of Finance, the same is also processed before forwarding to the Ministry of Finance.

- (2) IF&B&A Section is also responsible for the work relating to provisional release of funds to the States/Union territories on account of Election related expenditure.

31. PUBLICATION SECTION

Publication Section brings out, from time to time, modified editions of the Central Acts and other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Law, Orders issued under the Constitution of India, Index to Central Acts in Alphabetical and Chronological orders, Index to Statutory Definitions, etc.,

2. The Constitution of India (English version) incorporating the latest amendments up to and including the Constitution (104th Amendment) Act, 2019 along with the foot notes are compiled, scrutinised and vetted for being published (in Pocket Size, diglot edition) by this Department. The updated copy of the Constitution of India (English version) with foot notes is made available on the official website of this Department. Manuscripts (English version) of certain central Acts duly incorporating the up to date amendments have been prepared and forwarded to Official Languages Wing for necessary action, which are under process at different stages of printing.

32. THE OFFICIAL LANGUAGE SECTION

The **Official Language Section** of the Legislative Department is administratively responsible for the implementation of the Official Language Policy of the Union of India; the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. This Section is also responsible for increasing the progressive use of Hindi for official purposes of the Union of India in addition to translation work from English to Hindi and vice-versa.

(1) Implementation of the Constitutional and other provisions of the Official Language Policy:

During the period from 01 January, 2020 to 31 December, 2020, the Legislative Department has taken the following steps to implement the Official Language Policy in all its manifestations namely:-

- (i) As per the provisions of the Official Language Rules 1976 , at present, more than 88.22%, 81.91% and 67.85% letters to regions ‘A’, ‘B’ and ‘C’ are being sent in Hindi respectively. Constant efforts are being made to achieve the targets stipulated in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The replies to the letters, applications, representations etc. received in Hindi are being sent invariably in Hindi. The same received in English are also being answered in Hindi as per the Official Language Policy. All the Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative Reports, other Reports, Contracts, Notices and the Documents to be laid before the Parliament are prepared and issued bilingually as per sub-section (3) of section 3 of the Official Language Act, 1963.
- (ii) Legislative Department was notified under sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language Rules, 1976 on the 29th April, 1979 for conducting the official business in Hindi. The officers and employees who are proficient in Hindi have been directed to submit the drafts etc., only in Hindi. For this purpose, 17 sections out of 31 have been specified to transact the official work in Hindi under sub-rule (4) of rule 8 of the Official Language Rules, 1976.

(2) The Quarterly Progressive Reports for the Progressive Use of Official Language Hindi:

The Quarterly Progressive Reports of Hindi are regularly sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Through these Reports, position of employees regarding Hindi training and their overall work in Hindi is reflected and it is ensured that the percentage of correspondence as well as noting and drafting in Hindi increases as per the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

(3) Meetings of the Official Language Implementation Committee:

An Official Language Implementation Committee has been constituted in this Department under the Chairmanship of Joint Secretary and Legislative Counsel (OL Wing). The meeting of this Committee is held once in every three months regularly to assess the progressive use of Hindi for official purposes. The agenda and minutes of these meetings are sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The minutes are also circulated to all the officers and Sections of the Department for compliance. Due to outbreak of Covid-19 pandemic only two quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held during the year on 25th September, 2020 and 31st December, 2020. This Committee provides effective means to identify problems and suggests the solutions with regard to the progressive use of Hindi. In the meetings of this Committee, the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union in Hindi, is also discussed and every effort is made to achieve the prescribed targets therein. The orders, circulars, directives, notifications, resolutions, recommendations etc. regarding the implementation of Official Language Policy of the Union of India are also discussed in these meetings.

(4) The Hindi Advisory Committee of the Ministry:

As per the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Hindi Advisory Committee of the Ministry was constituted on 4th August, 1967 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Law and Justice. This Committee has jointly been constituted for Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Committee comprises Hon'ble Members of Parliament, nominated by Ministry of Parliamentary Affairs and the Committee of Parliament on Official Language, the nominees of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, nominees of prominent All India Hindi Voluntary Organizations, nominees of the Ministry of Law and Justice and those of Department of Official Language as non-official members. The Secretaries, Additional Secretaries and the concerned Joint Secretaries of the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Official Language are the official members of this Committee.

(5) Hindi Training:

This Department nominates its officers or employees for the various training courses of Hindi conducted by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These Hindi Language Courses are Prabodh, Praveen and Pragya. There are training courses for Hindi typing and Hindi Shorthand also. The nomination to these Hindi courses is a continuous process as the officers or employees get recruited, promoted and transferred on regular basis.

(6) Hindi Fortnight:

A 'Hindi Fortnight' from 14th September to 28th September, 2020 was organised in this Department. Various Hindi competitions were held during this period and a large number of officers and employees participated in these competitions. Out of these, two competitions were organized exclusively for non-Hindi speaking personnel. There were first, second, third and consolation prizes of Rs.4000/-, Rs.3000/- Rs.2000/- and Rs.750/-, respectively. An amount of Rs.79,500/- was sanctioned to be given to the winners of these competitions.

(7) Incentive Schemes for working in Hindi:

There are three incentive schemes in operation in this Department for the progressive use of Hindi as directed by the Department of Official Language. During the year 2020-21, eight employees were awarded prizes under the incentive scheme for noting or drafting done originally in Hindi. One employee each was awarded prizes under the incentive scheme for stenography and typing in Hindi in addition to English. One officer was awarded prize for giving dictation in Hindi. Apart from these schemes, officers and employees are granted cash prizes and advance increments on passing the Hindi Training Courses of Hindi Language, Hindi shorthand and Hindi typing conducted by the Hindi Teaching Scheme.

(8) Committee of Parliament on Official Language:

The Committee of Parliament on Official language was set up in 1976 to monitor and give suggestions for the progressive use of Official Language, Hindi in Central Government Ministries or Departments and their offices. As far as the Legislative Department is concerned, orders issued by the Department of Official Language, based on the recommendations of this Committee are being implemented.

33. OFFICIAL LANGUAGES WING

(1) FUNCTIONS

The Official Languages Wing is a successor Organisation of the Official Languages (Legislative) Commission under the Legislative Department. It has been entrusted with the following functions namely:-

- (i) Preparation and publication of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Official Languages;
- (ii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;
- (iii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Rules, Regulations and Orders made by the Central Government under any Central Act or any Ordinance or Regulation promulgated by the President;
- (iv) Preparation of authoritative texts of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and to arrange for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and
- (v) Translation into Hindi of deeds, legal documents like contracts, agreements, leases, bonds, mortgages etc. of different Departments;
- (vi) Translation into Hindi of all statutory Notifications under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 ;
- (vii) Translation into Hindi of statutory Rules issued by Governments of States under Presidential Rule;

- (viii) Translation into Hindi of all the Parliament Questions/Answers, Assurances etc, relating to the Ministry of Law and Justice;
- (ix) Training in Legislative Drafting in Hindi to Officers from Hindi speaking States;
- (x) Work relating to Coordination Committee of Hindi speaking States for ensuring effective coordination in the evolution of uniform legal phraseology and model of standard clauses in Hindi and publication thereof;
- (xi) Work relating to Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice;
- (xii) Work relating to providing Grants-in-Aid to voluntary organisations for promotion of Official Languages in the field of law;
- (xiii) Publication of diglot editions of Central Acts (with legislative history) and popularisation thereof;
- (xiv) Preparation and maintenance of India Code in Hindi (Bharat Sanhita) and also in diglot form; and
- (xv) Publication of regional language versions of the Constitution of India and their release.

(2) LEGAL GLOSSARY

Since the inception of Official Languages (Legislative) Commission in 1961, seven editions of Legal Glossary have been brought out and every successive edition is larger in size. While the first edition (1970) contained 20,000 entries, the sixth edition (2001) of Legal Glossary contained approximately 63,000 entries spread over in eight parts. Latest 7th Edition of Legal Glossary has been published in the year 2015 and contained approximately 65,000 entries spread over in seven parts. The Legal Glossary brought out by the Official Languages Wing, which is one of the most important and prestigious publications, has received wide acclaim by discerning men of law and letters.

(3) CONSTITUTION OF INDIA

Besides, the authoritative text of the Constitution of India in addition to Hindi (the Official Language of the Union), the authoritative texts of the Constitution of India have been brought out in 15 other regional languages, namely, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani. Recently competent Authority has also been pleased to approve the publication of Constitution of India in Manipuri Language Diglot form (English-Manipuri) and Dogri language Diglot form (English-Dogri).

(4) BHARAT SANHITA

All the Central Acts have been compiled and brought out in the form of India Code in handy volumes. The last edition of India Code consisting of eight volumes was published in 1959. Action has already been initiated for bringing out Bharat Sanhita (Revised Edition of India Code) in diglot form in chronological order.

One of the salient features of the Code is that the statement of objects and reasons appended to the principal Bills have also been added at the end of each Act and included in the revised edition of India Code. Volume I to XXXI of the revised edition of India Code have already been published and manuscripts of the India Code Volume XXXII and XXXIII have been sent to Press.

(5) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF CENTRAL ACTS

During the period under report, authoritative texts of about 30 Acts in Hindi have been published in the Official Gazette under section 5 (1)(a) of the Official Languages Acts, 1963. Now the total number of such Acts since 1963 have gone up to 2507.

(6) PUBLICATION OF DIGLOT EDITIONS OF CENTRAL ACTS

Central Acts, for which there is likelihood of public demand, are published by the Official Languages Wing in diglot form. When there is a public demand for a particular Act, the same is published in diglot form (Hindi & English) for sale to general public. Total number of such Acts is 401 as on date.

(7) AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF BILLS, ORDINANCES, ETC.

Sub-section (2) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that all Bills to be introduced or amendments thereto moved in either House of the Parliament shall be accompanied by Hindi translation of the same. During the period under report, the Hindi translation of 80 Bills, simultaneously with their English texts, was supplied to the Houses of Parliament. Besides this, Hindi translation of 15 Ordinances and 3 Notes for the Cabinet and 48 Acts were also prepared.

(8) GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.Os)

Sub-section (3) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 lays down the foundation for bilingual working of the Central Government. Under clause (1) of that sub-section, all resolutions, general orders, rules, notifications etc., issued or made by the Central Government must be both in Hindi and English languages. During the period under report, 7583 pages of such statutory rules or notifications etc., were prepared for different Ministry/Departments of the Central Government.

(9) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF RULES, REGULATIONS, ORDERS ETC.

Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette of any Order, Rule, Regulation or Bye-law issued under the constitution or under any Central Act shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Some Rules, Regulations, Orders etc., are at different stages of translation. During the period under report, 4237 pages of Recruitment Rules were translated.

(10) MAINTENANCE OF CENTRAL ACTS, ETC.

The Correction Section of the Official Languages Wing is maintaining and updating the Central legislations kept as master copies in the form of India Code, India Code (Diglot), Acts of Parliament

(English) and sansad ke Adhiniyam (Hindi). It also keeps Constitution of India and important manuals including Manual of Election Law up-to- date for reference by the officers in this Wing. This Section is responsible for carrying out the amendments made by the amending Acts passed by the Parliament in the aforesaid master copies of Central Acts.

Besides, manuscripts of Hindi Text of the Central Acts proposed to be published in Diglot form prepared by O.L. Wing and during the year, manuscript of two diglot Acts are prepared.

In addition to above, this Section –

- (a) Supplied information regarding publication of e-gazette copies of Central Acts to various State Governments for translation into their respective regional languages ;
- (b) Supplied E-Gazette copies of Hindi version of Central Acts to Hindi speaking States for republication in their State Gazettes ;
- (c) Undertakes the work relating to publication; and
- (d) Assists the Regional Languages unit of the Wing in connection with preparation of translation of Central Acts in Regional Languages and also assisted said Unit in conducting the Working Group (Regional Languages) meeting for deciding and approving the words to be included in glossary in respective regional languages.

(11) EDITING OF MANUSCRIPTS OF BILLS, ACTS, ORDINANCES, DIGLOT EDITIONS, ETC. AND PUBLICATION THEREOF

The Printing Section of the Official Languages Wing is primarily concerned with the editing of manuscripts and checking of proofs of Bills, Ordinances, Regulations, President's Acts etc; issued under the Constitution of India, Delimitation of Council Constituencies orders, etc; Bills, which are required to be introduced in a short time, are also printed on behalf of the Houses of People or the Council of States. Editing and Proof-Checking of the publication in diglot form of the Constitution of India, Manual of Election Law, revised Edition of India Code, modified diglot edition of Central Acts, statutory Rules and Orders, Annual Reports etc. are also done in this Section. This Section is also responsible for the printing and publication of Central Acts, Ordinances, Regulations, President's Act, etc; and their subsequent reprints in diglot form as publication for sale. This Section discharged all its responsibilities during the year under review.

The Printing Section of the Official Languages Wing is also performing the duties of the publication Section. During the period under report, 30 Acts were authenticated and 15 Ordinances were got published by this Section.

(12) PREPARATION AND PUBLICATION OF STANDARD LEGAL DOCUMENTS

Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof. In order to comply with the requirement of the said Act, the Official Languages Wing has prepared Hindi version of the documents

in eight volumes for various Ministries and Departments of the Central Government with a view to achieve uniformity in their translation. During the period under report, the Hindi version of 1722 pages of Parliament Questions/Answers/Assurances of this Ministry was also prepared.

(13) ESTABLISHING THE INDIAN LANGUAGES IN THE SPHERE OF LAW

The Official Languages Wing, Regional Languages Unit is constantly doing the work of translation of Central Acts into Hindi as enshrined in the Eighth Schedule to the Constitution of India. So far as the regional languages are concerned, this work is being done with the co-operation of respective State Governments.

The Official Languages Wing has also published the authoritative texts of Central Acts in regional languages as envisaged under section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973). During the period under report, translation of 19 Central Acts have been approved by the Working Group (Regional Languages) and 59 Central Acts in Regional Languages including Hindi have been authenticated as authoritative texts by the President of India. The work relating to preparation of Tri-lingual (English-Regional Language-Hindi) Legal Glossary in various Regional Languages has been completed in seven languages i.e. Bengali, Gujarati, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu Languages and the same has been made available on the Department's official website. Besides the Authoritative texts of the Constitution of India in addition to Hindi has been brought out in 15 other Regional Languages that is, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odiya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telgu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani. The Competent Authority has also been pleased to approve the publication of the Constitution of India in Dogri Language Diglot form (English-Dogri).

14) WIDE DISTRIBUTION OF CENTRAL ACTS, LEGAL GLOSSARY ETC.

The Gazette copies of Hindi version of Central Acts after they have been authenticated and published in the Gazette of India have been sent to Hindi speaking States. They were also sent to Gujarat and Maharashtra and the High Courts in these States. Further, these copies were sent to the concerned Ministries and Departments of Government of India, Andaman and Nicobar Islands, the Nagri Pracharini Sabha, Parliament Library and other Libraries. Copies of the Central Acts in diglot form are regularly sent to all States (Hindi as well as non-Hindi speaking States), Supreme Court of India, Parliament Library and all High Courts. The Constitution of India Legal Glossary also have been distributed into the Lok Sabha and Rajya Sabha and all the Ministries to the Government of India.

(15) WORK RELATING TO THE HINDI SALAHKAR SAMITI

The Twelfth Hindi Salahkar Samiti of this Ministry was constituted vide Resolution No.E.4(1)/2014-O.L.Wing (LD) dated 14th May, 2015 for three years and further its tenure was extended with effect from 14th May, 2018 for one year or remaining tenure of present Lok Sabha. The process of reconstituting the Hindi Salahkar Samiti is underway. The functions of the Samiti are normally to advise the Central Government on matter relating to :-

- (i) preparation of Hindi version of Central Acts and statutory rules ;

- (ii) the evolution of common legal terminology ;
- (iii) the production of standard law books in Hindi for imparting legal education in Hindi in law colleges and Universities ;
- (iv) publication of law journals and reports in Hindi ;
- (v) matters ancillary and incidental to any of the above items ; and
- (vi) suggest ways and means for the propagation and development of Hindi in the field of law for official use.

(16) GRANTS IN AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS

There is a scheme for the promotion of Official Languages of the Union and States for propagation and development of Hindi and other Indian languages in the field of law. Under the scheme ,Voluntary Organisations and institutions are provided with financial aid. Since 1985, the Official Languages Wing has been implementing this scheme to give financial assistance to those voluntary organisations which are engaged in the activities for development and propagation of literature in the field of law and other regional languages which could be in the form of proposed commentaries, treatises, books on legal subjects, law journals, law compendium and other publications as are conducive to enrichment, propagation and development of Hindi and other regional languages of the State. A High Powered Committee has been constituted w.e.f. 25th April, 2019 for three years under the Chairmanship of Justice Dr. Satish Chandra (Retd.) Judge of High Court of Allahabad, and the other members of the Committee are Smt. Kumud L. Das, Advocate, Supreme Court of India, New Delhi, Prof. (Dr.) Subash Chandra Gupta, Professor and Head - Deptt. of Law, HNB Garhwal University, Dr. BGR, Campus, Pauri Garhwal and Joint Secretary and Legislative Counsel of Official Languages Wing as Member -Secretary. The meeting of High Powered Committee for giving financial assistance to Voluntary Organisation working in the field of law was convened on 19th February, 2020 under the Chairmanship of Justice Dr. Satish Chandra (Retd.) and an amount of Rs. 2,70,000/- was sanctioned to three organisations for promoting the Official Languages of Union and States for the financial year 2019-2020.

(17) SPECIAL STEPS ADOPTED FOR THE PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGES

The material and information pertaining to Official Languages Wing has been hosted on the website with <http://legislative.gov.in> as URL of the Official Language Wing. Apart from this, the important Acts of Parliament in various regional languages have also been hosted under the respective languages on the home page of the O.L. Wing. In order to facilitate printing of various Bills, Notifications, Orders, Recruitment Rules etc. the O.L. Wing has started using the Unicode fonts and provides soft copies of the Hindi Texts.

The Constitution of India, I.P.C., Cr. P.C. and the Manual of Election Laws have already been hosted on the net. This website has been further enriched by listing central enactment from the Year 1838 to 2018, Principle as well as amending along with 10 important legislations have also been uploaded on the web site in PDF format for the benefit of legal fraternity and general public as well as the law students.

During the period under report, Bill Section, Translation-I Section, Translation-II Section, Legislative-I, Legislative-II Section, Printing Section, Correction Section, Administration Section, Cash Section and Library of O.L. Wing were fully computerized. The Camera Ready copies of almost all the Bills were prepared during the period under report. For ease of working, the O.L. Wing has started using Mangal font which has universal functionality in Hindi Language.

A list of Names, Addresses, e-mail address and Contact Numbers of all the Group ‘A’ officers of the O.L. Wing in English and Hindi has also been hosted on the home page of O.L. Wing.

The Scheme for Assistance to Voluntary Organisations for promotion of Official Languages in the field of Law both in English and Hindi and has also been hosted on the Net.

34. VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

In the year 1958, the Committee of Parliament on Official Languages recommended that arrangements be made to bring out authorised translation of important judgements of the Supreme Court of India and the High Courts and this work could be entrusted to a Central Office under the supervision of Law Department. Thereafter, on the recommendations of the Hindi Advisory Committee, a “Journal Wing” was set up in the Legislative Department in the year 1968 with the object of promoting the use of Hindi in the legal field which was subsequently redesignated as “VIDHI SAHITYA PRAKASHAN”.

Initially, after translating in Hindi and making headnotes thereof monthly publication of all the reportable judgements of the Supreme Court of India, as marked ‘REPORTABLE’ was started in April, 1968 and it was designated as “Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika”. Another monthly publication containing judgements of the High Courts was started in January, 1969 and it was designated as “Uchcha Nayayalaya Nirnaya Patrika”. In the year 1987 “Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika” was bifurcated into two Nirnaya Patrikas i.e. “Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika” and “Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika”. Later on, due to ever-increasing volume of Supreme Court’s reportable judgements as well as dearth of requisite editorial staff in the Vidhi Sahitya Prakashan, the “Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika” has been publishing in Hindi only important selected reportable judgements of the Supreme Court since 1990. The “Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika” and “Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika” respectively are publishing in Hindi only important selected judgements in civil and criminal matters of all High Courts of the country.

Apart from the publication of the above three Patrikas, the Vidhi Sahitya Prakashan is also responsible of the following works, namely :-

- (a) Publication of text books in Hindi in the field of law for use in the academic and other circles as reference books;
- (b) Translation and publication of legal classics in Hindi :
- (c) Awarding of various prizes for the best publications in Hindi in the field of law;
- (d) Sale of Hindi publications of the Vidhi Sahitya Prakashan and diglot editions etc. of the Official Languages Wing of the Legislative Department; and

- (e) Holding of conferences, seminars and book exhibitions at different places in India, in Hindi/ Non-Hindi speaking States for popularisation and improvement of legal literature in Hindi.

In addition to above, standard law books in Hindi written by eminent authors are also being published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the use of law students, law teachers, lawyers and judicial officers. In order to give incentive to authors writing law books originally in Hindi, the prizes and certificates respectively are awarded annually for best publications in Hindi in the field of law.

A quarterly journal entitled ‘Vidhi Sahitya Samachar’ is also being published which contains detailed information regarding various activities in the field of law and publications of the Vidhi Sahitya Prakashan. A ‘Publication List’ containing priced publications available with Vidhi Sahitya Prakashan is also made available to the customers from time to time.

The details of progress made during the year 2020 are given below :–

Publication of Nirnaya Patrika : During the period under report, at the editing/translation stage the ‘Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika’ has been updated upto August, 2020, ‘Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika’ has been updated upto April, 2020 and ‘Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika’ has been updated upto April, 2020. The above said Patrikas are uploaded on the website of Legislative Department, Ministry of Law & Justice <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>.

Award of Prizes : Apart from the publication of the three Law Patirikas (Journals) and law books, the Vidhi Sahitya Prakashan awards the prizes, under the Scheme for writing, translating and publication of law books in Hindi and awarding prizes to such books written or published in Hindi for use as text books or reference books to the tune of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh only), [the 1st prize for Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only), the 2nd prize for Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only) and 3rd prize for Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)]. The awards are provided to the authors for the best Law books published in Hindi by private publishers every year. Seven best law books written in Hindi have been awarded for prize in the year 2020 amounting to Rs. 1,40,000/- under the Scheme after recommendation of Evaluation Committee.

Publication of Books : Vidhi Sahitya Prakashan is entrusted with the work for writing, revision of law books in Hindi and publish them. Thirty-four standard law books in Hindi have been published for use as reference books so far. Text Books titled ‘Nirnaya Lekhan’ and ‘Bharat ka Samvidhanik Itihias’ (upto 103rd Constitutional Amendment) have been revised and published. In addition to this, the books Dand Vidhi (Sadharan Sidhant), ‘Dand Vidhi’, 2nd Edition (Bhartiya Dand Sanhita ke Vinirdisht Apradh). ‘Bhartiya Samvidhan ke Prumukh Tatv’ and ‘Apkritya Vidhi ke Pramukh Nirnay’ are in process of revision and printing.

Digitization : Vidhi Sahitya Prakashan is under the process of digitization. Three law journals i.e. ‘Uchchatama Nyayalaya Nirnaya’, ‘Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika’ and ‘Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika’ have been standardized with **International Standard Serial Number (ISSN)**. Under the **e-governance/digitization** process, Vidhi Sahitya Prakashan has uploaded three Journals i.e. ‘Uchchatama Nyayalaya Nirnaya’, ‘Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika’ and ‘Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika’ in PDF format (since 2012) at <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> for common men, advocates, judges, litigants, professors of Law and law students.

Organizing of Seminars/exhibitions/Conference and sale of Law Books Constitution of India, Central Acts in Diglot (Hindi-English), Legal Glossary, Manual of Election Law, India Code, etc.

: The Central Acts and Law Publications are available for online selling on <https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/> on digital payment basis i.e. credit card, debit card and net banking etc. and the link is available on main Legislative Department front page. It is a part of ‘Ease of Doing Business’. Judges, Advocates, Law Students, Teachers of Law etc. are purchasing law books and law patrikas off-line from sale counter of Vidhi Sahitya Prakashan. Due to (Covid-19) pandemic situation throughout the world, exhibition/seminars/conferences were put on hold during 2020. Under the scheme of promotion, propagation and spread legal knowledge in Hindi. Vidhi Sahitya Prakashan has distributed the India Code free of cost to Law Universities/Colleges Libraries, Judges Libraries and over and above Law Students

During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020 the total sale figure of Vidhi Sahitya Prakashan is Rs. 14,59,977/- (Rupees Fourteen lakh fifty nine thousand nine hundred seventy seven only).

Editorial Board/Evaluation Committee : There are two Committees viz. Editorial Board and Evaluation Committee in Vidhi sahitya Prakashan and the members of these two Committees are nominated by Hon’ble Minister of Law & Justice. Editorial Board looks after the improvements/the standard of these three law journals, advice further development, support to increase the circulation of law journals in District Courts, High Courts, Law Universities/Colleges and Law professionals etc. Evaluation Committee stands to select the best law books written in Hindi and published by Private Publishers. The meeting (Virtual) of Editorial Board was held in the month of September 2020 represented by Dr. Reeta Vasisht, Additional Secretary/ HOD and the meeting (Virtual) of Evaluation Committee was held on 25th November, 2020 under the Chairmanship of Dr. Satish Chandra, Retd. Judge (Allahabad High Court) (Photos attached).

35. RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN SERVICE POSTS.

Officers of the level of Deputy Secretary/Director are functioning as Liaison Officers for the three Administrative Wings of the Legislative Department, viz., Legislative Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan to oversee the implementation of Orders/Instructions of the Government on reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped persons in service/posts in respective units.

A Statement showing the total number of employees in the Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan and number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped persons and the female employees amongst them as on 31.12.2020 is enclosed (Annexure-VI and Annexure-VII).

36. CELEBRATION OF CONSTITUTION DAY:

This Department has organised celebration of Constitution Day on 26.11.2020 and the activities like preamble reading, slogan writing and signing of Officers/Staff in two flex banners (preamble wall) etc. were conducted keeping in view of all safety and SOP guidelines issued by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare (Annexure-VIII).

37. PUBLIC GRIEVANCES

During the period from 1st January, 2020 to 31st December, 2020 Legislative Department received 2661 public grievances on CPGRAMS portal. Further 458 public grievances were pending before 1st January, 2020. During the said period 2460 grievances have been disposed off and action is being taken for disposal of remaining grievances on priority basis.

38. DEPARTMENT ACCOUNTING ORGANISATION

The Secretary is the Chief Accounting Authority in the Ministry of Law and Justice. He discharges his functions with the assistance of Additional Secretary (Financial Adviser) and Chief Controller of Accounts.

2. As per Rule 70 of GFRs 2017, the Secretary of a Ministry/Department who is the Chief Accounting Authority of the Ministry/Department shall: –
 - (i) Be responsible and accountable for financial management of his Ministry or Department.
 - (ii) Ensure that the public funds appropriated to the Ministry are used for the purpose for which they were meant.
 - (iii) Be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the Ministry in achieving the stated project objectives of that Ministry, whilst complying with performance standards.
 - (iv) Appear before the Committee on Public Accounts and any other Parliamentary Committee for examination.
 - (v) Review and monitor regularly the performance of the programs and projects assigned to his Ministry to determine whether stated objectives are achieved.
 - (vi) Be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to his Ministry as required by regulations, guidelines or directives issued by Ministry of Finance.
 - (vii) Shall ensure that his Ministry maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that will at all time afford internal controls.
 - (viii) Shall ensure that his Ministry follows the Government procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective manner.
 - (ix) Shall take effective and appropriate steps to ensure his Ministry:-
 - (a) Collects all moneys due to the Government and
 - (b) Avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.
3. As per Para 1.2.2 of Civil Accounts Manual, the Chief Controller of Accounts for and on behalf of the Chief Accounting Authority is responsible for :-
 - (a) Arranging all payments through the Pay and Accounts Offices/Principal Accounts Office except where the Drawing and Disbursing Officers are authorized to make certain types of payments.

- (b) Compilation and consolidation of accounts of the Ministry/ Department and their submission in the form prescribed, to the Controller General of Accounts; preparation of Annual Appropriation Accounts for the Demands for Grants of his Ministry/Department, getting them duly audited and submitting them to the CGA, duly signed by the Chief Accounting Authority.
 - (c) Arranging internal inspection of payment and accounts records maintained by the various subordinate formations and Pay and Accounts Offices of the Department and inspection of records pertaining to transaction of Government Ministries/Departments, maintained in Public Sector Banks.
4. The Chief Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India performs his duties with the assistance of two Pr. Accounts Officers and four Pay and Accounts Officers amongst other staff.
5. The Ministry of Law and Justice, Supreme Court has 52 DDOs including 32 CDDOs and 20 NCDDOs. The non-cheque drawing DDOs submit bills to the Pay and Accounts Office under pre-check system of payment. The PAO-wise detail of the CDDOs and NCDDOs is as under:

S.No.	PAO	D.D.O.	
		CDDOs	NCDDOs
1	PAO (EO)	3	3
2	PAO (LA)	29	12
3	PAO (SCI)	0	1
4	PAO (LD)	0	4

6. As per Para 1.2.3 of Civil Accounts Manual, Principal Accounts Office in New Delhi functions under a Principal Accounts Officer who is responsible for :-
- a) Consolidation of the accounts of the Ministry/Department in the manner prescribed by CGA;
 - b) Preparation of Annual Appropriation Accounts of the Demands for Grants controlled by that Ministry/Department, submission of Statement of Central Transactions and material for the Finance Account of the Union Government(Civil) to the Controller General of Accounts;
 - c) Payment of loans and grants to State Government through Reserve Bank of India, and wherever this office has a drawing account payment therefrom to Union Territory Government/ Administrations;
 - d) Preparation of manuals keeping in view the objective of management accounting system if any, and for rendition of technical advice to Pay and Accounts Offices, maintaining necessary liaison with CGA's Office and to effect overall coordination and control in accounting matters;
 - e) Maintaining Appropriation Audit Registers for the Ministry/ Department as a whole to watch the progress of expenditure under the various Grants operated on by the Ministry/Department;

Principal Accounts Office/Officer also performs all administrative and coordinating function of the accounting organization and renders necessary financial, technical, accounting advice to department as well as to local Pay & Accounts offices.

7. As per provisions contained in Civil Accounts Manual, Pay & Accounts offices make payments pertaining to respective Ministries/ Departments and in certain cases payments will be made by the departmental Drawing and Disbursing Officers (DDOs) authorized to draw funds, by means of cheques drawn on the offices/branches of accredited bank that may be authorized for handling the receipts and payments of the Ministry/Department. These payments will be accounted for in separate scrolls to be rendered to the Pay and Accounts Offices of Ministry/Department concerned. Each Pay and Accounts Office or Drawing and Disbursing Officer authorized to make payments by cheques, will draw only on the particular branch/branches of the accredited bank with which the Pay and Accounts Office or the Drawing and Disbursing Officer as the case may be, is placed in account. All receipts of the Ministry/Department are also finally accounted for in the books of the Pay and Accounts Office. The Pay and Accounts office is the basic Unit of Departmentalized Accounting Organization. Its main function include:-
 - Pre-check and payment of all bills, including those of loans and grants-in-aid, submitted by Non-Cheque Drawing DDOs.
 - Accurate and timely payments in conformity with prescribed rules and regulations.
 - Timely realization of receipts.
 - Issue of quarterly letter of credit to Cheque Drawing DDOs and post check of their Vouchers/ bills.
 - Compilation of monthly accounts of receipts and expenditures made by them incorporating there with the accounts of the cheque Drawing DDOs.
 - Maintenance of GPF accounts other than merged DDO and authorization of retirement benefits.
 - Maintenance of all DDR Heads.
 - Efficient service delivery to the Ministry/Department by the banking system by way of e-payment.
 - Adherence to the prescribed Accounting Standards, rules and principles.
 - Timely, accurate, comprehensive, relevant and useful financial reporting.
8. The specific approval of the CGA, Ministry of Finance would have to be obtained in connection with any proposal for creation (or re-organization) of a new Pay & Accounts Office or for adding to the list of cheque drawing DDOs included in the Scheme of Departmentalization of Accounts of a Ministry/Department.
9. The overall responsibilities of Departmental Accounting Organization in respect of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are:-
 - Consolidation of monthly accounts of Ministry and its submission to the CGA.
 - Annual Appropriation Accounts.

- Statement of Central Transactions.
 - Preparation of “Accounts at a Glance”.
 - Union Finance accounts which are submitted to the CGA, Ministry of Finance and Principal Director of Audit.
 - Payments of grants-in-aid to State Government /Grantee Institutions/Autonomous Bodies etc.
 - Rendering technical advice to all PAOs and Ministry; if necessary in consultation with other organization like DOPT, Ministry of Finance and CGA etc.
 - Preparation of Receipt Budget.
 - Preparation of Pension Budget.
 - Procuring and supplying of cheque books for and on behalf of PAOs/Chequedrawing DDOs and Personal Deposit Account Holder.
 - Maintaining necessary liaison with Controller General of Accounts office and to effect overall co-ordination and control in accounting matters and accredited Bank.
 - Verify and reconcile all receipts and payments made on behalf of Ministry of Law and Justice through the accredited Bank.
 - Maintaining accounts with Reserve Bank of India relating to Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India and reconciling the cash balances.
 - Ensuring prompt payments.
 - Speedy settlement of Pension/Provident fund and other retirement benefits.
 - Internal Audit of the Ministry, subordinate and attached offices under Ministry of Law and Justice and its Grantee institutions, etc.
 - Making available accounting information to all concerned authorities.
 - Budget co-ordination works of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India.
 - Monitoring of New Pension Scheme and pension revision cases of Pre-2006 and Pre -1990 retirees.
 - Computerisation of Accounts and e-payment.
 - Administrative and co-ordination function of the accounting organisation.
 - Universal Roll out of Public Financial Management System (PFMS) for Central Sector Scheme.
 - Universal Roll out of Non-Tax Receipt Portal(NTRP) as per M/o Finance guidelines.
10. Accounting information and data are also provided to the Ministry to facilitate effective budgetary and financial control. Monthly and progressive expenditure figures under various sub-heads of the grant of the Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are furnished to Budget Section. Progress of expenditure against budget provisions are also submitted monthly to Secretary, Additional Secretary and Financial Adviser as well as Heads of Divisions of the Ministry controlling the grant

- for purposes of better monitoring of expenditure.
11. The Accounting organization also maintains accounts of long-term advances such as House Building Advance and Motor Car Advance and GPF accounts of employees of the Ministry.
 12. The verification and authorization of pensionary entitlement of officers and staff members is done by the Office of the Chief Controller of Accounts on the basis of service particulars and pension papers furnished by Heads of Offices. All retirement benefits and payments like gratuity, cash equivalent to leave salary as well as payments under Central Government Employees Group Insurance Scheme; General Provident Fund etc. are released by CCA's office on receipt of relevant information / bills from DDOs.
 13. INTERNAL AUDIT WING -The Internal Audit Wing carries out audit of accounts of various offices of the Ministry to ensure that rules, regulations and procedures prescribed by the government are adhered to by these offices in their day to day functioning.
 - (i) Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It basically aims at helping the organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. It is also an effective tool for providing objective assurance and advice that adds values, influence change that enhances governance, assist risk management and control processes and improve accountability for results. It also provides valuable information to rectify the procedural mistakes and deficiencies and, thus, acts as an aid to the management. The periodicity of audit of a unit is regulated by its nature and volume of work and quantum of funds.
 - (ii) There are 51 Auditee units / DDOs under various departments of Ministry of Law and Justice and Supreme Court of India excluding autonomous bodies and other grantee institutions and specific schemes under the Ministry. In the Financial Year 2019-20, **no audit activities have been carried out due to COVID-19 Pandemic**. The audit of more units/DDOs could not be conducted because there is no sanctioned post/permanent manpower for the Internal Audit Wing, Principal Accounts Office of this Ministry. The audit work is being managed by officers and staffs posted in different Pay and Accounts Offices and Principal Accounts Office along with two Consultants engaged from the empaneled list of retired officers/officials being maintained by the O/o Controller General of Accounts.

Achievements:- There were a total of 323 outstanding audit paras in respect of Ministry of Law and justice till the financial year 2015-16. Thereafter, several reminders and circulars were sent to the concerned Offices/Departments, 215 paras pertaining to the period till 2015-16 ; 193 pertaining to the year 2016-17, 32 paras pertaining to period 2017-18, 51 paras pertaining to period 2018-19 and 17 paras pertaining to period 2019-20 have been settled by the Internal Audit Wing. However, the Current status of outstanding internal audit paras are appended below:-

F.Y.	Number of outstanding paras	Number of paras dropped	Number of paras remaining
Till 2015-16	323	215	108
2016-17	251	193	58
2017-18	60	32	28
2018-19	138	51	87
2019-20	115	17	98
	887	508	379

14. Banking Arrangements :- Indian Bank, State Bank of India, UCO Bank and Dena Bank are accredited banks for PAOs and its field offices of the Ministry of Law, Justice and SCI. Cheques issued by the PAOs/CDDOs are presented to the nominated branch of the accredited bank for payment. The receipts are also remitted to the accredited banks by the respective CDDOs/PAOs. Any change in accredited bank required specific approval of Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance.

15. New Initiatives:-

(i) Public Financial Management System

Public Financial Management System (PFMS) initially started as a Plan scheme named CPSMS of the Planning Commission in 2008-09 as a pilot in four States of Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Mizoram for four Flagship schemes e.g. MGNREGS, NRHM, SSA and PMGSY. After the initial phase of establishing a network across Ministries / Departments, it has been decided to undertake National rollout of CPSMS (PFMS) to link the financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments. The scheme was included in 12th Plan initiative of erstwhile Planning Commission and Ministry of Finance.

(ii) The mandate given to PFMS by Cabinet decision is to provide:

- A financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks handling plan funds, integration with State Treasuries and efficient and effective tracking of fund flow to the lowest level of implementation for plan scheme of the Government.
- To provide information across all plan schemes/ implementation agencies in the country on fund utilization leading to better monitoring, review and decision support system to enhance public accountability in the implementation of plan schemes.
- To result in effectiveness and economy in Public Finance Management through better cash management for Government transparency in public expenditure and real-time information on resource availability and utilization across schemes. The roll-out will also result in improved programme administration and management, reduction of float in the system, direct payment to beneficiaries and greater transparency and accountability in the use of public funds. The proposed system will be an important tool for improving governance.

(iii) Modules to implement the Mandate

Modules developed /under development by PFMS for stakeholders as per the Union Cabinet above mandate are as under:

I. Fund Flow Monitoring

- (a) Agency registration
- (b) Expenditure management and fund utilisation through PFMS EAT module
- (c) Accounting Module for registered agencies
- (d) Treasury Interface
- (e) PFMS-PRI fund flow and utilization interface
- (f) Mechanism for State Governments towards fund tracking for State schemes
- (g) Monitoring of Externally Aided Projects (EAP):

II. Direct Benefit Transfer DBT modules

- (a) PAO to beneficiaries
- (b) Agency to beneficiaries
- (c) State treasuries to beneficiaries

III. Interfaces for Banking

- (a) CBS
- (b) India Post
- (c) RBI
- (d) NABARD & Cooperative Banks

Modules to implement Enhanced mandate:

IV. PAO Computerization-Online payments, receipts and accounting of Government of India

- (a) Programme Division module
- (b) DDO module
- (c) PAO module
- (d) Pension module
- (e) GPF and HR module
- (f) Receipts including GSTN
- (g) Annual Financial Statements
- (h) Cash Flow Management
- (i) interface with non-civil ministries

V. Non – Tax Receipt Portal

Other Departmental Initiatives:-

To leverage the capabilities of PFMS, several other departments have approached PFMS for developing utilities for their departmental needs as follows:

VI. Interface for MHA (Foreigners Division) Monitoring of Agencies receiving fund under FCRA

VII. CBDT PAN Validation

VIII. GSTN bank account validation

Implementation Strategy:-

An action Plan has been prepared and approved by Ministry of Finance for phased implementation of Public Financial Management System.

Improved Financial Management through:

- Just in Time (JIT) release of funds
- Monitoring of use of funds including ultimate utilization

Strategy:

- Universal rollout of PFMS which inter alia includes
- Mandatory registration of all Implementing Agencies (IA) on PFMS and
- Mandatory use of Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module of PFMS by all IAs

I. Implementation Strategy for Central Sector (CS) schemes/transactions

Activities to be completed

- Mandatory registration and use of EAT module by IAs
- Mapping of all relevant information of Schemes
- Uploading of budget of each scheme on PFMS
- Identify implementation hierarchy of each Scheme
- Integration of Systems Interface of specific Schemes with PFMS e.g. NREGASoft, AwasSoft
- Deployment and Training of Trainers

II. Implementation Strategy for Central Assistance to State Plan (CASP)

Activities to be undertaken by states

- State Treasury Integration with PFMS
- Registration of all SIAs on PFMS (1st level & below)
- Mapping of State Schemes with corresponding central schemes
- Configuration of State Schemes on PFMS
 - Configuring State Scheme Components
 - Identify and configure hierarchy of each state scheme
- Integration of PFMS with Scheme specific software application
- Deployment and training of Trainers

- Continuous support for implementation

Out of four (04) Pay and Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD), PAO(EO) & PAO(SCI) under Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India, roll out of payment and accounting module of Public Financial Management System (PFMS) in three (03) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD) & PAO(EO) has been successfully implemented in 2019-20 except PAO(SCI), which is still working on COMPACT as permitted by the CGA.

Status of EIS / CDDO / NTRP Module in Ministry of Law and Justice:-

1. Implementation of CDDO Module for electronic payments by CDDOs				
Ministry/ Department	Total No. of CDDOs	No. of CDDOs on board PFMS	Remaining No. of CDDOs	Month-wise plan for bringing on board PFMS
		March 21		
M/o Law and Justice	32	29	3	3
2. Employee Information System (EIS) Module				
Ministry/ Department	Total No. of DDOs	No. of DDOs on board PFMS	Remaining No. of DDOs	Month-wise No. of DDOs to be onboarded
		March 2021		
M/o Law and Justice	52	47	5*	3**

* In two (02) DDOs EIS is not required at present.

** Matter has been taken up with O/o CGA3. Non Tax Receipts Portal (NTRP) Module

3. Non Tax Receipts Portal (NTRP) Module			
Ministry/Department	Total No. of PAOs	No. of PAOs on board PFMS	Remaining No. of PAOs
M/o Law and Justice	4	4	NIL

Salient Features of Appropriation Accounts 2019-20

(Rs. in crores)

MAJOR HEAD	Budget Estimates	Final Estimates	Expenditure	Excess(+) Saving (-)
<u>Grant No. 63</u>				
2052-Secretariat General Services	138.04	137.96	124.74	-13.21
2014-Administration of Justice	485.77	433.66	429.60	-4.06
2015-Election	1429.55	1380.06	1378.47	-1.58
2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure	108.93	108.83	99.52	-9.30
2070-Other Administrative Services	14.17	13.02	9.72	-3.29
2552-North Eastern Areas	101.23	0.01	0	-0.01
3601-Grants-in-Aid to State Governments.	692.42	1073.00	1073.00	0
3602-Grants-in-Aid for UT Governments	50	56.83	56.83	0
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	135	110.01	49.61	-60.39
Amount surrendered during the year				-25.00
Total	3155.11	3313.38	3221.49	-116.84
<u>Appropriation No.65-Supreme Court of India</u>				
MH-2014 Administration of Justice (Charged)	269.46	296.55	296.55	0

(Source : Appropriation Accounts 2019-20)

CHAPTER-III

DEPARTMENT OF JUSTICE

1. ORGANISATION AND FUNCTIONS:

Department of Justice forms part of the Ministry of Law and Justice. It is headed by Minister, Law & Justice. The Secretariat is headed by Secretary (Justice). The organizational setup includes four Joint Secretaries, seven Directors/Deputy Secretaries and eleven Under Secretaries. The sanctioned strength of the Department of Justice is 101, out of which, 44 posts are lying vacant. Out of 57 present incumbents, only 10 women officers/officials are working in this Department. The Organisational Chart of the Department of Justice is at [Annexure-IX](#).

1.1 As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (as amended from time to time), the subjects handled by the Department of Justice, inter-alia, include the following:

- i. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowance), pensions and travelling allowances.
- ii. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States, their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances;
- iii. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories;
- iv. Constitution and organization (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein;
- v. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts;
- vi. Administration of justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.;
- vii. Courts fees and Stamp duties in the Union Territories;
- viii. Creation of All India Judicial Service;
- ix. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories;
- x. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court;
- xi. Legal Aid to the poor;
- xii. Administration of Justice; and
- xiii. Access to Justice Delivery and Legal Reforms;

2. APPOINTMENT OF JUDGES:

2.1 THE SUPREME COURT OF INDIA

As on 31.12.2020, against the sanctioned strength of 34 Judges in the Supreme Court, 30 Judges (including Chief Justice of India) are in position, leaving 4 vacancies of Judges to be filled in the Supreme Court of India. At present, 2 women Judges are functioning in the Supreme Court of India.

2.2 HIGH COURTS

During the period 01.01.2020 to 31.12.2020, 66 fresh appointments of Judges were done in the High Courts, and 90 Judges of High Courts were appointed as Permanent Judges. Further, appointment of 07 Chief Justices of High Courts was done. 05 Chief Justice and 13 Judges of High Courts were transferred from one High Court to another. 03 Additional Judges were given fresh term.

As on 31.12.2020, against the sanctioned strength of 1079 Judges in the High Courts, 668 Judges are in position, leaving vacancies of 411 posts of Judges to be filled. 82 women Judges are functioning in various High Courts.

3. FAMILY COURTS:

- 3.1 The Family Court Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. Under section 3(1)(a) of the Family Courts Act, it is mandatory for the State Governments to set up a Family Court for every area in the state comprising a city or a town whose population exceeds one million. In other areas of the State, Family Courts may be set up if the State Governments deems it necessary.
- 3.2 Main objectives for setting up of Family Courts are to create a Specialized Court to deal with family matters exclusively through instituting a mechanism for conciliation of the disputes relating to Family expeditiously, to provide an inexpensive remedy and to have flexibility and an informal atmosphere in the conduct of proceedings.
- 3.3 A scheme of central financial assistance was started in the year 2002-03 for setting up of Family Courts. As per the scheme, Central Government provided 50 percent of the cost of construction of the building of the Family Court and residential accommodation of the Judge subject to a ceiling of Rs 10 lakh as a one-time grant as Plan support and Rs 5 lakh annually as the recurring cost under Non-Plan. The State Government was required to provide matching share. A grant of Rs. 11.50 Cr. was released to the State Governments till the year 2012-13. The component provided for grant for construction of building of Family Court and residential accommodation of the Judges, has been subsumed in the Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary. 729 Family Courts are functional in 25 States as on date.

4 . FAST TRACK COURTS:

Fast Track Courts (FTCs) are set up by the State Governments as per their need and resources in consultation

with the High Courts concerned. 14th Finance Commission recommended 1800 FTCs for dealing cases of heinous nature, cases related to women, children, senior citizen etc. and urged State Governments to utilize enhanced fund made available through devolution. 859 FTCs are functional in 20 States as on date.

5. SPECIAL COURTS FOR TRIAL OF CRIMINAL CASES INVOLVING ELECTED MPS/MLAS:

In compliance to Hon'ble Supreme Court Judgment in Ashwini Kumar VsUoI(WP (C) 699 of 2016)10 Special courts (02 Special Courts in Delhi, and 01 each in the State of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal) are functional for expeditious trial and disposal of criminal cases involving elected MPs/MLAs.

6. ISO 9001:2015 CERTIFICATION:

Department of Justice has been certified as ISO 9001:2015 QMS standards on 23.05.2019 (upgraded version) which is valid till 16.04.2022 subject to annual surveillance audit. Annual surveillance audit was conducted successfully in July 2020.

7. FAST TRACK SPECIAL COURTS:

- 7.1 In pursuance of the Criminal Law (Amendment) Act, 2018, Union of India finalized a Centrally Sponsored Scheme in August 2019 for setting up of 1023 Fast Track Special Courts (FTSCs) across the country for expeditious trial and disposal of pending cases related to rape and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. The Scheme had been initiated for a period of one year spread over two financial years (2019-20and2020-21). Total estimated cost of the project is Rs. 767.25 crore which has a Central share of Rs.474crore to be incurred from Nirbhaya Fund. Keeping in view the direction of Hon'ble Supreme Court in Suo Motu Writ (Criminal) No. 1/ 2019 dated 25th July, 2019, 389 ePOCSO courts are proposed out of 1023 FTSC under the scheme for trial of POCSO Act cases exclusively in districts where pendency of such cases is more than 100.
- 7.2 Out of eligible 31 State/UTs where pending cases reported 65 and above, 28 have joined the scheme. Funds to the tune of Rs. 140 Cr. was released as central share in 2019-20 and Rs. 89.71 Cr. in F.Y. 2020-21 up to December 2020 for setting up of 842 identified FTSCs including 363 exclusive POCSO Courts. 603 FTSCs including 335 exclusive POCSO Courts are operational in 24 States / UT (as of 30.11.2020). States are being pursued vigorously for setting up and for making remaining FTSCs/exclusive ePOCSO Courts operational expeditiously.

8. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY:

- 8.1 The National Judicial Academy (NJA), Bhopal is an autonomous body established in 1993 under the Societies registration Act, 1860. This independent body functions with its office at the Supreme Court of India and its campus at Bhopal, Madhya Pradesh. This is an Apex body which imparts judicial training to Judges / Judicial Officers of the country and provides facilities for training of ministerial officers working in the Supreme Court, study of court management and administration of justice in the State / Union Territories, organizing conferences, seminars, lectures and research in matters relating to court management and administration. The core objectives of the said Academy

have been to foster development of national judiciary in the country and strengthen administration of justice, judicial education, research and policy formulation.

8.2 The Hon'ble Chief Justice of India (CJI) is the Chairman of the General Body of the NJA as well as of the Governing Council of the Executive Committee and the Academic Council of NJA. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council. The Academy is fully funded by the Government of India. It has a Director as the Principal Executive Officer. In FY 2020-21, a total of Rs. 11 crore has been allocated to National Judicial Academy. NJA, Bhopal has proposed 32 online courses during the current Academic Year considering Covid-19 pandemic situation.

9. ECOURTS MISSION MODE PROJECT:

As part of the national eGovernance Plan, the eCourt project is an integrated Mission Mode Project under implementation since 2007 for the ICT development of the Indian Judiciary based on the “National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary”. The e-Court Integrated Mission Mode Project was launched with the objective of improving access to justice using technology. Under this project, 18,735 courts, across the country, have been computerised, so far with software compatibility and interoperability. Funds amounting to Rs. 156.75 crore have been released to the eCourts MMP during Financial Year 2020-21 (Till December 2020).

10. WIDE AREA NETWORK (WAN) CONNECTIVITY:

The Wide Area Network (WAN) Project under eCourts project is aimed at connecting all District and Subordinate court complexes, spread across the country using various technologies like OFC, RF, VSAT. So far, 2931 sites have been commissioned out of 2992 sites with 10 Mbps to 100 Mbps bandwidth speed (completing 98% sites). This forms the backbone for the eCourts project ensuring data connectivity in courts across the length and breadth of the country. A committee has been set up by the Department of Justice to develop a SOP for lodging complaints and capacity upgradation of the WAN bandwidth to ensure seamless data transmission in view of the enhanced load during the COVID-19 pandemic.

11. NATIONAL JUDICIAL DATA GRID:

Case Information Software (CIS) which forms the basis for the eCourt services is based on customized Free and Open Source Software (FOSS) which has been developed by NIC. Currently CIS National Core Version 3.2 is being implemented in District Courts and the CIS National Core Version 1.0 is being implemented for the High Courts.

Every single case has been provided a Unique Identification code which is called CNR number and QR Code. This has led to the development of National Judicial Data Grid (NJDG) as a new communication pipeline for judicial data transmission.

Using NJDG developed under the eCourts Project, with elastic search technology, lawyers and litigants can today access case status information of 17.90 crore cases and more than 13.36 crore orders/judgments. The portal also provides information related to details of court registration, cause list, daily orders and final judgments. Access has now been provided to data of all High Courts and District Courts in the country. This

is an important tool to identify, manage and reduce case pendency. Recently a feature for showing the reason for delay in disposal of the case has been added. In consonance with the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) announced by the Government of India, Open Application Programming Interface (API) has been provided to the Central and State Government to allow easy access to the NJDG data using a departmental ID and access key. This will allow the institutional litigants to access the NJDG data for their evaluation and monitoring purposes.

12. VIRTUAL COURTS:

Nine Virtual Courts have been set up at Delhi (2 courts), Faridabad (Haryana), Pune & Nagpur (Maharashtra) Kochi (Kerala), Chennai (Tamil Nadu), Gauhati (Assam) and Bengaluru (Karnataka) to try traffic offences. The concept is aimed at reducing the footfalls in the court by eliminating the presence of the violator or advocate in the court. Virtual court can be managed by a virtual judge (which is not a person but an algorithm) whose jurisdiction can be extended to the entire state and working hours can be 24x7. As on 08.12.2020, these courts have handled 35,02,896 cases and realised Rs.130.72 cr. in fines. In November 2020, Delhi High Court has issued “Digital NI Act Courts-Project Implementation Guidelines” and set up 34 Digital Courts dealing with Negotiable Instruments Act cases. Besides being paperless, such Courts are environmentally friendly and have also led to saving of judicial manpower and added to the convenience of the citizens.

13. VIDEO CONFERENCING:

Video conferencing emerged as the mainstay of the Courts during the COVID lockdown period as physical hearings and normal court proceedings in the congregational mode were not possible. Since COVID lockdown started, the District courts heard 39,56,840 cases while the High Court heard 15,90,918 cases (totaling to 55.47 lakh) till 31.12.2020 using video conferencing only. The Supreme Court had nearly 32,000 hearings during the lockdown period. To bring about uniformity and standardization in the conduct of VC, an overarching order was passed by the Hon’ble Supreme Court of India on 6th April 2020 which gave legal sanctity and validity to the court hearings done through VC. Further, VC rules were framed by a 5 Judge Committee which was circulated to all the HCs for adoption after local contextualization. So far, the VC rules have been adopted by 12 HCs. As part of the “Atma Nirbhar App Challenge” some Indian made Video Conferencing Apps have also been shortlisted and undergoing tests for use as Video Conferencing platform. One video conference equipment each has been provided to all Court Complexes including taluk level courts and additionally funds have been sanctioned for additional VC equipment for 14,443 court rooms. Funds for setting up 2506 VC Cabins and acquiring 1200 additional VC licenses have been made available. VC facilities are already enabled between 3240 court complexes and corresponding 1272 jails.

14. E-FILING & ESEWA KENDRAS:

An efiling system (version 1.0) has been rolled out for the electronic filing of legal papers. This allows the lawyers to access and upload documents related to the cases from any location 24x7 which makes coming to the court for filing of papers unnecessary. Further the details of the case entered in the efiling application are consumed in the CIS software and hence chances of mistakes are minimized. Upgraded versions 2.0 and 3.0 have also been prepared which are more user friendly and have upgraded features like Advocates portfolio, Advocate clerk entry module, calendar and integration with social media platforms etc. Draft

eFiling rules have been formulated and circulated to the HCs for adoption. Supreme Court of India has also developed upgraded eFiling version 3.0 which has now been introduced on a pilot basis and undergoing final security audit. There has been a surge in the number of lawyers and litigants registering for the e filing during the COVID-19 pandemic. To promote efilng, all Central & State Government departments including the PSUs have been requested to use e filing in all commercial disputes coming up in the commercial courts. eSewa Kendras have been rolled out to bridge the digital divide by providing e filing services to lawyers and litigants. Currently covering all High Courts and one District Court as pilot project, it is being expanded to cover all court complexes. eSewa Kendras have been set up at the entry point of the court complexes with the intention of facilitating the lawyer or litigant who needs any kind of assistance ranging from information to facilitation and e filing.

15. E-PAYMENTS:

e-Filing of cases requires facilities for ePayments of Court Fees which includes court fees, fines and penalties which are directly payable to the Consolidated Fund. Efilng of cases requires facilities for ePayments of court fees. Online payment of court fees, fines and penalties has been initiated through <https://pay.ecourts.gov.in>. Introduction of electronic collection of court fees and other civil payments require appropriate amendments in the existing Court Fees Act. 21 States have already amended the Court Fees Act.

16. E-COURT SERVICES:

As part of eCourt project, 7 platforms have been created to provide real time information on case status, cause lists, judgments etc. to lawyers/litigants through SMS Push and Pull (35000 SMS sent daily), email (3,50,000 sent daily), multilingual and tactile eCourts Services Portal (35 Lakh hits daily), JSC (Judicial Service centres) and Info Kiosks. On the National eTaal, the eCourts services portal has recorded 353 crore transactions in last one year making it the lead Mission Mode Project. In addition, Electronic Case Management Tools (ECMT) have been created with Mobile App for lawyers (with 51.1 lakh Android and 6.01 lakh IOS downloads till date) and JustIS app for judges (14,193 downloads till date).

17. NATIONAL SERVICE AND TRACKING OF ELECTRONIC PROCESSES:

National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP) has been launched for technology enabled process serving and issuing of summons. A GPS enabled device is given to the Bailiff for the service of summons leading to greater transparency and speedy delivery of processes. It provides real time status update of service of summons besides tracking of geographical coordinates of the process server at the time of serving.

18. COVID-19 SOFTWARE PATCH:

A new software patch and court user manual for COVID-19 management has also been developed. This tool will help in smart scheduling of cases thereby enabling judicial officers to retain urgent cases and adjourn cases not urgent on cause list. A user manual for this patch has also been issued for the ease of the stakeholders.

19. JUSTICE CLOCKS:

To make effective use of database created through National Judicial Data Grid (NJDG) and to make the information available to public, LED Display Message Sign Board System called Justice Clocks have been

installed in 18 High Courts. The purpose of Justice Clock is to bring awareness to the public about justice sector, advertising the various schemes of the department and to give status of various fields to the public.

20. IEC CAMPAIGN:

A website has been launched exclusively for the eCommittee. This website disseminates the eCourts Project related information to all stakeholders. Provision has been made for the High Courts to upload their achievements and their best practices. The eCommittee website has also been linked to the website of the DoJ.

At present, the District Court websites are functioning using the Drupal framework which was created more than 5 years back. The Drupal infrastructure is being upgraded with the latest S3waaS framework which has been created using FOSS technologies by the NIC.

Towards creating awareness and familiarization of e-Filing amongst lawyers, Webinars on e-Filing for Tamil Nadu, Goa, Maharashtra and Delhi Bar Council was organized during June 2020 which had more than 19000 viewers. A Manual on e-Filing entitled as “Step by Step Guide for e-Filing” has been prepared and made available on the e-Filing portal, in both English and Hindi, for use of advocates and litigants. It has also been released in 11 regional languages. A Brochure in English and Hindi on “How to register for e-Filing” has been made available on the e-Filing portal for the use of lawyers. It has also been released in 12 regional languages. As part of awareness campaign, a YouTube Channel has been created in the name of eCourts Services where video tutorials on e-Filing have been made available for larger outreach to stakeholders. 12 help videos on e-Filing in 7 regional languages apart from Hindi and English was prepared and circulated for the advocates as part of awareness raising programme. The said videos are available in the e filing portal help desk and also in the social media through the eCommittee YouTube channel. To conduct awareness programme for advocates on eFiling and ECMT tools under eCourt Services, training of trainers has already been undertaken by eCommittee of the Supreme Court at the National and State level. 25 Master Trainers have been trained in each High Court who in turn have already trained 461 Master Trainers across the country. These, 461 Master Trainers have in turn imparted training programme on eCourt Services and eFiling in each district of the country for advocates in their regional languages and also identified Master Trainer Advocates.

21. NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS:

21.1 Objectives: National Mission for Justice Delivery and Legal reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, inter-alia, involves better infrastructure for courts including computerization, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development.

21.2 Advisory Council

To advise on the goals, objectives and strategies of the National Mission and the Action Plan and its implementation, an Advisory Council has been constituted under the Chairmanship of Minister of Law and Justice with wide ranging membership which include Minister of State in the Ministry of

Home Affairs; Chairperson of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice; Minister of Law & Courts, Andhra Pradesh; Minister of Law, Justice & Parliamentary Affairs, Jammu & Kashmir; Attorney General of India; Chairperson, Law Commission of India; Secretary, Department of Legal Affairs; Secretary, Legislative Department; Solicitor General of India; Secretary-General, Supreme Court of India; Director, National Judicial Academy; and Chairman, Bar Council of India. Secretary, Department of Justice is the Convener of the Advisory Council. An Action Plan of the National Mission was formulated covering 5 strategic initiatives which are reviewed by the Advisory Council of the National Mission from time to time. The Advisory Council meets once in six months. Eleven meetings of the Advisory Council have been held so far.

21.3 Subordinate Judiciary

As per the Constitutional framework, the selection and appointment of judges in subordinate courts is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. As per information made available by the High Courts and respective State Governments, as on 21.12.2020 the sanctioned strength of Judicial Officers of District and Subordinate Courts is 24225. The number of Judicial Officers in position and vacant posts is 19345 and 4880 respectively.

21.4 Pendency in Courts

The status of pendency of cases (as on 31.12.2020) in various courts in the country is given below:

Supreme Court	64426
High Courts	56,18,513
District and Subordinate Courts	3,63,75,984

At present, quarterly statistics relating to the total number of civil and criminal cases pending before the Supreme Court, High Courts and District & Subordinate Courts are made available by the Supreme Court. In addition, the National Judicial Data Grid (NJDG), provides data on cases pending in the District Courts and High Courts across the country. NJDG has been appreciated and acknowledged by the World Bank in the Ease of Doing Business Report, 2020. As an effective tool for generation of Case Management Reports.

A series of provisions have been introduced in procedural laws to enable the expeditious disposal of criminal and civil cases. In case of civil trials, relevant amendments to the Code of Civil Procedure (CPC) including provisions limiting the number of adjournments that may be granted to each party, allowing service of summons through email; providing for dismissal of suit where summons are not served in consequence of plaintiffs failure to pay costs; and limiting the time limit for filing of written statement by the defendant. Similarly, in the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.) several amendments have been made to ensure speedy disposal. These include, amendment of Section 309, Cr.P.C. to discourage unnecessary adjournments; amendment of Section 320, Cr.P.C. to rationalise the list of compoundable offences; insertion of a new Chapter XXIA on plea bargaining; insertion of Section 436A for release of undertrial prisoners who have undergone half of the maximum imprisonment; and permitting the use of audio/video technology in criminal cases.

21.5 Reforms under Enforcing Contracts Indicator of World Bank's Doing Business Report:

World Bank Report on Doing Business measures regulations that enhance business activity and those that constrain across 11 indicators. Department of Justice (DoJ) is the nodal department for the Enforcing Contract indicator. The performance of any country in “Enforcing Contracts” indicator is measured against the time taken for disposal of a commercial dispute; costs involved in resolving a commercial dispute; the quality of judicial processes and good practices followed by the commercial courts.

This department has created a Task force under the Chairmanship of Secretary, Department of Justice, with members from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Department of Legal Affairs (DoLA), the High Court of Delhi, Bombay, Karnataka and Calcutta and the Law Departments of Delhi, Maharashtra, Karnataka and West Bengal and the e-Committee of the Supreme Court. The Task Force has held 11 meetings so far. The concerted efforts of the Government and the Indian judiciary in implementing reforms under the “Enforcing Contracts” Indicator has led to India’s rank improving to 163rd rank in 2020 from 186th in 2014. This jump of 23 ranks is a result of the game-changing reforms undertaken by the government over the past 6 years.

Enforcing Contracts indicator measures the following parameters:

- a. Time estimates for commercial cases: This includes time taken during filing and service phase, trial and judgment phase, and enforcement of judgment phase.
- b. Cost estimates for commercial cases: This includes attorney fees, court fees (upto judgment only) and expert fees, and enforcement fees.
- c. Quality of Judicial Process Index: This includes court structure and proceedings, case management, court automation, and alternative dispute resolution.

21.6 Following are some of the key reforms undertaken in Enforcing Contracts indicator in this year:

The Department has spearheaded following steps for exclusive and focused attention to resolve commercial disputes expeditiously and strengthen the “Enforcing Contracts” regime and institutionalized these steps in collaboration with judiciary, as follows:

- i. For speedy resolution of commercial cases, the government introduced the Commercial Courts Act, 2015 (as amended in 2018) which led to establishment of **“Dedicated Commercial Courts”** at district level in Delhi and Mumbai. The specified value of commercial cases to be resolved in these commercial courts is starting from Rs 3 lakhs. These courts have exclusive jurisdiction as well as exclusive manpower. There are 22 Dedicated Commercial Courts in Delhi; 4 Dedicated Commercial Courts in Mumbai; 2 Dedicated Commercial Courts in Bengaluru with 7 more to be established soon and 2 Dedicated Commercial Courts in Kolkata and 2 more to be set up. This structural reform introduced by the government is aimed at facilitating settlement of commercial disputes expeditiously for litigants and lawyers and at the same time instill confidence in the corporate investors.

- ii. To promote fair and unbiased adjudication of commercial matters, the government in collaboration with the judiciary is implementing eCourts project. Under this project, for enhancing judicial transparency and court automation, “**Random and Automatic Allocation**” of commercial cases has been made operational. All newly filed commercial cases in the Dedicated Commercial Courts are automatically and randomly allocated to the judges using the latest Case Information System (CIS 3.2) software. This digital reform of the government which was lacking previously, focuses on creating a system which is faceless, transparent and credible case allocation to judges. It has not only improved the ease of doing business but aided in a paperless and environmentally friendly court procedure.
- iii. “**Case Management Hearing or pre-trial conference facility**” under CPC Order XV-A of the Commercial Courts Act, 2015 introduced by the government has been made operational by this government for all commercial cases in Delhi, Mumbai, Bengaluru and Kolkata. It is held before the trial and narrows down contentious issues/evidentiary questions, expedites trial process and discourages any delay tactics. The aim is to speed up case disposal by streamlining the trial process, thus benefitting the litigants as well as lawyers.
- iv. To reinforce the Prime Minister’s flagship Digital India program that has become a mass movement in the past 4 years, the initiatives under Enforcing Contracts indicator have galvanized efforts such as “**e-Filing Facility**”. e-filing has made filing of cases real time and online which means that cases can be filed by a lawyer from home or any location, any time 24x7. e-filing system is aimed at promoting paperless filing and create time and cost saving efficiencies by adopting technology-driven solution to file cases before courts in India.
- v. “**e-Summons**” is the process of issuing and serving the summons electronically through email followed by SMS alert which is generated through eCourt Services Portal is fully operational in Delhi and Mumbai Courts. This pioneering initiative of the government in consonance with the Digital India vision will save time and resources by automatically delivering the summons to parties in dispute.
- vi. The government introduced the Commercial Courts (Amendment) Act, 2018 that ushered in game-changing policy initiative of “**Pre-institution mediation and settlement**” of commercial cases where no urgent interim relief is contemplated and for this purpose, through subject expert mediators empanelled by the District Legal Services Authorities. The Pre-Institution of Mediation & Settlement (PIMS) Rules, 2018 (as amended in 2020) has been notified. This has led to dispute avoidance and reduced clogging of cases in commercial courts. In addition, it has boosted investors’ confidence in contract enforceability regime.
- vii. The vision of Digital India and the eCourts project is to transform the judicial system of the country by ICT enablement of courts. In order to enhance judicial productivity, both qualitatively & quantitatively, making the justice delivery system accessible, cost effective, reliable and transparent, “**Electronic Case Management Tools (ECMTs)**” has been introduced. It enables better and efficient justice delivery process and court management are available through eCourts Services web portal, eCourts Services Mobile App and JustIS Mobile App. Judges and lawyers can access them from both eCourt Services web portal

- and mobile application anywhere and anytime. Integration of Electronic Case Management Tools in one digital platform has been done which is a key reform under Enforcing Contracts in World Bank's Ranking.
- viii. JustIS app is an essential tool for Judicial Officers and has been made available exclusively for India's judicial officers to empower them. It gives a quick glance of the number of listed cases on the present day, undated cases, received by the Institution and by transfer in the last month, current pending and disposed commercial matters in the current month. The eCourts app aims to enhance judicial productivity and workflows by providing case information with speed and accuracy to lawyers and litigants.
 - ix. The government has recognized that an effective and faster system of resolution of high value commercial disputes needs specialized forums for expeditious adjudication. **Special Commercial Benches in High Courts** have been set up in Delhi, Allahabad, Odisha and Andhra Pradesh High Courts to hear high value commercial cases above Rs. 500 crores.
 - x. The government felt that the Specific Relief Act, 1963 is not in tune with the rapid economic growth happening in our country. The government introduced the Specific Relief (Amendment) Act, 2018. Section 20B of this amended Act mandates establishment of **Designated Special Courts for infrastructure projects**. Currently, 22 High Courts have established **Designated Special Courts for infrastructure projects**. High Court(s) of Calcutta, Karnataka, Allahabad and Madhya Pradesh High Courts have allocated specific days in a week for hearing of such matters so that these courts function as dedicated courts for infrastructure contracts on such days.

22. SCHEME FOR ACTION RESEARCH AND STUDIES ON JUDICIAL REFORMS:

- 22.1 A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms was formulated by the Department of Justice in September, 2013 with necessary approval of Standing Finance Committee. The objective of the Scheme is to promote action research and studies in the field of Judicial Reforms. So far, 45 projects have been sanctioned under the Scheme out of which 33 projects have been completed. Actionable Points from recommendations given by implementing agencies have been forwarded to authorities concerned for their appropriate consideration.

23. CENTRALLY SPONSORED SCHEME (CSS) FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR THE JUDICIARY:

- 23.1 **Objective and Scope:** Development of Infrastructural Facilities for Judiciary in the States is the prime responsibility of the State Governments concerned. However, to augment the resources of the State Governments, a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for the judiciary was launched by the Central Government in the year 1993- 94. The scheme, as it stands now, covers construction of court buildings and residential quarters for Judges / Judicial Officers of District and Subordinate Courts.
- 23.2 Since inception of the Scheme, the Central Government has provided financial assistance amounting to Rs. 7975.81 crore to State Governments / Union Territories. Out of this, an amount of Rs.4531.50

crore has been provided since 2014-15 till 31.12.2020 (57.13%), which includes Rs. 982.00 crore in 2019-20 and Rs. 302.93 crore released during 2020-21 (as on 21.12.2020). As per information collected from High Courts as of December 31, 2020, there were 19,966 court halls / court rooms available for District and Subordinate Courts in the country. In addition, 2,827 court halls / court rooms were under construction. Comparing these figures with the working strength of 19,345 judges / judicial officers reported by High Courts as of December, 2020, adequate court rooms / court halls are available for the current strength of judicial manpower. 3,985 Court Halls and 2,587 Residential Accommodation were constructed / completed since 2014-15 till 31.12.2020, out of this 192 court halls and 126 residential units have been constructed in the year 2020-21. Focus is now to match the availability of court rooms / court halls with the sanctioned strength of 24,225 judicial officers / judges in District and Subordinate Courts. Considerable progress has also been made with regard to availability of residential units for judicial officers in District and Subordinate Courts. As of December 31, 2020, 17,752 residential units were available and 1,858 residential units were under construction.

- 23.3 The Guidelines of the Scheme have been revised from 2018-19 for smooth and effective implementation of the Scheme. The revised guidelines include weightage criteria, a scientific formula, has been adopted from the year 2018-19 for inter-state distribution of funds under the Scheme. The criteria is based on 4 parameters, namely, (i) number of court halls left for construction with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT (ii) number of residential units left for construction with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT (iii) working strength of judicial officers with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT, and (iv) pendency of 10 years and more old cases in subordinate judiciary. Based on such criteria the tentative allocation of funds to States/UTs is informed to the State Governments and UT Administrations in advance at the beginning of the financial year to enable them to submit their proposals accordingly.
- 23.4 Nyaya Vikas Web Portal and Mobile App Version 2.0. An on-line monitoring system has been developed with the technical assistance of National Remote Sensing Centre of ISRO. For the purpose, the web portal and mobile app named “Nyaya Vikas” have been developed for monitoring of construction projects which was launched by Hon’ble Minister of Law and Justice on 11th June, 2018. The State Governments have nominated Nodal Officer at State level and Surveyors & Moderators for each project to enter and upload data/information relating to ongoing and completed projects. Based on the experience and observations of the Users at the Central and State level, Nyaya Vikas web portal and Mobile App has been upgraded and version 2.0 has been launched and is live from 01.04.2020. The Users in all States and Union Territories are entering data through web portal and uploading photographs through mobile app with geo-tagging. Total number of projects entered in the portal is 1909, including 1000 completed, 824 under construction and 85 proposed. 1521 projects have been geo-tagged.

24. GRAM NYAYALAYAS:

- 24.1 The Gram Nyayalayas Act, 2008 came into force with effect from 2nd October, 2009. The Act provides for establishment of Gram Nyayalayas at intermediate Panchayat level for the purpose of

providing access to justice to the citizens at their doorstep. A copy of the Act has been placed on the website of Department of Justice. In terms of Section 3(1) of the Gram Nyayalayas Act, State Governments, after consultation with the High Court concerned, may, by notification, establish one or two more Gram Nyayalayas for every Panchayat at intermediate level or a group of contiguous Panchayats at intermediate level in a district or where there is no Panchayat at intermediate level in any State, for a group of contiguous group Panchayats. Establishment of Gram Nyayalayas is, therefore, not mandatory on the part of State Governments as per the Act. However, State Governments are requested from time to time to establish Gram Nyayalayas.

24.2 402 Gram Nyayalayas have been notified by 12 States, out of which 225 Gram Nyayalayas are functional. To encourage the states, the financial assistance is provided for non-recurring expenses for setting up of Gram Nyayalayas, and for meeting the cost of recurring expenditure towards running these Gram Nyayalayas for the first three years. The recurring and non- recurring assistance is subject to financial ceilings as provided in the guidelines of the scheme. The Central Government is providing assistance to states for Gram Nyayalayas which include Rs. 18.00 lakh per Gram Nyayalaya towards cost of establishing the Gram Nyayalaya as a Ministry of Law and Justice one-time assistance (Rs. 10 lakh for office building, Rs. 5 lakh for vehicle and Rs. 3 lakh for furnishing the office) and Rs. 3.20 lakh per Gram Nyayalaya per annum as recurring expenditure for a period of three years. As on 10th December, 2020 a sum of Rs. 72.38 crore has been sanctioned to States so far which include Rs. 3.78 crore in 2020-21. Details are given below:

Sl. No	Name of the State	Gram Nyayalyas Notified	Gram Nyayalayas operational	Funds sanctioned so far (in Rs. lakh)
1	Madhya Pradesh	89	89	2456.40
2	Rajasthan	45	45	1240.98
3	Karnataka	2	2	25.20
4	Odisha	22	16	337.40
5	Maharashtra	39	24	497.62
6	Jharkhand	6	1	75.60
7	Goa	2	0	25.20
8	Punjab	9	2	25.20
9	Haryana	3	2	25.20
10	Uttar Pradesh	113	14	1323.20
11	Kerala	30	30	828.00
12	Andhra Pradesh	42	0	378.00
	Total	402	225	7238.00

25. SECOND NATIONAL JUDICIAL PAY COMMISSION (SNJPC):

The Supreme Court of India vide its order dated 09.05.2017 in Writ Petition No. 643/2015 directed to appoint a Judicial Pay Commission to review the pay scales, emoluments and service conditions of the Judicial Officers of Subordinate Judiciary in India. Accordingly, Second National Judicial Pay Commission has been established under the Chairmanship of Shri Justice (Retd.) P.V. Reddi of the Supreme Court.

In February 2020 SNJPC submitted its final report to Supreme Court of India and also provided a copy of report to Department of Justice. On 28.02.2020 Supreme Court considered the report and directed all the State Governments and UTs to file their responses with respect to each recommendation, if any, within the period of four weeks. On 22.06.2020 Affidavit on behalf of Union of India was filed in Supreme Court of India. Now the matter is under consideration of Hon'ble Supreme Court of India.

26. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH MOROCCO:

A Memorandum of Understanding on Judicial Sector Co-operation was signed between Supreme Court of India and Supreme Council of the Judicial Power of the Kingdom of Morocco on 24.07.2020 in Rabat.

27. REDRESSAL OF GRIEVANCES:

Department of Justice (DoJ) receives large number of Citizen's grievances from citizens directly and through online CPGRAMS Portal. 9377 grievances have been received during the year. 9639 grievances have been disposed off during this period. The Department has been rated as one of the largest grievances receiving Departments by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances. Besides, large number of grievances is also received through post. Detailed guidelines for disposal of grievances by Department of Justice have been uploaded on website www.doj.gov.in for information/guidance of grievance holders/citizens.

28. ACCESS TO JUSTICE:

Constitutional Mandate

The Preamble to the Indian Constitution recognizes Justice as one of the foremost deliverables to be secured for the people of India. Building upon the constitutional provisions contained in Articles 14, 21 and 39A, Department of Justice (DoJ) through its Access to Justice Programme, has undertaken various initiatives /projects to enhance accessibility to legal aid and promote legal literacy amongst people in a need-based, localized and contextualized manner.



29. PROGRAMMES UNDER ACCESS TO JUSTICE:


- 29.1 Tele-Law: Reaching the Unreached, programme launched in, 2017 has witnessed significant growth during the year 2020-2021. Seeking to provide free legal advice to the marginalized sections of the society through Video Conferencing/Telephone facility available at the Common Service Centres (CSCs) by dedicated pool of Panel Lawyers, the programme enabled advice to 5,26,132 beneficiaries

that includes 1,60,317 women, 1,16,267 Scheduled Caste, 95,254 Scheduled Tribe and 1,58,596 OBC beneficiaries.


- 29.2 Currently operational in 29860 CSCs covering 285 districts across 29 States/UT in the country including 115 Aspirational Districts, this program has proved its immense potential, strength and utility for the citizens in these trying Pandemic times. To enable easier access of the services to the unreached, specific interventions were taken during this period.

29.3 E- Brochure and Pamphlets on Tele-Law & E-Tutorial on use of Tele-law Mobile App has been translated in 22 languages and uploaded on Tele-law public portal. Radio jingle (translated in 22 languages) was broadcast through All India Radio in 285 Districts. E-booklet on Tele-Law titled “Voices of the Beneficiaries” was released that captures real life stories and benefits received under the Tele-Law programme.

29.4 Tele-Law Data, being captured on dedicated Tele-Law dashboard, is now pushed on Prayas Dashboard that facilitates review of ongoing flagship programmes and other important initiatives of the Government of India for high level monitoring.



State Level Granularity



District Level Granularity

30. NYAYA BANDHU (PRO BONO LEGAL SERVICES):

This programme (launched in 2017), is the Department's initiative to spearhead Pro bono culture across the country. Following supporting measures have been undertaken in financial year 2020-2021:-

- 30.1 **Nyaya Bandhu Apps (Android & iOS) application** has been developed to create a database of pro bono advocates. On the eve of “71st Constitution Day” the Nyaya Bandhu (iOS version) was launched and hosted on UMANG –that serves for more than 2.0 Cr registered users. 2292 lawyers have registered so far under this programme.



30.2 **Pro bono Panels in High Courts** have been created with support from Registrar Generals of High Courts to provide state specific decentralized pool of Pro Bono Advocates.



30.3 **Pro Bono Club Scheme** has been rolled out to instill in the young minds an understanding and philosophy on Pro bono and to assist the registered Pro Bono advocates in researching and legal drafting.

30.4 DoJ has also sought the cooperation of High Courts and State Bar Councils in publicizing the Nyaya Bandhu initiative through distribution of Nyaya Bandhu IEC materials within their networks. Nearly 7.2 lakh Nyaya Bandhu pamphlets in 22 regional languages have been dispatched to High Courts and Bar Councils across the country.



31. SPECIFIC INITIATIVES FOR NORTH EAST AND UT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH (NEJK):

Since 2012, DoJ “Access to Justice NEJK Project” is instrumental in undertaking the local initiatives to address the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, to improve the capacity of justice delivery systems and legal services authority and to enhance legal awareness of the vulnerable populations in the States/UTs¹. Focus areas include Legal Aid, Legal Awareness and Legal Literacy.



- 31.1 158 Legal Aid Clinics have been established where Panel Lawyers and PLVs provide the assistance to the needy, through which 33,586 beneficiaries (belong to the marginalized section) have been facilitated.
- 31.2 To sensitize people total 1156 sessions have been conducted at village/block level in which 1,09,596 community members have participated. Simultaneously, 13306 awareness sessions have been conducted for Panchayati Raj officials, 884 for Village Chiefs (Gaon Buras and Gaon Buris) and 1454 for Preraks. State legal Service Authorities conducted 20legal literacy training and sensitization programme for 1000 headmen in the States.
- 31.3 To spread legal literacy, IEC material regarding 69 Social Welfare Laws has been developed and translated in 23 dialects/languages. 8,30,900 copies have been disseminated between the underprivileged and marginalised in the remote areas due to which more than 1 lakh beneficiaries have taken recourse to legal help.

¹Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim, Nagaland and UT of Jammu & Kashmir and Ladakh

32. CITIZENS' DUTIES AWARENESS PROGRAMME (CDAP):

- 32.1 Aimed to instill constitutional values in the lives of common man special one year Pan India Awareness drive was undertaken from 26th November, 2019 to 26th November, 2020, under the aegis of DoJ. Titled as CDAP, it witnessed participation from 48.6 Cr citizens, 86+ Ministries/ Departments of Government of India, States/UTs, Judiciary, NSS/NYK Volunteers, Indian citizens across India and NRIs overseas. Participation was also seen among 31 lakh elected representatives of Gram Panchayats where 14,500 Special Gram Sabhas were held to promote the Indian Constitution & Fundamental Duties. Grass-root campaign in 1000 digital villages under the CSC network, covering 310 districts across 16 states that reached to more than 4,84,000 villagers.



- 32.2 Digital mechanisms were used to leverage the activities effectively such as Online Preamble Reading (21.86 lakh), Online Pledge taking (1.90 lakh), Webinars (10,600), Special E-tickets (14.5 Cr), Social Media (10.95 Cr). Large pool of Promotional tools such as Brochure, Flyers, Posters, Standees, Quiz Banks, Preamble Walls have been made available on DoJ website.

33. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY:

- 33.1 Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.
- 33.2 In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct LokAdalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

33.3 Functioning of NALSA:

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country. Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk

Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

- a) To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons covered under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- b) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and
- c) To organize legal awareness camps in the rural areas.

33.4 Free Legal Services:

The Free Legal Services include:-

- a) Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- b) Providing service of lawyers in legal proceedings;
- c) Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings; and
- d) Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.
- e) During the year, total 7.11 lakh eligible persons have been benefited through legal aid services in the country.

33.5 Lok Adalats:

33.5.1 In order to facilitate alternative method of dispute resolution, NALSA conducts Lok Adalats. It is a forum where disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled / compromised amicably. Lok Adalats have been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under the said Act, the award (decision) made by the Lok Adalats is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against such an award before any court of law.

33.5.2 There are three types of Lok Adalats namely Regular Lok Adalats, National Lok Adalats and Permanent Lok Adalats.

- i. Regular Lok Adalats are organized by the Legal Services Authorities/Committees as per the convenience/discretion of the State/District authorities, for settlement of both pre-litigation and post-litigation cases.
- ii. National Lok Adalats are conducted quarterly for settlement of cases (both pre-litigation and post-litigation) in all the courts from the Supreme Court of India to the Taluk Courts on a single day.
- iii. Permanent Lok Adalats are permanent establishments set up in most of the Districts to

provide compulsory pre-litigative mechanism for settlement of disputes related to Public Utility Services.

33.5.3 Details of Lok Adalats organized and number of cases disposed of in these Lok Adalats during 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21 is as under:

S.No.	Year	Lok Adalat		National Lok Adalat Total number of cases settled
		No. of Lok Adalats organized	Total number of cases settled	
1	2016-17	1.19	17.24	96.62
2	2017-18	1.09	19.28	57.31
3	2018-19	1.16	10.46	58.95
4	2019-20	1.02	5.45	52.00
5	2020-21	0.22	4.20	13.44
Total		4.68	56.63	278.32

(In lakh)

Note: The number of cases settled includes both pre-litigation and pending cases.

In addition, 10748 sittings of Permanent Lok Adalats were held during 2020 and 17059 cases were settled and total value settlement comes to Rs. 87.34 crore.

33.5.4 E-Lok Adalat:

Each year, thousands of people throng the Lok Adalats to settle their cases that are either pending or at a pre-litigation stage. However, in the scenario of pandemic when protocols of public health and social distancing were being followed, it was difficult to conduct such face-to-face settlement of disputes. As most offline services remained closed, online services became the need of the hour. In order to adapt to these challenges, the Legal Services Authorities innovatively leveraged technology and introduced E-Lok Adalats.

33.5.5 The main objective of the E-Lok Adalats was to improve people's accessibility to this Alternative Dispute Resolution (ADR) forum during the pandemic and reduce the burden on courts by settling not only the pending cases but also cases which are at the pre-litigation stage. Another objective was to implement a cost effective and time saving mechanism of dispute resolution for the effected parties.

33.5.6 E- Lok Adalat has been conceptualized in a way that it facilitates party interaction and the exchange of information, allowing an opportunity to effectively solve a dispute. Pre-Lok Adalat sessions are held to identify cases fit for settlement and to facilitate settlement between the parties.

33.5.7 The first E-Lok Adalat was organized in Madhya Pradesh on 27.06.2020. Since then, 30 E-Lok Adalats have been organized in the country and a total number of 3,01,410 cases have been disposed of through the said E-Lok Adalats. **(Footnotes)**



33.6 Legal Awareness Camps

Legal illiteracy poses a serious threat in achieving the growth and development of a nation as legal awareness empowers oneself in knowing the law and his rights under the law thereby promoting the enhancement of legal culture in the society. With the aim to eradicate such legal illiterateness from the society, the Legal Services Institutions conducts legal awareness camps every year in different parts of the country and raises awareness amongst the masses of the different laws and beneficial schemes of the Government. During the year 1.46 lakh legal awareness camps were held for different sections of the people.

33.7 Legal Services/Empowerment Camps

Legal Empowerment Camps were organized with broad objectives of bridging the gaps of information and access to citizen's rightful entitlements. During the year 1,46,568 camps were held in which around 1.94 crore people received various benefits under the law. In the said camps, efforts were made to identify poor, weaker and marginalized people and to connect them to their entitlements available under the law and welfare schemes. Legal aid functionaries not only identified such people but also helped them in filing up forms relating to welfare schemes and completing the necessary formalities.



33.8 Internship programmes

NALSA organized a winter internship programme for law students in two batches viz. from 7th to 29th January, 2020 and 21st January to 12th February, 2020. Students from various law colleges/universities from all over the country participated in the internship programme, which was of about 3 weeks in duration. There were two batches totalling 80 students who had the opportunity to participate in the internship. During their initial assignment with the District Legal Services Authority, for about 10 days the students had the opportunity to make field visits to Jails/Observation Home/JJBs/Children's Homes/Courts/Mediation Centres etc. After their assignment with the DLSA, the students interned for a week with the Delhi State Legal Services Authority and thereafter, completed their internship with NALSA.

33.9 Legal Aid Defence Counsel System (LADCS)

The National Legal Services Authority through the 'Legal Aid Defence Counsel System' provided legal aid in criminal matters (in Sessions Courts, at the first instance). LADCS worked with the aim of creating institutional capacity to effectively provide legal aid to the needy in the criminal justice system. Legal Aid Defence Counsel System has been implemented on a pilot basis in one district in each of the 17 SLSAs selected. It is being implemented in the following states: Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. During the year legal assistance was provided in 17058 Sessions Cases in the Districts through LADC.

33.10 Standardising process for better delivery and monitoring

NALSA released a 'Handbook of Formats: Ensuring Effective Legal Services' prepared in collaboration with the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), the Handbook is a step towards NALSA's priority of improving the quality of legal services by strengthening documentation and reporting by Legal Services Institutions across the country. The Handbook, consists of two sections: the first section contains formats for legal aid providers i.e. panel lawyers, retainer lawyers, remand lawyers, jail visiting lawyers and lawyers attached to police stations and for community and convict paralegal volunteers and the second section

includes formats for Legal Services Institutions including registers for the Front Office, attendance registers, clinics and for the Monitoring and Mentoring Committees. This handbook contains formats that will enhance data collection, enabling NALSA to analyse trends and patterns emanating from data, and identification of issues at the micro level.

34. MISCELLANEOUS ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT:

34.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

Under the provisions of the Right to Information Act, 2005, Department of Justice has initiated the following actions:

- (a) A Section Officer of the Department has been designated as CPIO to collect and transfer the applications under the RTI Act, 2005 to the Central Public Information Officers/Public Authorities concerned and to submit the quarterly returns, regarding receipt and disposal of the RTI applications/appeals, to the Central Information Commission.
- (b) Details of the Department's functions along with its functionaries have been placed on the RTI portal of the Department's official website (<http://doj.gov.in>) as required under section 5(i) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.
- (c) All Under Secretaries have been designated as Central Public Information Officers (CPIOs) under section 5(i) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.
- (d) All Directors/Deputy Secretary Level Officers have been designated as Appellate Authorities in terms of Section 19 (i) of RTI Act, 2005 in respect of Under Secretaries working under them and who have been designated as CPIOs.
- (e) During the year 2020 (01.01.2020) to 31.12.2020), 352 RTI applications and 8 Appeals were received manually and 4387 RTI Applications and 153 appeals were received online in the Department and forwarded to the concerned CPIOs /Public Authorities for providing information requested for.
- (f) As per para 1.4.1 of the DOPTs guidelines issued vide their O.M. No.1/5/2011-IR dated 15.04.2013, the Department is uploading all RTI's and Appeals' replies on the website regularly.

The details of total no. of RTI applications received during 2020 are as follows:-

Matter	Online	Offline
RTI	4387	352
Appeal	153	8

34.2 EMPOWERMENT OF WOMEN:

Redressal of Complaints pertaining to Sexual Harassment at Workplace: In compliance of Section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been re-constituted for redressal by aggrieved women employees of the

Department on 24.11.2020. The Committee consists of three women employees, (including one Member from an NGO) and two male employees.

34.3 SWACHH BHARAT ABHIYAN:

As per policy guidelines of Government of India, Swachh Bharat programme has been implemented in the Department. During the year 2020-2021, ‘Swachhta Pakhwada’ was observed from 01.09.2020 to 02.10.2020 and another programme namely ‘Swachhta Hi Sewa’ was observed and activities like beautification of lawn, plantation of trees inside campus, extensive cleaning drive, weeding out of old records, disposal of old and obsolete items and voluntary Shramdaan by officers/officials of Department of Justice etc. were undertaken. During the FY 2020-21, Rs.35 lakh was earmarked for works under Swachhta Action Plan for renovation of toilets and canteen area, procurement of cleaning devices and other equipment. An expenditure of Rs.19.03 lakh has so far been incurred.

34.4 IMPLEMENTATION OF E-OFFICE:

In keeping with the policies of the Government for moving towards paperless office, this Department has taken the initiative to operationalize eOffice. Special steps have been taken with the help of NIC to impart training to all officers/officials on eOffice for smooth implementation and optimal utilization of eOffice system. As a result, Department of Justice is one of the top performing Ministries/Departments of Government of India who have moved into complete eOffice platform.

35. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

Official Language Section has been set up in the Department. It assists in discharging the responsibilities of implementation of Official Language policy of Union of India, the Official Languages of Act, 1963, the Official Language Rules, 1976 and the compliance of directions/instructions issued by Department of Official Languages from time to time. It is also entrusted with the work of promoting the progressive use of Hindi in the Department in addition to the translation work. The progress made in the implementation of official language is monitored through Quarterly Meetings. In the year 2020-21, the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) were held in every quarter to review the implementation of progressive use of Hindi in the Department. Two schemes are being implemented in the Department for promoting the use of Hindi. One relates to noting and drafting in Hindi while another is relating to dictation in Hindi. Under the scheme of Noting and Drafting, certificates and cash awards were given to 04 officers and employees on Hindi Diwas 14th September, 2020. One Hindi workshop was organized on 20.03.2020.

35.1 Hindi Fortnight and Hindi Diwas:


In order to promote and encourage the implementation of Official Language in the Department, Hindi Diwas was organized on 14th September, 2020. On the occasion of Hindi Diwas, message of Hon’ble Minister of Home Affairs was read out in the presence of Secretary (Justice). In his address, Secretary (Justice) urged the officers and officials of the Department to do their maximum work in Hindi. In addition to this, Hindi Fortnight was organized in the Department from 1st September, 2020 to 14th September, 2020. During observance of Hindi Fortnight, three competitions i.e. Hindi Essay, Hindi Typing and Hindi Dictation were organized. Total 34 officers/officials participated in these competitions. Cash prizes (First: Rs.2500/-, Second: Rs.2000/- and Third: Rs.1500/- along with certificates were given away to the winners of each competition.

ANNEXURE-I

(See chapter-1, para 2)

ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS**ANNEXURE I**

[See Chapter I, Para 2]



ANNEXURE-II

[See Chapter I, Para 21]

Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, ExS, PH upto 01.01.2021.

GROUP A	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-service men	PH
President	1	1	-	-	-	-	-
Vice President	9	5	-	-	4	-	-
Accountant Member	33	17	4	1	11	-	1 (O.H.)
Judicial Member	36	22	7	1	6	-	-
Registrar	1	1	-	-	-	-	-
Deputy Registrar	1	1	-	-	-	-	-
Assistant Registrar	10	4	2	1	3	-	-
Hindi Officer	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	91	51	13	3	24	-	-

GROUP B	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Senior P.S.	88	47	13	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Secretary	17	6	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Superintendent	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Suptd.	54	35	8	3	8	-	-	-	-	-	1	-	-
Hindi Translator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Accountant	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Librarian	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	166	95	25	5	41	0	0	0	0	0	1	0	0

Note: 07 post of Sr. Hindi Translator filled on Ad-hoc basis

GROUP C	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Upper Division Clerk	91	42	17	4	28	2	-	-	-	-	-	-	1
Steno Grade 'D'	01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lower Division Clerk	106	48	19	9	30	-	-	1	-	-	-	3	-
Staff Car Driver	10	11	2	11	1	1	4	4	-	-	-	-	-
TOTAL	232	101	47	15	69	3	1	5	4	0	0	3	1

	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Multi-Tasking Staff	162	51	62	14	35	-	-	3	5	3	-	1	2
TOTAL	162	51	62	14	35	0	0	3	5	3	0	1	2

ANNEXURE-III
[See Chapter I, Para 23]

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMENT AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON THE 01.01.2021.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Group	Total No. of Employees	Scheduled Castes	% of total employees	Scheduled Tribes	% of total employees	Other Back-ward Classes	% of total employees	Ex-service-men	% of total employees	Physically Handicapped	% of total employees
Group 'A'	144	39	27.08	7	4.86	15	10.41	-	-	2	1.38
Group 'B'	161	22	13.66	9	5.59	27	16.77	3	1.86	5	3.10
Group 'C' (excluding safaiwala)	235	61	25.95	11	4.68	34	14.46		1	0.42	
Group 'C' (safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	540	122	22.59	27	5.00	76	14.07	3	0.55	08	1.48

* The above statement includes information in respect of posts existing in Legislative Department, Law Commission and Central Agency Section also pertaining to cadres being controlled by this Department.

* The above statement does not include information about posts in Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY
MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
DURING THE YEAR 2020-21**
Department of Legal Affairs

Scheduled Castes

Group of post	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of SC candidates appointed	Short-fall	No. of ST candidates appointed against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward	No. of SC vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 10+11)
	Notified	Filled	Out of col.2	Out of col.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Other than Lowest rung – Group ‘A’ and Lowest rung of Group ‘A’	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘B’	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (excluding Safaiwala)	03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Scheduled Tribes

Group of post	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of ST candidates appointed	Short-fall	No. of SC candidates appointed against vacancies reserved for STs in the third year of carry forward	No. of ST vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 19+20)
	Out of col.2	Out of col.3							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Other than Lowest rung – Group ‘A’ and Lowest rung of Group ‘A’	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘B’	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (excluding Safaiwala)	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Vacancies in r/o various posts belonging to cadres of CSS and CSSS are calculated by DoP&T. Only the vacancies belonging to Group ‘C’ Posts of CSCS cadre are calculated by this Department which are yet to be notified.

Part II. – Posts filled by Promotion (on seniority-cum-fitness)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group ‘A’(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group ‘A’	—	37	—	—	14	—	—	—	—	—	—
Group ‘B’	-	30	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (excluding Safaiwala)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
‘A’	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘B’	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘C’ (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Part III – Posts filled by Promotion (by selection)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group ‘A’(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group ‘A’	-	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Group ‘B’	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (excluding] Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group ‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lowest rung of ‘A’	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘B’	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘C’ (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‘C’ (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNEXURE-IV

[See Chapter I, Para 23]

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES

GROUPS	DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (Including Legislative Department)	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES
GROUP A	144	38
GROUP B	161	44
GROUP C(Excluding Safaiwala)	235	17
GROUP C (Safaiwala)	-	-
TOTAL	540	99

GROUPS	INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES
GROUP A	91	9
GROUP B	166	53
GROUP C	232	57
MTS	162	7
TOTAL	651	126

ANNEXURE-V


[See Chapter 2, Para 2]

Organisation Chart of Legislative Department

ORGANISATION CHART OF THE LEGISLATIVE DEPARTMENT (MAIN) (As on 31.12.2020)

SECRETARY

[Dr. G Narayana Raju]



ANNEXURE-VI

(See Chapter- II, Para 35)

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON 31st DECEMBER, 2020 .

Group	No. of Employees	SC	%	ST	%	OBC	%	Ex-Service-men	%	Physically Handicapped	%
A	84	11	13.10	8	9.52	18	21.42	-	-	2	2.38
B	90	20	22.22	2	2.22	14	15.56	-	-	2	2.22
C	112	29	25.89	8	7.14	18	16.07	-	-	-	-
Total	286	60	20.98	18	6.29	50	17.48	-	-	4	1.40

ANNEXURE-VII

(See Chapter- II, Para 35)


REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT AS ON 31st DECEMBER, 2020

GROUP	Total No. of Employees	No. of Female Employees	Percentage(%)
Group 'A'	84	19	22.62
Group 'B'	90	28	31.11
Group 'C'	112	13	11.61
Total:-	286	60	20.98

ANNEXURE-VIII

(See Chapter- II, Para 36)








ANNEXURE – IX

(See Chapter- III, Para- 1
Organisation Chart of Department



RKK : Shri Rajinder Kumar Kashyap
 PPP: Shri Pravash Prashun Pandey

**GRR : Shri G. R. Raghavender
NKG : Shri Niraj Kumar Gayagi**



GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Law and Justice